Tuesday, 23 August, 1960

लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४५, १९६०/१८८२ (शक)

[१६ से २६ अगस्त १९६०/२५ श्रावण से ४ भाद्र १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

Preservation Unit.
Fumigated
On
Parliament Library

ग्यारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४५ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

द्वितीय माला, खंड ४५–अंक ११ से २०—१६ से २६ अगस्त, १९६०/२५ श्रावण से ४ भाद्र, १८८२ (शक)

अंक ११–मंगलवार, १६ अगस्त, १९६०/२५ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९२, ३९४ से ३९७, ४०० से ४०७, ४०९, ४१० और ४१२ . . . १२५९—८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९३, ३९८, ३९९, ४०८, ४११ और ४१३ से ४३७ . . . १२८५—१३००

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१७ से ७९७ . . . १३००—१३३७

निधन सम्बन्धी उल्लेख . . . १३३७

जानकारी का प्रश्न . . . १३३७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १३३८

राज्य सभा से सन्देश . . . १३३८

समवाय (संशोधन) विधेयक—

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . . १३३९

(२) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य . . . १३३९

बाट तथा माप के प्रमाप (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित कार्य मंत्रणा समिति . . . १३३९

तिरेपनवां प्रतिवेदन . . . १३३९

वर्ष १९६०–६१ के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग (रेलवे) . . . १३३९—४७

सभापति तालिका . . . १३४७

वर्ष १९५७–५८ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें . . . १३४८—५५

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (स्थिति, उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार)
विचार करने का प्रस्ताव . . . १३५६—७१

खंड २ से ५, अनुसूची और खंड १
पारित करने का प्रस्ताव . . . १३७०—७१

प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . . १३७१—७४

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा के नये टोकन कार्ड . . . १३७४—७७

दैनिक संक्षेपिका . . . १३७८—८५

अंक १२–बुधवार, १७ अगस्त, १९६०/२६ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ से ४४६, ४४८ से ४५० और ४५२ . . . १३८७—१४०७

	पृष्ठ
अल्प सूचना प्रश्न संख्या	१४०८-१४०९
प्रश्नों के लिखित उत्तर --	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४४७, ४५१ और ४५३ से ४८५	१४०९--२८
अतारांकित प्रश्न संख्या ७९८ से ८१६ और ८१८ से ९०७	१४२८--७५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१४७६
राज्य सभा से सन्देश .	१४७७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में आंत्रशोथ (गेस्ट्रो-एन्ट्रेराइटिस) महामारी	१४७७-७८
सदस्य के निरोध के बारे मे वक्तव्य .	१४७८--८०
दक्षिण पूर्व रेलवे पर लाइन टूटने के बारे में वक्तव्य	१४८०
समिति के लिये निर्वाचन--	
केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड	१४८१
विधेयक--पुरस्थापित--	
(१) विनियोग (संख्या ३) विधेयक , १९६०	१४८१
(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६०	१४८१-८२
प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक--	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	१४८२--९४
राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	. १४९५--१५११
दैनिक संक्षेपिका	. १५१२--१५१९
अंक १३--गुरुवार, १८ अगस्त, १९६०/२७ श्रावण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर --	
तारांकित प्रश्न संख्या ४८६ से ४९१ और ४९३ से ५००	१५२१--४३
प्रश्नों के लिखित उत्तर --	
तारांकित प्रश्न संख्या ४९२ और ५०१ से ५३६ . .	१५४४--६२
अतारांकित प्रश्न संख्या ९०८ से १००३ और १००५ से १०१९	१५६३--१६११
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१६१२-१३
राज्य सभा से सन्देश . .	१६१३
वर्ष १९६०-६१ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) के बारे में विवरण	१६१४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
सड़सठवां प्रतिवेदन . .	१६१४
तालचेर की हडीधुआ कोयला खान में दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	१६१४-१५

	पृष्ठ
विधेयक-पुरस्थापित—	
(१) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (दशमिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक	१६१५
(२) भारतीय मजदूर संघ (संशोधन) विधेयक	१६१५
विधेयक पारित—	
(१) विनियोग (संख्या ३) विधेयक	१६१५–१६
(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक	१६१६
पलाई सेन्ट्रल बैंक के मामलों के बारे में .	१६१७
सभा का कार्य	१६१७–१८
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन— के बारे में प्रस्ताव	१६१८—४२
नागा पहाड़ियां और तुएनसाग क्षेत्र के बारे में प्रस्ताव	१६४३—६७
दैनिक संक्षेपिका . .	१६६८—७६

अंक १४—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९६०/२८ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५४१, ५४३ से ५४५, ५४६ से ५५१ और ५६३ . . .	१६७७—१७००
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३७, ५४२, ५५२ से ५६२ और ५६४ से ५७७	१७००—१७१३
अतारांकित प्रश्न संख्या १०२० से १०९५ . .	१७१३—१७४९
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१७५०
सभा का कार्य . . .	१७५०
प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक . .	१७५०—६४
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	१७५०—५६
खंड २ से १० और १—पारित करने का प्रस्ताव . . .	१७५६—६५
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति .	१७६५—७७
सड़सठवां प्रतिवेदन	१७७७
सदस्य की गिरफ्तारी—	
आय की अधिकतम सीमा के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	१७७८—१८०४
समाचार पत्रों द्वारा समाचारों तथा विचारों के प्रसार के बारे में संकल्प कल्प	१८०४—०७
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौवनवां प्रतिवेदन	१८६०
दैनिक संक्षेपिका	१८०८—१३

अंक १५—शनिवार, २० अगस्त, १९६०/२९ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७८ से ५८२, ५८८ से ५९१, ५९३ और ५९४ . १८१५—३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८३ से ५८७, ५९२ और ५९५ से ६१७ १८३६—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०९६ से १२०० १८५२—९६

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८९६

राज्य सभा से सन्देश १८९६-९७

कांगो में लियोपोल्डविल—हवाई अड्डे पर संयुक्त राष्ट्र कमान में तैनात भारतीय चालक वृन्द से सम्बन्धित घटना के बारे में वक्तव्य . १८९७-९८

पलाई बैंक के बारे में वक्तव्य १८९९—१९०१

सभा का कार्य १९०२

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

इक्कीसवां प्रतिवेदन . १९०२

तारांकित प्रश्न संख्या ४४० के उत्तर की शुद्धि १९०२—३

समिति के लिये चुनाव—

केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड १९०३

कार्य मंत्रणा समिति—

चव्वनवां प्रतिवेदन . . . १९०४

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . १९०४—४८

मत विभाजन के परिणाम की शुद्धि १९४८

कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण तथा चिन्ह लगाना) संशोधन विधेयक विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में १९४८—५४

खंड २ और १—पारित करने के लिये प्रस्ताव १९५४

निष्क्रांत हित (पृथक्करण) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में १९५५

दैनिक संक्षेपिका १९५६—६३

अंक १६—सोमवार, २२ अगस्त, १९६०/३१ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६१८, ६१९, ६२१ से ६२५, ६२७, ६३०, ६३२, ६३३, ६३७, ६३८, ६४१, ६४३, और ६४५ से ६४७ १९६५—९०

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६२०, ६२६, ६२८, ६२९, ६३१, ६३४, ६३५, ६३६, ६३९, ६४०, ६४२, ६४४ और ६४८ से ६५१ . १९९१--९७

अतारांकित प्रश्न संख्या १२०१ से १२६७ . १९९७--२०२८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २०२८

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०२८

वित्तीय समितियां १९५९-६० (एक समीक्षा)--सभा पटल पर रखा गया--

बाल विधेयक २०२९

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन और साक्ष्य-- सभा पटल पर रखे गये २०२९

सदस्य की रिहाई २०२९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

काली मिर्च के वायदे के सौदे . २०२९-३०

निष्क्रांत हित (प्रथक्करण) संशोधन विधेयक--स्थगित २०३०

तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव २०३०--६६

पलाई सेंट्रल बैंक के बन्द किये जाने के बारे में चर्चा २०६६--७६

दैनिक संक्षेपिका २०७७--८२

अंक १७--मंगलवार, २३ अगस्त, १९६०/१ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६५२ से ६५६, ६५९ से ६६२, ६६६, ६६७, ६७०, ६७३ और ६७४ . . . २०८३--२१०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६५७, ६५८, ६६३ से ६६५, ६६८, ६६९, ६७१, ६७२ और ६७५ से ६८५ २१०७--१६

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६८ से १३६२ २११६--५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१५७

राज्य सभा से सन्देश २१५७

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--

राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया २१५८

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव . २१५८--२२००

पलाई सेंट्रल बैंक के बारे में चर्चा २२०१--११

दैनिक संक्षेपिका . २२१२--१७

पृष्ठ

अंक १८—बुधवार, २४ अगस्त, १९६०/२ भाद्र, १८८२ (शक)

मौखिक प्रश्नों के उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८६ से ६९७ . . . २२१९–४६

लिखित प्रश्नों के उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९८ से ७४८ . . . २२४६–७२
१३६३–१४६०

अतारांकित प्रश्न संख्या . . . . . . २२७२—२३१२

निधन सम्बन्धी उल्लेख २३१२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अड़सठवां प्रतिवेदन . . २३१२

अनुपस्थिति की अनुमति . . . २३१२–१३

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव २३१३—६१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . २३६२—६८

अंक १९—गुरुवार, २५ अगस्त, १९६०/३ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४९ से ७६५ २३६९—९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७६६ से ७९६ . . . २३९१—२४०५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४६१ से १५२६ और १५२८ से १५४४ २४०५–३८

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . . २४३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

उड़ीसा में बाढ़ २४३८–४२

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव २४४२–९९

समिति के लिये निर्वाचन के बारे में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड २४९९

दैनिक संक्षेपिका २५००

अंक २०—शुक्रवार, २६ अगस्त, १९६०/४ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९७ से ८०३, ८०५ से ८०८ और ८१० २५०७–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०४, ८०९ और ८११ से ८२३ २५३०–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या १५४५ से १६३० २५३६–७२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २५७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २५७२

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
बांसपानी में लोहे की खानों के बन्द होने की आशंका . . . २५७३
सभा का कार्य २५७३–७४
तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव . . . २५७४—८३
निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) संशोधन विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . . २५८४—९७
खण्ड १ से ३—पारित करने का प्रस्ताव . . . २५९६–९७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
अड़सठवां प्रतिवेदन . . . २५९७
विधेयक पुरस्थापित—
१. विधि-व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १४ तथा १५ का संशोधन) [श्री हेमराज का] . . . २५९७
२. विधान परिषद (रचना) विधेयक, १९६० [श्री श्रीनारायण दास का] . . . २५९८
३. भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (नई धारा ३०२ का रखा जाना) [श्री अजित सिंह सरहदी का] . . . २५९८
४. हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा २३ का संशोधन) [श्री अजित सिंह सरहदी का] . . . २५९८
५. जल तथा वायु को दूषित करने से रोकना (संघ राज्य क्षेत्रों में) विधेयक १९६० [श्री झूलन सिंह का] . . . २५९८-९९
६. खान (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १२, ६४ आदि का संशोधन) [श्री झूलन सिंह का] . . . २५९९
७. कारखाना (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा ९क का रखा जाना) [श्री झूलन सिंह का] . . . २५९९
८. श्रमिक दुरुपयोग (निषेध) विधेयक, १९६० [श्री झूलन सिंह का] . . . २५९९–२६००
सामाजिक प्रथाय (व्यय में कमी) विधेयक [श्री झूलन सिंह का]
—वापिस लिया गया—
परिचालित करने का प्रस्ताव . . . २६००—०९
वृद्धावस्था में विवाह पर रोक विधेयक [श्री मोहन स्वरूप का]—
विचार करने का प्रस्ताव . . . २६०९—१५
दैनिक संक्षेपिका . . . २६१६—२१

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GMGIPND—LS III—1031(Ai)LSD—28-9-60—135

लोक-सभा

मंगलवार, २३ अगस्त, १९६०
१ भाद्र, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कृषि उत्पादनों का मूल्य निर्धारित करने के लिये संविहित बोर्ड

+
†*६५२. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री ब्रजराज सिंह : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २३ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्ने सहित सभी कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारित करने के लिये संविहित बोर्ड बनाने की योजना किस प्रक्रम पर है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: इस सम्बन्ध में अभी तक कोई भी निर्णय नहीं किया गया है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या इस योजना को योजना आयोग से स्वीकृति प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो स्वीकृत योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मैं यह नहीं कहता कि उसे अन्तिम रूप से स्वीकृति मिल गयी है, परन्तु हम एक कृषि-पण्य परामर्शदात्री समिति स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं जो कि सरकार को न ही केवल मूल्य सम्बन्धी नीति पर ही परामर्श देगी, अपितु कृषि उत्पादन कार्यक्रम से सम्बन्ध रखने वाले सभी मामलों के बारे में परामर्श देगी । इस समिति के मुख्य रूप से सम्बन्धित मंत्रालयों के पदाधिकारियों के

†मूल अंग्रेजी में

986 (Ai) LSD—1.

अतिरिक्त योजना आयोग, रिजर्व बैंक तथा अन्य विभागों के प्रतिनिधि होंगे । इस समिति की स्थापना के सम्बन्ध में कार्य किया जा रहा है, परन्तु इस बारे में अभी तक पूर्णरूपेण निर्णय नहीं किया गया है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या इसके सम्बन्ध में योजना आयोग और इस मंत्रालय में कुछ मत भेद हैं, और क्या इसी कारण से विलम्ब हो रहा है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** दो व्यक्तियों में भी सदा कुछ न कुछ अन्तर तो होता ही है। परन्तु योजना आयोग और इस समिति का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि इस अन्तर को यथा संभव दूर कर दिया जाये और एक समन्वित सरकार के रूप में काम किया जाये ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या इस कृषि पण्य परामर्शदात्री समिति में कोई भी गैर-सरकारी उत्पादक तथा कोई भी गैर सरकारी कृषि वस्तुवितरक सम्मिलित नहीं किया जायेगा ?

†**श्री स० का० पाटिल :** मेरी मूल योजना को अब दो भागों में विभाजित कर दिया गया है । इसके अनुसार एक कृषि पण्य परामर्शदात्री समिति होगी जिसमें उन मंत्रालयों आदि के पदाधिकारी होंगे और उनका एक पूर्ण कालिक प्रधान होगा । इस प्रकार से वह एक पूर्ण निकाय होगा । दूसरी समिति कृषक परामर्शदात्री तालिका होगी जिसमें अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित किये जायेंगे ताकि दोनों समितियां एक दूसरे के परामर्श से काम कर सकें ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या इस सम्बन्ध में कोई अनुसन्धान अथवा आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि कृषि उत्पादों अथवा खुराक के उत्पादन पर किसान की कितनी लागत आती है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** इसी प्रयोजन के लिये ही तो ये समितियां स्थापित की जा रही हैं ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** मैं माननीय मंत्री को स्मरण दिला देना चाहता हूं कि प्रारम्भ में उनका विचार यह था कि कृषि पण्यों की कीमतों के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिये एक अलग संविहित निकाय स्थापित किया जाये ? क्या केवल योजना आयोग के कहने पर ही अब उन्हें बाध्य हो कर उस निकाय को दो समितियों में विभाजित करना स्वीकार करना पड़ा है और यह स्वीकार करना पड़ा है कि कृषकों की एक अलग तालिका बनायी जाये जिसका काम केवल परामर्श देना है बस और कुछ नहीं और फिर उसमें अन्य संस्थाओं का कोई भी प्रतिनिधि नहीं होगा ?

†**श्री स० का० पाटिल :** मैं नहीं समझता कि किसी से बाध्य हो कर मुझे यह स्वीकार करना पड़ा है । अब जो स्थायी बोर्ड स्थापित किया जा रहा है उसमें मंत्रालयों के प्रतिनिधि और उनके परामर्शदाता होंगे । और दूसरा निकाय, जो कि किसानों का परामर्शदाता बोर्ड होगा, उसकी भी प्रति तीन मास के बाद बैठक हुआ करेगी । इसलिये यदि दोनों को इकट्ठा किया जाये तो दोनों का वही निष्कर्ष निकलता है जो कि मूल योजना में निर्धारित किया गया था । इसलिये हमें केवल शब्दों पर नहीं झगड़ना चाहिये । देखना यह है कि परिणाम क्या निकलेगा और मुझे आशा है कि परिणाम अच्छा निकलेगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री ब्रजराज सिंह :** क्या यह सच है कि योजना आयोग ने सरकार से यह सिफारिश की है कि यदि कृषकों का ऐसा एक संविहित निकाय बना दिया गया तो उससे किसान सरकार पर सदा यही जोर देते रहेंगे कि कृषि वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा दिया जाये । यदि हां, तो सरकार कृषि वस्तुओं के लिये काश्तकारों को अदा की जाने वाली कीमतों के सम्बन्ध में समाधान कैसे करेगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : माननीय सदस्य का यह ख्याल है कि इस समिति का मुख्य उद्देश्य मूल्य निर्धारित करना है । यह तो केवल एक उद्देश्य है । हम तो वास्तव में यह चाहते हैं कि सम्पूर्ण कृषि उत्पादन पर निरन्तर नजर रखी जाये । उसमें कृषि के रूप, कुछ एक फसलों के लिये उपलब्ध भूमि का आवंटन, तथा कुछ अन्य बातें आ जाती हैं, यह तो स्वाभाविक है कि जब उसमें किसान होंगे तो उनकी ओर से मूल्य बढ़ाने के सम्बन्ध में जोर तो दिया ही जायेगा । परन्तु उसमें कोई बुराई नहीं है । हम तो यह कह रहे हैं कि देश के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए वैसा करना ही चाहिये । इन दोनों समितियों के इकट्ठे यत्नों के परिणामस्वरूप हम उस प्रयोजन को पूरा कर सकेंगे जिससे सम्पूर्ण कृषि उत्पादन के आधार को निरन्तर नजर में रखा जा सकेगा ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या उस संविहित बोर्ड में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को भी नियुक्त किया जायेगा ।

†**श्री स० का० पाटिल :** संभवतः दूसरी समिति में नियुक्त किया जाये, परन्तु पहली में नहीं, क्योंकि पहली समिति एक पूर्णकालिक बोर्ड होगा । इसलिये उसमें राज्यों के प्रतिनिधियों को स्थान देना उचित नहीं है । परन्तु कृषक परामर्शदात्री तालिका में हम न केवल राज्यों के प्रतिनिधियों का ही बल्कि अन्य व्यक्तियों को भी——जैसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री——प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मूल योजना यह थी कि एक संविहित बोर्ड स्थापित किया जाये जिसमें गैर सरकारी प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया जायेगा । इस संविहित बोर्ड में गैर सरकारी प्रतिनिधियों को स्थान न देने के क्या कारण हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि इस बारे में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है, इसलिये मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं बता सकता । परन्तु फिर भी मैं सभासदों को बता रहा था कि पहला बोर्ड एक स्थायी बोर्ड होगा, वह उनके समान नहीं होगा जिनकी बैठक कभी कभी दो या तीन महीनों के बाद होती है । प्रशुल्क बोर्ड के समान यह एक स्थायी बोर्ड होगा । अतः राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों या अन्य गैर सरकारी व्यक्तियों को उसमें स्थान नहीं दिया जा सकता । उनकी सहायता कभी कभी ली जा सकती है । हां वे व्यक्ति दूसरे दर्जे के सदस्य बन सकते हैं ।

†**श्री रंगा :** क्या सरकार की यह इच्छा है कि दूसरे बोर्ड में, जिसमें गैर सरकारी व्यक्ति होंगे, में अधिकांश प्रतिनिधित्व केवल राज्य सरकारों को ही नहीं दिया जायेगा ? क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि इसमें किसानों को अधिकांश प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाये ?

†**श्री स० का० पाटिल :** मेरा यह विश्वास है कि जब तक किसानों को विश्वास में नहीं लिया जायेगा, तब तक देश में कृषि उत्पादन नहीं बढ़ सकता । इसलिये मैं इस बात को सदा ध्यान

†मूल अंग्रेजी में

में रखूंगा कि उस समिति में केवल मात्र पदाधिकारियों को ही स्थान प्राप्त न हो। क्योंकि किसानों बिना तो समिति स्थापित करने का कोई लाभ ही नहीं है। इसलिये मैं जान बूझ कर यह अन्तर कर रहा हूं—दो समितियां स्थापित कर रहा हूं। इससे दूसरा बोर्ड वास्तव में एक परामर्शदाता बोर्ड के रूप में होगा और उनका परामर्श पहले बोर्ड के लिये लाभकारी सिद्ध होगा।

†**श्री राधे लाल व्यास :** मैं यह जानना चाहता हूं कि जो बोर्ड बनाया जायेगा, और जो कीमत निर्धारित करेगा, वह कौनसी बातें ध्यान में रखेगा, जिनके आधार पर कीमत मुकर्रर की जायेगी और जो कीमत मुकर्रर की जायेगी, चाहे सब चीजों में नहीं, जो कि किसान उत्पादन करते हैं, लेकिन कम से कम गेहूं, चावल और खाद्यान्नों की कीमत की गारण्टी सरकार की तरफ से होगी, जैसी कि यू० के० में है, कि अगर कीमतें नहीं मिलेंगी, तो सरकार उसकी पूर्ति करेगी।

†**श्री स० का० पाटिल :** उस का ज्ञान न मुझे है और न गवर्नमेंट को है। उसी के लिये तो कमेटी बन रही है। वह कमेटी एक्सपर्ट्स की बन रही है, जो कि गवर्नमेंट को एडवाइस दे कि इस बारे में क्या करना चाहिए।

†**श्री खुशवक्त राय :** क्या मैं जान सकता हूं कि पहले जो यह विचार था कि जो कमेटी बनेगी, उसको स्टेचुटरी रेकगनीशन दी जायगी, अब वह इरादा क्यों बदल दिया गया है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** क्योंकि मैंने माना है कि अब जो तरीका निकाला गया है, वह अच्छा है पहले से।

†**श्री तंगामणि :** क्या यह कृषि पण्य परामर्शदात्री समिति गन्ने के अतिरिक्त अन्य व्यापारिक फसलों की कीमतें भी निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो क्या उन व्यापारिक फसलों की सूची तैयार कर ली गई है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** जी यही तो हमारा उद्देश्य है। सभी व्यापारिक फसलों और सभी खाद्य फसलों के सम्बन्ध में यह काम आसान नहीं है, वह एक बहुत मुश्किल काम है। इसीलिये तो यह समिति नियुक्त की गई है ताकि इन फसलों के दावों को—अर्थात् न ही केवल व्यापारिक फसलों और खाद्य फसलों के बीच में अपितु व्यापारिक फसलों और विभिन्न खाद्य फसलों के आपस में भी—ऐसा समायोजन पैदा किया जा सके कि उससे सर्वोत्तम परिणाम निकल सकें।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि समिति की स्थापना और मूल्यों के निर्धारण में अभी कुछ समय लगेगा, फिलहाल मूल्यों को स्थिर रखने के सम्बन्ध में क्या क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल :** मूल्यों को स्थिर रखने से क्या अभिप्राय है यह तो मैं ठीक तरह से नहीं समझ सकता; परन्तु संसद् में इस सम्बन्ध में वाद-विवाद होगा। जहां तक किसानों का सम्बन्ध है, उनके लिये मूल्यों को स्थिर करना ही पड़ेगा; यह उनके लिये उपभोक्ताओं से भी ज्यादा ज़रूरी है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पोस्टकार्ड

+

*६५३. { **श्री नरदेव स्नातक :** / **श्री भक्त दर्शन :** }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिस कागज़ पर पोस्टकार्ड छापे जाते हैं वह बहुत घटिया किस्म का होता है ;

(ख) पोस्टकार्ड का कागज कहां कहां बनता है और उन कारखानों में कितने कर्मचारी काम करते हैं ; और

(ग) क्या पोस्टकार्ड छापने से पहले यह देखने के लिये समुचित प्रयोग किये जाते हैं कि कहीं उस पर स्याही तो नहीं फैलती ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) पोस्टकार्ड का कागज मैसर्स टीटागढ़ पेपर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा बना कर सप्लाई किया जाता है । उक्त कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जी हां । खराब बने पोस्टकार्ड के कागजों को सामान्य स्थिति में छापने से पहले निकाल दिया जाता है ।

श्री नरदेव स्नातक : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन पोस्टकार्डों पर लिखते समय स्याही फैल जाती है उस खराबी को दूर करने के लिये क्या उपाय किया जा रहा है ?

श्री राज बहादुर : जैसा कि कहा गया है, कागज छांट कर लिया जाता है और बहुत अहतियात बरती जाती है । अक्सर होता यह है कि पोस्टकार्डों को ऐसी जगह रख दिया जाता है जहां सीलन वगैरह होती है । अगर सीलन की जगह में किसी कागज़ को रखा जाएगा, तो वह चाहे जितना बढ़िया हो उस पर स्याही फैल जाएगी ।

श्री नरदेव स्नातक : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो वर्तमान समय में कार्ड की साइज है उसको कुछ बढ़ाने का विचार है ?

श्री राज बहादुर : मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई विचार नहीं है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या सरकार को ज्ञात है कि कभी कभी यह भी शिकायत आती है कि उसके लिये जो कागज संभरित किया जाता है, वह बहुत पुराना है ? क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि इसके लिये संभरित किया जाने वाला कागज बहुत पुराना न हो, क्योंकि उस पर स्याही फैल जाती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** मैंने इस सम्बन्ध में जांच की है । यह कागज टीटागढ़ पेपर मिल्स कम्पनी, लिमिटेड द्वारा संभरित किया जाता है । मैं नहीं समझता कि माननीया सदस्या का यह आरोप सच है कि पुराना कागज़ लगाया जाता है । विभाग इस बात का ध्यान रखता है कि सर्वोत्तम उपलब्ध कागज़ लगाया जाये । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हम केवल स्वदेशी कागज़ का ही इस्तेमाल करते हैं, हम अपने देश में ही सर्वोत्तम कागज़ प्राप्त करने का यत्न करते हैं। दो अन्य कागज़ मिलों से भी टेण्डर मांगे थे, परन्तु उनके टेण्डर सन्तोषजनक नहीं थे ।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी, श्री राज बहादुर जी ने मुख्य प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा——जी नहीं । मैं जानना चाहता हूं कि यह जो सीलन की शिकायत है यह कुछ दिनों से ही क्यों ज्यादा होने लगी है ?

श्री राज बहादुर : यह कागज तो बराबर इस्तेमाल होता रहा है पर कभी ऐसी शिकायत नहीं आई । बीस बरस से पोस्टकार्डों के लिये यह कागज इस्तेमाल हो रहा है और बीस बरस से यही फैक्टरी कागज सप्लाई कर रही है । जैसा मैंने कहा, कभी कभी यह बेअहतियाती बरती जाती है डाकखानों में या घरों में और कार्ड सील जाते हैं ।

†**डा० प० सुब्बरायन :** मैं अपने मित्र द्वारा दिये गये उत्तर के अतिरिक्त यह भी बता देना चाहता हूं कि इसके लिये वे जिम्मेदार नहीं हैं । इसके लिये पूर्ण रूपेण मैं ही जिम्मेदार हूं । इसके सम्बन्ध में सम्पूर्ण मामले पर विचार करने के बाद ही मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : जो वर्तमान साइज पोस्टकार्डों का है उससे बड़े और उससे छोटे पोस्टकार्ड भी प्रचलित हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनकी साइज में एकरूपता लाने का प्रयत्न किया जायेगा ?

†**डा० प० सुब्बरा.न :** माननीय सदस्य ने हिन्दी में इतना लम्बा प्रश्न पूछ लिया है कि मैं इसे समझ नहीं सका । यदि वे अंग्रेजी में पूछें तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूं ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** एक पोस्टकार्ड पर आने वाली लागत उसके मूल्य की तुलना में कैसी है ?

†**डा० प० सुब्बरा.न :** हमने इसका हिसाब नहीं लगाया है ।

छोटे पत्तन

*६५४. { †**श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **परि हन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में छोटे पत्तनों के विकास की योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में छोटे पत्तनों को विकसित करने के लिये अभी एक अस्थायी कार्यक्रम बनाया गया है जिस पर आयोजना आयोग और प्रदेश सरकारों के साथ मिल कर विचार किया

†मूल अंग्रेज़ी में

जा रहा है। प्रदेश सरकारों से उनके सुझावों के मिलने पर नेशनल हार्बर बोर्ड एक विशेष बैठक में विचार किया जायेगा। यह बैठक अक्तूबर, १९६० में होगी। इसके बाद इस कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया जायगा।

श्री म० ला० द्विवेदी : ये कौन कौन से छोटे बन्दरगाह हैं, जिनके सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है और उनके विकास का क्रम क्या होगा ?

श्री राज बहादुर : जो समुद्र तटवर्ती राज्य हैं उनमें अनेकों बन्दरगाह ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में . .

श्री रघुनाथ सिंह : मुख्य मुख्य ?

श्री राज बहादुर : मुख्य मुख्य जैसे पोरबन्दर है। कोनकण के कोस्ट के बन्दरगाह हैं, उसके बाद मैसूर के, केरल के और मद्रास के बन्दरगाह हैं और आन्ध्र के हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन छोटे बन्दरगाहों के विकास के सम्बन्ध में कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है।

श्री राज बहादुर : आयोजना आयोग ने हमें बताया है कि वह दस करोड़ पया इन छोटे बन्दरगाहों के विकास के लिये नियत कर सकेगा।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : इन लघु पत्तनों के लिये राज्य सरकार कितनी राशि अदा करेगी ?

†**श्री राज बहादुर** : १० करोड़ रुपयों की निर्धारित राशि इन छोटे पत्तनों के विकास के लिये ऋण के रूप में देने के लिये है। राज्य सरकारें स्वयं ही जितना हो सकेगा इन पत्तनों के विकास के लिये धन देंगी।

†**महाराज कुमार विजय आनन्द** : आन्ध्र प्रदेश में इसके लिये कितने पत्तन उपयुक्त हैं, क्या मसूलीपटनम उनमें से एक है ?

†**श्री राज बहादुर** : आन्ध्र प्रदेश के अन्य पत्तनों के साथ ही हम इस पर भी विचार कर रहे हैं।

†**श्री रा० च० माझी** : क्या इन पत्तनों के विकास के लिये किसी विदेशी विशेषज्ञ की भी जरूरत होगी ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं समझता हूं कि उन लघु पत्तनों के विकास के लिये हमारे अपने देश में पर्याप्त प्रविधिक परामर्शदाता हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि हाल्दिया पत्तन के विकास का कार्य कुछ ढ़ीला पड़ गया है, क्योंकि द्वितीय योजना के अधीन इसके लिये कम राशि निर्धारित की गयी है ?

†**श्री राज बहादुर** : हाल्दिया कलकत्ता क्षेत्र की विकास योजना का एक अभिन्न अंग है, यह लघु पत्तनों के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता। तो भी मैं इस कथन का निराकरण कर देना चाहता हूं कि हाल्दिया पत्तन की प्रगति में बाधा पड़ रही है। वास्तव में जांच सम्बन्धी कार्य पहले ही किया जा चुका है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्रीं आचार : क्या १० करोड़ रुपयों की राशि राज्यवार आवंटित की गयी है और यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितनी राशि आवटित की गयी है?

†श्री राज बहादुरः सम्पूर्ण मामले पर राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड की बैठक में मध्यवर्ती पत्तन विकास समिति की रिपोर्ट के साथ विचार किया जायगा। योजना आयोग, परिवहन मंत्रालय और राज्य सरकारों से पारस्परिक परामर्श के बाद ही विभिन्न पत्तनों के नामों का चुनाव किया गया है।

†श्री स० चं० सामन्त : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने लघु पत्तनों का विकास किया गया था और उनके लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से कितनी राशि दी गयी थी?

†श्री राज बहादुर : कुल ५ करोड़ रुपयों की राशि आवंटित की गयी थी, उसमें से ३.५ करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। जिन पत्तनों का विकास किया गया है, उनकी संख्या मैं इस समय नहीं बता सकता और न ही यह बता सकता हूं कि उनका कितना विकास हुआ है।

†श्री राम नाथन् चेट्टियार : मद्रास में कुल कितने लघु पत्तन हैं और क्या इस योजना के अधीन नगपट्टिनम और थोंडी पत्तनों का भी विकास किया जायगा?

†श्री राज बहादु : नगपट्टिनम के बारे में विचार किया जा रहा है। इसके लिये कुछ एक योजनायें बनायी गयी हैं। थोंडी के बारे में मैं इस समय कुछ नहीं बता सकता।

†श्री त.मणि : क्या सरकार ने मध्यम पतन विकास समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है? उस रिपोर्ट के आधार पर मध्यम श्रेणी के पतनों के विकास के लिये क्या क्या कार्यवाही की जा रही है?

†श्री राज बहादुर : मध्यम पतन विकास समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी ३० अप्रैल, १९६० को ही दी है। हम उसे शीघ्रातिशी राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड की बैठक में पेश कर देंगे। यह बैठक जुलाई में होने वाली थी, परन्तु अब वह अगस्त में होगी। उस बैठक में इस पर विचार किया जायगा और अक्तूबर में एक विशेष बैठक बुलायी जायेगी।

†श्री वेंकट सुब्बय्या : क्या लघु पत्तनों के विकास के सम्बन्ध में प्राथमिकता निर्धारित की जायेगी?

†श्री राज बहादुर : उन में से कुछ एक पत्तनों के विकास का प्रश्न मध्यम पत्तन विकास समिति के सामने आया था और उस समिति ने उन विकास के लिये प्राथमिकता निर्धारित करने के लिये कुछ एक आधारों पर विचार किया था। मैं समझता हूं कि राज्य सरकारें, परिवहन मंत्रालय और योजना आयोग प्रत्येक पत्तन के सम्बन्ध में विचार करेगा और प्राथमिकता निर्धारित करते समय आवश्यकता को सदा ध्यान में रक्खेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे दुर्घटनाओं में हताहत व्यक्तियों को प्रतिकर

†*६५५. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री पांगर कर :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **रेलवे** मंत्री ६ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे दुर्घटनाओं में हताहत व्यक्तियों को मुआवजा देने की नई योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** पहले के प्रश्न का उत्तर देते हुए यह कहा गया था कि प्रारम्भिक जांच पूरी हो चुकी है। मैं पूछना चाहता हूं कि उस योजना के ब्योरे क्या हैं जिनके बारे में जांच पूरी हो चुकी है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** वास्तव में इस सम्बन्ध में तीन सुझाव हैं। उन पर बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य यही है कि उनका पुनरीक्षण बढ़ते हुए मूल्यों के साथ किया जाय। इन तीनों सुझावों में अधिकतम सीमा को १०,००० से २०,००० रुपये तक कर देने का विचार है और दावों पर किसी भी अधिनियम के अधीन विचार किया जायेगा।

महानदी घाटी के विकास के बारे में रिपोर्ट

†*६५६. { **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री सूपकार :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १० फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीराकुद बांध परियोजना के मुख्य इंजीनियर ने, जिन्हें भारत सरकार ने नियुक्त किया था, महानदी घाटी के विकास के तीसरे और चौथे प्रक्रम के बारे में प्रारम्भिक रिपोर्ट दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस रिपोर्ट पर विचार कर लिया गया है और इसे भारत सरकार के पास विचारार्थ भेज दिया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उड़ीसा सरकार ने हीराकुद बांध परियोजना के चीफ़ इंजीनियर की प्रारम्भिक रिपोर्ट में की गयी सिफारिश के अनुसार विस्तृत अनुसन्धान का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इस समय अनुसन्धान कार्य चल रहा है, इसलिये राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के पास इसे विचारार्थ भेजने का फिलहाल प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : महानदी घाटी के तीसरी और चौथी 'अवस्था'[1] के विकास के सम्बन्ध में हीराकुद के चीफ़ इंजीनियर द्वारा पेश की गयी प्रारम्भिक रिपोर्ट में मुख्य मुख्य बातें क्या ह ?

†**श्री हाथी** : उनका विचार यह है कि तीसरी 'अवस्था' में ६०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई और २ लाख किलोवाट बिजली पैदा की जाय। उन्हें आशा है कि चौथी अवस्था में १,२४,००० किलोवाट बिजली पैदा की जा सकेगी। फिलहाल इस योजना में यही कल्पना की गयी है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : महानदी घाटी विकास एक बहुप्रयोजनीय परियोजना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि महानदी की बाढ़ को रोकने और उड़ीसा को बचाने के लिये अभी तक बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी क्या कार्यवाही की गयी है।

†**श्री हाथी** : बाढ़ नियंत्रण का कार्य केवल प्रथम 'अवस्था' में ही था, द्वितीय तथा तृतीय 'अवस्था' में नहीं।

†**श्री सूपकार** : क्या यह सच है कि प्रथम और द्वितीय 'अवस्थाओं' के पूरा हो जाने पर भी प्रथम पूरी हो चुकी है और दूसरी भी पूरी होने वाली है--जिनका उद्देश्य किसी सीमा तक बाढ़ नियन्त्रण था, बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी समस्या के हल करने में कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा है ?

†**श्री हाथी** : हम यह नहीं कह सकते कि इस सम्बन्ध में कुछ भी असर नहीं पड़ा है। संभव है कि उसका इस पर पूरा असर न पड़ा हो। परन्तु इस प्रयोजन के लिये अन्य परियोजनाएं भी बनायी जा रही हैं। इसके लिये तिकरापारा तथा नरज बांधों का सुझाव दिया गया है।

†**श्री जयपाल सिंह** : हाल ही में उड़ीसा में आने वाले भयंकर बाढ़ों को ध्यान में रखते हुए क्या प्रधान मंत्री उस क्षेत्र का शीघ्र ही दौरा करेंगे ताकि योजना के आगामी 'चरणों' को उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वित किया जा सके ?

†**श्री हाथी** : माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि क्या प्रधान मंत्री उस क्षेत्र का दौरा करेंगे। परन्तु प्रस्तुत प्रश्न का सम्बन्ध तो तीसरी और चौथी 'अवस्था' के विकास से है जिसका सम्बन्ध मुख्य रूप से सिंचाई और विद्युत् शक्ति से है। जहां तक बाढ नियंत्रण का सम्बन्ध है, उसके लिये पहली 'अवस्था' के अन्तर्गत हीराकुद परियोजना तैयार की गयी थी। उसी का प्रयोजना बाढ नियंत्रण था और उस सीमा तक इस कार्य में हमें सफलता प्राप्त हुई है।

†**श्री जयपाल सिंह** : मैं यह स्पष्ट करने का यत्न कर रहा हूं कि इन सभी 'अवस्थाओं' का सम्बन्ध बाढ़ नियंत्रण से है। दामोदर घाटी निगम के सम्बन्ध में हमें बड़ा निराश होना पड़ा है। क्योंकि बार बार बाढें आ जाती हैं, तो मैं आश्चर्यचकित हूं कि क्या

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Stages.

इतनी भंयकर बाढ़ों के बावजूद भी उन क्षेत्रों के लोग प्रधान मंत्री की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। माननीय प्रधान मंत्री राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे ?

†**श्री सूपकार :** क्या तिकड़ापारा और नरज परियोजनाओं को तीसरी या चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ कर दिया जायेगा, ताकि महानदी से आने वाली बाढ़ों को रोका जा सके ?

†**श्री हाथी :** दोनों के बारे में अभी अनुसन्धान कार्य चल रहा है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** जब प्रधान मंत्री ने हीराकुड बांध का उद्घाटन किया था उस समय उन्होंने उड़ीसा के लोगों से यह कहा था कि इससे बाढ़ों से उड़ीसा को बचाया जा सकेगा। परन्तु गत ६ या ७ वर्षों से डेल्टा क्षेत्र में भयंकर बाढ़ें आ रही हैं। तो डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण के लिये भारत सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री हाथी :** बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने कई उपायों के सम्बन्ध में सुझाव दिया है। उसने बाढ़ नियन्त्रण कार्य के लिये एक वृहद् योजना तैयार करने के लिये कहा है और यह कार्य किया जा रहा है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** इस वृहद् योजना को तैयार करने में कितना समय लग जायेगा, क्योंकि बाढ़ों से हमें बड़ा नुकसान हो रहा है। १३ जिलों में से ६ ज़िले पानी में डूब गये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या यह हीराकुड के कारण है ?

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्योंकि हीराकुड बांध बाढ़ों की रोक थाम नहीं कर सका है......

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** दो भयानक बाढ़ें आ चुकी हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** बाढ़ें तो स्वयं आ जाती हैं। क्या वे हीराकुड के कारण आयी हैं ?

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** हीराकुड उनकी रोक थाम नहीं कर सका है।

†**अध्यक्ष महोदय :** दो विभिन्न बातों को मिला देना अच्छा नहीं है।

जल-शक्ति का उपयोग

†*६५६. {
श्री रामी रेड्डी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १५ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बड़े और दर्मियाने दर्जे की सिंचाई

---

†मूल अंग्रेजी में

परियोजनाओं से उपलब्ध जल-शक्ति का पूरा पूरा उपयोग करने के लिये मार्च, १६६० से पहले उठाये गये कदमों के अतिरिक्त कोई और विशेष कार्यवाही की गई है या की जाने वाली है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** विशेष पदाधिकारियों की सिफारिशों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को हिदायतें जारी करने के बाद योजना आयोग ने राज्य सरकारों को एक और व्यापक पत्र लिखा था जिसमें यह बताया गया था कि परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाली सिंचाई सम्बन्धी क्षमता का कैसे उपयोग किया जा सकता है और उसके लिये क्या क्या कार्यवाही की जाये । इसके महत्व की ओर विशेष रूप से राज्यों के मुख्य मंत्रियों का ध्यान आकृष्ट किया गया है ।

†**श्री रामी रेड्डी :** क्या परियोजनाओं के पूरा होने पर पानी के उपयोग न कर सकने के मुख्य कारण ये हैं कि परियोजनाओं की पूर्ति के लिये कोई तिथियां निर्धारित नहीं की गई हैं और न ही इन परियोजनाओं के लिये वार्षिक आय व्ययक की राशि की गारंटी दी गई है । यदि हां, तो इस त्रुटि को दूर करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री हाथी :** सामान्य तया निर्माण कार्यक्रम को उपलब्ध वित्त के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं से पूरा किया जाता है । मैं नहीं समझता कि इसमें कोई कठिनाई है । वास्तविक प्रश्न तो बांध के साथ साथ नहरों के निर्माण का है । वह कार्य करना पड़ेगा और उसके लिये कार्यवाहियां करनी पड़ेंगी ।

†**श्री रामी रेड्डी :** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गयी हिदायतों के परिणामस्वरूप गत छः महीनों में कितनी और भूमि को सिंचाई के अधीन लाया गया है ?

†**श्री हाथी :** गत वर्ष के सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, परन्तु सभा-पटल पर जो विशेष पदाधिकारियों की रिपोर्ट रखी गई है, उसमें बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में किसी विशेष तिथि तक किसी भूमि में सिंचाई की जा चुकी थी ।

†**श्री वेंकटा सुब्बया :** क्या तुंगभद्रा निम्न स्तर नहर योजना क्षेत्र में सड़कें न बनने से सिंचाई की क्षमता का उपयोग करने के काम में बड़ी बाधा पड़ रही है और राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इन सड़कों के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता मांगी है ? क्या यह भी सच है कि १३ सड़कों के लिये ऋण देने के बाद शेष सभी सड़कों के लिये सहायता देने से इनकार कर दिया गया है और इससे सिंचाई क्षमता के उपयोग के कार्य में बड़ी बाधा पड़ रही है ?

†**श्री हाथी :** जी नहीं, राज्य सरकार ने इस सड़क के विकास के लिये सिंचाई और विद्युत मंत्रालय से निवेदन नहीं किया था ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या अभी तक उपलब्ध सिंचाई सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा है, यदि हां, तो उसका पूरा उपयोग करने के लिये क्या क्या उपाय किये जा रहे हैं ।

†**श्री हाथी :** अभी तक उपलब्ध सिंचाई सुविधाओं का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है । कुछ एक स्थानों पर तो ८२ या ८७ प्रतिशत तक की क्षमता का उपयोग किया जा रहा है । तो भी अभी कमी है और इसका कारण यह है कि क्षेत्रीय नहरें अभी तक तैयार नहीं हुई हैं और फिर कहीं कहीं नहरों से पानी को बांटने वाली छोटी नहरें भी तैयार नहीं हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० चं० सामन्त : माननीय मंत्री ने बताया है कि विभिन्न राज्य सरकारों से यह कह दिया गया है कि वे जल सम्बन्धी सुविधाओं का अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न करें। मैं यह पूछना चाहता हूं कि ३० मार्च, १९६० के बाद इस सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

†श्री हाथी : राज्य सरकारों को बहुत से सुझाव दिये गये हैं और हिदायतें जारी की गई हैं। उनकी एक प्रति सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

†श्री नरसिंहन् : क्या सिंचाई मंत्रालय की कोई ऐसी एकरूप व्यवस्था है जिसके अनुसार राज्य की बांध निर्माण सम्बन्धी प्रत्येक योजना के साथ साथ नहर प्रणाली तथा जल संचय प्रणाली सम्बन्धी कार्य भी पूरा किया जा सके अथवा प्रत्येक राज्य के लिये अलग अलग तरीके अपनाये जाते हैं ?

†श्री हाथी : जी हां, यही तो हमारा वास्तविक ध्येय है, ऐसा तो होना ही चाहिये। प्रत्येक राज्य में अलग अलग तरीके अपनाने का कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। यद्यपि सभी राज्यों के लिये बिल्कुल एक समान तरीका नहीं निर्धारित किया जा सकता तथापि मोटे तौर पर तो उनमें समानता होती ही है।

†श्री रंगा : क्या यह सच नहीं है कि क्षेत्रीय नहरों के निर्माण के लिये विलम्ब हो जाने के उपरान्त भी खेतों में सिंचाई के लिये पानी लाने में किसानों को ५०० से १५०० रुपये प्रति एकड़ तक और अधिक खर्च करना पड़ता है। तो क्या राज्य सरकारें अथवा केन्द्रीय सरकार उस खर्च को पूरा करने के लिये किसानों को ऋण या अनुदान के रूप में धन देने का विचार रखती हैं ?

†श्री हाथी : राज्य सरकारें इसके लिये ऋण देती हैं और भारत सरकार ने भी इसके लिये ऋण दिया है, जैसे कि तुंगभद्रा परियोजना में किसानों को ऋण दिये गये हैं।

†श्री मोहम्मद इमाम : तुंगभद्रा परियोजना के सम्बन्ध में सिंचाई सम्बन्धी कुल क्षमता लगभग ६००,००० एकड़ है जिसमें से केवल लगभग १००,००० एकड़ भूमि में ही सिंचाई की गई है। स्थानीय रैयत्त सामान, मशीनरी तथा अन्य सुविधाओं के लिये वित्तीय सहायता मांग रही है। यह कहा जाता है कि नहर प्रणाली भी अभी पूरी नहीं हुई है। सरकार उन्हें सभी सुविधायें देने के लिये क्या क्या कार्यवाही कर रही है ?

†श्री हाथी : मैंने यही तो कहा है। किसानों को धन की जरूरत है जिससे वे भूमि को समतल बना सकें और उसे सिंचाई का पानी प्राप्त करने की दृष्टि से योग्य बना सकें। उन्हें बैल खरीदने की भी जरूरत है क्योंकि अधिक भूमि की सिंचाई करने के लिये अधिक बैलों और हलों की जरूरत होती है। उसके लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को ऋण दिये हैं और राज्य सरकारें वह ऋण किसानों को बांट देंगी।

†श्री मो० ब० ठाकुर : क्या केन्द्रीय सरकार नर्मदा परियोजना में सहायता दे रही है और यदि हां, तो इसके लिये अभी तक कितनी राशि दी जा चुकी है और उसके निर्माण में विलम्ब हो जाने के क्या कारण हैं ?

†श्री हाथी : यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता क्योंकि नर्मदा परियोजना के लिये अभी पिछले वर्ष ही तो मंजूरी दी गई है। वह अभी प्रारम्भ ही नहीं किया गया है। उसके पानी का उपयोग करने के सम्बन्ध में फिलहाल कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। उसमें ६ या ७ वर्ष लगेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या यह सच नहीं है कि सिंचाई की क्षमता का उपयोग न करने का मुख्य कारण यह है कि पानी की दरें बहुत अधिक हैं, और यदि हां, तो क्या सरकार ने किसानों से इस पानी की एक सी व उचित कीमत लाने का निर्णय किया है ?

†**श्री हाथी :** यह मुख्य कारण नहीं, परन्तु संभव है कि यह उनमें से एक कारण हो, परन्तु पानी का इस्तेमाल करने पर सुधार शुल्क तो एक, दो या तीन वर्षों के बाद लिया जायेगा। जहां तक पानी की दरों का सम्बन्ध है, यह काम तो राज्य सरकारों का है। वे ही स्थानीय स्थितियों को देखते हुये दर निर्धारित करती हैं।

†**श्री पलनियाण्डी :** परियोजनाओं के बारे में लोक निर्माण विभाग द्वारा विस्तृत जांच करने के बाद भी वे कागजात राजस्व विभाग के पास भेज दिये जाते हैं; जहां कोई भी प्रविधिक व्यक्ति नहीं होता। वह विभाग केवल यही कह देता है कि वह पानी इस्तेमाल करने योग्य नहीं है, इसलिये ये प्रस्ताव सुकर नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार राजस्व विभागों को कागज़ात भेजने की पुरानी परम्परा को समाप्त क्यों नहीं कर देती ?

†**श्री हाथी :** यह मामला तो राज्य सरकारों से सम्बन्ध रखता है।

शाहदरा (दिल्ली) में बिजली सप्लाई की दर

†९९०. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिजली सप्लाई की दर शाहदरा, दिल्ली में दिल्ली शहर और नई दिल्ली से अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार वहां कम दर पर बिजली सप्लाई करने का विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो कब से ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) संस्थान (अण्डरटेकिंग) छोटी होने के कारण, व्यवस्था शुल्क (ओवरहैड चार्जिज) अधिक हैं।

(ग) तथा (घ). २५/३६ नवम्बर, १९६२ की अर्ध-रात्रि को शाहदरा विद्युत संभरण संस्थान के लाइसेंस के खत्म हो जाने पर दिल्ली नगर निगम द्वारा 'शाहदरा विद्युत संभरण संस्थान' को अपने में मिला लेने का प्रश्न विचाराधीन है। यदि संस्थान ले लिया जाता है, तो शाहदरा में भी उसी दर पर बिजली दी जा सकेगी जिस दर पर दिल्ली में दी जाती है।

(इस के पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया)

†**श्री नवल प्रभाकर** : क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली और शाहदरा के लिये जो दरें हैं, उनमें कितना अन्तर है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी** : बिजली और पंखों के लिये यह दिल्ली विद्युत संभरण उपक्रम के अधीन १८ नये पैसे है, नई दिल्ली में २२ नये पैसे है और शाहदरा में २२ नये पैसे है।

श्री नवल प्रभाकर : मैं पावर के बारे में पूछ रहा हूं।

†**श्री हाथी** : घरेलू पावर या औद्योगिक पावर?

†**श्री नवल प्रभाकर** : औद्योगिक पावर।

†**श्री हाथी** : दिल्ली विद्युत संभरण उपक्रम के अधीन औद्योगिक पावर के लिये पहले ५० किलोवाट घंटों के लिये यह १८ नये पैसे प्रतिकिलोवाट घंटा है। शाहदरा में पहले २००० किलोवाट घंटों के लिये ११ नये पैसे प्रति किलोवाट घंटा है।

†**श्री सिंहासन सिंह** : विद्युत विधेयक पर विचार के दौरान मंत्री महोदय ने विश्वास दिलाया था कि वे भारत भर में एक सी दर लागू करने का प्रयत्न करेंगे अथवा यदि भारत भर में नहीं तो 'ग्रिडों' को मिला कर दरों को राज्य-वार एक समान कर देंगे। क्या मैं जान सकता हूं कि भारत भर में और यदि भारत भर में नहीं तो कम से कम राज्य-वार एक सी दरें करने में कितना समय लगेगा?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मंत्री महोदय ने ऐसा कहा था?

†**श्री हाथी** : जी, नहीं। प्रश्न देश भर में एक ग्रिड बनाने के बारे में था और हमने यह बताया था कि भारत सरकार एक ग्रिड बनाने की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है। अभी तृतीय पंचवर्षीय योजना में हम दक्षिणी प्रदेश में एक ग्रिड बना रहे हैं।

स्पेशल ट्रेन में किसानों की मृत्यु

†* ६६१. **श्री आसर** :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसानों के लिये चलायी गयी विशेष रेलवे गाड़ी के, जो २७ मई, १९६० को मथुरा से आगरा जाने के लिये रवाना हुई थी, १५ यात्रियों की हैज़ा से मृत्यु हो गई ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं। लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, लखनऊ द्वारा पाखाने की जांच करने से पता चला है कि हैज़ा से नहीं अपितु आंत्रशोथ से आगरा में १२ व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८३]**

†**श्री आसर :** विवरण से यह स्पष्ट नहीं है कि रोग का कारण क्या था। क्या यह इस कारण हुआ कि इन यात्रियों ने रेलवे स्टालों से खाद्य पदार्थ खरीद कर खाये थे और यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** स्टालों के खाद्य पदार्थ खाने से नहीं परन्तु संभवतः यह रोग मथुरा स्टेशन पर गाड़ी के आने से पहले ही था।

†**श्री सूपकार :** आत्रंशोथ और हैजा में क्या अन्तर है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** इसका उत्तर श्री करमरकर देंगे।

†**श्री साधन गुप्त :** क्या इस बारे में कोई जांच की गयी है जब कि वे गाड़ी में यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने क्या चीजें खाई थीं और यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ? क्या ये खाद्य पदार्थ रेलवे स्टालों से खरीदे गये थे ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मैं सभा पटल पर एक विवरण रख चुका हूं। यह विवरण बड़ा व्यापक है। रेलवे का कोई दोष नहीं है। पूरी पूरी सावधानी बरती गयी थी और रोग के होने पर भी रोगियों के उपचार के लिये पूरी सावधानी बरती गयी थी। यह रोग रेलवे स्टालों में खाने से नहीं हुआ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या मैं जान सकता हूं कि जब ऐसी विशेष गाड़ियां चलायी जातीं हैं, तो क्या सारे रास्ते भर यात्रियों के स्वास्थ्य की देखभाल करने की भी कोई पूर्व व्यवस्था की जाती है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जाती है परन्तु रेलवे में चिकित्सा सुविधायें हैं। जहां भी आवश्यक हो रोगियों की देखभाल के लिये रेलवे अस्पताल और रेलवे डाक्टर हैं।

बहुत से माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** सब माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि रोग को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक फैलने में एक या दो दिन लगते हैं। **(अन्तर्बाधा)**

†**श्री तंगामणि** : यह गाड़ी २३ तारीख को मथुरा में थी। मैं यह जानना चाहता हूं. . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** **मैं** ऐसे प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा। **(अन्तर्बाधा)**

†**श्री तंगामणि :** ऐसा नहीं है कि गाड़ी मथुरा से गुजर रही थी। गाड़ी वहां तीन दिन तक रुकी रही और १२ व्यक्ति मर गये। यह अनुसूचित जाति के किसानों के लिये एक विशेष गाड़ी है। यह बड़ा गंभीर विषय है।

†**श्री जोकीम आल्वा :** मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि आपतकालीन मेडिकल चेस्ट में कुछ दवाइयें होनी चाहियें। क्या मंत्री महोदय को पता है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिये आवश्यक कौन कौन सी दवाइयें आपत कालीन मेडिलक चेस्ट में हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : इस समय आपतकालीन मेडिकल चेस्ट का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। माननीय सदस्य ने विवरण नहीं पढ़ा है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे प्रश्न पूछने से पहले विवरण पढ़ें।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने सोचा था कि वे एक घंटे की अवधि के भीतर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाने वाले यात्री थे। श्री तंगामणि का कहना है कि कृषक गाड़ी वहां तीन या चार दिन रोकी गयी। उनका कहना है कि यह रोग स्टेशनों पर दिये जाने वाले भोजन से हुआ।

†**श्री जगजीवन राम** : यह यात्री गाड़ी थी और इसको वहां पर पूर्व निश्चय के अनुसार रोका गया। जैसे ही रेलवे अधिकारियों को रोग के बारे में बताया गया, वहां पर गाड़ी को कुछ देर और रोका गया। माननीय सदस्य विवरण पढ़ें।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैंने विवरण पढ़ा है।

†**श्री जगजीवन राम** : क्यों कि कितने ही यात्री रोग के शिकार हो गये थे, सारी गाड़ी में टीके लगाये गये और यात्रियों को शिविरों में रखा गया।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : विवरण में यह कहा गया है कि :

> "गाड़ी २३–५–६० को प्रातः २.४० बजे मथुरा आयी। गाड़ी के मैनेजर ने ड्यूटी पर सहायक स्टेशन मास्टर से २६–५–६० को प्रातः १ बजे बातचीत की।"

विवरण में यह भी लिखा है कि :

> " बाद में यह पता लगा कि प्रथम रोगी के बारे में २३–५–६० को मथुरा में गाड़ी के पहुंचने के ४ घंटे बाद पता लग गया।"

इस प्रकार रोग के बारे में २३ को पता लगा और यात्रियों को २६ को टीके लगाये गये। टीके सैनिटरी इन्स्पैक्टर २६ तारीख को झाँसी से टीके लाये थे।

†**श्री जगजीवन राम** : माननीय सदस्य का प्रश्न क्या है? विवरण से यह स्पष्ट है कि रेलवे अधिकारियों को सूचना मिलते ही तत्काल कार्यवाही की गयी। रोगियों को आगरा अस्पताल भेजा गया जो कि वहां पर असैनिक अस्पताल है। यदि किसी समय टीके उपलब्ध नहीं हैं तो यह तो स्वाभाविक है कि उन्हें झांसी से लाने के लिये कार्यवाही की जाती है।

अरब सागर में जलयान–दुर्घटना

†* ६६२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जयलक्ष्मी नामक भारतीय मालवाही जहाज ने, जो तूतीकोरिन से बम्बई आ रहा था, अरब सागर में मालपे के निकट "पुटिआयोदम" नामक दुर्घटनाग्रस्त पालदार जहाज के बचे हुए १५ यात्रियों को २२ मई, १९६० को रास्ते में जहाज पर बिठा लिया ; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी, हां।

(ख) मई, १९६० में भारत के पश्चिमी तट पर खराब मौसाम और समुद्र में अधिक लहरों के कारण यह दुर्घटना हुई।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति डूबे?

†**श्री राज बहादुर :** मेरी जानकारी यह है कि कोई व्यक्ति नहीं डूबा।

प्रशासनिक जानकारी दल

+

†*९९९. { **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा : }

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक जानकारी दल ने विभिन्न राज्यों में सामुदायिक विकास खंडों का दौरा किया है;

(ख) क्या दल ने कोई रिपोर्ट पेश की है; और

(ग) क्या जानकारी इकट्ठी करने और उसकी रिपोर्ट तैयार करने की प्रणाली में सुधार करने के लिये कोई उपाय सुझाये गये हैं?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। आंकड़ों के संकलन का वैज्ञानिकन, विभागीय प्रतिवेदनों की संख्या में कमी करने और ग्राम्य स्तर पर आंकड़े इकट्ठा करने के पर्याप्त पर्यवेक्षण के लिये सिफारिशें की गयी हैं।

†**श्री रा० च० माझी :** क्या सरकार ने सिफारिशें मंजूर कर ली हैं और उन्हें कार्यान्वित किया है?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति :** जी, हां। बहुत सी सिफारिशें मंजूर की गयी हैं और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है।

†**श्री रा० च० माझी :** क्या इस दल ने किसी बहु-प्रयोजनीय आदिम जाति खंडों का दौरा किया है?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** मैं स्पष्ट रूप से यह नहीं कह सकता कि क्या किसी बहु-प्रयोजनीय आदिम जाति खंड का भी दौरा किया गया या नहीं। यह दल आसाम को छोड़ कर देश भर में गया है और बहुत से खंडों का दौरा किया और राज्य-स्तर पर वार्ता की। तब वे एक निष्कर्ष पर पहुंचे।

---

†मूल अंग्रेजी में

आगरा में विदेशी पर्यटकों का ठगना

+

†*६६७. { श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री तंगामणि :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विदेशी पर्यटकों को इन गर्मियों में विशेष रूप से आगरा में होने वाली कठिनाइयों और उन्हें ठगे जाने की बात की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) आगरा में ठगे जाने के बारे में किसी विदेशी पर्यटक से कोई शिकायत नहीं मिली है। तथापि, इस बात पर विश्वास किया जा सकता है कि विदेशी पर्यटकों को आगरा में पर्यटन व्यापार में लगे कुछ व्यक्तियों द्वारा परेशान किया जाता है जो उनके सम्पर्क में आते हैं ।

(ख) विदेशी पर्यटकों को परेशानी से रोकने के लिये पर्यटन विभाग स्थानीय प्राधिकारियों के परामर्श से आवश्यक पग उठा रहा है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या मंत्री महोदय को पता है कि आगरा में एक नियमित गुट है और यदि हां, तो इन व्यक्तियों का क्या स्वभाव है जो पर्यटकों को ठगने के लिये मिल गये हैं और इसको रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ताकि हमारी सरकार की बदनामी न हो ?

†**श्री राज बहादुर :** कुछ व्यापारी और दुकानदारों ने अपने प्रत्यर्पण अभिकर्त्ता और अनधिकृत मार्ग दर्शक छोड़ हुये हैं । उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का हमें कानूनी अधिकार नहीं है । हम इस बारे में एक विधान बनाने के बारे में सोच रहे हैं परन्तु ऐसा होने से पहले हमें कुछ ऐसे उपाय करने हैं जो कि वर्तमान परिस्थितियों में करने चाहियें ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या सरकार का अपना कोई ऐसा अभिकरण है जो कि पर्यटकों का आगरा में और अन्य स्थानों पर मार्ग-दर्शन कर सके जिससे वे गलत व्यक्तियों के हाथों में न पड़ जायें ।

†**श्री राज बहादुर :** हम भरसक कार्यवाही कर रहे हैं । वास्तव में वहां पर हमारा एक कार्यालय है और मार्ग-दर्शक है । परन्तु वास्तविकता यह है कि कुछ कुछ अनधिकृत अभिकर्ता पर्यटकों को पकड़ लेते हैं क्योंकि वे कुछ टैक्सी चालक रखते हैं । इस प्रकार ऐसा होता है । थोड़े से यात्रा अधिकारी सारे पर्यटकों की सहायता नहीं कर सकते ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जो रेस्टोरां बन रहा है उसमें कितना खर्च आयेगा और वह कब तक बन जायेगा ?

†**श्री राज बाहादुर :** यहां रेस्टोरां बनने का सवाल नहीं है। इस के बारे में दूसरा सवाल पूछना होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अन्सार हरवानी :** क्या सरकार को पता है कि भारत सरकार के कुछ मान्यताप्राप्त पर्यटन अभिकरण और पर्यटक केन्द्रों के कर्मचारी कुछ पर्यटकों का मार्ग-दर्शन करते हैं और उनके क्रय पर कुछ कमीशन लेते हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं माननीय सदस्य का आभारी हूंगा यदि वे हमें कोई स्पष्ट शिकायत बतायें। ऐसे अपचारी पदाधिकारी के विरुद्ध हम कठोर से कठोर कार्यवाही करेंगे।

†**श्री अन्सार हरवानी :** क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं नहीं समझता कि कोई विशिष्ट शिकायत न होने पर क्या जांच की जा सकती है। हम इस बारे में सतर्क हैं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या यह सत्य नहीं है कि विदेशी पर्यटकों के साथ इस तरह की दुर्घटनायें देश के और भागों में भी हुआ करती हैं ? फिर आगरा को ही क्यों बदनाम किया जा रहा है ?

†**श्री राज बहादुर** : आगरे में ऐसा मालूम पड़ता है कि कुछ शिकायतें ज्यादा हैं। और जगहों से भी शिकायतें आई हैं, मगर मेरे ख्याल से यह मानना गलत होगा कि इस तरह की बहुत ज्यादा शिकायतें सारे देश भर में हैं। कहीं कहीं ही ऐसी शिकायतें हैं, लेकिन हैं जरूर।

†**श्री तंगामणि :** मंत्री महोदय का कहना है कि उन्हें कोई शिकायत नहीं भेजी गई। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने २३ जून, १९६० के **"टाइम्स आफ इन्डिया"** नामक समाचार पत्र में एक समाचार पढ़ा है जिसमें यह कहा गया है कि एक पर्यटक दल ने वहां पर खरीदी हुई सब वस्तुयें वापस कर दीं। कारण यह था कि उन्होंने संगमरमर के पांच हाथी ४५ रुपये में खरीदे थे जब कि उसी दल के एक अन्य सदस्य ने उसी सेट को ८.३७ रुपये में खरीदा। उसमें और भी कई उदाहरण दिये गये हैं और यह भी कहा गया है कि ये सबकी सब ५० टैक्सियां बिना मीटर के चल रही हैं। क्या ऐसी बातें उनको बतायी गयीं थीं और यदि हां, तो, दिल्ली की तरह विशेष रूप से उन टैक्सियों को केवल मीटर पर चलाने की आज्ञा देने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री राज बहादुर :** मुझे खेद है कि मैंने यह समाचार नहीं पढ़ा है। मैं उसे देखूंगा !

†**श्री त्यागी :** विदेशियों को ठगने और सताने के बारे में रोक थाम करने के लिये क्या सरकार कोई विधान बनायेगी ताकि उससे प्रत्येक दुकानदार और वैन्डर को बिक्री की वस्तुओं पर एक मूल्य लेबिल लगाना होगा अथवा एक मूल्य-सूची टांगनी होगी।

†**श्री राज बहादुर** : हम ऐसा नहीं कर सके हैं क्योंकि यह एक बड़ा प्रश्न है। यह राज्य सरकार और उनकी व्यवस्था पर निर्भर है कि वे इस प्रकार के नियम या विधान को प्रत्येक दुकानदार पर कैसे लागू करेंगे। परन्तु हम ऐसी योजना बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे कुछ दुकानों को मान्यता दी जायेगी। मान्यता भी नहीं अपितु ये दुकाने अथवा व्यापार समवाय हमें अच्छी और ईमानदार सेवा का आश्वासन देंगे।

†**श्री त्यागी :** इसका मतलब है कि कोई मूल्य-सूची नहीं टांगी जायेगी और मूल्य निर्धारित नहीं होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राज बहादुर :** मैं नहीं समझता कि जब तक पर्यटन विभाग को किसी विधान के अधीन कुछ अधिकार न दे दिये जायें, यह इस प्रकार का तरीका लागू कर सकता है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्यों कि आगरा पर्यटकों के लिये विशेष रुचि का स्थान है, क्या सरकार का वहां पर कुछ और मार्ग-दर्शक रखने का विचार है ताकि सरकारी मार्ग-दर्शकों की कमी न हो और आगरा में बहुत थोड़े मार्ग-दर्शक होने के नाते पर्यटकों को ठगा न जा सके ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं नहीं समझता कि वहां पर प्रशिक्षित, अर्हता-प्राप्त और मान्य मार्ग-दर्शकों की कमी है । वास्तविकता यह है कि कुछ अन्य व्यक्तियों ने अनधिकृत और अमान्य मार्ग दर्शक छोड़े हुये हैं और उन्हें ठगी का साधन बनाया गया है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या भारत सरकार को विदेशी पर्यटकों से कोई शिकायत मिली है अथवा यह सारा प्रश्न समाचार पत्रों की रिपोर्टों पर आधारित है ?

†**श्री राज बहादुर :** हमें यह समाचारपत्रों से ही पता चलता है जैसा कि श्री तंगामणि ने पढ़ा है । इसके अतिरिक्त जैसा मैंने प्रश्न के मूल उत्तर में बताया है, हमें कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है । जब भी हमें कोई शिकायत मिलेगी, हम उस पर कार्यवाही करेंगे ।

†**श्री हेम बरुआ :** आप समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर जांच क्यों नहीं कर सकते ?

†**श्री राज बहादुर :** हम समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर भी जांच कर रहे हैं । मैंने बताया है कि मैंने यह विशिष्ट रिपोर्ट नहीं देखी है ।

कांगो को खाद्यान्न सहायता

+

†*६७०. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री पहाड़िया : }

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महा-सचिव ने भारत सरकार से कांगो को खाद्यान्न की सहायता देने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार १,००० टन गेहूं देने को तैयार थी परन्तु यह बताया गया कि गेहूं पीसने की आवश्यक सुविधायें उपलब्ध नहीं होंगी, इसे आटे के रूप में भेजा गया ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या यह सच नहीं है कि बम्बई से कुछ खाद्यान्न भेजा गया था ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे भारतीय जहाज खाद्यान्न ले जा चुके हैं क्योंकि यह हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** जी, हां। गेहूं हमारा जहाज ले गया है—सिन्दिया स्टीमशिप और नेविगेशन कम्पनी का जहाज। इटली सरकार से हमने केवल ५० टन खरीदा क्योंकि मामला अत्यावश्यक था। इस ७०० टन आटे में से ५० टन इटली सरकार का है। बाकी हमारा है।

†**श्री अन्सार हरवानी :** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि हम विदेशों से अनाज खरीद रहे हैं और मांग रहे हैं क्या हम अपने देश से बाहर किसी देश को अनाज दे सकते हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** इस मामले में मानवता का पुट है। यदि हमारी स्थिति इससे भी बुरी हो तो हमें उनको कुछ अंश देना ही चाहिये जिनकी हालत हमारे से भी खराब है।

प्रश्न संख्या ६७१ और ६७२ के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री सुबिमन घोष—अनुपस्थित। श्री तारिक—मैं उन्हें नहीं देख रहा हूं।

उत्तर प्रदेश में रामगंगा परियोजना

***६७३ श्री भक्त दर्शन :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १८ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १२२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की रामगंगा परियोजना के वास्तविक निर्माण कार्य में इस बीच क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार ने १९६०-६१ में कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) दिसम्बर, १९५९ के अन्त तक कार्य की प्रगति नीचे दी गई है :—

(१) रामगंगा पर पूर्वपरिबॉलत (प्रीस्ट्रेस्ड) कंक्रीट पुल	६५.६ प्रतिशत कार्य किया जा चुका है।
(२) छेदन कार्य	६४ प्रतिशत कार्य किया जा चुका है।
(३) औजारों की उपलब्धि	६१.७ प्रतिशत कार्य किया जा चुका है।
(४) अस्थाई बस्ती	७१ प्रतिशत कार्य किया जा चुका है।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार को १९६०-६१ में अभी तक इस कार्य के लिये कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है। **(इस के पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया)**

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि राम गंगा बांध के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार ने रुपये की या और किसी तरह की सहायता की मांग की है?

श्री हाथी : जी नहीं, अभी तक कोई मांग नही की है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, यद्यपि यह योजना स्वीकार हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसके काम में तेज़ी नहीं आ पायी है। क्या प्रान्तीय सरकार से अनुरोध किया जायेगा कि इस बारे में तेजी लायी जाए।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री हाथी : प्रान्तीय सरकार को कहा गया है रिपोर्ट भेजने के बारे में और काम के बारे में।

†**श्री च० द० पांडे** : यह योजना लगभग ५ वर्ष पहले मंजूर की गयी थी और जैसा कि उपमंत्री महोदय ने बताया है, अभी तक अस्थायी और थोड़ा काम हुआ है अर्थात पुल बनाना और स्थान नियत करना। योजना पर लगभग २७ करोड़ रुपये व्यय होंगे जब कि अब तक १ करोड़ रुपये से भी कम खर्च हुए हैं। मुख्य योजना को कार्यान्वित करने में विलम्ब क्यों हुआ है ?

†**श्री हाथी :** माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि इस परियोजना पर केवल प्राथमिक कार्य हुआ है। कारण यह है कि इसको योजना के मुख्य भाग में शामिल नहीं किया गया था। अतः विदेशी मुद्रा आदि की कठिनाई उपलब्ध हुई। अब हमने उन १२ परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ कर दिया जो योजना के मुख्य भाग में सम्मिलित नहीं थीं। काम चल रहा है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** इस परियोजना को योजना के प्रमुख भाग में सम्मिलित नहीं किया गया था और यह तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी चलेगी, क्या सरकार इस परियोजना को तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में योजना के मुख्य भाग में शामिल करने पर विचार करेगी ?

†**श्री हाथी :** जैसा मैंने बताया, हमने उन १२ योजनाओं पर कार्य आरम्भ कर दिया है जो योजना के मुख्य भाग में शामिल नहीं थीं। अब वे योजना के अगले वर्ष के लिये हैं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन, जिस चाल से इस बांध का काम आजकल चल रहा है क्या उससे केन्द्रीय सरकार मुतमइन है और क्या यह उम्मीद है कि कितना टारजेट है उसके अन्दर यह बन जायेगा ?

†**श्री हाथी :** जहां तक प्राथमिक का कार्य सम्बन्ध है, वह ठीक चल रहा है परन्तु अभी तक परियोजना पर निर्माण-कार्य आरम्भ नहीं हुआ है।

प्रश्न संख्या ६७२ के सम्बन्ध में

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं श्री तारिक का नाम पुनः पुकारता हूं। वह नहीं हैं। अगला प्रश्न। श्री भट्टाचार्य।

मालदा में महानन्दा के ऊपर पुल

†*६७४. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २६ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १८३८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालदा में महानन्दा के ऊपर पक्का पुल बनाने संबंधी प्राक्कलन, जो पश्चिमी बंगाल के मुख्य इंजीनियर को उसमें और रूपभेद करने के लिये भेजा गया था, वापिस मिल गया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो काम कब शुरू करने का विचार है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी, हां। प्राक्कलन की प्रविधिक रूप से जांच हो रही है।

(ख) कार्य की मंजूरी होते ही निर्माण-कार्य के लिये क्रमादेश शीघ्र ही भेजे जायेंगे।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** यह पुल उत्तरी बंगाल और आसाम तक जाने वाले राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३४ पर मुख्य सम्पर्क है। क्या वह देखेंगे कि यह शीघ्र बन कर तैयार हो जाये? यह बहुत समय से पड़ा है।

†**श्री राज बहादुर :** इस कार्य की महत्ता पूर्णतः ज्ञात है। पश्चिमी बंगाल के चीफ इंजीनियर से प्राक्कलन प्राप्त होने पर हमने उन्हें वापस भेजा। परन्तु जनवरी, १९६० में उन्होंने सुझाव दिया था कि वे इस कार्य को तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में करना चाहते हैं। फिर हमने दुबारा उनसे पूछा। मैंने मुख्य मंत्री को स्वयं पत्र लिखा। इसके बाद प्राक्कलनों को, उनमें उचित संशोधन करके, वापस भेजा गया। इस समय उनकी जांच हो रही है और जैसे ही वे मंजूर हो जायेंगी, टेंडर मांगे जायेंगे।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** मैं मंत्री महोदय को याद दिला दूं कि एक पत्र में उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि यह कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में आरम्भ कर दिया जायेगा।

†**श्री राज बहादुर :** मैं उस किसी भी विवरण से पीछे नहीं हट रहा हूं जो मैंने पत्र में दिये थे। मैंने कहा है कि उनका पत्र प्राप्त होने पर मैंने मुख्य मंत्री को पत्र लिखा था और उन्होंने अपना मत दे कर प्राक्कलनों को वापस भेज दिया है जिनकी जांच हो रही है। मैं निशंक हो कर यह नहीं कह सकता कि यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना तक आरम्भ कर दिया जायेगा, परन्तु हम इस दिशा में हर सम्भव प्रयत्न करेंगे।

†**श्री हेम बरुआ :** औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में क्या मंत्री महोदय और माननीय संसद् सदस्यों के बीच निजी पत्र-व्यवहार को इस प्रकार सामान्य रूप दिया जा सकता है। ऐसे मामले में मंत्री महोदय हमें कुछ लिखने से इन्कार कर देंगे।

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय ने इसकी शिकायत नहीं की है।

श्री राज बहादुर : मैंने शिकायत नहीं की है।

†**श्रीमती रेणुका राय :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्राक्कलन लगभग तैयार हैं, कार्य आरम्भ करने में कितना समय लगेगा?

†**श्री राज बहादुर :** संशोधित प्राक्कलन पश्चिमी बंगाल सरकार से १३ जून, १९६० को प्राप्त हुए थे। इसकी प्रविधिक रूप से जांच हो रही है। हिसाब लगाने, चैक करने और सब विभिन्न परिणामों और आंकड़ों के बारे में समय लगता है।

†**श्रीमती रेणुकाराय :** यह अगस्त का महीना है। यह कार्य दिसम्बर तक निश्चित रूप से आरम्भ हो जाना चाहिये।

†**श्री राज बहादुर :** मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हुगली नदी में तलकर्षण

†*६५७. { **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री प्र० के० देव :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ९२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हुगली नदी में तल में से कलकत्ता पत्तन आयुक्त के तलकर्षकों द्वारा निकाली गयी मिट्टी, रेत आदि को किनारे पर फेंकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : इस समय ब्रिटेन में बनाये जा रहे नये सैक्शन ड्रेजर में मिट्टी को किनारे पर डालने की सुविधा की व्यवस्था की जा रही है। तलकर्षण सम्बन्धी राष्ट्र संघ के विशेषज्ञ को भी, जोकि इस समय कलकत्ता पत्तन में हैं, मिट्टी को किनारे पर डालने के लिये एक विस्तृत योजना बनाने की प्रार्थना की गयी है।

आसाम रेल मार्ग

†*६५८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री १८ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैकल्पिक आसाम रेल मार्ग बनाने के सम्बन्ध में अब तक और क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) वास्तविक निर्माण-कार्य कब शुरू होने की सम्भावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) रेलवे ने परियोजना प्रतिवेदन और प्राक्कलन लगभग पूरा कर लिया है। तब तक दूसरे वैकल्पिक मार्ग का सर्वेक्षण करना तै किया गया है जो अगले शीत काल में किया जायेगा।

(ख) परियोजना प्रतिवेदन और प्राक्कलनों के प्राप्त होने पर और बोर्ड द्वारा इनकी जाच होने के बाद ही मार्ग के निर्माण के बारे में कोई निर्णय किया जा सकता है।

मेहसाना के निकट गाड़ियों की टक्कर

†*६६३. **श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेहसाना रेलवे स्टेशन पर १२ मई, १९६० को एक भीषण टक्कर हुई ;

(ख) इसमें कितने व्यक्ति हताहत हुए ; और

(ग) रेलवे सम्पत्ति को कितनी क्षति हुई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) १२ मई, १९६० को पश्चिमी रेलवे के मेहसाना स्टेशन पर एक मालगाड़ी और कुछ माल डिब्बों में टक्कर हुई।

(ख) जी, शून्य।

(ग) लगभग ९,००० रुपये।

रेल के फाटकों के लिये "लिफ्ट गेट"

†*६६४. **श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी एक रेलवे वर्कशाप में रेल के फाटकों के लिये नये नमूने के "लिफ्ट गेट" (उपर उठने वाले फाटक) बनाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो किस रेलवे वर्कशाप में ; और

(ग) इस वर्कशाप को ऐसी और बहुत सी चीज़ें निकालने के लिये क्या प्रोत्साहन दिया गया था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) जी, नहीं। केवल एक विशेष भाग में परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया गया है। वास्तविक कार्यकरण के अधीन उपकरणों के नमूने की परीक्षा करनी है।

(ख) यह नमूना मेत्तूगुदा में केन्द्रीय रेलवे सिगनल वर्कशाप द्वारा निकाला गया है।

(ग) मेत्तूगुदा में सिगनल वर्कशाप के कर्मचारियों समेत सब रेलवे कर्मचारियों को रेलवे के कार्यकरण के बारे में सुझाव देने या आविष्कार के बारे में बताने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है। यदि कोई कर्मचारी कोई नया सुझाव देता है या आविष्कार करता है जिससे रेलवे को लाभ हो या उसमें सुधार हो, तो उसको पारीतोषिक दिया जाता है।

टिकटों की चैकिंग

†*६६५. **पंडित द्वा० ना० ततवरी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिकट निरीक्षकों (टिकट इग्ज़ामिनर्स) द्वारा राष्ट्रीय रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार परिषद् के सदस्यों की उपस्थिति में टिकटों की चैकिंग करने में परिषद् के सदस्यों की सेवाओं का लाभ उठाया जा रहा है ;

(ख) १९५९–६० में विभिन्न ज़ोनो में सदस्यों की उपस्थिति में कितनी बार इस प्रकार चैकिंग की गई है; और

(ग) उक्त अवधि में प्रत्येक ज़ोन में बिना टिकट यात्रा करने वाले कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) राष्ट्रीय रेलवे उपभोक्ता सलाहकार परिषद् के सदस्यों को अधिकार दिया गया है कि वे समय और स्थान पर उपलब्ध टिकट निरीक्षकों को बुला कर बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों का निरीक्षण करा सकते हैं।

(ख)	उत्तर-सीमांत रेलवे	२
	दक्षिण-पूर्व रेलवे	२

(ग) जी, शून्य।

---

†मल अंग्रेजी में

भारत में प्रदर्शनार्थ उड़ानें

†*६६८. **श्री बसुमतारी : क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्रदर्शनार्थ उड़ानें करने वाले हवाई जहाज़ अभी हाल ही में दो बार दुर्घटनाग्रस्त हो गये थे ;

(ख) क्या मंत्री और उच्च सरकारी अधिकारी आदि विशिष्ट व्यक्तियों को भी इन प्रदर्शनार्थ उड़ानों में ऊपर ले जाया जाता है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था कर रखी है कि इन उड़ानों के लिये हवाई जहाजों के चालक ऐसे योग्य एवं दक्ष भारतीय अथवा विदेशी व्यक्ति हों जिनके लाइसेंस भारत सरकार द्वारा उपयुक्त रूप से पृष्ठांकित कर दिये गये हों ।

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) इण्डियन वायुयान नियमों के अधीन भारतीय क्षेत्र के ऊपर उड़ने वाले विदेशी पंजीबद्ध विमान के चालकों को उस राज्य के विनियमों के अनुसार लाइसेंस प्राप्त करना चाहिये, जिस में वह विमान पंजीबद्ध है ।

नये डाक टिकट

†*६६९. **श्री कालिका सिंह : क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक और तार विभाग द्वारा २२ जून, १९६० को जारी किये गये अलग अलग मूल्य के "मेघदूत" और "शकुन्तला" डाक टिकट अब तक कितनी कितनी संख्या में बिके हैं और उनका कुल मूल्य कितना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन):** बिक्री के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । सभा-पटल पर एक विवरण रखा गया है जिसमें बताया गया है कि खज़ानों को कुल कितने टिकट जारी किये गये थे और उनकी अभिहित कीमत कितनी है ?

विवरण

टिकट का दर		संख्या	अभिहित कीमत
			रुपये
१५ नये पैसे (मेघदूत)	.	२,६६,८२,४८६	४०,०२,३०२.९०
१.०३ रुपये (शकुन्तला)	.	१८,९५,९७६	१९,५२,८५५.२८

पूर्वोत्तर रेलवे के रेलवे स्टोर्ज डिपो में आग

†*६७१. **श्री सुबिमन घोष** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे का कोई रेलवे स्टोर्स डिपो २४ अप्रैल, १९६० को जल कर राख हो गया ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ;

(ग) यदि हां, तो यह जांच किसने की है और वह किस परिणाम पर पहुंचे हैं;

(घ) आग से किस प्रकार की चीजें नष्ट हो गईं ; और

(ङ) रेलवे और जनता को कितनी हानि हुई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) आग में कोई भी स्टोर्स डिपो जल कर राख नहीं हो गया था। पर हां, २४ अप्रैल, १९६० की बाद दोपहर को गोरखपुर के पूर्वोत्तर रेलवे के स्टोर्स डिपो के प्राप्ति सेक्शन से सम्बद्ध एक खुले क्षेत्र के एक भाग में अकस्मात आग लग गई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) यह जांच स्टोर्स, सुरक्षा, खाते तथा विद्युत् विभाग के चार वरिष्ट पदाधिकारियों की एक समिति द्वारा की गई थी। उस समिति के अनुसार आग का कारण निश्चित रूप से नहीं बताया जा सका। फिर भी उनका यह मत है कि वह आग आकस्मिक थी।

(घ) उस आग से जो वस्तुयें पूर्णतया अथवा अंशतः जली हैं उनमें गाड़ी में प्रकाश करने वाले डायनमो, बैटरियां, इमारती लकड़ी, बैटरी के बक्से, बिजली के स्विच, और अल्मूमिनियम की चादरें थ।

(ङ) लगभग ४६,७०० रुपये।

ट्रेलर-युक्त ट्रक

†*६७२. श्री अ० मु० तारिक़: क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ट्रेलरयुक्त ट्रकों (ट्रक-ट्रेलर काम्बीनेशन) की अनुमति देने के प्रश्न पर मंत्रालय द्वारा विचार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय के इस सम्बन्ध में क्या विचार हैं और राज्य सरकारों को कोई हिदायतें दी गई हैं ;

(ग) क्या जोड़ी गई (आर्टिकुलेटड) गाड़ियां ट्रेलरयुक्त ट्रकों से अधिक सुरक्षित होती हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य सरकारों को जुड़ी हुई गाड़ियों के लिये लाइसेंस देने की हिदायतें भेजी हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन): (क) जी, हां।

(ख) इस प्रकार के 'काम्बीनेशन्स' के अत्यधिक उपयोग से देश में उपलब्ध ट्रक निर्माण क्षमता की सीमाओं के अन्दर ही परिवहन सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकता है। इससे सड़क से परिवहन की लागत भी कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त इससे देश की विदेशी मुद्रा में भी बचत हो सकती है। इसलिये भारत सरकार का यह मत है कि 'ट्रक-ट्रेलर काम्बीनेशन' के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाये। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे इस प्रकार के

†मूल अंग्रेजी में

ट्रकों/ट्रेक्टरों के लिये, अधिक से अधिक लाइसेंस जारी करें और उसके प्रयोग का प्रचार करने के लिये उपयुक्त कार्यवाहियां करें ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, हां ।

आन्ध्र प्रदेश में चावल की मिलें

†*६७५. श्री खीमजी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री आन्ध्र प्रदेश की चावल मिलों के मालिकों को केन्द्रीय सरकार द्वारा सप्लाई किये गये चावल पर एक नया पैसा प्रति रुपया वापस करने के सम्बन्ध में १३ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में वर्त्तमान स्थिति क्या है ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : राज्य सरकार से पत्र उत्तर हुआ है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

भोजन व्यवस्था कालेज[1]

†*६७६. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भोजन व्यवस्था कालेज खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ?

†खाद्य तथा कृषि उप मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकारों के परामर्श से इस मामले पर विचार किया जा रहा है । ये सुझाव तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में कार्यान्वित करने के लिये भेजे गये हैं ।

गैर-अनुसूचित विमान संचालक

†*६७७. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १८ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १५५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ गैर-अनुसूचित संचालकों के विरुद्ध नियमों का उल्लंघन करने और कदाचार आदि के आरोपों की जांच करने के लिये नियुक्त की गयी जांच समिति की रिपोर्ट पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] College of catering.

(ख) यदि हां, तो इस का क्या परिणाम निकला है ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) जी, हां।

(ख) असैनिक उड्डयन के डायरेक्टर जनरल ने भारतीय वायुयान नियमों के उल्लंघन तथा कदाचारों के अपराधी कुछ संचालकों और इंजीनियरों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की है। जहां तक गैर-अनुसूचित संचालकों का सम्बन्ध है, उनमें से एक को तो चेतावनी (वार्निंग) जारी कर दी गयी है और दूसरे के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

रेलगाड़ी में लाश

†*६७८. श्री दी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री १८ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ मार्च, १९६० को आगरा में बरेली पैसैंजर गाड़ी के तीसरे दर्जे के डिब्बे में रेलवे पुलिस को जिस १६ वर्षीय लड़के की लाश सन्दूक में बन्द मिली थी, उस की मौत के लिये उत्तरदायी व्यक्ति की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उस व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) पुलिस द्वारा अभी तक जांच की जा रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

झांसी के निकट मकैनिकल वर्कशाप

†*६७९. श्री आसर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झांसी में मध्य रेलवे की वर्कशाप में एक कीमती भट्टी टूट गयी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ; और

(ग) रेलवे को इससे कितनी हानि हुई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामास्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

बाढ़ नियंत्रण योजनायें

†*६८०. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारों ने अपनी दीर्घ कालीन बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को नये सिरे से तैयार कर लिया है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने इन योजनाओं की पड़ताल कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने उनमें कोई परिवर्तन करने का सुझाव दिया है?

†सिंचाई और विद्युत् उप मंत्री (श्री हाथी): (क) अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने अपनी दीर्घ कालीन बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को नये रूप में इस दृष्टि से तैयार नहीं किया है कि वे उच्च शक्ति प्राप्त बाढ़ नियंत्रण समिति की सिफारिशों के अनुसार रूप प्राप्त कर सकें। जम्मू और काश्मीर सरकार ने समिति द्वारा बतायी हुई सिफारिशों के अनुसार ही काश्मीर राज्य के लिये एक वृहद् योजना तैयार की है।

(ख) काश्मीर की योजना पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने विचार कर लिया है।

(ग) जी, हां।

उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में तार और टेलीफोन सुविधायें

*६८१. श्री भक्त दर्शन : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २९ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १८४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में बनाये गये चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिलों में डाक और तार, टेलीफोन और बेतार की सुविधायें बढ़ाने में इस बीच और क्या प्रगति हुई है?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

चमोली जिले में एक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोल दिया गया है, अन्य तीन स्थानों में डाकघर खोलने के आदेश जारी किए जा रहे हैं और एक स्थान पर टेलीफोन सुविधाएं देने की मंजूरी दी जा चुकी है। उत्तरकाशी जिले में एक स्थान पर तार-सुविधाएं देने और उत्तरकाशी में तार-सुविधाएं देने के लिए ज़मीन पर लाइन लगाने की मंजूरी दी जा चुकी है। जिला पिथौरागढ़ में एक मौसमी डाकघर अब पूरे साल काम करने लगेगा, दो अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों की ऊंची श्रेणी करके उन्हें विभागीय डाकघर बना दिया गया है, एक डाकघर खोलने के आदेश जारी किये जा रहे हैं और एक स्थान पर तार-सुविधाएं देने की मंजूरी दी जा चुकी है। एक दूसरे स्थान पर फोनतार प्रणाली से कार्य करने वाला एक संयुक्त दफ्तर खोल दिया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के लिये बृहद् योजना

†*६८२. श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पहलकर :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प्र० गं० देव :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री पहाड़िया :
श्री ब्रजराज सिंह :

क्या स्वास्थ्य मंत्री ९ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १३९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की बृहद् योजना (मास्टर प्लान) को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ठेकेदारों को अधिक भुगतान

†*६८३. सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रामी रेड्डी :
श्री कुन्हन :

क्या रेलवे मंत्री १८ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १५५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम रेलवे के गोधरा रतलाम सैक्शन को दोहरा बनाने का काम कर रहे ठेकेदारों को किये गये अधिक भुगतान की जांच के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : विशेष पुलिस संस्थापन द्वारा अभी तक जांच की जा रही है। केवल एक मामले की जांच नहीं की जा रही है जिसकी रिपोर्ट विभागिक कार्यवाही के लिये रेलवे के पास भेज दी गयी है।

†मूल अंग्रेज़ी में

महाराष्ट्र में मनी आर्डर फार्मों की कमी

†*६८४. श्री आसर : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई नगर और महाराष्ट्र के अन्य भागों में कई डाकखानों में मनीआर्डर फार्मों और अन्य फार्मों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ;

(ग) क्या सरकार ने फार्म भेजने के लिये कोई विशेष प्रबन्ध किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका व्योरा क्या है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) बम्बई नगर में अथवा बम्बई सर्कल में आने वाले महाराष्ट्र के अन्य भागों में मनी आर्डर फार्मों अथवा अन्य प्रकार के फार्मों की कोई कमी नहीं है। पर हां, केन्द्रीय सर्कल के डाकघरों में अस्थायी रूप से उनकी कुछ कमी हो गयी थी, परन्तु उस कमी को पूरा कर दिया गया है।

(ख) देश में कागज की अत्यधिक कमी के कारण मुद्रणालय डाक तथा तार विभाग के कुछ फार्मों को समय पर न छाप सके।

(ग) जी, हां।

(घ) सर्कलों के उच्चतम पदाधिकारियों को यह अधिकार चे दिया गया है कि वे आवश्यकता के समय वहीं पर फार्म छपवा सकते हैं

दुर्गापुर तापीय बिजलीघर

†*६८५. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री हेम बरुआ :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के साथ १२.६ करोड़ रुपये की एक परियोजना के बारे में समझौता किया गया है जिससे दुर्गापुर तापीय बिजली घर की क्षमता में १२०,००० किलोवाट की वृद्धि हो जायेगी ;

(ख) ऋण की क्या शर्तें हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इससे उत्पन्न अतिरिक्त बिजली का उपयोग अल्यूमिनियम, इस्पात, मोटर गाड़ी, पटसन, कागज और कांच उद्योगों का विस्तार करने में किया जायेगा ;

(घ) क्या इस संबंध में वितृत योजनाएं तैयार कर ली गयी हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) जी, हां।

(ख) करार की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रख दी जायेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) से (ङ) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता ई।

विवरण

उक्त परियोजना के अनुसार पश्चिमी बंगाल के दुर्गापुर तापीय बिजली घर के ६०/७० मेगावाट के दो यूनिटों से निम्नलिखित 'लोड' दिया जायेगा :—

(१)	पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र में दुर्गापुर उद्योग के उर्वरक कारखाने में, जिसमें नेशनल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, हिन्द मोटर्जे, जे० के० स्टील फैक्टरी भी सम्मिलित हैं	३५ मेगावाट
(२)	सियालदह सेक्शन में रेलों को बिजली से चलाना	४३ मेगावाट
(३)	डनलप टायर्स, बिड़ला जूट मिल्स, रेयन फैक्टरियां, काटन मिल्स आदि . . .	४७ मेगावाट
(४)	बिड़लापुर में उद्योग	१५ मेगावाट
	कुल .	१४० मेगावाट

आंध्र प्रदेश के ग्रामों में बिजली लगाना

†१२६८. **श्री रामी रेड्डी :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के ग्रामों में बिजली लगाने की योजनाओं के लिये १९६०–६१ के लिये केन्द्रीय सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मध्य रेलवे में चोरियां

†१२६९. **श्री पांगरकर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० के पूर्वार्ध में मध्य रेलवे जोन में यात्रियों के सामान की चोरियों के कितने मामले हुए थे; और

(ख) गाड़ियों में इस प्रकार की चोरियों को रोकने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) ५४७ (इनमें प्लेटफार्मों और प्रतीक्षा भवनों से चोरियों तथा जेब काटने के मामले भी सम्मिलित हैं)।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सवारी गाड़ियों में चोरियों की घटनाओं को रोकना मुख्यतया सम्बन्धित राज्य सरकारों की ही जिम्मेवारी है। फिर भी रेलवे प्रशासन ने अपनी ओर से निम्नलिखित कार्यवाहियां की हैं :—

(१) गाड़ियों के डिब्बों में सुरक्षा उपकरण लगा दिये गये हैं ताकि कोई भी अप्राधिकृत व्यक्ति वहां प्रवेश न कर सके ;

(२) हाल ही में एक और नया उपाय किया गया है। महिलाओं के डिब्बे में एक 'पुश बटन' लगा दिया गया है जो कि खतरे के समय दबाया जा सकता है। उसके दबते ही गार्डज लॉबी तथा साथ के सामान्य डिब्बे में घण्टी बजने लगेगी और उस महिलाओं के डिब्बे के बाहिर लाल रोशनी जल उठेगी ताकि एक दम सहायता की जाये।

(३) कण्डक्टरों, गार्डों और टी० टी० लोगों को विशेष रूप से हिदायतें दी गई हैं कि वे विशेष-रूप से अकेली यात्रा करती हुई महिला का विशेष रूप से ध्यान रखें।

(४) ऊंचे दर्जों में यात्रा करने वाली महिलाओं को इस बात की अनुमति है कि वे रात के समय तीसरे दर्जे के टिकट से एक 'ए टेंडेंट' को अपने पास रख सकती है।

(५) लाउडस्पीकरों के द्वारा घोषणा की जाती है और नोटिसों के द्वारा भी यात्रियों को सचेत कर दिया जाता है कि वे जेब कतरों तथा अन्य समाज विरोधी व्यक्तियों से सावधान रहें।

(६) हिदायतें जारी कर दी गई है कि जिन स्टेशनों से रात के लिये गाड़ियां चलती हैं वहां के जिम्मेवार पदाधिकारी उस बात की अच्छी प्रकार से जांच कर लिया करें कि महिलाओं के लिये रक्षित डिब्बों के शौचालय में या सीटों के नीचे कोई व्यक्ति छिपा हुआ न हो और यह भी देख लिया करें कि सुरक्षा सम्बन्धी सभी उपकरण ठीक प्रकार से हैं या नहीं।

(७) रेलवे पुलिस बल की गुप्तवार्ता शाखा को यह हिदायतें हैं कि वे रेलों में यात्रा करने वाले अपराधियों पर नज़र रखें वह जानकारी सरकारी रेलवे पुलिस को दे दें।

(८) कुछ एक महत्वपूर्ण रात की गाड़ियों के साथ के सशस्त्र पुलिस भी लगादी जाती है।

(९) सशस्त्र पुलिस का डिब्बा सामान्यतया गाड़ी के बीच में यथा संभव महिलाओं के डिब्बों के पास ही लगाया जाता है।

(१०) यह देखने के लिये कि गश्त वाले पूर्णरूपेण सचेत हैं, विशेष राशि 'स्क्वेडो' तथा वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों द्वारा रात को अकस्मात जांच की जाती है।

सिकन्दराबाद में रेलवे स्थापनों में भर्ती

†१२०० श्री पांगारकर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में सिकन्दराबाद में लल्लागुडा रेलवे वर्कशाप तथा अन्य रेलवे संस्थापनाओं में कितने व्यक्तियों को भर्ती किया जायेगा ; और

(ख) इस सम्बन्ध में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) लल्लागुडा वर्कशाप के लिये ४३२ कर्मचारी जिनमें ३ तीसरे दर्जे के कर्मचारी होंगे।

(ख) लल्लागुडा वर्कशाप में एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था। परन्तु तीसरे दर्जे के कर्मचारियों की भर्ती रेलवे सेवा आयोग, मद्रास के द्वारा की जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विजयवाड़ा में ऊपरी पुल

†१२७१. { श्री पांगरकर :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या रेलवे मंत्री १८ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विजयवाडा स्टेशन पर एक नये ऊपरी पुल के निर्माण के सम्बन्ध में और कितनी प्रगति हुई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): पुल के लिये आवश्यक नकशे तैयार कर लिये गये हैं। क्योंकि वह पुल सम्पूर्ण स्टेशन यार्ड के ऊपर से गुजर कर जायेगा, इसलिये उस मामले पर अच्छी प्रकार से विचार करने की जरूरत है ताकि इससे यार्ड के भावी विकास कार्य में कोई बाधा न पड़े। आशा है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई अन्तिम निर्णय कर दिया जायेगा।

भारत और लंका के बीच रेलवे नौका सेवा

†१२७३. श्री पांगरकर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और लंका के बीच चलने वाली रेलवे नौका सेवा नुकसान पर चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो १९५९-६० में कितना नुकसान हुआ था ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) लगभग २,९५,४९९ रुपये।

दक्षिण रेलवे में चलते फिरते पुस्तकालय

†१२७३. श्री पांगरकर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में चलते फिरते पुस्तकालय सम्बन्धी सेवा प्रारम्भ कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो किस-किस स्टेशन पर ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). अभी नहीं ; यह निर्णय किया गया है कि दो चलते फिरते पुस्तकालय प्रारम्भ किये जायें; एक बड़ी लाइन पर और दूसरा मीटर लाइन के स्टेशनों पर। इसके लिये दो डिब्बों को पुस्तकालयों के रूप में बरतने का काम प्रारम्भ हो गया है।

बिहार में टेलीफोन के कनेक्शन

†१२७४. श्री पांगरकर : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में बिहार में कुल कितने नये टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं ; और

(ख) उन पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) १,१७६ ।

(ख) केवल व्यक्तियों की इमारतों में टेलीफोन लगाने पर १,७६,५८५ रुपये खर्च आये हैं। इसके अतिरिक्त टेलीफोन की पद्धति पर भी खर्च हुआ है और उसका अल्पारुप से हिसाब नहीं लगाया जा सकता ।

सैन्टोनिन[1]

†१२७५. श्री प्र० के० देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन अनुसंधान संस्था में किये गये अनुसन्धान के परिणाम स्वरूप देश में सेन्टोनिन का उत्पादन किया जाता है ;

(ख) उसका क्या क्या उपयोग है ;

(ग) क्या इस दृष्टि से हमारा देश आत्मनिर्भर है ;

(घ) किस किस फर्म द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है और वे फर्म कहां कहां पर हैं;

(ङ) देश में सेन्टोनिन पैदा करने वाले और अधिक वृक्ष लगाने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(च) किस किस स्थान पर ये वृक्ष लगाये जा रहे हैं ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी, हां ।

(ख) यह आंत से कीड़े निकालने के लिये एक दवाई के रुप में इस्तेमाल की जाती है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) फर्मों के नाम और उनके स्थान इस प्रकार से हैं :—

१. मेसर्ज कश्मीर फारमेस्युटिकल्स वर्क्स, जम्मू तथा काश्मीर ।

२. मेसर्ज मेहता ब्रादर्ज, अमृतसर ।

(ङ) और (च) ए. ब्रीविफोलिया (A. brevifolia) की कुछ नस्लें, जिनसे व्यापारिक आधार पर सेन्टोनिन निकाला जा सकता है, अधिकांशतः जम्मू और काश्मीर में और कुछ मात्रा में लाहौल घांटी (पंजाब) में पाई जाती है। ए० ब्रीविफोलिया का प्रयोगात्मक उत्पादन चकराता पहाड़ियां, देहरादून जिले में प्रारम्भ किया गया है और वहां से उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं ।

होलेरेना ऐंटीडाइसेंट्रिका[2] रुट बार्क[2] (सामान्य कुटज जड़ की छाल)

†१२७६. श्री प्र० के० देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन अनुसन्धान संस्था ने यह मालूम किया है कि होलेरेना ऐंटीडाइसेंट्रिका रुट आर्क (सामान्य कुटज जड़ की छाल) में 'स्टेम बार्क' की अपेक्षा 'अल्कलायड' के तत्व अधिक हैं और वह भी दिसम्बर के महीने में अधिकतम होता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

1. Santonin.

2. Holarrhena Anti dysenterich root bark.

(ख) क्या इन उप-पत्तियों के आधार पर देश के किसी उद्योग का विकास हुआ है; और

(ग) क्या इस पौधे को बड़े पैमाने पर लगाने के लिये प्रयत्न किया गया है?

†कृषि उपमंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) होलेरेना ऐंटीडाइसेंट्रिका की छाल अल्कलायड तत्व के मौसमी अन्तरों का अध्ययन किया गया था, परन्तु 'सट बार्क' और 'स्टेम बार्क' में अल्कलायड तत्वों का कोई तुलनात्मक अध्ययन अब तक नहीं किया गया है। छाल संबंधी अध्ययन से पता चला है कि सहारनपुर और देहरादून के नमूनों में अल्कलायड तत्व अप्रैल से जून तक अधिकतम होता है।

(ख) जी, नहीं। परन्तु भारत की बहुत सी फार्मेस्यूटिकल फर्में बार्क से चीजें तैयार कर रहीं हैं।

(ग) समूचे देश भर में प्राकृतिक साधनों से पर्याप्त मात्रा में छाल उपलब्ध हो सकती है, और नये पौधे लगाने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

इमली के बीज से तैयार की गयी चूसने की मीठी गोलियां

†१२७७. श्री प्र० के० देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन अनुसन्धान संस्था, देहरादून ने इमली के बीज से चूसने की मीठी गोलियां तैयार करने का नया तरीका मालूम किया है;

(ख) क्या देश में वाणिज्यिक आधार पर इमली के बीज से ये गोलियां तैयार की जाती हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है;

(घ) ये बाजार में उपलब्ध बाहर से मंगवाई गई गैलेटिन की गोलियों से कितनी भिन्न होती हैं; और

(ङ) क्या ये इमली के बीजों की गोलियां शाकाहारी लोगों को स्वीकार्य हैं?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जीं, हां।

(ख) तथा (ग). अभी नहीं, क्योंकि वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन आरम्भ करने के पूर्व बड़े प्रचार की आवश्यकता होती है।

(घ) आयात की गई गोलियां गैलेटीन से तैयार की गई होतीं हैं, जो पशु से मिलती है, जबकि इमली के बीज की गोलियां वनस्पति हैं। गैलेटिन की गोलियां ग्रीष्म में पिघल जाती हैं, इसलिये विशेष मौसम में ही मिलती हैं।

(ङ) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

कृषि कालेज

†१२७८. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २९ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २८९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नौ कृषि कालेज स्थापित करने के लिये कोई फैसला किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो वे कहां स्थापित किये जाएंगे ; और

(ग) योजना पर कितने खर्च का अनुमान है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) तीसरी योजना में कृषि के स्नातकों की आवश्यकता और उपलब्धि संबंधी स्थिति पर विचार किया गया है और यह अनुभव किया गया है कि दूसरी योजना की समाप्ति पर देश में उपलब्ध वर्तमान प्रशिक्षण सुविधाएं तीसरी योजना के लिये कृषि के स्नातकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त होगी। चूंकि कृषि स्नातक को प्रशिक्षण देने में तीन चार साल लगते हैं, तीसरी योजना में जिन प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी, वह चौथी योजना के लिये कृषि स्नातकों की आवश्यकता के अनुमान के अनुसार होगी। तदनुसार, चौथी योजना के लिये कृषि स्नातकों की आवश्यकता का अनुमान लगाना शीघ्र ही आरम्भ किया जाएगा और यदि कोई अतिरिक्त कृषि कालेज खोलना होगा, तो चौथी योजना की संभावित आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर उस पर विचार किया जाएगा।

(ख) तथा (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

काकिनाडा स्टेशन

†१२७९. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या रेलवे मंत्री २९ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २९९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण रेलवे मंडल में कोकोनाडा के नाम को काकिनाडा में बदलने के लिये कोई कार्रवाई की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या अन्तिम फैसला किया गया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). आंध्र राज्य सरकार की प्रार्थना पर, रेलवे प्रशासन ने कोकोनाडा रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर काकिनाडा रखने के बारे में अपनी इच्छा व्यक्त की है। अब रेलवे प्रशासन परिवर्तन करने के लिये राज्य सरकार से अग्रेतर पत्र की प्रतीक्षा कर रहा है।

विदेशी पर्यटकों के लिये विशेष सुविधायें

†१२८०. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ६ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटकों को दी गई विशेष सुविधाएं संतोषजनक ढंग से चल रही हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या आंध्र प्रदेश में हैदराबाद और विशाखापटनम आदि कुछ अन्य स्थानों तक भी इन सुविधाओं के विस्तार किये जाने की संभावना है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). पर्यटक कूपन योजना फरवरी १९६० में प्रयोगात्मक आधार पर १६ नगरों में आरम्भ की गई थी। पिछले छः महीनों में जब से योजना चल रही है, बहुत सी वास्तविक कठिनाइयां उत्पन्न हुईं। योजना के अधीन बिक्री कम थी और बिक्री दिल्ली और बम्बई तक, सीमित थी तथा कम मात्रा में कलकत्ता और मद्रास तक सीमित थी। अन्य केन्द्रों में कोई बिक्री नहीं हुई। विभिन्न केन्द्रों में योजना की प्रगति पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात तथा पिछले छः महीनों में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए, इस योजना को चार मुख्य नगरों अर्थात दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता तक सीमित रखने का विचार किया जा रहा है। इसलिये पर्यटक कूपन योजना के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश में हैदराबाद तथा विशाखापटनम आदि अन्य स्थानों तक इन सुविधाओं के विस्तार का प्रश्न नहीं होता।

डाकघर

१२८१. श्री खुशवक्त राय क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने गांव हैं जिनकी जनसंख्या दो हजार और उससे ऊपर है और जहां अभी तक डाकघर नहीं खोले गये हैं?

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन) : लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

क्रमांक	प्रदेश का नाम	गांवों की संख्या
१	दिल्ली	९
२	गुजरात	१
३	केरल	३
४	मद्रास	८८
५	महाराष्ट्र	२१
६	मैसूर	३
७	उड़ीसा	१
८	उत्तर प्रदेश	२७०
९	पश्चिमी बंगाल	६९
	कुल	४६५

†मूल अंग्रेजी में

जालंधर पठानकोट सैक्शन पर इंजन डिब्बे

†१२८२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली तथा दूसरी पंच वर्षीय योजनाओं की अवधि में अब तक जालंधर—पठानकोट के बीच कितने नये इंजन डिब्बे और माल डिब्बे रेलवे लाइन पर डाले गये हैं ; और

(ख) उक्त स्थानों पर दूसरी योजना की शेष अवधि के बीच कितने ऐसे इंजन डिब्बे डाले जाएंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) और (ख). नये इंजन डिब्बे और माल डिब्बे रेलवे के सैक्शन विशेष के लिये लाइन पर नहीं डाले जाते, किन्तु वे रेलों को आवंटित किये जाते हैं और आवश्यकतानुसार प्रयोग में लाये जाते हैं।

दिल्ली में कार दुर्घटनाएं

†१२८३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के संघ-राज्य क्षेत्र में प्रति मास कार दुर्घटनाओं में कितने व्यक्तियों की मृत्यु होती है ;

(ख) पिछले छः महीनों के आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं में कितने साइकल चलाने वाले व्यक्ति मरे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) औसत संख्या दो और तीन के बीच होगी।

(ख) तथा (ग). दिल्ली में १ फरवरी, १९६० से २३ जुलाई १९६० के बीच मोटर-कार दुर्घटनाओं में चौदह व्यक्ति मरे, जिन में केवल एक व्यक्ति साइकल चलाने वाला था।

पंजाब में सहकारिता कार्यक्रम

†१२८४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार को १९५९–६० में अपना नया सहकारिता कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिये कुछ धन दिया है ;

(ख) पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा प्रतिपादित नये सहकारिता कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये क्या योजनाएं पेश की थीं ; और

(ग) प्रस्तुत की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा कितनी राशि की मांग की गई थी ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ती) :** (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). विवरण संलग्न है। [**देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८४**]

†मूल अंग्रेज़ी में

उत्तर प्रदेश में बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाएं

†२२८५. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में दूसरी पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं की सूची में ३१ मार्च, १९६० तक कौन २ सी योजनाएं पूर्ण हो चुकी थीं अथवा पूर्ण होने की आशा थी ;

(ख) उक्त तिथि तक कितना धन आवंटित तथा व्यय किया गया है;

(ग) उक्त तिथि तक मूलतः कितने एकड़ भूमि में सिंचाई करने का अनुमान था और वास्तव में कितने एकड़ में सिंचाई की गई; और

(घ) खाद्यान्नों तथा वाणिज्यिक फसलों में कितनी वृद्धि हुई है तथा और कितने मूल्य का अनाज तथा फसलें हुई हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) उत्तर प्रदेश की दूसरी पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित बड़ी और मध्यम सिंचाई योजानाएं, जो ३१ मार्च, १९६० तक पूर्ण हो गई थीं या पूर्ण होने की आशा थी; नीचे दी गई हैं :—

१. चन्द्रप्रभा बांध
२. बेलान तथा टोंस नहर
३. अपर गंगा नहर (क्षमता बढ़ाना)
४. आगरा नहर को फिर से बनाना (रिमोडलिंग)
५. नारामजी गण्डक पोखरा नहर
६. बान गंगा नहर
७. जानी नाले को फिर से बनाना
८. अर्जुन बांध
९. ओहन (बाल्मीकी सरोवर);

(ख) दूसरी योजना के २५.६८ करोड़ रुपये के उपबन्ध में से ३१, मार्च, १९५९ तक उत्तर प्रदेश में बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं पर १६.३१ करोड़ रुपया खर्च किया गया था ।

(ग) तथा (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

उत्तर प्रदेश में चीनी की फैक्टरियां

†१२८६. **श्री सरजू पांण्डेय** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में चीनी की फैक्टरियों की स्थापना के लिये राज्य से भारत सरकार के पास कोई प्रार्थना पत्र आए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई है ; और

(ग) १९५९ के अन्त में, उत्तर प्रदेश में भी चीनी की कितनी फैक्टरियां थीं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). आठ प्रार्थना पत्र आए हैं और उन पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) सत्तर ।

रेल मार्ग को नुकसान पहुंचाना

†१२८७. श्री दी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में १९६० में अब तक रेल मार्ग को नुकसान पहुंचाने के कितने मामले हुये हैं; और

(ख) इस विषय में क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार किया गया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). सूचना देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८५]

दिल्ली डिवीजन में रेलवे क्वार्टर

†१२८८. श्री दी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में कार्मचारियों के लिये उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में कितने क्वार्टर बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) १९५९–६० में कितने क्वार्टर बनाये गये थे ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ६४८ क्वार्टर, जो ३१–३–६० को बन रहे थे, पूर्ण हो जायेंगे और १९६०–६१ में ४७, अधिक क्वार्टर बनाने आरंभ किये जायेंगे तथा पूर्ण हो जायेंगे ।

(ख) ३५२ क्वार्टर पूर्ण हो चुके थे (जिन में वे क्वार्टर भी सम्मिलित हैं, जो पिछले वर्ष बन रहे थे)।

नई दिल्ली में बच्चों के पार्क

†१२८९. श्री दी० चं० शर्मा : क्या स्वास्थ्य मंत्री १५ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १११७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि (१) बच्चों के पार्क, (२) तैरने के तालाब और (३) नई दिल्ली में खुला सिनेमा के प्रस्ताव के बारे में, जो विचाराधीन था, अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

१. **बच्चों का पार्क** : इंडिया गेट पर बच्चों का पार्क बनाने का काम नई दिल्ली नगरपालिका समिति ने अपने हाथ में ले लिया है और यह प्रगति पर है । आशा है कि यह अप्रैल, १९६१ के अन्त तक पूर्ण हो जाएगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

२. **तैरने का तालाब :** केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य शिल्पकार द्वारा तैयार किये गये प्लान के आधार पर, नई दिल्ली नगरपालिका समिति द्वारा तैयार किया गया ३,०४,८३० रुपये का प्रारंभिक अनुमान समिति द्वारा महंगा समझा गया। इसमें संशोधन किया गया है और अब यह घट कर ८०,००० रुपये हो गया है। शोधित अनुमान मंजूरी के लिये समिति के सामने रखा जा रहा है ?

३. **खुला सिनेमा :** शिक्षा मंत्रालय ने जिसका प्रशासनिक दृष्टि से इस परियोजना के साथ संबंध है, सूचना दी है कि निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय से प्रार्थना की जा रही है कि इस काम के लिये आवश्यक भूमि आवंटित कर दी जाए।

अफीमचियों के लिये अस्पताल

१२९०. श्री नरदेव स्नातक : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने अफीमचियों के इलाज के लिये अलग अस्पाताल खोले हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और वे कहां-कहां पर हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

टेलीफोन

†१२९१. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५९ से जुलाई, १९६० तक कटक, पुरी और भुवनेश्वर में क्रमशः कितने लोगों ने टेलीफ़ोनों के लिये अर्जी दी थी; और

(ख) उन में से अभी तक कितने लोगों को टेलीफ़ोन दे दिये गये हैं।

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क)

	कटक	४०१
	पुरी	३४
	भुवनेश्वर	१५६
(ख)	कटक	६५
	पुरी	१०
	भुवनेश्वर	१२६

†मूल अंग्रेज़ी में

कृषि उपज

†१२९२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०–६१ में कृषि उपज के कार्यक्रम के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने की योजना अन्तिम रूप में तैयार की जा चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों वे कृष्णप्पा)** (क) और (ख). जी, हाँ। कृषि उपज (जिसमें छोटी सिंचाई और भूमि विकास शामिल है) शीर्षक के बारे में १९६०–६१ के लिये राज्यों को दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८६]**

नालागढ़ समिति

†१२९३. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री रामी रेड्डी :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १३ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास, नालागढ़ समिति नामक कृषि प्रशासन समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के बारे में, राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हाँ तो इस विषय में क्या किया गया है ?

†**कृषि उपमंत्री (डा० प० शा० देशमुख) :** (क) और (ख). पंजाब को छोड़ कर किसी राज्य ने अभी तक प्रस्ताव नहीं भेजे। पंजाब से प्राप्त प्रस्तावों की जाँच की जा रही है।

भिवानी में सिटी बुकिंग एजेंसी

†१२९४ **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **रेल** मंत्री १८ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भिवानी नगर (पंजाब) में सिटी बुकिंग एजेंसी खोलने का प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** भिवानी में सिटी बुकिंग एजेंसी खोलने का फैसला किया जा चुका है और इसे यथाशीघ्र खोलने के लिये प्रबन्ध किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

जाली रेलवे टिकट

१२९५. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कुछ ऐसे छापेखाने पकड़े गये हैं जहाँ रेलवे के जाली टिकट छपते हैं और बेचे जाते हैं;

(ख) क्या इस अवैध व्यापार में कुछ रेल कर्मचारियों का भी हाथ है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) (क) इस तरह के सिर्फ दो मामले नोटिस में आये हैं, एक मुरादाबाद में और दूसरा कलकत्ता में।

(ख) मुरादाबाद वाले मामले में मण्डल अधीक्षक (डिवीज़नल सुपरिन्टेंडेंट), मुरादाबाद के कार्यालय का एक खलासी शामिल था।

(ग) इन मामलों में अदालत में मुकदमा चल रहा है।

रेलवे पुलों के बारे में खोसला समिति का प्रतिवेदन

†१२९६. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया : }

क्या **रेलवे** मंत्री १३ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २०५२ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे पुलों के बारे में खोसला समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो कौन सी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). प्रतिवेदन पर जून, १९६० में मुख्य इंजीनियरों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी। सम्मेलन की सिफारिशें अभी प्राप्त हुई हैं और रेलवे बोर्ड उन पर सक्रिय विचार कर रहा हैं। इसी बीच, पुलों और बाढ़ों के निदेशक ने प्रतिवेदन की एक सिफारिश के अनुसार विभिन्न रेलों पर चुने हुए पुलों के बारे में, जलमार्गों, बाढ़ स्तरों, तथा आस पास के क्षेत्रों आदि के विषय में आवश्यक सांख्यिकय एकत्रित करना आरम्भ कर दिया है।

व्याधिकीय पंजीयन कार्यालय'

†१२९७. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १५ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंच वर्षीय योजना में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान

†मूल अंग्रेजी में

'Registry of Pathology.

परिषद के तत्वावधान में व्याधिकीय पंजीयन कार्यालय (रजिस्ट्री आफ़ पैथोलोजी) स्थापित करने के विषय में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : तीसरी पंच वर्षीय योजना के लिये परिषद् के आय-व्ययक अनुदानों में व्याधिकीय पंजीयन कार्यालय (रजिस्ट्री आफ़ पैथोलोजी) की स्थापना के लिये आवश्यक बजट उपबंध किया गया है। मामले को व्यापक विचारार्थ परिषद के वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड के सामने रखने का विचार है।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग का पुनर्गठन

†१२९८. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १५ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४६ उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के पुनर्गठन की योजना अन्तिम रूप से तैयार की जा चुकी है; और

(ख) यदि हाँ, तो योजना की रूपरेखा क्या है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) जी, नहीं।

(ख) इस स्तर पर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

काश्मीर में तापीय संयंत्र

†१२९९. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १८ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर में तापीय संयंत्र लगाने के लिये काश्मीर सरकार से कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस प्रस्ताव की रूपरेखा और व्यौरा क्या है ?

†सिंचाई और विद्युत् उप मंत्री (श्री हाथी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण रेलवे के निर्माण कार्य की जांच

†१३००. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **रेलवे** मंत्री १३ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष पुलिस प्रतिष्ठान ने, दक्षिण पूर्व रेलवे के उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) तथा एक जिला इंजीनियर के पर्यवेक्षण में किये गये निर्माण कार्य के सम्बन्ध में, जो बाद मे निर्धारित मान से हल्का पाया गया, अपनी जाँच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हाँ, तो वे किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं ?

†रेलवे उप मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के प्रतिवेदन अभी प्राप्त हुए हैं और उनका परीक्षण किया जा रहा है ।

पश्चिम जर्मनी का कृषि संबंधी शिष्ट मंडल

†१३०१. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री म० ला० द्विवेदी : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १३ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २०५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में कृषि के विकास में सहायता करने के उद्देश्य से पश्चिम जर्मनी के कृषि सम्बन्धी जिस शिष्टमंडल ने इस देश का दौरा किया था उससे प्राप्त रिपोर्टों पर की गयी कार्यवाही का क्या ब्यौरा है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : डा० ओ० शलिर की रिपोर्ट को छोड़ कर अन्य रिपोर्ट में दिये गये सुझावों का परीक्षण कृषि विभाग मे किया गया है और डा० ओ० शिलर की रिपोर्ट में दिये गये सुझावों की छानबीन सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में की गयी है। एक विवरण संलग्न है जिसमें इन रिपोर्टों में दिये गये सुझावों का सारांश दिया गया है और यह बताया गया हैं कि ये कहाँ तक स्वीकार किये जा सकते हैं । **[देखिये परिशिष्ट संख्या २, अनुबन्ध संख्या ८७]** ।

जहाज बनाने के पुर्जों का उत्पादन

†१३०२. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १३ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १४५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कई दौर में जहाज बनाने के पुर्जों का देश में उत्पादन करने का कार्यक्रम तैयार किया जा चुका है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बंध में कई दौरों में कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में सहायता करने की दृष्टि से एक मन्त्रणा समिति स्थापित करने का प्रस्ताव किस दिशा में है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). जहाज बनाने और जहाजों की मरम्मत सम्बन्धी आनुषंगिक उद्योगों की मंत्रणा समिति ने जहाज बनाने के पुर्जों का कई दौरों में देश में उत्पादन का कार्यक्रम बनाने का काम अपने हाथ में लिया है। चूंकि इसमें व्यापक आंकड़े इकट्ठा करना और उनकी सरचना करना है, सब वस्तुओं और साज सामान को विभागों में विभाजित करना है, उनका वर्गीकरण और उप विभाजन करना है, और तब प्राथमिकताओं का क्रम निर्धारण करना है, इसलिये किन्हीं मूर्त परिणामों की आशा करने से पहले इसके लिये कुछ समय देना होगा।

(ख) मन्त्रणा समिति बनाने के प्रस्ताव पर भी आनुषंगिक उद्योग समिति विचार कर रही है और आशा है कि वह इस सम्बन्ध में बहुत शीघ्र ही ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

समुद्र में जान की सुरक्षा संबंधी सम्मेलन

†१३०३. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्र में जान की सुरक्षा के सम्बन्ध में समस्याओं पर चर्चा करने के लिये मई, १९६० में लन्दन में जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था उसमें किस प्रकार के सुझाव और सिफारिशें की गयीं, उनका ब्यौरा क्या है, और वहां क्या-क्या निर्णय किये गये; और

(ख) उस सम्मेलन में किन किन देशों ने भाग लिया ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८८]।

उड़ीसा में बिजली की कमी

†१३०४. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही: क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में बिजली की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास भेजे हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इनमें से किसी प्रस्ताव पर विचार किया है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उड़ीसा में करीब ३२ मेगावाट बिजली की कमी का अनुमान है।

(ख) राज्य सरकार तीसरी पंच वर्षीय योजना में शामिल करने के लिये तीन प्रस्तावों पर अर्थात् (१) भीमकुण्ड जल विद्युत् परियोजना —प्रक्रम १, (२) तलछर तापीय बिजली घर परियोजना और (३) बसीमेला बांध परियोजना पर विचार कर रही है।

(ग) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग इन प्रस्तावों के टैक्नीकल पहलुओं का परीक्षण कर रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६ पर वैतरणी पुल

†१३०५. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १३ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २०४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६ पर वैतरणी पुल के पूर्वी और पश्चिमी प्रवेश द्वारों का सुधार कार्य इस बीच शुरू कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह काम कब मंजूर किया गया था ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख). भारत सरकार ने सुधार का यह काम अप्रैल, १९५९ में मंजूर किया था। उड़ीसा सरकार का लोक निर्माण विभाग यह काम आरम्भ करने की व्यवस्था कर रहा है।

मीन क्षेत्रों का विकास

†१३०६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मीन क्षेत्रों के विकास के लिये दूसरी योजना की अवधि में खर्च की जाने वाली कुल योजना खर्च की १२ करोड़ रुपये की रकम में से अब तक कितनी खर्च हो चुकी है; और

(ख) किन-किन केन्द्रों ने अभी हाल में मीन क्षेत्र विकास योजनाएं कार्यान्वित की हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) मीन क्षेत्रों के विकास के लिये योजना में कुल १२ करोड़ रुपय कीं व्यवस्था में से लगभग आधी रकम योजना के पहले चार सालों में खर्च की जा चुकी है। चालू वर्ष के, जो योजना का अन्तिम वर्ष है, बजट में २.९३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

(ख) ऐसे केन्द्रों के नाम बताना कठिन है क्योंकि सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, जहां भी आवश्यक होता है, मीन क्षेत्रों के विकास का काम किया जाता है।

उड़ीसा में कुष्ठ नियंत्रण योजना

†१३०७. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुष्ठ नियन्त्रण योजना के अधीन १९५९-६० और १९६०-६१ में अब तक उड़ीसा को कितनी रकम दी गयी और दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के आरम्भ से अब तक उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में कुष्ठ नियन्त्रण के लिय कुल कितनी रकम खर्च की ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : कुष्ठ नियन्त्रण योजना के अधीन, उड़ीसा सरकार को १९५९-६० में .९७ लाख रुपया दिया गया था। १९६०-६१ में उस राज्य को अस्थायी तौर पर १.५८ लाख रुपया दिया गया था। उड़ीसा सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से मई, १९६० तक उस राज्य में कुष्ठ नियन्त्रण के लिये १२.५५ लाख रुपये की रकम खर्च की है।

अलीपुर विकास खंड

१३०८. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६० की गर्मी की छुट्टियों में अलीपुर विकास खण्ड ने एक समाज सेवा आन्दोलन चलाया था; और

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार था ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उप-मंत्री (श्री ब० स० मूर्ति): (क) जी हां।

(ख) उच्चतर माध्यमिक पाठशालाओं के सीनियर विद्यार्थियों को गर्मी की छुट्टियों में समाज-सेवा कार्य सम्बन्धी प्रशिक्षण देने की दृष्टि से आन्दोलन चलाए जाते हैं। गांव के विद्यार्थी अपना एक समूह बना कर निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन करते हैं।

(१) प्रभात फेरी। (२) सफ़ाई आन्दोलन। (३) प्रौढ़ साक्षर कक्षाएं। (४) पुस्तकालय सम्बन्धी कार्य। (५) हस्ताक्षर आन्दोलन। (६) मनोरंजक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम। (७) सड़कों तथा कुओं की सफाई। (८) सोखने तथा खाद के गढ़े खोदना।

इन गतिविधियों के आयोजन के लिये विद्यार्थियों को ३ दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस आन्दोलन पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं किया गया। सभी आवश्यक वस्तुएं जैसे किताबें, खेलों का सामान आदि समाज शिक्षा केन्द्र से दिये गये थे।

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन

१३०९. **श्री पद्मदेव:**
श्री नेकराम नेगी:
श्री इन्द्र जीत मल्होत्रा:
श्री अ० मु० तारिक:

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये सरकार क्या कर रही है;

(ख) १९५९–६० में हिमाचल प्रदेश में कितने पर्यटक आये और वे किन-किन जगहों पर गये; और

(ग) १९५९–६० में कितने नये पर्यटक-गृह बनाये गये और कितनी जगहों पर सुविधायें दी गयीं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) विवरण संलग्न है।

(ख) हिमाचल प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के बारे में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) १९५९–६० में पर्यटकों के लिये कोई भी पर्यटक-गृह नहीं बनाया गया, फिर भी हिमाचल प्रदेश में विभिन्न जगहों पर स्थित २२ विश्राम गृहों में पर्यटकों के लिये सुविधा प्रदान की गयी है।

विवरण

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं:—

(१) पर्यटक केन्द्रों में मौजूदा विश्रामगृहों और डाक बंगलों में सुधार।

(२) इन स्थानों पर जगह की कमी को दूर करने के लिये तम्बुओं की व्यवस्था।

(३) रमणीय स्थलों का विकास और झीलों का सुधार।

(४) दूसरी पंचवर्षीय आयोजना काल में कुफरी में लकड़ी के तख्तों की झोंपड़ी (स्की हट) और नारकण्डा में कम आय वालों के लिये विश्राम-गृह के निर्माण की स्वीकृति दी गयी थी। इसमें से लकड़ी के तख्तों की झोंपड़ी तैयार हो चुकी है। नारकण्डा में कम आय वालों के लिये विश्राम-गृह बनाने के लिये उचित जगह उपलब्ध नहीं है इसलिये हिमाचल प्रदेश प्रशासन कोई ऐसी इमारत प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है जिसमें कुछ परिवर्तन कर उसे कम आय वालों के लिये विश्राम-गृह में बदला जा सके।

(५) आयोजना आयोग ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास की निम्नलिखित तीन योजनाओं की भी स्वीकृति दी है :—

(क) झीलों के भू-भाग का विकास . .	२.०० लाख रुपये
(ख) पर्यटक-बसों की खरीद . .	१.१८ लाख रुपये
(ग) मछली पकड़ने की सुविधाएं .	०.४७ लाख रुपये
	३.६५ लाख रुपये

१९५९–६० में झील-विकास तथा मछली पकड़ने की सुविधाओं से सम्बन्धित योजनाओं को कार्यान्वित करने में १.२२ लाख रुपये खर्च किये गये। आशा है चालू वित्तीय वर्ष में उक्त तीनों आयोजनाओं को पूरा करने में शेष २.४३ लाख रुपये खर्च हो जायेंगे।

विश्राम-गृहों और डाक बंगलों में पर्यटकों की सुख-सुविधा के लिये हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने बिस्तर, तौलिया वगैरह, रसोई के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, भीतर खेले जाने वाले खेल, रेडियो, दूरबीन, लॉन के छाते और छोटे पुस्तकालयों आदि की व्यवस्था की है। जहां जगह की कमी है प्रशासन द्वारा कुटीर-तम्बुओं (कॉटेज-टेंट) का भी प्रबन्ध किया गया है।

केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद्

१३१०. श्री पद्म देव : क्या स्वास्थ्य मंत्री १० फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त उपसमितियों के कौन-कौन सदस्य हैं;

(ख) क्या इन समितियों को जो काम सौंपा गया था, वह उन्हों ने पूरा कर लिया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट की प्रतियाँ सभा-पटल पर रखी जायेंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो वे अपना काम कब तक समाप्त करेंगी ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) उपसमितियों के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :

(१) साहित्यिक अनुसंधान

१. डा० पी० एम० मेहता
२. कविराज अनाथ नाथ राय
३. पं० राम प्रसाद शर्मा
४. डा० एम० वी० वेंकटराघवन

†मूल अंग्रेज़ी में

(२) क्लिनिकी अनुसंधान

१. डा० सी० जी० पण्डित
२. डा० कालादि के० परमेश्वरन् पिल्लै
३. डा० एम० वी० वेंकटराघवन
४. वैद्य बी० वी० गोखले

(३) भेषजिकीय अनुसंधान तथा आयुर्वेदिक भेषज संहिता का निर्माण

१. श्री ए० एन० नामजोशी
२. श्री डी० ए० कुलकर्णी
३. वैद्य बी० वी० गोखले
४. डा० एम० वी० वेंकटराघवन

(४) औषधीय पौधों का सर्वेक्षण

१. श्री ए० एन० नामजोशी
२. श्री डी० ए० कुलकर्णी
३. पं० राम प्रसाद शर्मा
४. डा० एम० वी० वेंकटराघवन

(५) मौलिक सिद्धांतों में अनुसंधान

१. श्री ए० एन० नामजोशी
२. डा० एम० वी० वेंकटराघवन
३. श्री डी० ए० कुलकर्णी
४. पं० राम प्रसाद शर्मा

(६) विषयवार पाठ्य पुस्तकें

१. डा० पी० एम० मेहता
२. पं० राम प्रसाद शर्मा
३. वैद्य बी० वी० गोखले
४. डा० एम० वी० वेंकटराघवन

(७) आयुर्वेदिक अनुसंधान का केन्द्रीय पत्र

१. डा० एम० वी० वेंकटराघवन
२. श्री ए० एन० नामजोशी
३. श्री डी० ए० कुलकर्णी
४. डा० पी० एम० मेहता
५. पं० राम पसाद शर्मा

इनके अतिरिक्त आयुर्वेदिक चिकित्सकों के अध्ययन की एक सम पाठचर्या तथा स्तर निर्धारित करने के लिये आयुर्वेदिक शिक्षा पर निम्नलिखित सदस्यों की एक दूसरी उपसमिति बनाई गई थी :--

१. श्री डी० ए० कुलकर्णी
२. वैद्य बी० वी० गोखले
३. पं० राम प्रसाद शर्मा
४. डा० कालादि के० परमेश्वरन् पिल्लै
५. डा० एम० वी० वेंकटराघवन
६. कविराज अनाथ नाथ राय

केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद् के सदस्य-सचिव डा० सी० द्वारकानाथ इन सब उपसमितियों के संयोजक हैं । आवश्यकता पड़ने पर इन उपसमितियों को अतिरिक्त सदस्य चुनने का अधिकार हैं ।

(ख) उपर्युक्त तीसरी और चौथी उपसमितियों के अलावा सभी उपसमितियों की बैठकें हो चुकी हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्टें दे दी हैं ।

(ग) इससे पूर्व कि उपसमितियों की रिपोर्टों पर कोई कार्यवाही की जाये वे केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद् के सामने रखनी पड़ेंगी ।

(घ) भैषजिकीय अनुसंधान तथा औषधीय पौदों के सर्वेक्षण की उपसमितियों की बैठके निकट भविष्य में होने की आशा है ।

टेलीफोन के बिल

†१३११. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २० नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १७९ के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन विभाग द्वारा ज्यादा बिल लेने के कितने मामलों की सूचना सरकार को १९५९ में दी गयी ;

(ख) उन में से कितने मामलों में जाँच की गयी; और

(ग) क्या परिणाम निकला ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** : (क) वर्ष १९५८-५९ में, संपूर्ण विभाग के टेलीफोन बिलों के बारे में शिकायतों की कुल संख्या १२,६२० थी (देखिये डाक और तार वार्षिक रिपोर्ट, १९५८-५९ के पृष्ठ ११४-११५ पर परिशिष्ट ३५) । वर्ष १९५९-६० के लिए इसी तरह की जानकारी एकत्र की जा रही है और विभाग की उस वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में यथासमय प्रकाशित की जायगी और उसकी प्रतियाँ सदा की भांति संसद् की दोनों सभाओं को दे दी जायेंगी ।

(ख) प्राय: सभी शिकायतों की जाँच की गयी थी ।

(ग) अधिकतर मामलों में शिकायतों का कारण यह था कि शिकायत करने वाले ने अपनी टेलीफोन-वार्ताओं का ठीक-ठीक हिसाब नहीं रखा था । कुछ मामलों में शिकायतों की वजह यह थी :—

(१) प्रारम्भिक अभिलेख या बिल तैयार करने में लिपिक अशुद्धि; और

(२) स्थानीय वार्ताओं को दर्ज करने वाले मीटर में दोष ।

संशोधित बिल भेजने या मीटरों में दोष दूर करने के लिए, जहाँ कहीं आवश्यक हो, कार्यवाही की जा रही है ।

पंजाब में उर्वरकों का दिया जाना

†१३१२. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बलजीत सिंह : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष १९५९-६० में **पंजाब** को कितना रसायनिक उर्वरक देने का निश्चय किया था; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उसी अवधि में उस राज्य को कितनी मात्रा दी गयी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). १९५९-६० में पंजाब राज्य के लिए नाइट्रोजनस उर्वरक की निम्नलिखित मात्राएं नियत की गयी थीं और दी गयीं :—

(लम्बे टनों में आंकड़े)

उर्वरक का नाम	नियत की गयी मात्रा	दी गयी मात्रा
सल्फेट अमोनिया	७,२००	७,२००
कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट	१५,५००	१५,५००

पंजाब में चीनी का उत्पादन

†**१३१३. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि इस वर्ष पंजाब की मिलों में चीनी का उत्पादन कम हुआ है ;

(ख) क्या इसका कारण यह है कि पंजाब में पैदा किये गये गन्ने में ही कुछ भीतरी खराबी है;

(ग) क्या चीनी के कम उत्पादन के कारण मालूम करने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं; और

(घ) गत वर्ष उसी अवधि की तुलना में इस वर्ष अब तक औसतन उत्पादन क्या रहा ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : जी नहीं। गत वर्ष की तुलना में १९५९-६० के मौसम में उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(घ) १९५८-५९ मौसम मे ८.५८ प्रतिशत की तुलना में १९५९-६० में ९.१४ प्रतिशत।

अस्पतालों में क्षय रोगियों के लिए स्थान

†**१३१४. श्री रामी रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी योजना अवधि में अस्पतालों के क्षय रोगियों के लिए कितने स्थान और बढ़ाने का विचार है;

(ख) तब उन की संख्या संभवतः कितनी हो जायेगी; और

(ग) कमी के क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से माँगी गयी है और वह प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कलकत्ते में लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी के लिए भवन

†**१३१५. श्री पांगरकर**: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २८ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १४९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ते में आल इंडिया इंस्टिट्यूट आफ हाईजीन एण्ड पब्लिक हेल्थ में लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी के लिये भवन निर्माण के बारे में टेक्नीकल मंजूरी इस बीच जारी कर दी गई है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** अभी नहीं। खर्च के लिये मंजूरी ८ अप्रैल, १९६० को दी गई थी और टेक्नीकल मंजूरी बहुत जल्द ही जारी कर दी जायेगी।

यमुना में गन्दगी का गिरना

†**१३१६. श्री पांगरकर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १५ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि यमुना नदी में गन्दगी गिरने की रोकथाम करने के लिये क्या आवश्यक निर्माण कार्य इस बीच पूरे किये जा चुके हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : यमुना नदी में गन्दगी का गिरना रोकने के लिये किये जाने वाले निर्माण कार्य और उन की वर्तमान स्थिति दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८९]**

दिल्ली में विकास खण्ड

१३१७. श्री नवल प्रभाकर : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में दिल्ली के पांच विकास खंडों में कितनी गलियां पक्की बनाई गईं ;

(ख) इसी अवधि में कितने सामुदायिक केन्द्र खोले गये ;

(ग) लोगों ने उस में क्या अंशदान दिया ; और

(घ) सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता दी ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) ८५,४७० वर्ग गज़ गलियां पक्की बनाई गईं।

(ख) से (घ). १९५९-६० के दौरान में ६९,५१० रुपये की लागत से, १२ नये सामुदायिक केन्द्र बनाये गये और ३ की मुरम्मत की गई। यह रुपया आधा जनता ने दिया था और आधा सरकार ने।

दिल्ली में महिलाओं को फल परिरक्षण का प्रशिक्षण

१३१८, श्री नवल प्रभाकर : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में महिलाओं को फल परिरक्षण का प्रशिक्षण दिया जाता है ;

(ख) प्रशिक्षण की अवधि क्या है ; और

(ग) प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षणार्थियों के प्रवेश सम्बन्धी नियम क्या हैं ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा) : (क) जी हां।

(ख) छः हफ्ते।

(ग) विकास खंडों में कोर्स का प्रवेश उन गृहणियों/लड़कियों तक सीमित है जोकि पढ़ी लिखी हैं और १६ वर्ष से अधिक आयु की हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में पशुओं के चलते फिरते अस्पताल

१३१९. श्री नवल प्रभाकर : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पशुओं के उपचार के लिये कितने चलते-फिरते हस्पताल हैं; और

(ख) दिल्ली के कितने गांव इन हस्पतालों से लाभ उठा रहे हैं ; ?

कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) : (क) चार ।

(ख) २९८ ।

रासायनिक उर्वरक

†१३२०. श्री वासुदेवन् नायर :
श्री नागी रेड्डी :
श्री वें० प० नायर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेहूं, धान, पटसन और गन्ने जैसी महत्वपूर्ण फसलों के लिये भारत में अभी प्रति एकड़ कितने रासायनिक उर्वरक की खपत है ; और

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से रासायनिक उर्वरक की प्रति एकड़ खपत कितनी बढ़ गई है ?

†कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमख) : (क) और (ख) प्रत्येक फसल के लिये उर्वरकों की खपत के सम्बन्ध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

चंडीगढ़ में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

†१३२१. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब की राजधानी में स्थित टेलीफोन एक्सचेंज में स्वचालित पद्धति चालू करने के लिये किसी प्रस्ताव पर विचार हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख तक ; और

(ग) क्या उसे और बढ़ाना संभव नहीं है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) अभी स्थान चुनने के प्रश्न पर विचार हो रहा है । ज्यों ही उस प्रश्न का निबटारा हो जायेगा, निर्माण और स्थापना का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जायेगा ।

देश में तापमान का रूप[1]

†१३२२. श्री विभूति मिश्र : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो साल में, देश में तापमान का रूप बदल गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Temperature pattern of the country.

(ख.) क्या यह परिवर्तन पेड़ और जंगल काट देने के कारण हुआ है ; और

(ग.) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क.) देश में तापमान के रूप में कोई सामान्य परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(ख.) और (ग.). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पत्रिकाओं और पुस्तकों के बन्डलों की चोरी

†१३२३. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क.) क्या यह सच है कि अभी हाल में डाक विभाग को सामान्य जनता से, खासकर पुस्तक-विक्रेताओं से, इस आशय की काफी शिकायतें प्राप्त हुई है कि उन के नाम की पत्रिकायें और किताबों के बंडल चोरी हो जाते हैं ; और

(ख.) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई या की जाने वाली है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)**: (क) और (ख.). जी नहीं । वास्तव में अभी कुछ समय पहले पत्रिकाओं की चोरी की शिकायतों में काफी कमी दिखाई पड़ी है । विशेष धरपकड़ करने और विशेष आन्दोलन संगठित किये जाने के कारण यह परिणाम दिखाई पड़ा है ।

ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां

†१३२४. **श्री सै० अ० मेहदी** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क.) औद्योगिक अग्रिम परियोजनाओ के अध्ययन दल ने जैसी सिफारिश की है उस के अनुसार क्या ग्रामीग औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का कोई कार्यक्रम है ; और

(ख.) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)**: (क.) और (ख.). जी हां । श्रीनगर में जून, १९६० में आयोजित सामुदायिक विकास सम्बन्धी वार्षिक सम्मेलन ने सिफारिश की है कि तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में प्रत्येक जिले में एक एक ग्रामीग औद्योगिक बस्ती बनाई जाये । इस योजना के अन्तिम रूप और उस के ब्यौरे पर विचार हो रहा है ।

कनाट प्लेस में पटरियों पर बैठने वाले

†१३२५. **श्री दी चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क.) क्या कैनाट प्लेस में सड़क की पटरियों पर बैठने वालों के व्यापार को रोकने के लिये कोई कार्यवाहो की गई है ; और

(ख.) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी मे

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख) कैनाट प्लेस और कैनाट सर्कस के बरामदों और गलियारों को नई दिल्ली नगरपालिका ने सार्वजनिक सड़क घोषित कर दिया है। समिति ने जुलाई, १९५९ में पटरियों पर बैठने वालों और दुकानें लगाने वालों का माल हटा कर उन्हें वहां से हटाने का कार्यवाही की गई थी और उन में से १०० व्यक्तियों ने निषेधाज्ञा प्राप्त की और उस विषय में आगे कार्यवाही रोक दी गई है। वे मामले अभी भी न्यायालय में पड़े हुए हैं।

बीकानेर डिवीजन में टेलीफोन

१३२६. **श्री प० ला० बारुपाल :**
श्री र० चं० व्यास :
श्री दीनबन्धु परमार :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीकानेर डिवीज़न में नये टेलीफ़ोन लगाने के लिये कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ;

(ख) वे आवेदन-पत्र किन-किन शहरों से प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) वहां टेलीफ़ोन न लगाने के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन) : (क) ३९७।

(ख) बीकानेर, हनुमानगढ़, रायसिंहनगर, सांगरिया, श्रीगंगानगर, सरदारशहर, भादरा, तलआवर, डीडवाना, एलेनाबाद, लाडनूं, नोहर, पदुमपुर, सादुलपुर, सूरतगढ़ तथा नोखा।

(ग) टेलीफोन केन्द्र की क्षमता तथा सामान-प्राप्ति के अनुसार मांगे पूरी की जा रही हैं।

भारत में बिजली का उत्पादन

†१३२७. **श्री रामी रेड्डी :**
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री खुशवक्त राय :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बिजली के उत्पादन के लिये संयंत्रों की वर्तमान क्षमता कितनी है ;

(ख) वास्तव में कितनी बिजली तैयार की जाती है ; और

(ग) कितनी बिजली वास्तव में काम में लाई जाती है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) ३१–३–१९६० को सरकारी बिजली सप्लाई संयंत्रों की संस्थापित क्षमता ३८.८ लाख किलोवाट थी।

(ख) १९५९-६० में १५,०० करोड़ किलोवाट घण्टा।

(ग) १९५९-६० में १२,०० करोड़ किलोवाटण्टा।

---

†मूल अंग्रेजी में

बरलंगपुर के पास गाड़ी का लाइन से उतर जाना

†१३२८. **श्रीमती मफीदा ग्रहमद** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३० मई, १९६० को पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के मरियानी लुंडिग सेक्शन के लंगछोलियेट और बरलंगपुर स्टेशनों के बीच मालगाड़ी लाइन से उतर गयी;

(ख) यदि हां, तो कितने डिब्बे चकनाचूर हो गये; और

(ग) कितनी हानि हुई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख) २९ मई, १९६० को (३० मई, १९६० को नहीं) जब ८१२ डाउन मालगाड़ी पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के मरियानी-लुंबडिंग सेक्शन के लंगछोलियेट और बरलंगपुर स्टेशनों के बीच चल रही थी तब गाड़ी के ११ डिब्बे लाइन से उतर गये जिनमें से ५ डिब्बे चकनाचूर भी हुए ।

(ख) इस दुर्घटना के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई । अनुमान है कि रेलवे सम्पत्ति को केवल लगभग ४ हजार रुपये का नुकसान हुआ ।

दन्त चिकित्सालय

†१३२९. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री कोडियान :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०–६१ में देश के विभिन्न जिला-अस्पतालों में दन्त-चिकित्सालय खोलने का विचार है;

(ख) क्या यह सच है कि पंजाब राज्य में कोई दन्त चिकित्सालय नहीं खोला जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) दूसरी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में कुल कितने दन्त-चिकित्सालय खोलने की मंजूरी दी गयी है ;

(ङ) इन में कितने खोले जा चुके हैं ; और

(च) पंजाब में कितने दन्त-चिकित्सालय खोले गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) १९६०–६१ में देश के विभिन्न जिला अस्पतालों में ४६ दन्त-चिकित्सालय खोलने की मंजूरी दी गयी है;

(ख) जी हां ।

(ग) राज्य सरकार का १९६०–६१ में कोई दन्त चिकित्सालय खोलने का विचार नहीं है ? क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में सात दन्त चिकित्सालय खोलने का उनका लक्ष्य पूरा हो चुका है ।

(घ) १५३ ।

(ङ) ७५ ।

(च) ७ ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दक्षिण रेलवे में भर्ती

†१३३०. **श्री मोहम्मद इमाम** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ और १९५९–६० में दक्षिण रेलवे में रेलवे सेवा आयोग द्वारा कितने कर्मचारी भर्ती किए गये; और

(ख) इनमें से कितने लोग मैसूर, मद्रास और आन्ध्र प्रदेश से नियुक्त किये गये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) क्रमशः २२३९ और ४६०।

(ख) मांगी गयी जानकारी देना सम्भव नहीं है क्योंकि भर्ती के राज्य-वार आंकड़े नहीं बनाये जाते ।

मैड्रिड में विश्व विद्युत् सम्मेलन

†१३३१. **श्री रघुनाथसिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैड्रि (स्पेन) में ५ से ९ जून, १९६० तक विश्व विद्युत् सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत सहित ४८ देशों ने भाग लिया; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन का क्या परिणाम निकला ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) मैड्रि (स्पेन) में ५ से ९ जून, १९६० तक विश्व विद्युत् सम्मेलन की एक विभागीय बैठक हुई । बैठक में भारत सहित ५९ देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए ।

(ख) बैठक में चर्चा का मुख्य विषय था—'बिजली की कमी की समस्या को हल करने के उपाय ।' इस विषय पर निम्नलिखित पांच पहलुओं से चर्चा की गयी :—

(एक) विद्युत् संसाधनों और आवश्यकताओं की जांच के तरीके ।

(दो) दक्षतापूर्वक उत्पादन और बिजली का प्रयोग ।

(तीन) परिवहन में टेक्निकल विकास ।

(चार) औद्योगिक पैमाने पर आणविक भट्टियों की स्थापना ।

(पांच) विद्युत्-उत्पादन के रूढ़िगत और आणविक तरीकों में कार्यात्मक अन्तर्सम्बन्ध ।

प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया और टेक्निकल जानकारी और अनुभव के आदान-प्रदान से लाभ उठाया ।

रेलवे पर पुस्तकों की दुकानें

†१३३२. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बुक-स्टालों पर बिकने वाली पुस्तकों की सूचियां तैयार करने के लिये हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं सम्बन्धी तदर्थ समिति ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है और सूचियां पेश कर दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो कौन कौन सी किताबें चुनी गयी हैं; और

(ग) क्या ये किताबें रेलवे बुक-स्टालों पर मिल सकती हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) अंग्रेजी, हिन्दी तामिल, तेलगू, कन्नड, मलयालम, मराठी, उड़िया, बंगाली, पंजाबी और उर्दू की उत्तम पुस्तकों के बारे में सिफारिश करने के लिये नियुक्त की गयी तदर्थ समितियों ने अपनी सूचियां पेश कर दी हैं।

(ख) विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया—देखिये संख्या एल० टी०—२३१६/६०]**

(ग) इनमें से कई पुस्तकें तो रेलवे बुक-स्टालों पर पहले से ही मिलती हैं और शेष के लिये रेलवे प्रशासन को हिदायत दी गयी है कि वे यथाशीघ्र बुक-स्टालों पर उन किताबों के मिलने का प्रबन्ध करें।

कलकत्ता पत्तन पर तल कर्षण-यंत्र

†१३३३. **श्री प्र० के० देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन के आयुक्त ने 'एटनी' नामक एक तलकर्षण-यन्त्र खरीदा है;

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या कीमत दी गयी है;

(ग) क्या यह यन्त्र नया है अथवा पुराना;

(घ) क्या इस यन्त्र की सप्लाई के लिये विश्व भर से टैंडर मांगे गये थे; और

(ङ) इस यन्त्र की कार्य-क्षमता कितनी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां। तल कर्षण-यन्त्र का नाम 'मेटनी' है।

(ख) ४,००,००० पौंड।

(ग) यह यन्त्र पुराना है।

(घ) पुराने यन्त्र को खरीदने के लिये विश्व भर से टैंडर मांगे गये थे।

(ङ) इस यन्त्र की क्षमता १७०० टन मलबा उठाने की है।

केन्द्रीय अध्ययन तथा अनुसन्धान संस्था

†१३३४. { **श्री प्रभुबोध हंसदा** :
श्री रा० च० माझी :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुदायिक विकास सम्बन्धीं अध्ययन तथा अनुसन्धान की केन्द्रीय संस्था की अनुसन्धान शाखा की स्थापना की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस शाखा में पर्याप्त कर्मचारी हैं;

(ग) क्या अनुसन्धान-कार्य शुरू हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार का अनुसन्धान किया जा रहा है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)** :(क) जी हां।

(ख) अभी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी हां ।

(घ) सामुदायिक विकास तथा अन्य सम्बन्धित कार्यों सम्बन्धी, जिनमें पंचायत राज संस्थाओं का कार्य भी शामिल है, समस्याओं का अध्ययन ।

बृहद् कलकत्ता के लिये पानी की सप्लाई

†१३३५. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बृहद् कलकत्ता के लिये जल सम्भरण संसाधनों का सर्वेक्षण करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोई विशेष धन-राशि निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो यह कितनी है; और

(ग) सर्वेक्षण-कार्य कब शुरू होगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** :(क) और (ख). जी हां । संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि की प्रबन्ध परिषद् ने कलकत्ता जल संभरण परियोजना के लिये संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि से ३२४,१०० डालर तक सहायता देना मंजूर किया है ।

(ग) काम शुरू हो चुका है ।

जनगांव में रेल का ऊपरी पुल

†१३३६. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **रेलवे** मन्त्री १ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश में जनगांव नामक स्थान पर ऊपरी पुल के निर्माण में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें रामस्वामी)** : आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जनगांव स्टेशन के निकट मौजूदा लैवल-क्रांसिंग के स्थान पर ऊपरी पुल के निर्माण का विचार छोड़ दिया है, किन्तु वह पैदल चलने वालों के इस्तेमाल के लिये एक ऊपरी पुल बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं ।

नागपुर त्रिवेन्द्रम रात्रिकालीन हवाई डाक सेवा

†१३३७. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर और त्रिवेन्द्रम को बरास्ता बेगमपेट और बंगलौर रात्रिकालीन हवाई डाक सेवा द्वारा जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

टेलीफोन के कनेक्शन

†१३३८. { **श्री दलजीत सिंह** :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक और तार विभाग के पंजाब मंडल में १९६०-६१ में कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गये; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) नये कनेक्शनों के लिये अभी कितने आवेदन पत्रों पर विचार किया जा रहा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** : (क) ७४० ।

(ख) ६९७९ ।

पालाकोल सहकारी चीनी कारखाना

†**१३३९. श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री २६ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २५७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक वित्त निगम ने इस बीच पालाकोल सहकारी चीनी कारखाने द्वारा ७५ लाख रुपये के ऋण के लिये दिये गये आवेदन पत्र पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)** : (क) जी, हां ।

(ख) औद्योगिक वित्त निगम ने ७५ लाख रुपये का ऋण देने की मंजूरी दे दी है ।

दक्षिणेश्वर में अखिल भारतीय कृषि मेला

१३४०. डा० राम सुभग सिंह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में दक्षिणेश्वर के स्थान पर इस वर्ष खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की सहायता से एक अखिल भारतीय कृषि मेला लगाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह मेला कब लगाया जायेगा; और

(ग) इस मेले के लिये भारत सरकार का कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

कृषि मंत्री (डा० प० शा० देशमुख) : (क) इस वर्ष के अन्त में पश्चिम बंगाल के दक्षिणेश्वर में भारत कृषक समाज एक अखिल भारतीय कृषि मेला लगाने का प्रयत्न कर रहा है । लेकिन यह खाद्य और कृषि मन्त्रालय के सहयोग से नहीं किया जा रहा है । फिर भी समाज ने मन्त्रालय से इस मेले में भाग लेने की प्रार्थना ही है ।

(ख) यह मेला ११-१२-६० से ३१-१-१९६१ तक होना है ।

(ग) अभी तक भारत सरकार से कोई भी सहायता नहीं मांगी है ।

हिमाचल प्रदेश के जिला परिवहन बोर्ड

१३४१. { श्री नेकराम नेगी :
श्री बसुमतारी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश प्रशासन के अधीन जिला परिवहन बोर्ड बनाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन जिलों में ये बोर्ड बनाये गये हैं और कब से; और

(ग) इन बोर्डों के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). सवाल ही नहीं पैदा होता।

राष्ट्रीय राजपथों पर पुल

†१३४२. **श्री कालिका सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित पुलों का निर्माण अथवा उनके निर्माण के सम्बन्ध में नक्शे आदि बनाने का कार्य किस प्रक्रम पर है :—

(एक) लखनऊ-गोरखपुर राजपथ पर रापती पर बिर्दघाट

(दो) लखनऊ-गोरखपुर राजपथ पर अयोध्या के पास सरजू पर पुल

(तीन) गोरखपुर—वाराणसी राजपथ पर रापती पर पुल

(चार) गोरखपुर-वाराणसी राजपथ पर दोहरीघाट के निकट घाघरा पर पुल

(पांच) गोरखपुर-वाराणसी राजपथ पर गोमती पर मोहनघाट के पास पुल

(ख) इन पुलों के निर्माण का क्या कार्यक्रम है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख)—(एक) और (तीन) गोरखपुर के निकट रापती पुल का, जो गोरखपुर-लखनऊ सड़क (राष्ट्रीय राजपथ संख्या २८) और गोरखपुर-वाराणसी सड़क (राष्ट्रीय राजपथ संख्या २९) दोनों के काम आयेगा, निर्माण हो रहा है। जून, १९६० तक ४३ प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका था और १८.४५ लाख रुपया व्यय हुआ था जबकि पूरे कार्य के लिये ४१.४३ लाख रुपये की मंजूरी दी हुई है। पुल के जून, १९६१ तक पूरे होने की सम्भावना है।

(दो) 'अयोध्या के निकट घाघरा नदी पर पुल के निर्माण' के लिये मंजूरी मिलने की सम्भावना में उत्तर प्रदेश के मुख्य इंजीनियर को जनवरी में टैंडर मांगने का अधिकार दिया गया था। पुल के लिये टैंडर आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्य इंजीनियर के कार्यालय में उनकी जांच की जा रही है। न्यूनतम टैंडर के स्वीकार होने के पश्चात् काम शुरू किया जायेगा और आशा है कि लगभग तीन वर्षों में समाप्त हो जायेगा।

(चार) और (पांच) गोरखपुर-वाराणसी राजपथ पर घाघरा नदी पर दोहरीघाट पर और गोमती नदी पर मोहनघाट के निकट पुल बनाने के कार्य को रुपये की कमी के कारण उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथों के विकास की पुनरीक्षित दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया।

सहकारी समितियां

†१३४३. **श्री कालिका सिंह** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की कितनी कितनी सहकारी समितितियां हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, क्या वे पूरे हो गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति)**: (क) ३० जून, १९५९ तक की स्थिति की सूचना देने वाला विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट** २, अनुबन्ध **संख्या ९०**]।

(ख) केवल विपणन समितियों और प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों के सम्बन्ध में लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और वे पूरे हो गये हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

डाक में देरी

१३४४. श्री भक्त दर्शन: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि हिन्दी-भाषी राज्यों में भी जिन पत्रों पर हिन्दी में पते लिखे होते हैं वे या तो प्रेषकों को लौटा दिये जाते हैं या बहुत देर के पश्चात् अभीष्ट स्थान पर पहुंचते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन): (क) ऐसी किसी शिकायत की ओर सरकार का ध्यान नहीं दिलाया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मत्स्य पालन

†**१३४५. श्री प्र० के० देव**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिट्यूइटरी ग्रन्थियों के रस के टीकों से खड़े पानी में मछलियों का प्रजनन किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो इसका प्रयोग कहां किया गया है और इसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) प्रजनन के इस तरीके से संसेचन[1] और निर्गमन[2] कितने प्रतिशत होता है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वे० कृष्णप्पा)**: (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्यपालन अनुसन्धान केन्द्र के कटक स्थित जलाशय-पालन उपकेन्द्र में १९५७ में पहली बार मछलियों के कृत्रिम प्रजनन का सफल प्रयोग किया गया। इसके पश्चात् महाराष्ट्र, मैसूर, मद्रास, बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्र में इसके सफल प्रयोग किये गये हैं।

(ग) संसेचन और निर्गमन का प्रतिशत कई बातों पर निर्भर होता है। सर्वोत्तम परिस्थितियों में ९० प्रतिशत संसेचन और १०० प्रतिशत तक निर्गमन किया जा सका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Fertilization.

[2]Hatching.

टलीफोन एक्सचेंज, जम्मू

†१३४६ **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि जम्मू टेलीफोन एक्सचेंज में दोषपूर्ण और पुराने यन्त्रों के कारण बहुत से टेलीफोन कनेक्शन खराब रहते हैं और ठीक तरह से काम नहीं करते;

(ख) यदि हाँ, तो क्या नये यन्त्र लगाने अथवा पुरानी मशीनों को ठीक करवाने का कोई विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस कार्य को कब हाथ में लिया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन) :** (क) जम्मू में साज सामान के कारण कोई असाधारण खराबी नहीं हुई ।

(ख) अभी हाल ही में ७०० लाइनों वाला एक नया यन्त्र लगाया गया है, जबकि कुल कनेक्शन ४९३ हैं ।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय केन्द्रीय रूई समिति

†१३४७. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय केन्द्रीय रूई समिति द्वारा पिछले दस वर्ष में देश के विभिन्न भागों में कुल कितनी और किस्म की अनुसन्धान परियोजनाएं शुरू की गयीं अथवा उनके लिये वित्तीय सहायता दी गयी; और

(ख) देश भर में विभिन्न अनुसन्धान संस्थाओं और संगठनों द्वारा किये जा रहे अनुसन्धान कार्य में तालमेल के लिये भारतीय केन्द्रीय रूई समिति ने क्या कदम उठाये हैं ?

† **कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९१]**

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों के डाक्टरों की बदलियां

†१३४८. **श्री राम गरीब :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों के कई डाक्टरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल दिया जाता है किन्तु उन्हें अपने कार्य-स्थान के निकट निवास स्थान नहीं दिया जाता; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार, योजना से लाभ उठाने वाले लोगों के हित को देखते हुए, डाक्टरों की बदलियों पर प्रतिबन्ध लगाने का है ताकि वे लोग समय कुसमय डाक्टरों की सेवाओं का लाभ उठा सकें ?

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). जब अंशदायी स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों के डाक्टरों की बदली की जाती है तो औषधालय के निकट आवास-स्थान होने की आवश्यकता को हमेशा ध्यान में रखा जाता है और इस बात को देखते हुए परिवर्तन कर दिया जाता है। छुट्टी, तरक्की, पद-त्याग और प्रत्यायोजन के कारण एक औषधालय से डाक्टरों का दूसरे औषधालय को स्थानान्तरण किसी सीमा तक अपरिहार्य है। किन्तु इस योजना की आवश्यकताओं के अनुसार डाक्टरों का स्थानान्तरण, जहाँ तक हो सके, कम ही किया जाता है।

स्पिती घाटी में डाक सुविधाएं

†१३४९. **श्री हेम राज** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पंजाब के पोस्ट मास्टर जनरल से स्पिती घाटी के काजा और लारा नामक स्थानों पर बेतार-प्रणाली द्वारा डाक-सुविधाओं की व्यवस्था करने और काजा में एक उप-कार्यालय खोलने का अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, यह प्रस्थापना उन्हें कब मिली थी और इस बारे में क्या निश्चय किया गया है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) (एक) जी हां, बेतार के तार सम्बन्धी सुविधाओं के लिये।

(दो) जी नहीं, काजा में उप-कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(ख) बेतार के तारों सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने की प्रस्थापना २० फरवरी, १९६० को मिली थी। पंजाब सरकार को किराये और गारण्टी सम्बन्धी आँकड़े भेज दिये गये हैं और उनके जवाब की प्रतीक्षा की जा रही है।

वनस्पति उत्पादन

†१३५०. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में इस समय वनस्पति उत्पादन करने वाले कितने कारखाने हैं?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : भारत में आजकल ४३ कारखानों में वनस्पति का उत्पादन हो रहा है।

चीनी और वनस्पति

†१३५१. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक सेर चीनी का वास्तविक उत्पादन-मूल्य कितना है;

(ख) एक पौंड वनस्पति का वास्तविक उत्पादन-मूल्य कितना है; और

(ग) इन दोनों चीजों में से प्रत्येक पर कितने कर और शुल्क लगाये जाते हैं?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) चीनी का उत्पादन मूल्य वर्ष वर्ष में इलाके इलाके में और एक ही इलाके के विभिन्न कारखानों में अलग अलग होता है। यह वसूली और

†मूल अंग्रेज़ी में

मौसम की लम्बाई पर निर्भर होता है । उत्तर प्रदेश और बिहार के नियंत्रित भागों में कारखानों में औसत लागत (उत्पादन-शुल्क और करों को छोड़ कर), जिसके आधार पर चीनी का मौजूदा नियंत्रित मूल्य ३७.८५ रु० निश्चित किया गया है; ६३ न० पै० प्रति सेर है।

(ख) यह मुख्यतः कच्चे तेलों के मूल्य पर निर्भर होता है, जो कि लागत का ८५ प्रतिशत भाग है । कच्चे तेलों का मूल्य दिन प्रतिदिन और इलाके इलाके में बदलत रहता है । कच्चे तेलों के अतिरिक्त, उत्पादन मूल्य में तैयार करने के व्यय और टीन के डिब्बों की लागत भी शामिल होती है । उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार १७–८–१९६० को बम्बई में विभिन्न प्रकार के डिब्बों में बन्द एक पौंड वनस्पति का उत्पादन मूल्य, उत्पादन-शुल्क और बिक्री कर को छोड़ कर, निम्नलिखित है :—

डिब्बों का आकार . . .	३६ पौंड	१० पौंड	५ पौंड	२ पौंड	१ पौंड
कारखानों में एक पौंड का उत्पादन मूल्य (उत्पादन शुल्क और बिक्री कर को छोड़ कर)	१.६	१.२१	१.२८	१.३०	१.३३

(ग) **चीनी।**

उत्पादन शुल्क .	एक हंडरवेट चीनी पर १४.५६ रु० ।
गन्ना उपकर .	उत्तर प्रदेश में और बिहार में एक मन गन्ने पर १६ न० पै० । विभिन्न राज्यों म उपकर का दर भिन्न हैं ।

वनस्पति

उत्पादन-शुल्क	एक टन पर १७५.०० रु०, किन्तु किसी कारखाने द्वारा उत्पादित पहले ३००० टनों पर कुछ छूट दी जाती है ।
बिक्री कर	विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न दरें हैं ।

हावड़ा और सियालदह पर टिकटों की बिक्री

†१३५२. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हावड़ा और सियालदह स्टेशनों पर सामान्यतः प्रति सप्ताह कितने टिकट बेचे जाते हैं; और

(ख) ११ जुलाई से १७ जुलाई, १९६० तक की अवधि में उक्त स्टेशनों पर कितने टिकट बेचे गये ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :

(क)	हावड़ा	.२,२८,०००
	सियालदह	. १,७२,०००
(ख)	हावड़ा .	. ४७,०००
	सियालदह .	. २५,०००

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिम रेलवे के स्टेशनों पर दिया जाने वाला भोजन

†१३५३. **श्री मो० वें० ब० ठाकुर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पर खराब भोजन देने और कम तोलने के विरुद्ध भारत सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) उसकी मात्रा और किस्म को सुधारने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). इस बारे में कुछ शिकायतें आयी थीं और अपेक्षित सुधार के लिये उचित कार्यवाही कर दी गयी है। रेलवे पर भोजन संस्थानों में अपेक्षित स्तर बनाये रखने के लिये पश्चिम रेलवे प्रशासन द्वारा निरन्तर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है।

ग्राम्य स्कूल अध्यापकों का प्रशिक्षण

†१३५४. **श्री राम शरण** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम्य स्कूल अध्यापकों के प्रशिक्षण[1] की योजना द्वारा अब तक कितनी प्रगति की गयी है और इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार योजना को चालू रखना चाहती है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) और (ख). इस योजना के अधीन लगभग ७००० अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया है और अब यह १ अगस्त, १९६० से बन्द कर दी गयी है।

योजना की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :

(१) यह प्रशिक्षण जगह जगह भ्रमण करने वाले दलों द्वारा दिया गया जिसमें दो प्रशिक्षक होते थे--एक जिला समाज कल्याण संगठनकर्ता अथवा मुख्य समाज कल्याण संगठनकर्ता की श्रेणी का और दूसरा समाज कल्याण संगठनकर्ता की श्रेणी का। प्रशिक्षण एक मास की अवधि के कैम्पों में दिया जाता था जहाँ लगभग ५० प्राइमरी ग्राम्य स्कूल अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाना था।

(२) यह योजना वर्ष १९५७-५८ में चालू की गयी थी और प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने वाले अध्यापकों के वेतन को छोड़ कर सारा व्यय फोर्ड प्रतिष्ठान और भारत सरकार द्वारा दी गयी निधि में से किया जाता था। राज्य सरकारों को प्रशिक्षार्थी के रूप में शिविरों मे जाने वाले अध्यापकों को वेतन और भत्ते के अतिरिक्त और कुछ व्यय नहीं करना पड़ता था।

(३) बम्बई, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के तीन बड़े राज्यों को छोड़ कर जिनमें दो दल भेजे गये थे, सभी भूतपूर्व १४ राज्यों में तीन दल भेजे गये। संघ राज्य-क्षेत्रों के अध्यापकों को साथ के राज्यों में भ्रमणार्थी दल द्वारा आयोजित शिविरों के प्रशिक्षण दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Orientation training.

इस प्रशिक्षण की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इस को भ्रमणार्थी शिविरों द्वारा तदर्थ आधार पर चलाने के बजाय इस को प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का एक समेकित भाग बना दिया जाये। इस बारे में प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे का डिस्ट्रिक्ट सिगनल दूर-संचार इंजीनियरी कार्यालय[1]

†१३५५. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के डिस्ट्रिक्ट सिगनल दूर-संचार इंजीनियरी कार्यालय को गार्डन रीच, कलकत्ता से मध्य प्रदेश में किसी स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सुरेमनपुर-रावटी रेलवे लाइन

†१३५६. **श्री राधा मोहन सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी डिवीजन में सुरेमनपुर और रावटी स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन को टूटने से बचाने के लिये घाघरा नदी में जिन ठोकरों का निर्माण किया जा रहा था, वह अचानक रोक दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि घाघरा नदी के कारण रेलवे लाइन टूटने की घटनाओं में इस निर्माण कार्य के फलस्वरूप गत तीन वर्ष में काफी कमी हो गई थी ; और

(घ) निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) १९५७-५८ और १९५८-५९ के काम के मौसम में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कई पनालीदार ठोकरें[2] बनवाई थीं । इन ठोकरों का आधा खर्च राज्य सरकार और आधा रेल-प्रशासन ने दिया था । यद्यपि इन ठोकरों से नदी का कटाव पूरी तरह नहीं रुका, फिर भी कुछ हद तक कटाव में कमी हुई है ।

(घ) पूना के अनुसंधान केन्द्र ने इस बारे में मॉडल बना कर परीक्षण भी किये थे । इस केन्द्र ने अब यह सिफ़ारिश की है कि बचाव के दूसरे कामों के साथ-साथ वहां पत्थर की चार नयी ठोकरें बना दी जायें । अगले काम के मौसम में नयी ठोकरें बनाने का काम शुरू करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है । बचाव से सम्बन्धित इन कामों का भी आधा खर्च रेल-प्रशासन द्वारा दिया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]District Signal Tele-communication Engineering Office.

[2]Permeable Spurs.

मध्य प्रदेश में प्रयोगात्मक ग्रामीण डाकघर

१३५७. **श्री जांगड़े** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के मैदानों में कितने प्रयोगात्मक ग्रामीण डाकघर बन्द कर दिये गये हैं ;

(ख) गत पांच वर्षों में इसी क्षेत्र में कितने नय डाकघर खोले गये हैं ;

(ग) इन मैदानों में रायपुर, बिलासपुर, द्रुग और रायगढ़ के शहरों में टलीफोन एक्सचेंजों में नये टेलीफोन लगाने के लिये कितने आवेदन-पत्र अभी तक विचाराधीन हैं ; और

(घ) ये टेलीफोन कब तक लगाये जायेंगे ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० पं० सुब्बरायन) :

(क)	उत्तरी छत्तीसगढ़ के मैदान	७
	दक्षिणी छत्तीसगढ़ के मैदान	७
(ख)	उत्तरी छत्तीसगढ़ के मैदान	२३७
	दक्षिणी छत्तीसगढ़ के मैदान	१६१
(ग)	रायपुर	३५६
	बिलासपुर	१४६
	द्रुग	३४
	रायगढ़	७०

(घ) इन टेलीफोन केन्द्रों में टेलीफोन देने की पर्याप्त क्षमता उपलब्ध नहीं है । इन टेलीफोन केन्द्रों की क्षमता बढ़ाने के लिये कार्रवाई की जा चुकी है और जब आवश्यक साधन उपलब्ध होंगे संयोजन दे दिये जायेंगे । अतः कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा चलाये जा रहे स्कूल

†१३५८. **कुमारी मो० वेदकुमारी** :
श्री रामी रेड्डी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे कितने स्कूल चला रही है ;

(ख) उन में कुल कितने बच्चे पढ़ रहे हैं ;

(ग) इन स्कूलों में कितने अध्यापक नियोजित हैं ; और

(घ) शिक्षा के माध्यम के तौर पर कितनी भाषायें अपनाई गई हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** :

(क)	पुराने तरीके के स्कूल	३५
	एक अध्यापक वाले प्रायमरी स्कूल	६८
	कुल	१०३

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पुराने तरीके के स्कूल	१६,२१४
एक अध्यापक वाले प्रायमरी स्कूल	२,४८०
कुल	१८,६९४

(ग) पुराने तरीके के स्कूल	६२८
एक अध्यापक वाले प्रायमरी स्कूल	६८
कुल	६९६

(घ) छः भाषायें (हिन्दी, बंगाली, तेलुगु, उड़िया, उर्दू और अंग्रेजी)

कृषि सम्बन्धी प्रकाशन

†१३५९. कुमारी मो० वेदकुमारी: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और विस्तार निदेशालय कृषि सम्बन्धी कोई प्रकाशन निकालते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में उन की क्या संख्या है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा): (क) और (ख). जी, हां। एक विवरण संलग्न है जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९२]

गोमती नदी पर पुल

१३६०. श्री सरजू पाण्डेय : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ७ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाज़ीपुर—वाराणसी सड़क पर गोमती नदी पर पुल बनाने का काम जो दूसरी पंच-वर्षीय योजना की अवधि में स्थगित कर दिया गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह निर्माण कार्य संभवतः कब पुनः शुरू होगा ; और

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय प्रश्न संख्या ७०४ के बजाय गोमती नदी पर पुल' विषयक प्रश्न संख्या ४०७ से है। जिस का उत्तर ७ अगस्त, १९५९ को दिया गया था। यदि यह ठीक है तो उत्तर इस प्रकार है:—

(क) अभी तक तीसरी पंचवर्षीय आयोजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन आशा है कि यह काम इस आयोजना में शामिल कर लिया जायेगा।

(ख) और (ग). इस विषय में सूचना तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में तय हो जाने के बाद दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास राज्य में किराये की इमारतों में डाकघर

†१३६१. { श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री नागी रेड्डी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मद्रास राज्य के कोयम्बटूर जिले में कितने डाकघर किराय की इमारतों में हैं ;

(ख) प्रति माह कितना किराया दिया जाता है ;

(ग) क्या इन डाक घरों को सरकारी इमारतों में खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) ७७ ।

(ख) ५,४०१ रुपये ।

(ग) और (घ). निम्नलिखित डाक घरों के लिये विभागीय इमारतें बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है :

(१) कोयम्बटूर में बड़े डाक घर की इमारत
(२) आर० एस० पुरम् कोयम्बटूर में उपडाक घर
(३) धारापुरम्
(४) कंगायम्
(५) अवनाशी
(६) पल्लादम्
(७) सत्यमंगलम्
(८) भवानी
(९) इरोड
(१०) वल्लाकोविल

कोयम्बटूर की टेलीफोन परामर्शदात्री समिति

†१३६२. { श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री नागी रेड्डी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयम्बटूर की टेलीफोन परामर्शदात्री समिति की पिछली बैठक कब हुई थी ; और

(ख) १ जून, १९६० के बाद टेलीफ़ोन परामर्शदात्री समिति द्वारा सिफ़ारिश किये गये कितने नये टलीफोन कनेक्शन मंजूर किये गये हैं और लगवाये गये हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) २०–१–१९६० ।

(ख) ४९ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचना

†कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक ६ अगस्त, १९६० की अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० ९१२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी २३१३/६०]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा): मैं श्री अ० म० थामस की ओर से अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) बम्बई चीनी (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५९ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १३ अगस्त, १९६० की जी० एस० आर० ९४१।

(२) चीनी (वहन नियंत्रण) आदेश १९५९ में, कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १३ अगस्त, १९६० की जी० एस० आर० ९४२।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी—२३१५/६०]

राज्य-सभा से सन्देश

†सचिव : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :

"मुझे लोक-सभा को बताना है कि राज्य-सभा ने अपनी १९ अगस्त, १९६० की बैठक में दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५९ को, जिसे लोक-सभा ने अपनी २७ नवम्बर, १९५९ की बैठक में पारित किया था, निम्नलिखित संशोधनों सहित पारित कर दिया है :

अधिनियमन सूत्र

(१) पृष्ठ १, पंक्ति १ में "Tenth" (दसवें) के स्थान पर "Eleventh" (ग्यारहवें) शब्द रखे जायें।

खंड १

(२) ष्ठ १, पंक्ति ४ में "1959" (१९५९) के स्थान पर "1960" (१९६०) अंक रखे जायें।

अतः मैं इस विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटा रहा हूं कि उक्त संशोधनों से लोक-सभा की सहमति इस सभा को प्रेषित की जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

†सचिव : श्रीमान्, मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५९ को, जिसे राज्य-सभा ने संशोधनों सहित लौटा दिया है, सभा-पटल पर रखता हूं।

तृतीय पंचवर्षी ययोजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव—जारी

†अध्यक्ष महोदय : सभा में अब प्रधान मंत्री द्वारा २२ अगस्त, १९६० को प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर चर्चा होगी :—

> "कि तृतीय पंच वर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप पर, जो १ अगस्त, १९६० को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार किया जाये।"

†श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : अध्यक्ष महोदय, तीसरी च वर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप में देश की वर्तमान ज्वलंत समस्याओं के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। यद्यपि इस योजना में कहा गया है कि राष्ट्रीय आय में वार्षिक ५ प्रतिशत वृद्धि हो जायेगी और हमारी अर्थ-व्यवस्था ठीक हो जायेगी परन्तु मैं तो समझता हूं कि इस योजना में दूसरी योजना के कार्यों का विस्तार ही किया गया है और कोई नई बात नहीं की गई है।

मेरे विचार से इस में हमें बताया जाना चाहिए था कि दूसरी योजना में हमने कितनी सफलता तथा असफलता प्राप्त की है। खाद्यान्नों में आत्म निर्भरता के बारे में हम पहली तथा दूसरी दोनों योजनाओं में बार बार सुनते रहे हैं जब कि अभी हम उस से बहुत दूर हैं। इसलिए यह आवश्यक था कि हमें तीसरी योजना के प्रारूप में बताया जाता कि खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं।

तीसरी योजना में इस को स्पष्ट करना आवश्यक था कि आज जो वस्तुओं के मूल्य इतने बढ़ते जा रहे हैं उनको किस प्रकार कम किया जायेगा। यदि इन मूल्यों को उचित स्तर पर रखने के सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया तो तीसरी योजना की सभी गणनाओं में गड़बड़ हो जायेगी। इस सम्बन्ध में स्पष्टतः बताया जाना चाहिए।

तीसरी योजना के इस प्रारूप में साधारण जनता की हालत सुधारने के बारे में क्या नीति अपनाई जायेगी। इस बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है। प्रारूप में स्पष्ट किया जाना चाहिए कि गरीब लोगों तथा गरीब क्षेत्रों के विकास के लिये क्या किया जायेगा और इन विकास कार्यों की प्रगति की जांच करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए अन्यथा सुन्दर योजना बनी की बनी रह जायेगी। उसकी क्रियान्विति ठीक ढंग से नहीं हो पायेगी क्योंकि दूसरी योजना की असफलता के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों पर ही तीसरी योजना की क्रियान्विति का भार डाला जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अभी तक हम प्रति व्यक्ति आय को गरीब आदमी की आय मानते थे परन्तु अब ऐसी बात नहीं है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाने से यह तो निश्चित नहीं कि सभी मजदूरों की न्यूनतम मजूरी निर्धारित की जा सके । इसीलिए मैं चाहता हूं कि प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ राष्ट्रीय न्यूनतम मजरी के आंकड़े भी बताये जाने चाहिए । दूसरे शब्दों में पांचवें श्रम सम्मेलन में न्यूनतम मजूरी के बारे में किये गये निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार को कठोर क़दम उठाने चाहिए ।

इस प्रारूप में बताया गया है कि योजना की क्रियान्विति के लिए १०,२०० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी और सरकारी क्षेत्र में पूंजी व्यय को ४,६०० करोड़ रुपये से बढ़ा कर ७२५० करोड़ रुपये कर दिया जायेगा । इससे पता लग जाता है कि सरकारी क्षेत्र में कर, बचत, ऋण, तथा घाटे की अर्थ-व्यवस्था से ही इतना धन उपलब्ध करने का प्रयत्न किया जायेगा । मैं समझता हूं कि हमारी ऐसी स्थिति नहीं है जिस में हम घाटे की अर्थ-व्यवस्था को लागू करें क्योंकि दूसरी योजना में ही हम बहुत से नये नोट छाप चुके हैं ।

योजना आयोग को आशा है कि करों के द्वारा पर्याप्त आय होगी । परन्तु मैं समझता हूं कि पहले ही अधिक कर लगाये जा चुके हैं । केवल कर-अपवंचन को रोक कर ही हमारी कुछ अधिक आय हो सकती है । संभवतया यह समझा गया हो कि राष्ट्रीय आय बढ़ जाने पर कर बढ़ जायेंगे । लेकिन राष्ट्रीय आय बढ़ने का प्रश्न ही अभी अंधकारमय है ।

यह बताया गया है कि राज्य सरकारें ५०० करोड़ रुपया इकट्ठा करेंगी । मैं समझता हूं कि संविधान के अनुसार राज्यों को करारोपण के बहुत कम अधिकार दिये गये हैं और इसीलिए उनसे यह आशा करना कि वह इतना अधिक धन इकट्ठा कर लेगी दुराशा मात्र ही है । उड़ीसा राज्य से २३ करोड़ रुपये की आशा की गई है जबकि वहां बहुत अधिक गरीबी है । मेरे विचार से तो हमें अब अपनी मद्यनिषेध की नीति छोड़ देनी चाहिए क्योंकि इससे हमें हानि ही हुई है । मैं समझता हूं कि इसको हटा लेने पर सभी राज्यों में पर्याप्त आय हो सकती है ।

तीसरी योजना में ३,२०० करोड़ रुपये की विदेशी सहायता की आशा की गई है । परन्तु इस सहायता के साथ साथ हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि इसी तीसरी योजना में ४५० तथा ५०० रुपये के विदेशी ऋण भी वापस करने हैं । इसलिए हमें विदेशों से इस सम्बन्ध में भी बातचीत करनी चाहिए जिससे तीसरी योजनावधि में यह ऋण हमें वापस न देना पड़े ।

हाल में ही प्रधान मंत्री ने कहा था कि इस देश का विकास समान रूप से नहीं हुआ है । मैं उन के इस कथन से सहमत हूं क्योंकि दण्डकारण्य, नेफा तथा उड़ीसा ऐसे क्षेत्र हैं जिनका विकास देश के अन्य क्षेत्रों के समान नहीं हुआ है । इसलिए स्वतंत्र भारत में यह आवश्यक है कि देश के सभी भागों का समान रूप से विकास हो । साथ ही साथ ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे इन सभी विकास कार्यक्रमों का दिग्दर्शन स्पष्टतः कराया जा सके । जिससे पता लग सके कि देश के सभी भागों का विकास समान रूप से हो रहा है अथवा नहीं ।

राज्यों को सहायता देने में केन्द्र को यह देखना चाहिए कि कौन सा राज्य पिछड़ा हुआ है । इसका ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए कि किस राज्य में कितने साधन उपलब्ध हैं । उड़ीसा राज्य ने १६८ करोड़ रुपये की योजनायें केन्द्र को भेजी हैं । मैं समझता हूं कि यह मांग कम से कम है । इसका ३९ प्रतिशत सिंचाई, बिजली आदि पर व्यय होगा । आप जानते हैं कि उड़ीसा में कितनी बाढ़ आई हुई हैं । इसलिए आवश्यक हो जाता है कि इतना धन इन सिंचाई और बिजली योजनाओं पर व्यय हो जिससे बाढ़ भी न आये और पानी का उपयोग भी किया जा सके ।

[श्री प्र० के० देव]

सामुदायिक विकास तथा खेती पर ३९ · २ करोड़ रुपया व्यय करने का विचार है । मैं समझता हूं कि यह तो निहायत जरूरी व्यय है । ४३ · ७ करोड़ रुपया समाज सेवाओं, औद्योगिक, परिवहन तथा संचार विकास, परदीप पत्तन के विकास के लिए है । भुवनेश्वर राजधानी के विकास के लिए ३ करोड़ रुपया रखा गया है ।

मैं आशा करता हूं कि सभा इन सभी प्राक्कलनों को उचित ही समझेगी क्योंकि यह तो कम से कम आवश्यकता है ।

योजना में प्रतिरक्षा के बारे में कुछ नहीं बताया गया है । मैं समझता हूं कि प्रतिरक्षा आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए योजना में कुछ निर्धारित किया जाना चाहिए ।

†श्रीमती रेणुका राय (मालदा) : मैं समझती हूं कि यदि हम देश की आवश्यकताओं की ओर ध्यान दें तो योजना की रूपरेखा महत्वाकांक्षा वाली नहीं है । यदि हम देखें तो पता लगता है कि यह योजना पहली और दूसरी योजना के मुकाबले में आधी ही है और ५५० करोड़ रुपये के नये नोट छापने की व्यवस्था से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि बहुत सावधानी से योजना बनाई गई है ।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यदि दूसरी योजना काल में बढ़े हुए मूल्यों को इसी प्रकार चलने दिया जाता तो तीसरी योजना किसी प्रकार भी सफल नहीं हो पाती । मुझे प्रसन्नता है कि आयोजकों ने इस पर विचार किया है ।

सभी ने इस प्रश्न पर मत प्रकट किया है कि वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोका जाना चाहिये । परन्तु प्रश्न यही उठता है कि इनको किस प्रकार रोका जाये । योजना के प्रारूप में देखने पर पता लगता है कि इनको रोकने के बारे में कोई तरीका नहीं बताया गया है । परन्तु कुछ करना तो आवश्यक ही है और इसलिये हमें आशा करनी चाहिये कि जब योजना हमारे सामने अन्तिम रूप से आयेगी उस समय हमें बता दिया जायेगा कि अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य नहीं बढ़ पायेंगे । हमें समझना चाहिये कि आवश्यकता होने पर राज्य व्यापार कभी भी किया जा सकता है । राष्ट्रीय विकास परिषद् को इस सम्बन्ध में निर्णय करना चाहिये ।

योजना में जनसंख्या के बढ़ने के बारे में बताया गया है कि यह प्रति वर्ष २ · १५ प्रतिशत बढ़जाती है । मैं भी समझती हूं कि इसकी रोक थाम के लिये निश्चित रूप से कुछ किया जाना चाहिये । बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि हमारे अस्पतालों को परिवार नियोजन केन्द्रों से सम्बद्ध कर दिया गया है ।

प्रधान मंत्री तथा अन्य वक्ताओं ने बताया कि योजना की क्रियान्विति में प्रशासनिक कमियां रह जाती हैं। मैं इसके बारे में केवल यह बताना चाहती हूं कि तीसरी योजना में आयोजकों को इसका ध्यान रखना चाहिये और इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये जो इस योजना को सुचारू रुप से आगे बढ़ायें । क्योंकि साधन, धनराशि ही योजना को पूरा करने में समर्थ नहीं होते हैं उसके लिये आवश्यक है कि वह सुव्यवस्थित रूप में पूरी होती जायें ।

सभी इस बारे में एक मत हैं कि देश की आवश्यकतायें आन्तरिक रूप में ही पूरी होनी चाहियें अर्थात् हमें आत्म निर्भर होना चाहिये । इसलिये आवश्यक है कि कृषि को योजना में सर्व प्राथमिकता

---

†मूल अंग्रेजी में

दी जाये । परन्तु साथ ही साथ हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिये कि हमारे बच्चों को शिक्षा किस प्रकार दी जाती है । तीसरी योजना आरम्भ होने वाली है परन्तु अभी तक ६–११ वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का प्रबन्ध नहीं किया गया है । बच्चों के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने वाली कोई योजना नहीं बनाई गई है ।

कल सभा नेता ने बताया कि हमारे देश में कम व्यक्ति मरने लगे हैं और इस प्रकार हमारा स्वस्थ देश हो गया है । परन्तु देश के लिये सबसे महत्वपूर्ण बच्चे होते हैं और जब वही पूरी तरह स्वस्थ तथा शिक्षित नहीं हैं तो देश का क्या विकास हुआ है । इसलिये मैं अपने आयोजकों का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहती हूं ।

इसके बाद मैं आयोजकों का ध्यान जनता का सहयोग प्राप्त करने की ओर आकर्षित कराना चाहती हूं । पहली योजनाकाल से ही कहा जाता रहा है कि जनता का सहयोग प्राप्त करना चाहिये । परन्तु किया कुछ भी नहीं गया है । देहातों में जाइये तो जनता यही कहती है कि हमें योजना नहीं, खाना, कपड़ा बच्चों को शिक्षा आदि चाहिये ।

इसलिये हमें प्रयत्न करना चाहिये कि जनता को उत्साहित करने के लिये ऐसी ही योजनायें बनायें जो जनता की मनोनुकूल योजनायें हों । यदि तीसरी योजना में हम जन सहयोग प्राप्त कर पाये तो यही हमारी पर्याप्त सफलता होगी । मैं समझती हूं कि तीसरी योजना पहली दोनों योजनाओं से अधिक वास्तविकता वाली है और जनता की रूचि के अनुसार इसमें कुछ परिशोधन कर दिए जायेंगे ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन संख्या ४ और ५ उपस्थित करता हूं ।

मुझे इस प्लान को देख कर के कुछ आश्चर्य हुआ, खास कर आश्चर्य उस वक्त हुआ जब मैंने सोवियत का प्लान देखा । चीन का प्लान देखा । सोवियत का सात साला प्लान है । चीन का पांच साला प्लान है ।

प्लान के दो हिस्से होते हैं—उत्पादक अंश और अनुत्पादक अंश । इस प्लान में जो उत्पादक अंश हैं उसमें तीन आइटम हैं, स्माल स्केल इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, २—इर्रीगेशन और ३—ट्रांसपोर्ट और उसके साथ रेलवेज़ । ये तीन आइटम इस प्लान में ऐसे हैं जिनसे कि भारत सरकार को कुछ आमदनी हो सकती है ।

लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसा कि मेरे मित्र श्री माथुर भाई ने कल कहा था, कि स्माल स्केल इंडस्ट्री में गत प्लान में ३—६ प्रतिशत कुल प्लान का रखा गया था । इस प्लान में उसे और कम कर दिया गया है । वह ३—४ प्रतिशत हो गया है ।

इण्डस्ट्री में इसी प्रकार देखा जाय तो पहले प्लान में १६—१ कुल प्लान का रखा गया था, इस प्लान में २०—७ रखा गया है, अर्थात् इंडस्ट्री पर कुल प्लान का २४—१ रखा गया है, जबकि चाइना पांच साला प्लान में इंडस्ट्री में रखा गया है ५८—२ । यानी प्लान के लिये जो रुपया रखा गया है उसका आधे से अधिक हिस्सा केवल इंडस्ट्री पर रखा गया है, जबकि इस प्लान में हमारे यहां इतना कम रखा गया है ।

इसी प्रकार से आप सोवियत का प्लान देखें । सोवियत के प्लान का अर्थ क्या है ? प्लान का अर्थ है, उत्पादन, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन । धन की अभिवृद्धि हो । लेकिन हमारे प्लान में इसकी

[श्री रघुनाथ सिंह]

उपेक्षा की गयी है । सोवियत सात साला प्लान में आप देखें कि ३० परसेंट से ज्यादा केवल इंडस्ट्री पर खर्च किया गया है जबकि हमारे यहां उत्पादन के लिये बहुत कम रखा गया है । हम फूड फूड बहुत चिल्लाते हैं । भिक्षा पात्र लिये सारी दुनिया में घूमते हैं, लेकिन इर्रीगेशन पर हमने इस प्लान में कम कर दिया है, जबकि हमें इस मद में बढ़ाना चाहिये था ।

इसी प्रकार से स्माल स्केल इंडस्ट्री में कम किया है, जबकि ज्यादा करना चाहिये था । इंडस्ट्री में हमने सिर्फ एक परसेंट ज्यादा किया है । यह दृष्टिकोण अच्छा दृष्टिकोण नहीं है । मैं कहूंगा कि इस प्लान में दूरदर्शिता का अभाव है ।

मैं तीसरे आइटम को लेता हूं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन्स और रेलवेज़ । कम्युनिकेशन्स में आपको हवाई जहाज से और पोस्ट आफिसेज़ से आमदनी होती है । कस्टम्स से आमदनी होती है । बजट की आमदनी का करीब एक तिहाई हिस्सा कस्टम्स से मिलता है । लेकिन आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन्स और रेलवेज़ पर पहले प्लान में २४ परसेंट, दूसरे प्लान में २८—१ परसेंट रखा गया था और इस प्लान में वह घटा दिया गया है, यानी २० परसेंट इस प्लान में ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन्स और रेलवेज़ के लिये रखा गया है । अर्थात् सैकिंड फाइव ईअर प्लान से ८ परसेंट इस प्लान में और कम कर दिया गया है । मैं नहीं समझता कि ऐसा क्यों किया जा रहा है । और देशों में भी प्लान बन रहे हैं, जापान में प्लान हो रहे हैं ताकि आमदनी ज्यादा हो । लेकिन अपने यहां मैं देखता हूं कि सरकार उस पर तो रुपया खर्च करने के वास्ते तैयार नहीं है जिससे आमदनी हो सकती है, लेकिन जिससे आमदनी नहीं हो सकती उस पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करने के वास्ते तैयार है ।

श्री च० द० पांडे (नैनीताल) : किस चीज पर ज्यादा खर्च किया गया है ?

श्री रघुनाथ सिंह : आप प्लान के पेज २७ पर देख सकते हैं कि किस किस पर ज्यादा किया है और किस किस पर कम किया है ।

एक माननीय सदस्य : उदाहरण के लिये ।

श्री रघुनाथ सिंह : उदाहरण के लिये आप स्वयं देख लीजिये । तीन चीजों के बारे में मैंने कहा है यानी स्माल स्केल इंडस्ट्री पर कम किया गया है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन्स और रेलवेज़ पर कम किया गया है और इर्रीगेशन पर कम किया गया है जो कि हमारे उत्पादन के साधन हैं । बाकी आप खुद देख लें, आप बुद्धिमान हैं । आप कहें तो मैं डिटेल दे सकता हूं लेकिन इसमें समय बहुत लगेगा । मैंने उन चीजों को मार्क कर रखा है ।

मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, खास कर शिपिंग के बारे में । जैसा कि आपको मालूम है । आंकड़ों के अनुसार इस वक्त १५० करोड़ रुपया हम प्रतिवर्ष फारिन शिपिंग कम्पनीज को फ्रेट के रूप में देते हैं, अर्थात् पांच वर्ष में हम ७५० करोड़ रुपया फारिन शिपिंग कम्पनीज को फ्रेट के रूप में फारिन एक्सचेंज के रूप में देंगे । इसके अलावा ८० करोड़ रुपया अमरीका से जो गेहूं और चावल आता है उसके लिये हम देंगे । इसके अलावा सरदार स्वर्ण सिंह जी स्टील इम्पोर्ट कर रहे हैं । जो काटन इम्पोर्ट हो रहा है । और साथ ही साथ जो आइरन ओर जापान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं । इन सब को मिला करके अध्यक्ष महोदय, ८४५ करोड़ रुपया पांच वर्ष के अन्दर इस प्लान में, हम फारिन शिपिंग कम्पनीज को फ्रेट के रूप में देने जा रहे हैं ।

आप देखें कि इस प्लान में कहा गया है कि ओवरसीज़ आमदनी में इण्डियन शिपिंग का हिस्सा केवल ८ परसेंट है। यानी अगर हम केवल फूड को लें तो फूड को लाने में ८० करोड़ रुपये में से पांच करोड़ की आमदनी इण्डियन शिपिंग को होगी और बाकी रुपया हम फारिन कम्पनीज़को देंगे।

एक सवाल के जवाब में बताया गया था कि सन् १९४७ से लेकर, जब से हिन्दुस्तान में नेशनल गवर्नमेंट कायम हुई, सन् १९५७ तक २५--५ मिलियन टन फूड हमको इम्पोर्ट करना पड़ा और उसके लिये हमने १६६ करोड़ रुपया फारिन शिपिंग कम्पनीज को फ्रेट के रूप में दिया, अर्थात् करीब दस बरस के अन्दर १६९ करोड़ रुपया फारिन शिपिंग कम्पनीज को हमने फ्रेट के रूप में दिया। इसी तरह से आप जोड़ें तो सन् १९४६ से लेकर सन् १९६० तक अर्थात् १५ बरस में १८७५ करोड़ रुपया हमने फारिन शिपिंग कम्पनीज को फ्रेट के रूप में दिया है। और जैसा कि मैंने बतलाया तीसरी योजना के पांच सालों में हम ८४५ करोड़ रुपया फारिन शिपिंग कम्पनीज को फ्रेट के रूप में देंगे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब से हम आजाद हुए हैं तब से लेकर तीसरी योजना के अन्त तक २९३१ करोड़ रुपया इस मुल्क का, इस देश की गरीब जनता का, विदेशी शिपिंग कम्पनीज को दे चुकेंगे।

श्री त्यागी (देहरादून) : इतने में तो कितने जहाज बन जाते ?

श्री रघुनाथ सिंह : इतने में तो सारे देश में जहाज ही जहाज हो जाते। और देश जहाजों से भर जाता।

मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि पहले प्लान में शिपिंग के वास्ते २६---३ करोड़ रुपया दिया गया, दूसरी प्लान में ५४ करोड़ रुपया दिया गया और तीसरी प्लान में इसके लिये ५५ करोड़ रुपया रखा गया है, अर्थात् जब से आजादी मिली है, तब से हम शिपिंग के ऊपर १३५ करोड़ रुपया खर्च करेंगे सन् १९६६ तक। इसी बीच में हम करीब ३००० करोड़ रुपया फारिन शिपिंग कम्पनीज को दे चुकेंगे।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार बहादुर ने फारिन शिपिंग कम्पनीज को दो बरस के अन्दर कितना दिया। सन् १९५६ और १९५७ में---भगत जी आप नोट कर लीजिए---गवर्नमेंट ने अपने एकाउण्ट में ४० करोड़ २० लाख रुपया एक बरस के अन्दर शिपिंग का फ्रेट दिया। सन् १९५७ ५८ में ६० करोड़ ९३ लाख रुमया गवर्नमेंट ने अपने एकाउण्ट से शिपिंग कम्पनीज को दिया। हमने सवाल पूछा था उसके जवाब में यह बतलाया गया था।

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : ठीक है ठीक है।

श्री रघुनाथ सिंह : इस प्रकार से १०१ करोड़ १३ लाख लाख रुपया दो बरस के अन्दर गवर्नमेंट ने फारिन शिपिंग कम्पनीज को फ्रेट के रूप में दिया। इसमें हिन्दुस्तान का शेयर कितना है ? हिन्दुस्तान का शेयर सिर्फ १४ करोड़ रुपया है। इस १०१ करोड़ १३ लाख रुपये में हिन्दुस्तानी कम्पनी का शेयर है सिर्फ १४ करोड़ ७३ लाख रुपया अर्थात् गवर्नमेंट ने अपनी हिन्दुस्तानी शिपिंग कम्पनीज को दिया वह १३---२९ परसेंट है फ्रेट का जो गवर्नमेंट ने दूसरों को दिया।

इस फाइव ईयर प्लान में कहा गया है कि ६० परसेंट हमारी ओवरसीज ट्रेड बढ़ेगी अर्थात् १९४६ को अगर हम अपना मापदंड मान लें तो ३०० गुना हमारी ट्रेड थर्ड फाइव ईयर प्लान के अन्दर हो जायगी। अब २० वर्ष में हमारी ओवरसीज ट्रेड तो ३०० गुना हो जायगी लेकिन इस २० वर्ष के अन्दर हमने अपनी शिपिंग को ३ गुना से ज्यादा नहीं किया। आप देखेंगे कि हिन्दुस्तान का

[श्री रघुनाथ सिंह]

जो दुनिया में ट्रेड होता है उस में हिन्दुस्तान का भाग १–५० यानी डेढ़ परसेंट होता है । अगर हम इस फाइव ईयर प्लान के आंकड़े को ठीक मान लें तो हिन्दुस्तान का हिस्सा ५ वर्ष के पश्चात् २–४० परसेंट हो जायगा दुनिया के व्यापार का और इसका फल यह होगा कि हमारे जहाज अगर ५०–५० का रेशियो हम मान लें जैसे कि अमरीका ने गेंहूं में किया है तो हमारी शिपिंग का शेयर वर्ल्ड शिपिंग में १–२ परसेंट होना चाहिए जब कि हमारा शेयर इस वक्त दुनिया की शिपिंग में केवल ५ परसेंट है । आगे चल कर मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि यह ५ परसेंट भी कम होने जा रहा है । सन् १९४७ में शिपिंग कम्पनीज़ के वास्ते २ मिलियन टन का टार्गेट रखा गया था । हिन्दुस्तान के आज़ाद होने के बाद फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में टार्गेट रखा गया था ६ लाख का जिस में कि सिर्फ २ लाख १० हजार टन का एडीशन हुआ । सेकेंड प्लान में ९ लाख टन का टार्गेट रखा गया जिसमें कि ३ लाख २५ हजार का एडीशन हुआ । थर्ड प्लान में ११ लाख टन का टार्गेट रखा गया है जिसमें कि १ लाख ९ हजार का एडीशन होगा । फर्स्ट प्लान में शिपिंग में २ लाख १० हजार टन का किया, सेकेंड में ३ लाख २५ हजार का एडीशन हुआ और जब कि अब हमारी ओवरसीज ट्रेड ६० परसेंट बढ़ने वाली है तो आप केवल १ लाख ९ हजार टन का एडीशन करने जा रहे हैं । थर्ड फाइव ईयर प्लान में यह हमारी शोचनीय स्थिति है । अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आपने शिपिंग बोर्ड बनाया । शिपिंग बोर्ड ने प्लानिंग के वास्ते एडहोक कमेटी बनाई और उसने युनैनीमसली यह डिसीशन दिया कि थर्ड फाइव ईयर प्लान का टार्गेट १६ लाख टन होना चाहिए । शिपिंग बोर्ड ने उसको रिवाइज़ किया और उसके बाद उसने कहा कि १४ लाख २२ हजार टन टार्गेट होना चाहिए अर्थात् ५ लाख २० हजार टन का थर्ड फाइव ईयर प्लान में और एडीशन होना चाहिए । प्लानिंग कमिशन के सामने जब यह मामला आया तो उसने शिपिंग का ११ लाख टन का टार्गेट कर दिया जिस में कि रिप्लेसमेंट भी शामिल है । इस प्रकार से सेकेंड फाइव ईयर प्लान में हमारा टार्गेट ९ लाख टन था और थर्ड फाइव ईयर प्लान के वास्ते रह जाता है १० लाख ९ हजार । अब मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि शिपिंग बोर्ड ने कहा कि ११८ करोड़ रुपया गवर्नमेंट को शिपिंग का टार्गेट रखना चाहिए जिसमें से १४ करोड़ रुपया तो प्राइवेट सैक्टर देगा और १०४ करोड़ रुपया सरकार को देना चाहिए लेकिन प्लानिंग कमिशन ने सिर्फ ५५ करोड़ रुपया शिपिंग के वास्ते रखा है । शोचनीय स्थिति यही नहीं है बल्कि शोचनीय स्थिति यह है कि इस में से फर्स्ट प्लान में और सेकेंड प्लान में सिर्फ टनेज को बढ़ाने के लिए धनराशि रखी गई थी थर्ड फाइव इयर प्लान में जो शिपिंग के वास्ते ५५ करोड़ रुपये रखा गया था उसमें चार आइटम्स और एड कर दिये गये हैं । वे हैं वेलफयर मेजर्स फौर सीमैन, ट्रेनिंग फौर परसनल डेवलटमेंट आफ सेलिंग वैसल्स, और रिप्लेसमेंट औफ ओल्ड शिप्स । इस प्रकार से आप देखेंगे कि शिपिंग की इतनी उपेक्षा की गई है कि हम दुनिया के साथ चल नहीं सकते । लिहाजा मेरा कहना यह है कि इस वक्त जैसा कि थर्ड फाइव ईयर प्लान से जाहिर होगा कि कुल ६६ करोड़ रुपया प्राइवेट सैक्टर को ले करके शिपिंग के वास्ते रखा है । जिसमें कि कुछ इतने आइटम्स और जोड़ दिये गये हैं । मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर आप इस को देखें तो थर्ड फाइव ईयर प्लान के अन्त में दुनिया के टनेज में आपका शेयर क्या रहता है ? आपका शेयर रहता है ३ परसेंट । आज आप का ५ है । यू आर गोइंग डाउनवर्ड्‌स । जब कि प्लान का मतलब यह है कि आप उसे बढ़ायें और उसमें आप तरक्की करें लेकिन आपकी टेंडेंसी डाउनवर्ड्‌स है । १ लाख ९ हजार टन आप केवल जोड़ना चाहते हैं । दुनिया का टनेज क्या है ? दुनिया का टनेज है १३ करोड़ टन । इस वक्त ९० लाख टन के जहाज प्रतिवर्ष दुनिया में बन रहे हैं । १३ करोड़ के जहाज इस वक्त दुनिया में मौजद

हैं । जब १ लाख ६ हजार टन का एडीशन करके आप आयेंगे तो आपका परसेंटेज दुनिया की शिपिंग का क्या होगा ? —३ का परसेंटज होना यह कोई प्लानिंग नहीं है । इसके वास्ते संशोधन मैं ने आप के सामने रखा है कि इस प्लानिंग में दूरदर्शिता नहीं है और इस प्लानिंग में फैक्ट्स को इगनोर किया है । शिपिंग है क्या ? हमारे भाई बहुत से कहते हैं कि शिपिंग तो प्राइवेट सैक्टर में है । आपने शिपिंग में पब्लिक सैक्टर बनाया । आपने ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन बनाई, वैस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन बनाई और आप क्यों नहीं इसको पब्लिक सैक्टर में ले चलते ? कौन कहता है कि आप शिपिंग को प्राइवेट सैक्टर में दीजिये ? असल में बात यह है कि इसको पूरा पब्लिक सैक्टर में रखने में आप अपने को असमर्थ पाते हैं और आप सारी की सारी पब्लिक सैक्टर में इसको चला नहीं सकते । दुनिया में सिवाय रूस और चीन के, कहीं भी यह शिपिंग पब्लिक सैक्टर में नहीं है । सारी दुनिया में शिपिंग प्राइवेट सैक्टर में है । इस वास्ते हमारे यहां भी यह प्राइवेट सैक्टर में है । यह फ्री ट्रेड है । परसों एक भाई ने ठीक ही कहा था कि एक डिमोक्रेटिक कंट्री में फोर्स्ड प्लानिंग हो नहीं सकती । फोर्स्ड प्लानिंग रूस में हो सकती है, चीन में नहीं हो सकती है । लेकिन जहां तक हमारे अपने देश का सवाल है हम को मध्यम मार्ग लेकर चलना है, बीच का रास्ता लेकर चलना है । डेमोक्रेटिक सैट अप में प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर दोनों को लेकर चलना होगा । जब प्राइवेट सैक्टर कंट्रीब्यूट करने के वास्ते तैयार है तो आप उसको यह शिपिंग का काम क्यों नहीं देते ? उसको सौंप कर शिपिंग की उन्नति क्यों नहीं करते ?

आपने सिर्फ ५५ करोड़ रुपया शिपिंग के वास्ते रखा है जो कि मैं समझता हूं कि बहुत नाकाफी है और जिसमें कि आपने चार आइटम्स और जोड़ दिये हैं । जब कि आपका टार्गेट है कि ६० परसेंट ओवरसीज़ ट्रेड बढ़े तो मैं कहता हूं कि ३००० करोड़ रुपये से अधिक जो आजादी के बाद से लेकर थर्ड फाइव ईयर प्लान के अन्त तक हम विदेशी शिपिंग कम्पनियों की जेबों में फ्रेट के रूप में देने जा रहे हैं यह नहीं भूलना होगा कि यह इस देश के गरीब लोगों का पैसा है, कौन एसा माई का लाल हिन्दुस्तान में है जो उठ कर खड़ा हो जाय और कहे कि हमारे देश का इतना अधिक पैसा क्यों विदेशों में जा रहा है ? महात्मा गांधी ने ६० करोड़ रुपये के विदेशी कपड़े का भारत में आने के विरुद्ध आंदोलन किया था । कौन आज ऐसा हाउस में माई का लाल है जो यह बीड़ा उठाने के लिए तैयार है कि हम इस रुपये को बचाना चाहते हैं और विदेशियों के हवाले नहीं करना चाहते हैं ।

इस के बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि शिपिंग का महत्व सिर्फ यही नहीं है, जो कि मैं ने अभी बताया है । उस का महत्व यह भी है कि वह हमारी सैकंड लाइन आफ़ डिफ़ेन्स है । वह हमारा फ्लोटिंग फ़ोर्ट है । मैं यह पूछना चाहता हू कि अगर पी० ओ० कम्पनी और बी० आई० कम्पनी न होती, तो क्या इंगलैंड आज सेफ होता । उन्होंने ६० लाख टन से अधिक के जहाज़ डुबो दिये । उसी शिपिंग के कारण इंगलैंड की रक्षा हुई । शिपिंग के कारण ही अमरीका की रक्षा हुई । शिपिंग न होने के कारण जापान का विनाश हुआ । अगर इंगलैंड और अमरीका की शिपिंग मज़बूत न होती, तो जापान पर हमला न होता । जैसा कि मैं ने अभी कहा है, शिपिंग हमारी सैकंड लाइन आफ़ डिफ़ेंस है और हम को उसे सुदृढ़ बनाने पर ध्यान देना चाहिए । मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में मैं ने जो संशोधन दिया है, वह स्वीकार किया जाय और शिपिंग के लिए जो शिपिंग बोर्ड की रीकमेंडेशन्ज़ हैं, उन को स्वीकार किया जाय । अगर सरकार ने शिपिंग बोर्ड और एडहाक कमेटी की रीकमेंडेशन्ज़ को नहीं मानना है, तो उस ने उन का निर्माण क्यों किया ? इस बात की आवश्यकता है कि हमारी शिपिंग में ५ लाख टन की वृद्धि होनी चाहिए ।

[श्री रघुनाथ सिंह]

इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि इस हाउस को मेरा संशोधन स्वीकार करना चाहिए और कम से कम शिपिंग बोर्ड की इस रीकमेंडेशन को स्वीकार करना चाहिए कि हमारा टारगेट १४ लाख टन होना चाहिए ।

†श्री ह्ये० ना० मुकर्जी (कलकत्ता--मध्य) : देश की यह योजना इतनी अधिक महत्वपूर्ण है कि इसे पूरी करने के लिये सभी कुछ, यहां तक कि सरकार को भी बाजी पर लगाया जा सकता है। इस योजना में विकास की जिस गति की अवधारणा की गई है, उसे किसी भी हालत में कम नहीं होने देना चाहिये । यदि उसमें शिथिलता आई, तो देश के लिये बहुत ही बुरा होगा । यदि हम लगन, निष्ठा और निश्चय से इसकी पूर्ति में जुट जायें तो हम इसके आकार को और बढ़ा सकते हैं । सभा के कुछ सदस्य इस योजना का आकार बढ़ाने के विरुद्ध हैं।

अगर हम यह ध्यान में रखें कि मूल्यों में २० प्रतिशत वृद्धि हो गई है, तो फिर द्वितीय योजना की तुलना में यह तृतीय योजना इतनी बड़ी नहीं लगेगी । प्रथम और द्वितीय योजनाओं के फलस्वरूप पिछले दस वर्षों मे प्रति व्यक्ति आय लगभग २० प्रतिशत और प्रति व्यक्ति खपत लगभग १६ प्रतिशत बढ़ी है । यह कोई बड़ी सफलता नहीं है । फिर हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि डा० बी० आर० शिनोय जैसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के मतानुसार दोनों योजनाओं की सफलताओं का लाभ मुख्यतः व्यापारियों और उद्योगपतियों और समाज के उच्च तथा मध्यम वर्गों को हुआ है । निर्धारित आय वाले लोगों--मजदूरों और गरीबों--को उनसे लाभ नहीं हो पाया है ।

पहली बात तो यह कि उन दोनों योजनाओं के फलस्वरूप कोई बहुत अधिक प्रगति हुई ही नहीं, और जो थोड़ी बहुत हुई भी है, उसे उच्च वर्गों ने हथिया लिया है । इसीलिये डा० शिनोय ने कहा है कि आय की वृद्धि समाजवाद-विरोधी ढंग से हुई है, और अभी यही सम्मान जारी रहेगा ।

बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे प्रधान मंत्री ने इसकी जांच कराने का आश्वासन दिया है । आशा है कि उस आश्वासन पर अमल भी होगा ।

मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था पर श्री मसानी की स्वतंत्र पार्टी का बहुत ज्यादा असर है और उसी के कारण योजना में समाजवादी तत्वों को बहुत अप्रभावशाली बना दिया गया है । इस से मुझे कभी-कभी सन्देह होने लगता है कि स्वतंत्र पार्टी कांग्रेस के समाजवाद की आलोचना केवल दिखावे के लिये करती है, क्योंकि वास्तव में कांग्रेस ने समाजवाद को समाजवाद रहने ही नहीं दिया है । सरकार समाजवाद के बारे में स्वयं गम्भीर नहीं है । डा० वी० के० आर० वी० राव ने एक सरकारी पत्रिका **योजना** में प्रकाशित एक अपने लेख में स्पष्ट कहा है कि योजना के प्रारूप में कहीं भी "समाजवाद" शब्द तक का प्रयोग नहीं किया गया है । उन्होंने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि योजना के उद्देश्य तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन लगता है कि विचारधारा में कुछ परिवर्तन हो गया है ; हम संघर्ष करने जा रहे हैं लेकिन संघर्ष के मुख्य नारे को छोड़ रहे हैं । यदि प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े को राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन के आंकड़े के साथ मिला कर नहीं रखा जायगा, तो जनता में योजना के प्रति कोई भी उत्साह नहीं रहेगा । यदि "समाजवाद" शब्द का प्रयोग किये बिना समाजवादी उद्देश्यों को पूरा किया जा सके, देश में बुनियादी उद्योगों का विकास किया जा सके, तो हमें कोई आपत्ति नहीं । हम चाहते हैं कि देश की औद्योगिक प्रगति हो । लेकिन आम जनता में योजना के प्रति उत्साह तभी पैदा किया जा सकेगा, जब हम योजना के

†मूल अंग्रेजी में

समाजवादी पक्ष की घोषणा खुले आम स्पष्ट रूप में करें । आम जनता में उत्साह पैदा हो जाने पर, फिर स्वतंत्र पार्टी और विहित स्वार्थों की बौखलाहट पर कोई कान भी नहीं देगा ।

कल प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि कुछ लोग स्थानीय समस्याओं और स्थानीय झगड़ों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित कर के कभी-कभी योजना और विकास को हानि पहुंचाते हैं । हमें इस का दुःख है । इस से विकास में बाधा आती है । लेकिन सवाल यह है कि देश में तनाव है और उस के कुछ फल तो निकलेंगे ही । उदाहरण के लिये, भारत सरकार को एक सही मूल्य-नीति अपनानी चाहिये—इस बात को उभारने के लिय देश में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल आवश्यक बन गई थी । सरकार यदि उस से पहले सोच लेती, तो हड़ताल की नौबत ही न आती । लेकिन इतना सब होने के बाद, आज भी सरकार ने कोई स्पष्ट मूल्य-नीति निर्धारित नहीं की है । लगता है कि इस सम्बन्ध में सरकार की कोई नीति ही नहीं है । योजना के प्रारूप में इस बात को यों उड़ा दिया गया है कि विकासशील अर्थ-व्यवस्था में मूल्य वृद्धि अनिवार्य है । लेकिन जनता तो यह जानना चाहती है कि सरकार उस के सम्बन्ध में क्या करने जा रही है । इतना ही नहीं, एक ओर तो राष्ट्रीय विकास परिषद राज्य व्यापार की नीति पर जोर देती है और दूसरी ओर खाद्य तथा कृषि मंत्री, श्री पाटिल उसे विफल बनाने की कोशिश में लगे हैं । इस से स्पष्ट है कि सरकार ने अभी तक मूल्य-नीति के बारे में गम्भीरता से विचार ही नहीं किया ।

यदि जनता भूख और बरोजगारी से त्रस्त रहे, और अपने तथा सरकार के बीच कोई कड़ी न महसूस करे, तो उस में राष्ट्रीय योजना के प्रति उत्साह, निष्ठा और लगन कैसे पैदा हो सकेगी ? ऐसी दशा में तनाव की परिस्थितियां पैदा होना स्वाभाविक है । सरकार इस तनाव को दूर कर सकती है । लेकिन सरकार इस का प्रयत्न नहीं कर रही है । तनाव के कारणों को दूर किये बिना जनता में उत्साह पैदा नहीं किया जा सकता । अभी तक की योजनाओं की थोड़ी सी सफलताओं का ही राग अलापते रहना ग़लत होगा ।

इस योजना की सीमायें हैं, फिर भी हम हृदय से इस की सफलता की कामना करते हैं । लेकिन यदि हम खाद्यान्नों के मामले में देश को आत्म-निर्भर न बना पाये, तो योजना की सफलता खटाई में पड़ जायेगी । कृषीय उत्पादन बढ़ाने के काम की बड़ी उपेक्षा की जाती रही है । श्री अ० क० गोपालन इस के बारे में काफी कह चुके हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि इस मामले में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और सामुदायिक विकास मंत्रालय में सहयोजना क्यों नहीं हो पाती । सामुदायिक विकास परियोजनाओं का प्रसार अब लगभग आध देश में हो चुका है । लेकिन उनकी सफलताओं का कोई प्रचार ही नहीं किया जाता । देश को मालूम ही नहीं है कि परियोजनाओं के जरिये कृषीय उत्पादन की कितनी वृद्धि हुई है और बच्चों की शिक्षा के लिये कितनी सुविधाय जुटाई गई हैं ।

पंचायत राज ने गांव की जनता के आत्म-सम्मान को ऊंचा उठाया है । हम सब इस का स्वागत करते हैं । लेकिन तृतीय योजना के आदर्शों में इसे स्पष्ट रूप से शामिल क्यों नहीं किया गया ?

खाद्यान्नों के लिये हम आयातों पर ही निर्भर रहते हैं । संयुक्त राष्ट्र संगठन के एक प्रतिवेदन में बताया गया है हमारे देश में खाद्यान्नों की कमी, १९३७-३८ के मुकाबले, और ज्यादा बढ़ गई है । हम खाद्यान्नों के लिये अमरीका पर निर्भर हैं । 'पी० एल० ४८०' समझौते के अनुसार अमरीकी सरकार हमारे देश में अनाज भेज रही है । लेकिन इस की आड़ में अमरीका हमारे देश में अपने पांव जमाता जा रहा है । यह बड़ी खतरनाक बात है । अमरीका सारी दुनिया पर हावी होना चाहता है । अमरीका हमारी अर्थ-व्यवस्था, हमारे प्रशासन और हमारे विश्व विद्यालयों में अपनी पैठ करता जा रहा है । हमें इस से सावधान रहना चाहिये ।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

बड़ी चिन्ता की बात यह है कि हमारी योजना पर होने वाले अनुमित व्यय और हमारे कुल संसाधनों के बीच ३,२०० करोड़ रुपयों की कमी है । इसे विदेशी सहायता से पूरा किया जा रहा है । लेकिन समाजवादी देशों के अतिरिक्त, अन्य देशों से मिलने वाले ऋणों के व्याज की दर काफी ऊंचीं होती है । उस पर हमें ४ से ७ प्रतिशत तक व्याज देना पड़ता है । लेकिन समाजवादी देशों से जो सहायता हमें मिल रही है भाई चारे और मैत्री के आधार पर है । हमें यह नहीं भूलना चाहिय कि समाजवादी देशों की सहायता के जरिये ही हम अपने देश में मशीन बनाने का उद्योग खड़ा कर पा रहे हैं । प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा है कि देश के औद्योगीकरण का यही ठोस आधार है । अन्य देशों से मिलने वाली सहायता हमारे इस बुनियादी उद्योग की समस्या को हल नहीं करती ।

योजना आयोग के एक भूतपूर्व सदस्य, श्री टी० एन० सिंह ने अपने एक लेख में कहा है कि हमें विदेशी सहायता के शिकंजे में नहीं फंसना चाहिये । हमें अपने देश में एक नया स्वदेशी आंदोलन शुरू करना चाहिये । अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिये ।

लेकिन हम तो विदेशी शेयर पूंजी को निजी विनियोजन के लिये भी खुली दावत दे रहे हैं । निजी क्षेत्र हमारे देश में सुलभ सारी विदेशी मुद्रा पर हावी होता जा रहा है । हम निजी क्षेत्र को विदेशी पूंजीपतियों से सांठगांठ करने में सहायता दे रहे हैं । इस का अन्त किया जाना चाहिये ।

लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आत्म-निर्भर बनने के लिये संसाधन कहां से आयेंगे ?

[श्री हेडा पीठासीन हुये] ।

इस प्रश्न का उत्तर देना सरल नहीं है । इस के सम्बन्ध में तथ्य इकट्ठे किये जाने चाहियें । सरकार को सामान्य बीमे का भी राष्ट्रीयकरण करना चाहिये । साथ ही, वैदेशिक व्यापार से सम्बन्धित सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये । खानों को भी सरकार अपने हाथ में ले सकती है ।

निजी क्षेत्र हमेशा यही दिखाने में लगा रहता है कि सरकारी क्षेत्र में कार्यक्षमता नहीं है । हम सभी कभी-कभी सरकारी क्षेत्र की आलोचना करते हैं । लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिबे चितरंजन कारखाने ने टाटा के से 'टैलको' से कहीं अच्छा काम कर दिखाया है ।

देश के हितों की दृष्टि से तो निजी और सरकारी क्षेत्र की कोई तुलना ही नहीं । हम सरकारी क्षेत्र का और अधिक विस्तार कर के योजना के लिये संसाधन जुटा सकते हैं ।

सौ करोड़ रुपये की राशि तो आयकर की ही बकाया पड़ी है । इस के अतिरिक्त, कर-अपवचना भी होती है । सरकार इस की वसूली की कोशिश क्यों नहीं करती ? पहले बताया गया था कि आयकर की बकाया राशि २८७.३२ करोड़ रुपये है । लेकिन कुछ ही महीने बाद बताया गया कि वसूल होने योग्य बकाया राशि १७४.७३ करोड़ रुपये है । यानी एक दम सौ करोड़ रुपये को बकाया राशि को वसूल न होने योग्य करार दे दिया गया ।

यदि इस पूरी राशि को वसूल किया जाये तो जनता पर इतने अधिक कर लगाने की आवश्यकता ही नहीं रह जायेगी ।

हमारे प्रधान मंत्री ने शिक्षा पर बहुत जोर दिया है । लेकिन योजना आयोग के डा० खोसला का मत है कि १९६६ तक ६ से ११ वर्ष तक के बच्चों के लिये सार्वभौमिक निःशुल्क शिक्षा जुटाने का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकेगा । हमारे देश में शिक्षा की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।

इस तृतीय योजना को तैयार करने में सभी दलों का पूरा सहयोग लेने का प्रयत्न नहीं किया गया । सभी दलों की एक संसदीय समिति अवश्य बनी थी, पर पता नहीं उस का काम किस तरह चलाया गया है ।

यदि प्रधान मंत्री इस पर ध्यान नहीं देते, तो मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह योजना के प्रारूप से सम्बन्धित सभी कागज़ात संसद्-सदस्यों के सामने रखने के लिये सरकार से कहें । १९५६ की भांति, इस बार भी अध्यक्ष महोदय को व्यवस्था करनी चाहिये कि पूरी सभा की समितियां अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठ कर अनौपचारिक ढंग से योजना के सम्बन्ध में विचार-विनिमय कर सकें । आशा है कि इस सुझाव पर गंभीरता से विचार किया जायेगा । इस से योजना को बल मिलेगा । इस से सभी दलों में सहयोग की भावना बढ़ेगी ।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर) : सभापति महोदय, बहुत से लोग केवल समालोचना के लिये समालोचना करते हैं । उन के लिये तो हमें कुछ कहना नहीं है । परन्तु यदि वास्तविकता को देखा जाये, तो हम लोगों ने इन दो प्लान्ज़ में काफ़ी तरक्की की है और आशा है कि तीसरे प्लान में भी हम लोग तरक्की करेंगे । दूसरे प्लान की जो रिपोर्ट आई है, उस में इस सम्बन्ध में आने वाली दिक्कतें बताई गई हैं । वे सब दिक्कतें होते हुए भी हम लोगों ने काफ़ी तरक्की की है । अब हम लोगों को देखना यह है कि जो दिक्कतें हमारे सामने सैकंड फ़ाइव ईयर प्लान में आईं, वे सब आगे न आयें । इस का क्या उपाय किया जाये, यह हमारी मिनिस्ट्री और सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना है । जैसाकि हमारे प्रधान मंत्री ने भी कल बताया, हम देख रहे हैं कि इधर तो हम अपने देश के नव-निर्माण की तैयारी कर रहे हैं कि जिस से हमारे भारतवर्ष की दिनों दिन उन्नति हो और भारतवर्ष एक राष्ट्र के रूप में संगठित हो जाये, उस का इन्टैगरेशन (एकीकरण) हो और उधर कुछ लोगों में ऐसी भावनायें उत्पन्न हो गई हैं, जिन का लक्ष्य इन्टैगरेशन करना नहीं है, बल्कि डिस-इन्टैगरेशन करना है । ये सब जो आफ़तें आ जाती हैं, वे हमारे कंस्ट्रक्टिव काम में, प्लानिंग के काम में, अपने देश की तरक्की मे बहुत बाधा डालती हैं ? मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विषय पर अच्छी तरह से ध्यान दें कि इन सब दिक्कतों को किस तरह से सुलझाया जाये । हमारे सामने बाहर और भीतर की दिक्कतें दिनों दिन बढ़ रही हैं । उनका मुकाबला करने के लिये हम सबको मिल कर जो कंस्ट्रक्टिव काम की योजना बनानी है, जो एक प्लान बनाना है, उसमें सब नहीं बैठ रहे हैं और न ही बैठ सकते हैं । अगर हम ने अपने प्लान को सफलीभूत करना है, तो यह बहुत जरूरी है कि हर जगह जो छोटी छोटी बातों में दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, झगड़े खड़े हो जाते हैं, लोग आपस में लड़ पड़ते हैं, उन सब को शान्ति से बैठ कर तय किया जाये ।

जैसा कि मैंने पहले कहा है, हम लोगों ने हर एक फ़ील्ड में काफ़ी तरक्की की है, परन्तु आज हम को यह देखना है कि कहां हम लोगों की कमियां हैं । आप देखिये कि हमारा उद्देश्य है सोशलिस्टिक पैटर्न आफ़ सोसायटी । प्रश्न यह है कि क्या इस ओर हम लोगों की तरक्की हुई है या नहीं । यहां अभी

[श्री झुनझुनवाला]

हमारे कम्युनिस्ट भाई कह रहे थे कि प्राइवेट सैक्टर बढ़ रहा है और पब्लिक सैक्टर में हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। यह एक दम से ग़लत बात है। पब्लिक सैक्टर में भी हमारा काफ़ी काम हो रहा है। परन्तु प्राइवेट सैक्टर के जिन भागों को काम मिलना चाहिये, जिन के द्वारा काम होना चाहिये, जिससे कि हमारा सोशलिस्टिक पैटर्न आफ़ सोसायटी का उद्देश्य पूर्ण हो, वह काम एक दम से नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। उसमें दिन-पर-दिन बढ़ोतरी नहीं, अपितु ह्रास हो रहा है।

मेरा मतलब यह है कि बड़े-बड़े जो इंडस्ट्रियल लोग हैं, बाहर के लोग हैं, जिनके साथ कोलेबोरेशन करके हम लोग यहां काम करते हैं, वे वहां से रुपया लेकर यहां पर आ जाते हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ कायम कर देते हैं। यह बहुत कुछ हो रहा है। मैं कहता हूं कि यह चीज़ बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है और होनी भी चाहिये। बिना उसके हमारा काम नहीं चल सकता। परन्तु यदि सरकार सब लोगों को, छोटे इंडस्ट्रियल लोगों को, छोटे काम करने वालों को, हर लैवल पर काम करने वालों को उत्साहित नहीं करेगी, अगर उनका प्रबन्ध नहीं करेगी, तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। हमारे प्लानिंग कमीशन ने उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। जो कुछ उन को देना चाहिये, इस बार उससे कम ही उन्होंने दिया है और बड़ी इंडस्ट्रीज़ को पहले से बढ़ाया है। इस अवस्था में सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी के कोई मायने नहीं होते हैं। इसका तो अर्थ यही है कि धनी दिन-प्रति-दिन धनी होते जायें और गरीब दिन-प्रति-दिन ग़रीब होते जायें। आज यह वास्तविकता है कि लोगों को काम नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती। सभी लोग इस बात को मंजूर करते हैं कि लोगों को एम्प्लायमेंट नहीं मिलती है। परन्तु अन-एम्प्लायमेंट किस तरह से दूर हो, यह कोई नहीं सोचता। कुछ लोगों को फैक्टरियों में भर्ती कर दिया। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में उन को नौकरी मिल गई। जो सरकारी स्कूल खुल गए हैं, उन में उन को नौकरी मिल गई। इससे हमारा काम नहीं चलेगा। हमको चाहिये कि हम देखें कि हर एक आदमी स्वयं ही और स्वतन्त्रतापूर्वक अपने पैर पर खड़ा हो करके कोई व्यापार करना शुरू कर दे और सरकार उसमें उसकी मदद करे। यह न हो कि उन के रास्ते में रोड़े अटकाये जायें।

सरकार का एक यह भी उद्देश्य है कि जो छोटी इंडस्ट्री हैं, उसको मदद दी जाए और जहां पर बड़ी इंडस्ट्री के साथ साथ छोटी इंडस्ट्री चलती है वहां पर भी बड़ी इंडस्ट्री को छोटी इंडस्ट्री में इंटरफीयरेंस न करने दिया जाए, वहां पर भी छोटी इंडस्ट्री की मदद की जाए। लेकिन हो इसके विपरीत रहा है। आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जहां पर छोटी इंडस्ट्री है, यदि उसको किसी चीज़ की दरकार है, उसको किसी चीज़ की आवश्यकता है, उसको हानि उठानी पड़ रही है तो उस सूरत में भी सरकार की ओर से उसकी कोई मदद नहीं होती है, और सरकार यह नहीं देखती है कि वह किस तरह से आगे बढ़ सकती है। कोई बड़ा बिजिनेस हाउस अगर डिफिकल्टी में पड़ जाता है तो उसकी हर तरह से मदद की जाती है उसको हर तरह से ऊपर उठाया जाता है, उसको हर तरह का प्रोत्साहन दिया जाता है लेकिन जहां पर छोटी इंडस्ट्री मर रही होती है तो उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है और बड़ी इंडस्ट्री को इस तरह से प्रोत्साहन दिया जाता है कि जो छोटी इंडस्ट्री है जो थोड़ा बहुत रुपया खर्च करके शुरू की गई है, वह खत्म हो जाए। यदि आपकी यही नीति रही तो न तो लोगों को काम मिलेगा और न ही लोगों में इनिशियटिव की भावना पैदा होगी और न ही लोग तरक्की कर सकेंगे।

म आपको बतलाना चाहता हूं कि हमने छोटी इंडस्ट्री में देखा है कि किसी इंजीनियरिंग की बात को, जिसको कि बड़ी इंडस्ट्री वाले नहीं निकाल सके हैं और उसके लिये उन्होंने चाहा है कि बाहर से कोलेबोरेशन हो, बाहर से नो-हाऊ आए, छोटी इंडस्ट्री वालों ने बैठ करके इस चीज़ का हल निकाल लिया है, और उस चीज़ को यहीं पर हल कर लिया है। जो यह छोटी इंडस्ट्री वालों ने सफलता हासिल

की है, इस पर हमें गर्व होना चाहिये । यह मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं ।इन लोगों को चूंकि वह छोटे हैं, इस आधार पर आप सहायता न दें, तो यह अच्छा नहीं होगा । उनको मौका मिलना चाहिये और उनकी हर प्रकार से मदद की जानी चाहिये । इनकी मदद न करना और बुद्धि, अक्ल लगा कर वे जो काम करते हैं और जो इनिशियेटिव वे दिखाते हैं, उसको एप्रिशियेट न करना, गलत होगा। और इसका मतलब यह होगा कि उनके इनिशियेटिव को आप एक दम से खत्म कर रहे हैं । जो बड़े हाउसिस हैं, बड़े लोग हैं वे लोग आप से आप काम नहीं करते हैं, वे बाहर से लोग मंगवा कर, उनको एम्पलाय करके, इंजीनियरों इत्यादि को एम्पलाय करके अपने काम को चलाते हैं लेकिन जो छोटी इंडस्ट्री वाले लोग हैं, वे स्वयं अपना मग़ज लगा करके किसी चीज़ को सफल बनाने की कोशिश करते हैं और बहुत से क्षेत्रों में कामयाब भी हो जाते हैं । परन्तु उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता और उनको प्रोत्साहित करने के बजाय अनुत्साहित किया जाता है ।

अब मैं एग्रीकल्चर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । हमारे प्लान में इसको मुख्यता मिलनी चाहिये । इसको सभी महसूस करते हैं और कहते हैं । लेकिन इसकी ओर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना कि दिया जाना चाहिये । हमारे प्रधान मन्त्री कहते हैं कि साइंस और टैक्नालाजी का लाभ एग्रीकल्चर में भी उठाया जाना चाहिये और उसको वहां पर भी स्थान दिया जाना चाहिये । इससे कोई भी इंकार नहीं करता है कि जहां पर साइंस और टैक्नालाजी की हमको आवश्यकता है वहां पर उसको काम में न लायें और जहां पर प्रोडक्शन बढ़ाने की आवश्यकता हो, वहां पर इसकी सहायता से अगर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता हो तो ऐसा करके प्रोडक्शन को न बढ़ायें । लेकिन जिस चीज से अधिक हम को लाभ हो सकता हो, अधिक हम को फायदा पहुंच सकता हो, अधिक हम को प्रोडक्शन मिल सकता हो, अधिक हमारे लोग काम में लग सकते हों, उसको न करके केवल साइंस और टैक्नालाजी के पीछे भागना ठीक नहीं है, उस सूरत में यह साइंस नहीं रह जाती है, टैक्नालाजी नहीं रह जाती है । जो चीज़ पुरानी है उसको केवल इसी आधार पर छोड़ देना कि वह पुरानी है ठीक नहीं होगा । इससे तरक्की एग्रीकल्चर में नहीं आप कर सकते हैं । मैंने सुना है, पता नहीं कहां तक सत्य है, कि एनीमल हस्बेंडरी के लिये मिनिस्टरी की तरफ से दो सौ करोड़ रुपये की मांग की गई थी लेकिन दो सौ करोड़ न देकर केवल साठ करोड़ ही इस काम के लिये दिया गया है । यदि इसी तरह का रवैया अपनाया गया तो जो प्रोडक्शन हम बढ़ाना चाहते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में, वह कैसे बढ़ सकता है । इस तरह जो हमारा लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे ३ में सफलता नहीं मिल सकती है । इस वास्ते इसकी ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये ।

यह भी कहा जाता है कि कोओपरेटिव फार्मिग के ज़रिये से लार्ज स्केल प्रोडक्शन होना चाहिये । यह ठीक बात है और सिद्धान्त रूप में बहुत सुन्दर वस्तु है । इसका विरोध कोई नहीं करता है । मैं समझता हूं कोई भी इस हाउस में यह नहीं कह सकता है कि वह इस चीज़ के विरुद्ध है . . . . . .

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : है ।

श्री झुनझुनवाला : यदि कोई है, तो वह देश की तरक्की नहीं चाहता है । परन्तु इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह चीज़ तभी ठीक रह सकती है, यदि यह वालेंटरी हो और ऊपर से न लादी जाए । अगर इसको ऊपर से लादा गया तो सिवाय नुक्सान के कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। कहने को तो कहा जाता है कि कोई चीज़ किसी पर लादी नहीं जा रही है, हर एक चीज़ वालेंटरी है

[श्री झुनझुनवाला]

लेकिन देखने में आया है कि हर एक गांव में और हर एक दूसरी जगह पर इसको ऊपर से लादा जाता है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि इसकी ओर भी आपका ध्यान जाये।

जहां तक लैण्ड रिफार्म्स का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इसको लेकर आपने सभी लोगों को अनिश्चितता में डाल रखा है जो कि ठीक बात नहीं है। लैण्ड के मामले में सब से बेसिक चीज़ यह है कि जिन के पास छोटे छोटे टुकड़े हैं और पांच दस जगहों में बिखरे हुए हैं, उनको एक जगह में कर दिया जाए। यदि ऐसा किया गया तो एक एक और दो दो टुकड़े इतनी पैदावार कर सकेंगे कि आपके कोआपरेटिव्ज़ भी नहीं कर सकेंगे। इनसे कोआपरेटिव्ज़ से भी अधिक लाभ मिल सकता है।

हमारे भाई श्री राम सुभग सिंह जी ने कल कहा था कि देश की तरक्की तो हम लोग कर रहे हैं और दूसरी चीज़ें भी कर रहे हैं लेकिन हम जैसे मनुष्य तैयार करते हैं, उसकी तरफ हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। आज हमारे विश्वविद्यालय, हमारे कालेज, हमारे स्कूल किस तरह से चल रहे हैं, किस प्रकार के वहां से बालक तैयार होकर बाहर निकल रहे हैं उसकी ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये। जो बालक वहां से निकलेंगे वही भारत के भविष्य को बनाने वाले होंगे। जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, जो हमारे कालेज हैं वे राजनीतिक लोगों के शिकार हो गए हैं, जो अनहैल्दी चीज़ है। मैं यह नहीं कहता कि विद्यार्थियों को राजनीतिक विद्या नहीं सीखनी चाहिये, उनको जरूर सीखनी चाहिये और उसमें उनको निपुण भी होना चाहिये। किन्तु अपने को ऊपर लाने के लिये, अपने को आगे लाने के लिये जो लोग इस अनहैल्दी पालिटिक्स में पड़ते हैं और विद्यार्थियों में जाकर प्रोपेगण्डा करते हैं, वे विद्यार्थियों के जीवन को एक दम से खराब करते हैं और इससे राष्ट्र को हानि होती है। इसके बारे में मैं नहीं जानता कि हमारी सरकार क्या कर रही है। पिछले दिनों हमारे एजूकेशन मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि इंग्लैण्ड में ऐसा चलन है कि पार्लियामेंट में जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, कोई भी किसी किस्म का सवाल नहीं करता है। इस तरह की कोई ट्रेडीशन क्यों नहीं हम यहां पर भी कायम करते हैं.............

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : ऐसा नहीं करेंगे।

श्री झुनझुनवाला : ऐसा आप नहीं करेंगे तो देश को रसातल में डाल देंगे। मैं जानता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं करेंगे और न करने देंगे लेकिन वैसा करके वे देश को गर्त में गिरा देंगे।

मैं यह कह रहा था कि उनको राजनीति की शिक्षा दी जाए और और उसमें उनको निपुण भी बनाया जाए ताकि जो पालिटिशन्स आगे बढ़ना चाहते हैं और उनको भड़काना चाहते हैं, वे ऐसा न कर सकें, उनसे नाजाइज फायदा न उठा सकें। मैं चाहता हूं कि इसकी ओर भी सरकार का ध्यान जाए।

हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने कल कहा था कि प्लान बहुत अच्छा है और सब चीज़ें ठीक हैं परन्तु इसका इम्प्लेमेंटेशन नहीं हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि इम्प्लेमेंटेशनन हीं होता तो उससे लाभ क्या हुआ और आगे चल कर किस लाभ की आप आशा करते हैं। हमारे प्लानिंग के एक मंत्री यहां बैठे हुए हैं और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोगों ने इसको इम्प्लेमेंट करने के वास्ते कोई प्लान बनाया है। आप कहते हैं कि इतना रुपया इसमें खर्च होगा, इतना इस में खर्च होगा। यह सब ठीक है। आप रुपया खर्च करते जायें, परन्तु यह बतायें कि उसके लिए आपने कोई क्या प्लान किया है, यदि किया है, तो क्या प्लान किया है? यदि इस चीज़

को आप प्लैन नहीं करते हैं तो आप का सब रुपया गारत हो जायेगा। जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स बहुत सुन्दर चीजें हैं, यह सब ठीक हैं, इस का आइडियल बहुत अच्छा है, कौन नहीं चाहेगा कि देहात के घर पैलेशल बिल्डिंग्स बन जायें। इस बार मैं ने हर एक कम्यूनिटी प्रोजेक्टं को अपनी एरिया में जा कर देखा। वहां खूब अच्छे अच्छे मकान बन गये हैं अफसरों के रहने के लिये। लेकिन उन के अफसरों से जा कर पूछिये कि देहात में क्या हुआ। उन का पहला काम यह होता है कि अपनी एरिया की जांच कर लें कि क्या क्या उस में आवश्यकता है। मैं ने उन से पूछा कि आप जरा हमें यह बतलाइये कि आप के यहां इरिगेशन की कहां कहां पर कमी है। उस का पता मुझे बिल्कुल नहीं चला। मैं नहीं समझता कि वहां सिवा अफसरों के लिये मकानों के और कुछ भी हुआ। गांवों के भीतर जा कर मैं देखता हूं तो कुछ नहीं पाता हूं। तो अगर आप इम्प्लिमेंटेशन नहीं करते हैं तो प्लैन क्यों बनाते हैं? क्या आप इस के लिये भी प्लैन करते हैं कि प्लैन का इम्प्लिमेंटेशन कैसे होगा। आप जरा मेहरबानी कर के यह बतलाइये कि अभी तक जो कुछ हुआ है उस पर हमने जो कुछ खर्च किया है, उसका बेलैंस शीट क्या है? हम केवल खर्च भर करते जाते हैं या यह भी हमें पता है कि जितना हम खर्च कर रहे हैं, हम जितना कर्जा बाहर से ले रहे हैं, उस का डिविडेंड भी हम कुछ पाते हैं?

श्री वाजपेयी : सभापति जी, तीसरी योजना हमारे आर्थिक निर्माण के पथ पर हमारा तीसरा कदम होगा। यह आवश्यक है कि यह तीसरा कदम रखते समय हम इस बात का विचार करें कि पहले और दूसरे कदम में हम ने कितनी सफलता प्राप्त की है। कौन सी कठिनाइयां हमारे मार्ग में खड़ी थीं और उन का निराकरण करने के लिये तीसरी योजना की रूपरेखा में किस प्रकार के परिवर्तन और परिवर्द्धन की आवश्यकता है?

एक बात जो दोनों योजनाओं से हमारे सामने आती है वह यह है कि इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये जितनी मात्रा में हमें जनता में उत्साह पैदा करना चाहिये था, वह हम नहीं कर सके हैं। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनर्निर्माण का कार्य केवल सरकारी मशीनरी के बूते पर नहीं हो सकता। केवल एक दल भी इस उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर सकता। इसके लिये सम्पूर्ण राष्ट्र की सोई हुई शक्ति को एक सहयोगात्मक ढंग से चलाना होगा। इस दृष्टि से हमारी योजनायें कम पड़ती हैं। मेरा निवेदन है कि शायद इस का कारण यह है कि हम आर्थिक नियोजन के पीछे कोई जीवन दर्शन खड़ा नहीं कर सके हैं। हम ने भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये प्रयत्न किये हैं, हम ने उत्पादन में वृद्धि भी की है, और मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि पिछली दो योजनाओं में हम ने कोई प्रगति नहीं की है। प्रगति की है। यह बात अलग है कि वह प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। लेकिन क्या नियोजन केवल भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण करना और उन की पूर्ति के लिये प्रयत्न करना ही है। या उस के पीछे हम एक जीवन की पद्धति खड़ी करना चाहते हैं जो लोकतंत्रात्मक ढंग से देश में आर्थिक समता और सामाजिक न्याय की स्थापना कर सके। भारत जैसा महान देश लोकतंत्री पद्धति से आर्थिक प्रगति करना चाहता है। हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं और एशिया और अफ्रीका के देशों के लिये, जो नये नये स्वाधीन हो रहे हैं, हम एक रास्ता दिखा रहे हैं कि केवल तानाशाही के मार्ग से नहीं लोकतंत्र के मार्ग से भी आर्थिक प्रगति हो सकती है। यह एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। लेकिन मुझे लगता है कि आर्थिक प्रगति के साथ हम कोई जीवन दर्शन नहीं रख सके जो लोगों को अनुप्राणित कर सके, जिस का सन्देश ले कर हमारे कार्यकर्ता गांवों में जायें और जनता के सामने एक ऐसा चित्र रख सकें जो धरती पर स्वर्ग का मूर्तिमान रूप लाने का चित्र हो, जो हमारी पुरानी संस्कृति के जो श्रेष्ठ मूल्य हैं उन के साथ जुड़ा हुआ हो।

[श्री वाजपेयी]

कल हमारे प्रधान मंत्री ने कहा कि केवल अर्थ ही सब कुछ नहीं है, आध्यात्मिकता भी है, नैतिकता भी है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे लिये यह सम्भव नहीं है कि हम एक ऐसे राष्ट्रीय नियोजन का स्वरूप प्रस्तुत करें जिस में अर्थ और धर्म—धर्म संकुचित अर्थ में नहीं, साम्प्रदायिक अर्थ में नहीं, जीवन धारण करने वाले व्यापक तत्व के अर्थ में—दोनों का हम समन्वय कर सकें ? अभी यह समन्वय नहीं कर सके हैं और इसलिये हमारा नियोजन भौतिक नियोजन रह गया है, यह जनता की हृत्तंत्री के तारों को झंकृत नहीं कर सका है, और हम देश में और जो नियोजन में विश्वास करती हैं ऐसी पार्टियों में एक आगे बढ़ने की उद्दाम लालसा उत्पन्न नहीं कर सके हैं । हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है जिस चुनौती का हमें निराकरण करना है । कम्यूनिज्म जीवन का एक रास्ता है, क्या हम दूसरा रास्ता रख सकते हैं ? इस दृष्टि से हमारे नियोजन को हमारे आध्यात्मिक मूल्यों से सम्बद्ध करने की आवश्यकता है ।

अब कहा जाता है कि हम ने समाजवाद का लक्ष्य रखा है । हमारे देश का चित्र ऐसा है कि समाजवाद में विश्वास करने वाले अनेक हैं, और समाजवाद की कोई एक परिभाषा नहीं है । जो अलग अलग समाजवादी हैं वे दूसरे को कहते हैं कि तुम नाम के समाजवादी हो, असली नहीं हो । यहां पर चार चार समाजवाद इसी सदन में विराजमान हैं और हमारे लिये यह तय करना मुश्किल है कि कौन सा समाजवाद असली है, कौन सा नकली है, कौन सा फसली है, किस का रूप किस तरह का है, और जो समाजवाद के सम्बन्ध में अलग अलग धारणायें हैं, अलग अलग कल्पनायें हैं, वे जनता के मन में एक भ्रम पैदा करती हैं । मारे नियोजन को सफल बनाने के लिये विचारधारा की जो स्पष्टता और प्रखरता चाहिये वह नहीं है । गलतफहमियां पैदा होती हैं । फिर कहा जाता है कि समाजवाद का तो हम ने एक नारा लगा दिया है, हम उसे लाना नहीं चाहते हैं । मेरा निवेदन है कि कम से कम जो समाजवाद में विश्वास करते हैं, वे उस की एक परिभाषा निश्चित करें—मैं शायद उस से सहमत न हो सकूं, वह बात अलग है—मगर देश में विचारधारा की दृष्टि से स्पष्टता होनी चाहिये ।

कल हमारे प्रधान मंत्री जी ने सहकारी खेती का उल्लेख किया । अभी इस संसद् में भी और देश में भी सहकारी खेती का समर्थन करने वाली बहुत सी पार्टियां हैं, वस्तुतः विरोध करने वाले तो बहुत कम हैं, लेकिन जब वे पार्टियां कार्यक्षेत्र में जाती हैं तो यद्यपि वे संसद् में खड़े हो कर सहकारी खेती का समर्थन करती हैं, लेकिन कार्यक्षेत्र में वे कहती हैं सहकारी खेती तो हो लेकिन इस सरकार के जमाने में सहकारी खेती होगी तो कसान बरबाद हो जायेगा । सहकारी खेती है तो अच्छी मगर यह सरकार नहीं कर सकती, हम कर सकते हैं । मैं नहीं समझता कि इस सहकारी खेती में यह उन के विश्वास का प्रतीक है । हिन्दुस्तान में विचारों में कोई एकरूपता और समवेत प्रयत्नों को लाने की आवश्यकता है । नियोजन में इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है ।

दूसरी बात यह है कि इस नियोजन में राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई उल्लेख नहीं । मैं समझ सकता हूं कि हम आर्थिक पुनर्निर्माण की योजना बना रहे हैं और इस में सीधे सीधे शस्त्रों के उत्पादन की कोई चर्चा नहीं हो सकती थी मगर सवाल यह है कि अगर उत्तरी सीमा पर स्थिति बिगड़ गई, जो कि हमारे हाथ में नहीं है, और हमें नये संकटों का सामना करना पड़ा, या चीन के साथ हमारे समझौते की जो बात चीत चल रही है वह टूट गई, जैसी कि आशंका दिखती है तो

फिर चीन के अधिकार में जो भारतीय प्रदेश हैं, उस को वापस करने के लिये या चीन के नये आक्रमण को रोकने के लिये जो अधिक धन की आवश्यकता होगी, इस योजना के रिसोर्सेज तय करते समय क्या हम ने इस बात का विचार करके रखा है ? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि यदि उत्तरी सीमा पर नया संकट खड़ा हो गया तो हमारी पंचवर्षीय योजना खटाई में पड़ जाये ? आर्थिक पुर्ननिर्माण आवश्यक है, मगर देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये और आर्थिक प्रगति के लक्ष्य निर्धारित करते समय भी हमें इस संकट को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि कहीं अगर उत्तरी सीमा पर स्थिति बिगड़े तो उस का मुकाबला करने के लिये हमारे पास आर्थिक साधन पूरे होने चाहियें ।

तीसरी बात । हम राष्ट्रीय आय बढ़ा रहे हैं और उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं । और यह आवश्यक भी है क्योंकि जब तक उत्पादन अधिक नहीं होगा तब तक वितरण कैसे होगा । वितरण के औचित्य का प्रश्न तो बाद में आता है लेकिन उत्पादन के दो तरीके हो सकते हैं । और हम विचार करें कि हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए ।

उत्पादन का एक तरीका यह है कि हम बड़ी बड़ी मशीनों से काम लें, औद्योगिक क्षेत्र में भी और कृषि के क्षेत्र में भी । इस प्रकार हम उत्पादन तो बढ़ा लेंगे, मगर मेरा निवेदन है कि क्या यह पद्धति देश की परिस्थितियों के अनुकूल है । आज देश में ऐसा दृश्य दिखायी देता है कि वस्तुओं का उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन उसी मात्रा में लोगों को काम नहीं मिल रहा है, उनको खरीदने की ताकत नहीं मिल रही है मास प्रोडक्शन के बजाये हम प्रोडक्शन बाई मासेज़ (जनता द्वारा) की पद्धति नहीं अपना सके हैं जिससे बेरोजगारी कम नहीं हो रही है और बेरोजगारी का अन्त होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं हैं ।

हमें छोटे छोटे उद्योगों के लिए मशीनों का निर्माण करने की भी आवश्यका है । मगर हमें यह भी सोचना जाहिए कि हमारे उद्योगों और कृषि का ढांचा कैसा होना चेाहिए । जब हम सहकारी खेती का विरोध करते हैं तो उसमें एक बड़ा कारण यह भी है कि अगर खेत बड़े होंगे तो मशीनों से उत्पादन बढ़ाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और अगर ऐसा होगा तो भूमि पर निर्भर रहने वाली हमारी बड़ी जन संख्या कहां जायेगी ।

जिस मात्रॉ में हमें छोटे उद्योगा का विकास करना चाहिए हम नहीं कह सके और इसीलिए देश में यह दशा दिखायी देती है कि उत्पादन बढ़ रहा है, मगर उत्पादन करने वाले हाथ नहीं बढ़ रहे हैं, बेकारी बढ़ रही है । मैं जानता हूं कि यह एक दम दूर नहीं होगी, मगर हम नियोजन को इस दृष्टि से तो बनायें कि उसका लक्ष्य अधिक से अधिक व्यक्तियों को काम देना हो । और अगर इस लोक तंत्र के ढांचे में बेकारों की संख्या बढ़ती गयी, और भले ही हम ने उत्पादन के लक्ष्य पूरे कर भी लिये, तो यह बढ़ती हुई बेकारों की संख्या हमारे आर्थिक नियोजन को तो खटाई में डालेगी ही, हमारे लोकतंत्र के लिए भी संकट बन जायेगी और इसलिए हमें उत्पादन के ऐसे तरीके अपनाने चाहिएं, औद्योगिक क्षेत्र में भी और कृषि के क्षेत्र में भी, जो अधिक से अधिक व्यक्तियों को काम दे सकें ।

मैं कृषि के नये तरीकों के खिलाफ नहीं हूं । टैक्नोलाजी का विकास इस प्रकार भी किया जा सकता है कि जो छोटे पैमाने पर लागू की जा सके, और देश की परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम को ऐसी टैक्नोलाजो का विकास करना चाहिये जो बढ़ती हुई जनसंख्या को अधिक से अधिक काम दे सके ।

[श्री वाजपेयी]

चौथी बात । हमारी योजना में खाद्य उत्पादन को प्राथमिकता दी गयी है । देनी चाहिये । औद्योगीकरण आवश्यक है । मगर मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो यह समझते हैं कि औद्योगीकरण के लिये किसानों को चूसा जाना जरूरी है । देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन की दृष्टि में जब तक किसानों को चूसा नहीं जायेगा तब तक औद्योगीकरण के लिये आवश्यक भूमिका तैयार नहीं हो सकती ।

खाद्य उत्पादन की दृष्टि से देश को आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है । लेकिन योजना में इस के लिये कोई ठोस प्रयत्नों का परिचय नहीं दिया गया है । इस के लिये क्या किया जायेगा ? पहले भी हम ने अधिक लक्ष्य रखे थे, वह पूरे नहीं हो सके । क्यों नहीं हो सके ? क्या हम जैसा संगठन बनाना चाहिये नहीं बना सके । उस में क्या खानियां थीं ? राज्यों में, कृषि मंत्रालयों में क्या सामंजस्य की कमी थी ? क्या इस बार वह दूर कर दी जायेंगी ?

मुझे डर है कि अमरीका से जो गेहूं आ रहा है, वह खाद्य उत्पादन के दामों को तो शायद नहीं बढ़ने देगा, मगर वह देश में यह भावना न पैदा कर दे कि अमरीका से तो गेहूं आ ही रहा है, ज्यादा उत्पादन की जरूरत नहीं है । इस बात की आशंका है कि देश में इस प्रकार की उपेक्षा और अवहेलना की भावना न पैदा हो जाये कि देने के लिये अमरीका है और लेने के लिये हमारे कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री हैं और अब देश को अन्न उत्पादन में वृद्धि के लिये संगठित प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है । मैं समझता हूं कि अगर इस प्रकार की भावना पैदा हो गई तो वह ठीक नहीं होगी । मगर इस के लिये खाद्य उत्पादन की एक ठोस योजना बनाई जानी चाहिये ।

इस संसद् में एक बार प्रश्न किया गया था कि क्या सरकार के लिये सम्भव है कि वह हर एक किसान से जा कर पूछे कि तुम्हारा खाद्य उत्पादन क्यों नहीं बढ़ता । क्या कमी है, क्या पानी की कमी है या खाद की कमी है या कर्ज की कमी है । कहीं ऐसा तो नहीं है कि दफा १०७ और ११७ में तुम को पुलिस परेशान करती है कि जिस से खाद्य उत्पादन पर उलटा असर पड़ता है । तो हमारे खाद्य मंत्री ने कहा कि हमारे लिये यह सम्भव नहीं है कि हम हर एक किसान के पास जायें । अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हमें देश में कुछ भागों को छांट कर उन भागों के किसानों से सम्पर्क स्थापित कर के इस बात का पता लगाना चाहिये कि उन के खाद्य उत्पादन को वृद्धि के मार्ग में क्या बाधायें हैं ।

इस योजना में बैटरमेंट लेवी का जिक्र किया गया है । मैं मानता हूं कि जहां पर पानी पहुंचा है और किसानों ने उस का उपयोग किया है वहां खाद्य उत्पादन बढ़ा है लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां अभी पानी नहीं पहुंचा है लेकिन बैटरमेंट लेवी वसूल हो रही है । और इस का नतीजा यह है कि राज्य सरकारें किसानों से लेवी वसूल नहीं कर पातीं और केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से वसूल नहीं कर पाती और बैटरमेंट लेवी से जो प्राप्त होने वाला धन है उस के लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती, वह कम पड़ता है । मगर हम ने तीसरी योजना में अभी से बैटरमेंट लेवी की बात शुरू कर दी है ।

एक माननीय सदस्य : वह तो तीन साल बाद लगेगी ।

श्री वाजपेयी : तीन साल बाद नहीं। कुछ प्रान्तों में अभी ही बैटरमेंट लेवी ली जा रही है और वहां पानी नहीं पहुंचा है। ऐसी स्थिति प्रान्तों में है जिस का निवारण होना चाहिये। तीन साल बाद पानी पहुंचने पर भी राज्य सरकार किसानों से वसूली नहीं कर पाती और किसानों से वसूली नहीं कर पाती तो केन्द्र को नहीं दे पाती। इस सम्बन्ध में भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

जो हमारी तीसरी योजना के लिये रिसोर्सेज़ का निर्धारण किया गया है मैं समझता हूं उस में पिछली योजना की तुलना में काफी सावधानी से काम लिया गया है और जहां तक डिफेसिट फाइनेंसिंग का सवाल है, वह मैं समझता हूं सही दिशा में एक कदम है। अगर मर्यादा से अधिक हम घाटे की अर्थ व्यवस्था करेंगे तो फिर चीजों के अनाप शनाप दाम बढ़ने से नहीं रोके जा सकते, और अगर चीजों के दाम बढ़ेंगे तो अधिक वेतन और महंगाई भत्ते की मांग होगी, जिस के परिणामस्वरूप फिर घाटे की अर्थव्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम एक विषम चक्र में फंस जायेंगे। इसलिये घाटे की अर्थ-व्यवस्था मर्यादा के भीतर होनी चाहिये, इतनी कि हमारी अर्थ-व्यवस्था उस का भार सहन कर सके।

लेकिन इस के साथ ही जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर रखना बहुत आवश्यक है, और अगर तीसरी योजना के काल में हम एक स्थिर मुद्रा नीति का विकास न कर सके, अगर जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों को निर्धारित कर के उन को आगे बढ़ने से न रोक सके, तो हमारी यह विकास की योजना उस बढ़ती हुई मुद्रा की चट्टान से टकरा कर चूर चूर हो जायगी, देश में असंतोष पैदा होगा, राजनीतिक स्वार्थ की लालसायें जागेंगी और नियोजन के लिये जैसे वातावरण की आवश्यकता है वैसा वातावरण भी उत्पन्न नहीं होगा। इसलिये सरकार के लिये आवश्यक है कि जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों को निर्धारित करने के सम्बन्ध में एक स्पष्ट नीति बनाये और उस का दृढ़ता के साथ पालन करे।

जहां तक रिसोर्सेज़ का सवाल है, जो हमारे पब्लिक एंटरप्राइज़ेज़ हैं उन के द्वारा ४४० करोड़ रुपये की प्राप्ति की आशा की गयी है। जो हमारे पब्लिक एंटरप्राइज़ेज़ हैं उन से हमें लाभ न हो और वह लाभ हम दूसरे कामों में लगा सकें यह विचार ठीक है। लेकिन जो पब्लिक एंटरप्राइज़ेज़ हैं उन में बनने वाले माल की कीमत निर्धारित करते समय एक सावधानी की आवश्यकता है कि उस में एलीमेंट आफ टैक्सेशन नहीं होना चाहिये। एफीशंसी बढ़ा कर और खर्चा कम कर के हम उत्पादन बढ़ायें और मुनाफा दिखायें यह तो ठीक है, लेकिन अगर मुनाफा बढ़ाने के लिये प्राइवेट एंटरप्राइज़ेज़ में बनने वाले माल की कीमत ऐसी रखें जिस में ऐलीमेंट आफ टैक्सेशन हो, कि भाई हम को मुनाफा करना है इसलिये अधिक दाम लेने पड़ेंगे, तो यह ठीक नहीं होगा। मुनाफा हो यह ठीक है मगर इस तरह से नहीं कि उस का असर सारे बाजार भाव पर पड़े। तो इस बात की भी सावधानी रखने की आवश्यकता है।

और अन्त में मैं एक बात कह कर समाप्त कर दूंगा। यह हमारा आर्थिक नियोजन इस बात पर भी निर्भर करता है कि किस मात्रा में हम उसे कार्यान्वित कर सकते हैं और यह प्रश्न जुड़ा हुआ है शासन के ढांचे से। जनता समाजवादी ढांचे का निर्माण नहीं देखती। जनता यह देखती है कि जब वह गांव में पुलिस के सम्पर्क में आती है, या छोटी अदालतों के सम्पर्क में आती है, अथवा सरकारी अफसरों के सम्पर्क में आती है तब उसे न्याय मिलता है, तब उस के साथ प्रामाणिकता का व्यवहार होता है। शासन के जिन अंगों के साथ जनता का सम्पर्क होता है उन अंगों को प्रामाणिक और भ्रष्टाचार से रहित न बनाया गया तो जनता में यह विश्वास जगाना मुश्किल होगा कि हम देश में जिस शासन की स्थापना का प्रयत्न कर रहे हैं वह सभी के विकास के लिये उत्तरदायी होगा।

[श्री वाजपेयी]

शासन को एफीशेंट बनाना और आनेस्ट बनाना; भ्रष्टाचार का निराकरण करना और स्थानीय क्षेत्र में जनता का सहयोग प्राप्त करना, इस बात पर निर्भर है तीसरी योजना का सफल होना। इस बात पर निर्भर करता है तीसरी योजना का सफल होना और मैं समझता हूं कि तीसरी योजना को कार्यान्वित करने में सभी का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया जायेगा। इस सदन् में वादविवाद के पश्चात् जो भी परिवर्तन या परिवर्धन आवश्यक होंगे, उन को कार्यान्वित किया जायगा।

†श्री च० द० पांडे : प्रथम योजना का दोनों क्षेत्रों का कुल व्यय लगभग ३,३०० करोड़ रुपये था। उस में हमें सफलतायें मिलीं, तो हम ने द्वितीय योजना ६,६०० करोड़ रुपये की बनाई। इन दोनों योजनाओं के पिछले नौ वर्षों में हम ने काफी ठोस सफलतायें प्राप्त की हैं। यह कहना ग़लत है कि दोनों योजनायें असफल रही हैं। सफलताओं का अनुमान तो इसी से हो सकता है कि प्रति व्यक्ति आय में २२ प्रतिशत वृद्धि हुई है। १९५१ में हमारी प्रति व्यक्ति आय २४२ रुपये थी, और अब २९३ रुपये हो गई है। तृतीय योजना का लक्ष्य उसे पांच वर्ष में ३६६ रुपये तक पहुंचा देना है। हमारे देश की जनसंख्या जिस गति से बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए यह एक बड़ी बात है। आठ वर्षों में हम ने अपना कृषीय उत्पादन ५१० लाख टन से ७३० लाख टन कर लिया है। अब औद्योगिक देश भी मानने लगे हैं कि हमारा देश एक औद्योगिक शक्ति बनता जा रहा है। पहले जो देश हमारी योजनाओं की हंसी उड़ाते थे, अब वे ही देश हमारी योजनाओं को सफल बनाने के लिये वित्तीय सहायता दे रहे हैं। इस से प्रकट होता है कि हमारी योजनायें एक ठोस आधार पर खड़ी हैं।

योजनाओं की सफलताओं के फलस्वरूप गांवों की जनता में थोड़ी स्मृद्धि आई है। सारे देश में नई इमारतें खड़ी हो रही हैं।

मैं तृतीय योजना को आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षी नहीं मानता। इसलिये कि तृतीय योजना के लक्ष्यों की प्प्ति के बाद भी हमारे रहन-सहन का स्तर कोई बहुत ऊंचा नहीं होगा। तृतीय योजना का आकार और बड़ा होना चाहिये।

इस के लिये संसाधन भी जुटाये जा सकते हैं। द्वितीय योजना-काल में हमें रेलवेज़ से १५० करोड़ रुपये राजस्व के रूप में मिलने की आशा थी। अब तृतीय योजना काल में भी हम रेलवेज़ से इतना ही राजस्व पाने की आशा कर रहे हैं। पिछले ८—९ वर्षों में हम ने रेलवेज़ पर १२०० करोड़ रुपये व्यय किये हैं। इसलिये हमें रेलवेज़ से और अधिक राजस्व मिलना चाहिये।

द्वितीय योजना में सरकारी ऋणों के रूप में १००० करोड़ रुपये जुटाने की बात थी। वह पूरी हुई थी। अब तृतीय योजना में हम ने सरकारी ऋणों से मिलने वाली राशि १०५० करोड़ रुपये रखी है। लेकिन इनामी बौण्ड की योजना की सफलता को देखते हुए, सरकारी ऋणों के रूप में कहीं अधिक राशि मिलने की आशा बंधती है।

अल्प बचत से अधिक मिलने की आशा नहीं करनी चाहिये।

लेकिन सरकारी क्षेत्र से अधिक आय हो सकती है। तृतीय योजना के आरम्भ में सरकारी क्षेत्र के लगभग सभी कारखाने चालू हो जायेंगे। हम उन पर ४००० करोड़ रुपये व्यय कर चुके होंगे। इस्पात कारखानों पर ६०० करोड़ रुपये व्यय हो चुके होंगे। इसलिये इन इस्पात कारखानों

†मूल अंग्रेज़ी में

से प्रतिवर्ष ६० करोड़ रुपयों की आय नहीं हो पाती, तो उन के संचालन और प्रबन्ध में कहीं कोई ग़लती होनी चाहिये । 'हिन्दुस्तान मशीन टूल्स' और पिम्परी कारखाने के अनुभव से आशा बंधती है कि सरकारी कारखानों के विनियोजन पर हमें उस के हिसाब से १०–१५ प्रतिशत आय हो सकती है ।

यदि हमारे सरकारी क्षेत्र की उत्पादक इकाइयों से हमें और अधिक विनियोजन के लिये धन नहीं मिलता तो उन्हें असफल मानना चाहिये । ४००० करोड़ रुपये खर्च करने के बाद, हमें प्रतिवर्ष कम से कम ४०० करोड़ रुपये की आय तो होनी चाहिये। ८८ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की अनुमित आय बहुत कम है । यदि ४०० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की आय नहीं होगी, तो जनता यही कहेगी कि सरकारी क्षेत्र का प्रबन्ध ठीक नहीं है ।

इस प्रकार हमें सरकारी कारखानों से ३०० करोड़ रुपयों और सरकारी ऋणों से २०० करोड़ रुपयों के अतिरिक्त संसाधन मिल सकते हैं । इस अतिरिक्त राशि के बाल पर योजना का आकार बढ़ाया जा सकता है ।

सरकार मितव्ययता की बातें तो करती है, लेकिन उसने अमल में अभी तक मितव्ययता नहीं की । यदि सरकार वास्तव में मितव्ययता से काम ले, तो परियोजनाओं की लागत में ५ प्रतिशत कमी करके, हम ५ वर्ष में ५०० करोड़ रुपयों की बचत कर सकते हैं ।

योजना की अन्य मदों के बारे में मुझे बड़ा सन्देह है । इस योजना को बड़ी-बड़ी मदों, जैसे कि बिजली, सिंचाई, सभी तरह के उद्योगों, शिक्षा, चिकित्सा सुविधाओं, परिवहन और संचार तक ही सीमित रखना चाहिये था । लेकिन हमने इसमें भरत नाट्यम जैसी मदों को भी शामिल किया है । ऐसी छोटी-छोटी मदों के लिये भी व्यवस्था की गई है । मेरी समझ में तो यह अच्छा नहीं है । इन मदों का काम तो भारत-सेवक समाज और साधु समाज जैसे संगठनों पर छोड़ देना चाहिये था । और सरकार ने भारत सेवक समाज के लिये दस करोड़ रुपयों की व्यवस्था की है । एक सेवक समाज के लिये सरकार की ओर से व्यवस्था करना अपव्यय ही है । इसी तरह के संगठन समाज कल्याण बोर्ड और कला केन्द्र भी हैं । इनका इतना अधिक टीमटाम बनाने की क्या जरूरत है ?

मैं मानता हूं कि संस्कृति और भाषाओं का प्रसार और प्रचार होना चाहिये । पर इसके लिये आय-व्ययक में थोड़ी बहुत व्यवस्था की जा सकती है । योजना में इतनी अधिक व्यवस्था करने का कोई मतलब नहीं होता । हमारी योजना का सारा ध्यान राष्ट्र निर्माण की अत्यावश्यक मदों पर ही केन्द्रित रहना चाहिये ।

योजना में बेरोजगारी की समस्या के बारे में केवल इतना कहा गया है कि प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और इसका हल किया जाना चाहिये । लेकिन कोई बुनियादी हल पेश नहीं किया गया है । कम से कम शिक्षित बेरोजगारों की समस्या तो तुरन्त हल होनी चाहिये ।

और दि ली ही नहीं, अन्य नगरों में भी आवास की समस्या बड़ी विकट हो गई है । लोगों को मकान ही नहीं मिलते । हमें बताया गया है कि द्वितीय योजना काल में आवास जुटाने के लिये लगभग ६००—७०० रुपये खर्च किये गये हैं । इतना काफी नहीं है । उद्योगों के बढ़ने के साथ ही साथ शहरों में मकानों की तंगी और ज्यादा बढ़ती जायगी ।

इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि सरकार को सारे देश में तीस-चालीस हजार जन संख्या की छोटी-छोटी सुन्दर बस्तियां बनानी चाहियें, जिनमें बिजली और सड़कों की अच्छी व्यवस्था हो और साथ ही स्कूल कालेज तथा अस्पताल वगैरह भी हों । तब फिर लोग बड़े बड़े शहरों में आना पसन्द भी नहीं करेंगे ।

[श्री च० द० पाण्डे]

इस योजना के आलोचकों का कहना है कि देश के पास इतने संसाधन नहीं हैं, इसलिये योजना का आकार सीमित किया जाना चाहिये। हमारे देश में वास्तविक संसाधनों की कमी नहीं है। भूमि, जल-शक्ति, खनिजीय सम्पदा और श्रम-शक्ति का अपार भण्डार है। इन संसाधनों का उचित ढंग से उपयोग होना चाहिये। तब हम इस योजना का आकार और भी बढ़ा सकेंगे। हमारी दो योजनाओं ने काफी सफलतायें प्राप्त की हैं।

†श्री सम्पत (नामक्कल): प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में योजना के प्रस्तावों के बारे में अधिक कुछ नहीं कहा। इससे बड़ी निराशा हुई। उनकी यह बात तो ठीक है कि योजना के लिये उचित वातावरण तैयार करना जरूरी है।

प्रधान मंत्री को चिन्ता इस बात की है कि लोग भाषा वगैरह के छोटे मोटे झगड़ों में पड़कर अपनी शक्ति बर्बाद करते हैं। लेकिन इन झगड़े को पैदा करने में सरकारी अधिकारियों का भी कुछ हाथ रहता है। इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा।

मैं आपको बताता हूं कि हम दक्षिण भारत के लोग विभिन्न मसलों के बारे में क्या सोचते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका हमारे जीवन और हमारे आत्म सम्मान पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है।

ब्रिटिश शासकों ने तो दक्षिण भारत की उपेक्षा की ही थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने भी हमारी कम उपेक्षा नहीं की। इसीलिये हमें अपनी मांगें जोर से चिल्ला कर सुनानी पड़ती हैं। इसे प्रान्तीयता या संकीर्ण दृष्टिकोण तो नहीं कहा जा सकता। असल में सरकार की नीति निर्धारित करने वाले लोग ही संकीर्णता का परिचय देते हैं। यदि अन्याय हो, तो उसके विरुद्ध आवाज उठाना अनिवार्य है। योजना में भी दक्षिण भारत की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है।

केन्द्र के कई मंत्रियों ने हमें आश्वासन दिया था कि तृतीय योजना काल में तूतीकोरन और मंगलौर पत्तनों को सभी मौसिम के योग्य बना दिया जायगा। इसी नारे पर कांग्रेस ने वहां चुनाव जीता था। परिवहन मंत्री खास तौर पर यही आश्वासन देने वहां भेज गये थे। वहां कांग्रेस की ओर से एक धमकी सी दी गई थी कि यदि कांग्रेस को वोट न मिले, तो पत्तनों का कुछ न होगा। यह एक बड़ी सस्ती राजनीतिक चाल है।

यह भी आश्वासन दिया गया था कि तामिलनाड में एक आणविक शक्ति संयंत्र लगाया जायगा लेकिन कोई भी आश्वासन पूरा नहीं किया गया।

नई रेलवे लाइनों के बारे में भी दक्षिण भारत की उपेक्षा की गई है। उत्तर भारत में कई ऐसी भी नई लाइनें डालने की व्यवस्था की गई है, जिनसे उनका अपना खर्च पूरा नहीं हो सकता। पर दक्षिण भारत की कई ऐसी लाइनों तक को अस्वीकृत कर दिया गया है जिनसे पर्याप्त आमदनी हो सकती थी। द्वितीय योजना काल में दक्षिण भारत में केवल एक रेलवे लाइन डाली गई है—क्विलोन-एरणाकुलम लाइन। तृतीय योजना में एक भी नई लाइन की व्यवस्था नहीं की गई है। इसका कारण यह बताया गया है कि वहां इतना अधिक औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। पर सवाल तो यह है कि उद्योगों के लिये स्थान निश्चित करने वाले लोग दक्षिण भारत की ओर ध्यान ही नहीं देते। कह दिया जाता है कि हमारे यहां परिवहन की सुविधायें नहीं हैं। और परिवहन की सुविधायें देने न देने का निर्णय भी केन्द्र के हाथ में रहता है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हम इस अन्याय को कब तक सहन करते जायें ? द्वितीय योजना में नई रेलवे लाइनों और विद्युतीकरण पर क्रमशः १५६ करोड़ और १६ लाख रुपये खर्च किये गये थे, लेकिन उसमें से दक्षिण भारत के लिये केवल ६२ लाख रुपये दिये गये थे । तृतीय योजना में अब एक रुपया भी नहीं दिया जा रहा है । सलेम-बंगलौर लाइन तक को प्राथमिकता नहीं दी गई । हमें तो बस वायदे मिलते हैं । इसलिये जनता को पूरा हक है कि वह अपनी उचित मांगों के लिये आन्दोलन करे ।

हमारे खाद्य तथा कृषि मंत्री ने वचन दिया था कि हर राज्य में एक उर्वरक कारखाना बनाया जायगा । लेकिन आन्ध्र में अब तक ऐसा कोई कारखाना नहीं है । हमें तो अपने छोटे उद्योगों के लिये कच्चा माल तक नहीं मिलता । भाषा के मसले पर भी हमारी बात नहीं सुनी जाती ।

इन सभी कारणों से दक्षिण भारत की जनता दिन-दिन अधिक उत्तेजित होती जा रही है । श्री राजगोपालाचारी ने कहा है कि दिल्ली के अधिकारी तब तक कुछ नहीं सुनेंगे जब तक कि दक्षिण भारत की मांग जन आन्दोलन का रूप नहीं ले लेती । यदि इन छोटी मांगों के लिये भी आन्दोलन करना पड़ा तो फिर यह देश कहां जायगा ? इस उपेक्षा का अन्त होना चाहिये ।

अब दक्षिण भारत की जनता का धैर्य चुका जा रहा है । मुझे यही चेतावनी देनी है ।

†श्री ओझा (झालावाड़) : तीसरी पंचवर्षीय योजना मोटे रूप में दूसरी पंचवर्षीय योजना का ही विस्तृत रूप है, केवल यदाकदा आवश्यकतानुसार इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया है । हमने जो मार्ग अपनाया है वह जाना पहिचाना मार्ग है और इसी मार्ग से बढ़ कर कई अविकसित देशों ने तरक्की की है, अतः यह कहना कि इस पद्धति में परिवर्तन करना चाहिये गलत है । क्योंकि हम अपने विकास का आधा रास्ता तय कर चुके हैं ।

हमने जो मार्ग चुना है वह औद्योगीकरण का है । हमारे देश में एतिहासिक कारणों से उद्योगों का विकास नहीं हुआ है । इसलिये विशेषतः बुनियादी प्रकार के उद्योगों का विकास करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारे देश के व्यावसायिक ढांचे को बदलने में काफी सहायता मिलेगी, देश के विकास के लिये व्यावसायिक ढांचे को बदलना बहुत आवश्यक है जब तक देश के अधिकांश लोग उद्योगों की ओर नहीं झुकेंगे तब तक कृषि से भार नहीं हटेगा ।

योजना की सफलता के लिये दो चीजों का होना बहुत आवश्यक है, पहिला उत्साह और दूसरा त्याग करने की भावना । जब तक ये दोनों चीजें न हों तब तक हम योजना से सफलता की आशा नहीं कर सकते हैं । तथापि स्थिति यह है कि हम सरकारी कर्मचारियों में भी उत्साह की भावना नहीं भर सके हैं, स्वतंत्रता के बाद से सरकारी कर्मचारियों में एक आत्मतुष्टि और आलस्य की भावना आ गई है । उनमें यह विचार पैदा हो गया है कि यदि हम अपने कर्त्तव्य की उपेक्षा करेंगे तो भी हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और यदि हम परिश्रम से काम करेंगे तो भी उनकी कोई प्रशंसा करने वाला नहीं है । अतः हमें इस विषय की ओर गम्भीरता से विचार करना चाहिये और यदि कोई व्यक्ति प्रशंसा के योग्य काम करता है तो उसकी ठोस तरक्की की जाय और जो अपने कर्तव्य की अवहेलना करता है तो उसको समुचित दण्ड दिया जाय ।

निचले स्तर की सेवाओं के लोग अपने कर्त्तव्य से उपेक्षित होते जा रहे हैं । इस सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग को कुछ करना चाहिये । आयोग के पदाधिकारी राज्य की राजधानियों में बहुत

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री ओझा]

दूर बैठे हुए यह नहीं जान सकते कि जिला स्तर पर कर्मचारी किस प्रकार काम कर रहा है, और वहां की जनता को किस प्रकार के लोगों की आवश्यकता है। सरकारी कर्मचारी का भविष्य केवल इसी बात पर निर्भर करता है कि उस का उच्च पदाधिकारी उस से प्रसन्न है या अप्रसन्न, यह नहीं होना चाहिये बल्कि जिन लोगों के बीच में वह काम करता है उन की राय की भी कद्र की जानी चाहिये। उस की पदोन्नति में उन का भी हाथ होना चाहिये। मेरे विचार से तीसरी योजना की क्रियान्विति में इन सेवाओं का महत्वपूर्ण योग रहेगा इसलिये इन प्रशासनिक सेवाओं के सुधारने और इन में सेवा तथा उत्साह की भावना भरना आवश्यक है तभी हम इन से अच्छे कार्य की आशा कर सकते हैं तभी अकुशलता तथा भ्रष्टाचार को दूर रखा जा सकता है।

ऋणों की राशि को तीसरी पंचवर्षीय योजना में बढ़ा कर ८५० करोड़ कर दिया गया है, तथापि इस से यह भ्रान्ति नहीं होनी चाहिये कि जनता इन ऋणों के सम्बन्ध में बहुत उत्साह दिखा रही है, इस का प्रमाण यह है कि अधिकांश ऋण संविहित संस्थाओं, बैंकों तथा बीमा कम्पनियों द्वारा खरीदे जाते हैं। इसी प्रकार यद्यपि छोटी बचतों से जमा होने वाली राशि को बढ़ा कर ५५० करोड़ रुपये किया गया है, तथापि मेरा अनुमान है कि जब तक देश में इस प्रकार का वातावरण नहीं पैदा किया जायगा कि लोग इस में खुशी से पैसा लगायें, यह राशि प्राप्त करना कठिन ही होगा।

दूसरी योजना के दौरान १००० करोड़ रुपये के अतिरिक्त करों का लक्ष्य रखा गया था। हम अनुभव करते हैं कि देश की जनता करों के भार से पिसी हुई है। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की जो राशि हम पर लादी गई है वह काफी अधिक है तथापि हमें देश के हित का ध्यान रखते हुए यह भार वहन करना है। अतः मेरा सुझाव यह है कि यदि हमें जनता से अधिक कर लेना है तो हमें चाहिये कि देश में ऐसा वातावरण पैदा करें कि लोग इस भार को स्वच्छा से स्वीकार करें।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

जनता को यह अनुभव होना चाहिये कि उन के करों का एक नया पैसा भी भ्रष्टाचार और अपव्यय में खर्च नहीं हो रहा है। वस्तुतः लोग त्याग करने को तैयार हैं तथापि उन्हें विश्वास होना चाहिये कि उन के धन का अपव्यय नहीं होने पावेगा। जब तक जनता में यह भावना पैदा नहीं की जायगी कि योजना का भार छोटे बड़े सभी व्यक्तियों पर बराबर पड़ रहा है और देश बड़े से बड़े नेता भी देश के हित के लिये वही त्याग कर रहे हैं जोकि एक सामान्य व्यक्ति को करना पड़ रहा है, तब तक हम सामान्य जनता से योजना में सक्रिय सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्रीय आयोजन के लिये ऐसा वातावरण पैदा करना अत्यन्त आवश्यक है इस के अभाव में योजना सफल नहीं हो सकती है।

†आचार्य कृपालानी (सीतामढ़ी) : यद्यपि मैं एक दल विशेष का सदस्य हूं तथापि मैं यह प्रयत्न करता हूं कि सभा में मेरी राय दलगत सिद्धान्तों पर आधारित न हो कर स्वतंत्र और निष्पक्ष हो।

योजना के मसविदे से ज्ञात होता है कि सरकार देश को पश्चिमी देशों के नमूने पर औद्योगीकरण करना चाहती है, ऐसा केन्द्र द्वारा नियंत्रित बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना के द्वारा किया जायेगा। इसीलिये इन बड़े उद्योगों को यथाशक्ति सहायता देने का उपबन्ध किया गया है, जबकि गृह तथा छोटे उद्योगों को जो सहायता दी गई है वह अस्थायी प्रकार की तथा अपर्याप्त है। योजना

---

†मूल अंग्रेजी में

के मसविदे से यह भी प्रतीत होता है, कि योजना आयोग को देश की बरोजगारी की जरा भी चिन्ता नहीं है। योजना आयोग के द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार दूसरी परियोजना से पूर्व देश में ५३ लाख व्यक्ति बेरोजगार थे यह संख्या तीसरी परियोजना में बढ़कर ७३ लाख हो जायगी । इस प्रकार आगामी योजनाओं में भी यह संख्या बढ़ती चली जायगी। फल यह होगा कि हम इस बेरोजगारी की सस्मया को हल करने में कभी भी समर्थ नहीं होंगे । इतना ही नहीं इस सम्बन्ध में योजना आयोग के अधीन जो कृषक श्रमिक जांच की गई है, उस के प्रतिवेदन में लिखा है कि खेतिहर मजदूरों को काम मिलने व उन के आय में कमी हुई है । इस से यह स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के पश्चात् से देश के सब से दरिद्र वर्ग की दशा और भी अधिक बिगड़ी है । जबकि इन लोगों को योजना का सब से अधिक लाभ मिलना चाहिये था । वस्तुतः हम गांधी जी के सिद्धान्तों के विरुद्ध काम कर रहे हैं ।

यह स्पष्ट है कि सरकार देश का औद्योगीकरण करना चाहती है, इसलिये हमें भी यही परिणाम सहने होंगे तो पश्चिम के औद्योगिक देशों को सहने पड़े थे । वहां पूंजीपतियों और गरीबों में आर्थिक विषमता बढ़ गई थी, साम्यवादी देशों में भी इस का यह प्रभाव हुआ कि व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो गई और अब धीरे धीरे वहां भी उच्च और निम्न वर्गों की आय में अन्तर बढ़ता जा रहा है ।

योजना की सामान्य रूप रेखा से यह ज्ञात होता है कि योजना निर्माताओं ने अपने अनुभव से लाभ उठाने का प्रयत्न नहीं किया है, अपितु अपनी इच्छा के अनुसार योजना बनाने का प्रयत्न किया है । उन्हों ने योजना के दौरान प्रति व्यक्ति आय में ५ प्रतिशत की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा है परन्तु यह किस प्रकार संभव होगा इस सम्बन्ध में उन्हों ने समुचित विचार नहीं किया है ।

योजना की सफलता के लिये सब से पहिला साधन उचित प्रशासनिक व्यवस्था है हम जिस प्रशासन पद्धति से काम ले रहे हैं वह बहुत पुरानी और समय के अयोग्य है उन को जिस प्रकार का प्रशासन या शिक्षा मिली है उस से वह जनता में उत्साह या प्रेरणा लाने के नितान्त अयोग्य हैं । वे अपने को एक पृथक वर्ग समझते हैं । देश को उन में से बहुतों के चरित्र पर भी सन्देह है। इसलिये यदि हम वास्तव में योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करना चाहते हैं तो हमें चाहिये कि वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया जाय ।

योजना के लिये दूसरी आवश्यक शर्त टैक्नीकल पदाधिकारियों की उपलब्धि है । हमारे देश में टेक्नीकल पदाधिकारियों की कमी है । जो विदेशी टेक्नीशियन हमारे देश में काम कर रहे हैं वे वास्तव में अपन कार्य के विशेषज्ञ नहीं, अपितु फिटर जोइंटर इत्यादि हैं । अतः मेरा सुझाव है कि टेक्नीशियनों और वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रक्रियाओं के जानकारों की पृथक पदालि बनानी चाहिये ।

योजना के लिये तीसरी आवश्यक शर्त यह है कि देश में औद्योगिक शांति बनी रहे । इसके लिये क्या रवैया अख्तयार किया जायगा इस सम्बन्ध में मसौदे में कुछ नहीं कहा गया है ।

अब मैं योजना के आर्थिक संसाधनों को लेता हूं । इनके सम्बन्ध में यह कहा गया है कि इन्हें करों, तथा देश के अन्दर और विदेशों से लियै हुए ऋणों के द्वारा पूरा किया जायगा । प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि वे अपनी चरम सीमा तक पहुंच गये हैं इन्हें अब बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है, तथापि हम फिर भी देखते हैं कि अमीर अधिक अमीर होते जा रहे हैं और गरीबों की हालत बिगड़ती जा रही है । विदेशी सहायता या ऋण के सम्बन्ध में मनमाने आंकड़े दिये गये हैं ।

[आचार्य कृपालानी]

यदि किसी भाग में कोई युद्ध छिड़ जाय तो सारे आंकड़े गलत सिद्ध हो सकते हैं । वस्तुतः ऐसी सहायता या ऋण का मिलना अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति पर निर्भर करता है । सरकारी उद्योगों से लाभ प्राप्त करने के बारे में जो अनुमान लगाया गया है, मेरे विचार से वह व्यवहारिक नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में हमें जो पहिले अनुभव हुआ है उसके आधार पर इसे व्यवहारिक नहीं कहा जा सकता है । प्रश्न यह होता है कि करों और ऋणों की राशि को किस प्रकार व्यय किया जायगा इस सम्बन्ध में योजना के निर्माताओं ने बिल्कुल आंखें बन्द की हुई है । हम जानते हैं करों से होने वाली आय का बहुत बड़ा भाग प्रशासन और अन्य विकासंतर व्यय में खर्च किया जाता है अतः इस ओर ध्यान देना अनिवार्य है ।

मूल्यों को स्थिर रखने की नीति के सम्बन्ध में योजना के मसविदे में जो कुछ भी कहा गया है वह स्पष्ट और परस्पर विरोधी है, जब यह बातें संसद सदस्यों की ही समझ में नहीं आ सकती हैं तो भला सामान्य जनता की कैसे समझ में आ सकती हैं, जिनके सहयोग पर योजना की सफलता निर्भर करती है ।

अब मैं जनसंख्या नियंत्रण का विषय लेता हूं । इस सम्बन्ध में योजना आयोग, भारत का राष्ट्रीय रजिस्टर और भारतीय आर्थिक गवेषणा परिषद की ओर से विभिन्न आंकड़े दिये गये हैं, जिनसे भारत की जनसंख्या ४० करोड़ से ४.२५ करोड़ पर ठहरती है । इस सम्बन्ध में सही आंकड़े देने का प्रयत्न किया जाना चाहिये ।

जहां तक योजना के लक्ष्यों का सम्बन्ध है, निसंदेह प्रसंशनीय लक्ष्य रखे गये हैं तथापि मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि प्रथम योजना के कुछ लक्ष्य ऐसे हैं जो आज तक पूरे नहीं हुए हैं । उदारणार्थ दूसरी योजना के दौरान इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य ५० लाख टन रखा गया था । जब कि हम २२.५ लाख टन से अधिक उत्पादन करने में समर्थ नहीं होंगे । इसी प्रकार कोयला उत्पादन का लक्ष्य दूसरी योजना के दौरान ६०० लाख टन रखा गया है, लेकिन दूसरी योजना के अन्त तक कुल उत्पादन ५०० लाख टन से अधिक नहीं होगा । यह भी ज्ञात हुआ है कि कोयले के उत्पादन में कमी के कारण लोहे और उर्वरकों के उत्पादन में बाधा पड़ी है । इतना ही नहीं यह भी ज्ञात हुआ है कि राउरकेला की धमन भट्टी भी कोयले और लौह अयस्क की कमी के कारण पांच महीनों तक चालू नहीं हो सकेगी ।

इसलिये यदि ऐसी योजना के प्रति जनता की कोई दिलचस्पी न हो तो जनता को दोष नहीं देना चाहिये, दोष उन योजना निर्माताओं का है जिन्हों ने ऐसी अव्यवहारिक योजना बनाई है ।

संसाधनों में वृद्धि करने की अपेक्षा हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि उपलब्ध संसाधनों का अधिकाधिक लाभ उठाया जाय । इस के लिये अपव्यय रोकना और अनावश्यक विशाल इमारतें खड़ी करना व्यर्थ है । वस्तुतः हमें पहिले चारों ओर होने वाला यह अपव्यय और भ्रष्टाचार रोकना चाहिये ।

यदि सरकार योजना में जनता का सहयोग प्राप्त करना चाहती है तो उन्हें चाहिये कि वे जनता की सामान्य मुसीबतों का ख्याल रखें । प्रशासकों को जनता के बीच उन्हीं की तरह रहना चाहिये । उन्हें जनता की भावनायें समझते हुए काम करना चाहिये ।

अन्त में मेरा सुझाव यह है कि उद्योगों का अग्रेतर प्रसार करने के पूर्व हम अपने वर्तमान उद्योगों से पूरी क्षमता में काम लेवें । देश भर में सामुदायिक परियोजनाओं को विस्तृत करने के पूर्व वर्तमान परियोजनाओं से ही यथाशक्ति लाभ उठाने का प्रयत्न करें । जनता को भी बढ़ती हुई कीमतों, करों और मुद्रास्फीति से कुछ विश्राम मिलना चाहिये । जिस से उन्हें भी योजना का लाभ मिल सके ।

हमें निःसन्देह आगे प्रगति करनी चाहिये तथापि हमारी प्रगति की चाल धीमी और सुदृढ़ हो। यदि सरकार किसी काम को बड़े पैमाने पर करना ही चाहती है तो उन्हें चाहिये कि वे प्रशासन और शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करें तथा सम्प्रदाय, भाषा और प्रान्त गत विवाद जिन से देश की एकता को खतरा पैदा हो गया है उन्हें दूर करें।

†श्री अ० चं० गुह (बारसाट): श्री कृपालानी ने मुझ से पूर्व तीसरी योजना के सम्बन्ध में विस्तृत भाषण दिया है। मुझे यह जान कर आश्चर्य हुआ है कि उन्होंने पहिली और दूसरी योजना की काफी आलोचना की है यहां तक कि भावी योजनाओं की भी आलोचना की है लेकिन प्रशंसा का एक शब्द भी नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयले और इस्पात के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हुई है, इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि इस सम्बन्ध में काफी प्रारम्भिक कार्य हो चुका है और मैं आशा करता हूं कि कुछ ही महीनों के भीतर बिना अधिक पूंजी लगाये हुए उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है। श्री कृपालानी ने कहा है कि वे सभा में किसी दल विशेष के व्यक्ति की हैसियत से नहीं बोलते हैं, यह बात अधिकांश कांग्रेसी सदस्यों की ओर से भी कही जा सकती है, हम लोग भले ही मत देते समय दलगत नियमों का पालन करते हों तथापि विधेयकों और संकल्पों पर अपना स्वतंत्र मत प्रगट करते हैं।

अब मैं इस योजना के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहिले यह कि पहिली दोनों योजनाओं की क्रियान्वित पर्याप्त सफलता पूर्वक हुई है। निसन्देह उसकी क्रियान्वित में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है जो अनिवार्य हैं तथापि हमें पूरा विश्वास है कि तीसरी योजना भी सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो सकेगी। प्रधान मंत्री ने चर्चा को आरम्भ करते हुए बुनियादी उद्योगों के महत्व पर प्रकाश डाला था। निसन्देह इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। यदि हमें अपने देश की जनता की प्रति व्यक्ति आय में ५ प्रतिशत की वृद्धि करनी है तो हमें इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। वस्तुतः यह योजना जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है कि दूसरी योजना का ही विस्तृत रूप है। जब हम दूसरी योजना के लक्ष्यों को स्वीकर कर चुके हैं तो हमें इस योजना के लक्ष्य पर कोई बुनियादी आपत्ति नहीं होनी चाहिये। प्रश्न केवल पूर्ववर्तिताओं और उनके क्रियान्वित करने के तरीके का है इस सम्बन्ध में निसन्देह मतभेद हो सकता है।

तीसरी योजना के मसविदे में बेकारी और कीमतों पर एक छोटा पैरा दिया हुआ है ये दो बहुत महत्वपूर्ण समस्यायें हैं, इनको एक पैरा में ही सीमित रखना उचित नहीं था बेकारी की समस्या बहुत भयंकर है, क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि योजना के प्रारम्भ में ५३ लाख व्यक्ति बेकार थे, यह अनुमान लगाया गया था कि योजना के दौरान एक करोड़ व्यक्तियों को काम दिया जायेगा, और समान व्यक्तियों को रोजगार की तलाश रहेगी तथापि दूसरी योजना के दौरान ६५ लाख से अधिक व्यक्तियों को काम नहीं मिल सका, इस प्रकार तीसरी योजना के प्रारम्भ में ९० लाख व्यक्ति बेरोजगार रहेंगे। यह समस्या काफी कठिन है। मैं आशा करता हूं कि श्रम तथा रोजगार मंत्री इसका स्पष्टीकरण करेंगे।

योजना के मसविदे में इस सम्बन्ध में भी कुछ नहीं कहा गया है कि कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की जायेगी। निसन्देह सरकार इस सम्बन्ध में उपेक्षाकृत गम्भीर रूख धारण करेगी क्योंकि सरकार को केन्द्रीय कर्मचारियों को मंहगाई का एक अंश

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० चं० गुह]

मंहगाई भत्ते के रूप में देना होगा, इसका यह परिणाम होगा कि यदि मंहगाई होगी तो सरकार को स्वयं इसकी कीमत चुकानी होगी, हाल की हड़ताल का यदि कोई शुभ परिणाम हुआ है तो वह यही है ।

अब मैं विभिन्न आय वर्गों की आय की विषमता के प्रश्न को लेना चाहता हूं, प्रधान मंत्री ने तक इस सम्बन्ध में यह कहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में ४२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है लेकिन समझ में नहीं आया कि यह वृद्धि कहां चली गई है। यह एक गम्भीर विषय है जिसकी जांच की जानी चाहिये । यदि सारी आय का लाभ केवल ५ या ६ प्रतिशत व्यक्तियों को ही मिलता है और अधिकांश व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनकी हालत दिनों दिन गिरती जा रही है तो यह और भी बुरी बात है । सरकार को इस स्थिति की जांच करनी चाहिये ।

मसौदे में कहा गया है कि ८५० करोड़ रुपये की राशि ऋणों से प्राप्त की जायेगी । निसन्देह ऋणों से यह राशि प्राप्त करने में कोई आपत्ति नहीं है तथापि ऐसा नहीं होना चाहिये कि यह राशि राज्य बैंकों या भारत रक्षित बैंक से प्राप्त की जाये, क्योंकि इससे ऋणों का जो सामाजिक उद्देश्य है वह पूरा नहीं होता है । मसविदे में यह कहा गया है कि ५५० करोड़ रुपये की राशि घाटे की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरी की जायेगी में आशा करता हूं कि इस राशि में आगे कोई वृद्धि नहीं की जायेगी ।

मसौदे में कहा गया है कि योजना के दौरान करों से होने वाली आय का अधिकांश भाग अप्रत्यक्ष करों से वसूल किया जायेगा इस सम्बन्ध में मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अप्रत्यक्ष करों का जनता के जीवन स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, अतः अप्रत्यक्ष कर लगाते समय वस्तुओं का चुनाव बहुत सावधानी से करना चाहिये ।

मसौदे से यह भी ज्ञात होता है कि सरकार का यह मत है कि प्रत्यक्ष कर लगाने का क्षेत्र अब बहुत कम रह गया है । मेरे विचार से यह बात गलत है, क्योंकि अभी भी बहुत सी ऐसी आय है जिस पर किसी प्रकार का कर नहीं लगता है उदाहरणार्थ औद्योगिक उपक्रमों को पहिले तीन चार वर्षों में होने वाली आय पर किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता है । मेरा सुझाव है कि इस दिशा में भी सरकार को ध्यान देना चाहिये । क्योंकि आय और धन की विषमता के दूर करने की दृष्टि से भी यह आवश्यक है । इस सम्बन्ध में, मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि उद्योगों का लाइसेंस और आयात लायसेंस उन्हीं व्यक्तियों को मिलता है जो उस क्षेत्र में काम कर चुके हों, सरकार की इस नीति से नये उपक्रमियों को कठिनाई होती है । अतः सरकार को तत्सम्बन्धी नीति बदलनी चाहिये ।

योजना में स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण अपनाया गया है, यह बहुत अच्छी बात है । तथापि इसके लिये हमें आन्तरिक बचत तथा निर्यात करने की क्षमता पर निर्भर रहना होगा । जहां तक हमारी विदेशी मुद्रा कमाने की क्षमता का सम्बन्ध है उसमें आशानुरूप वृद्धि नहीं हुई है । पिछले वर्षों के आंकड़ों की तुलना में उसमें कमी हुई है ।

अन्त में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि योजना सम्बन्धी जो प्रचार कार्य किया जा रहा है, वह बहुत ढीला और प्रभावहीन है, अतः उसका पुनर्गठन करने की आवश्यकता है ।

†श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): सभापति महोदय, तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पर जब बहस हो रही है तो हमारी आंखों के सामने दो तस्वीरें हैं। मैं समझता हूं कि उन तस्वीरों को अगर सही तरीके से हम देख सकें और उन पर विचार कर सकें तो शायद प्लैन के बारे में जो हमारा नजरिया है वह सही होगा। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात शुरू हो रही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना तकरीबन खत्म होने पर है। लेकिन आज जो तस्वीर हमारे सामने है वह है क्या? अगर आप देखें तो एक तरफ सन् १९४७ के बाद की तस्वीर है। जो इस देश में लखपति थे वे खुशकिस्मती से करोड़पति हो गये, करोड़पति जो लोग थे वे अरबपति हो गये, जो एक मिल के मालिक थे वे दस मिलें चलाने लगें, जिस के पास एक आलीशान इमारत थी वह अब दस आलीशान इमारतों का मालिक हो गया, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक शख्स जिसकी आमदनी सिर्फ १०० रु० थी महीने में उसकी कमर टूट गई। उस के १०० रु० की कीमत सिर्फ ६० रु० रह गई, ६० रु० महीना पाने वाले की कीमत सिर्फ ४० रु० रह गई, ४० रु० महीना पाने वाला बेकार भी हुआ और बेकारी की हालत में रोजगार और भर्ती के दफ्तर में चक्कर लगाता हुआ परेशान हो कर खुदकशी की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ आप देखिये, पहले जो एक मामूली मकान में रहता था, मंहगाई ने उस की कमर तोड़ दी और वह झोपड़ी में रहने लगा, झोपड़ी में रहने वाला सड़क पर लेटने लगा और सड़क पर जो लेटता था वह बिना कफन मरघट की तरफ चलने लगा। यह सही तस्वीर है हमारे देश की। मैं नहीं कहता कि देश में प्रगति नहीं हुई। अभी कुछ दिन पहले मुझे विदेश जाने का मौका मिला, वहां जब मैं ने सीलोन, इंडोनेशिया और बर्मा की बात को सुना तो मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि मुझे काफी गौरव अनुभव हुआ। हालांकि मैं उन देशों में गया नहीं, लेकिन मैं ने मालूम किया कि उन जगहों में वह उन्नति नहीं हुई जो हमारे देश में हुई है। लेकिन यह बात भी सही है कि जो मैं आप के सामने रख रहा हूं कि एक तरफ तो लोग आज रैनबसेरा के लिये तपड़ रहे हैं और दूसरी तरफ चैन-बसेरा में रह कर भी लोगों को चैन नहीं है। लोग और भी ज्यादा मुनाफेखोरी की बात सोच रहे हैं। यह देश की बिल्कुल सही तस्वीर है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात जब भी हम लोग सोचते हैं तो हमारे सामने यह तस्वीर आती है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी अगर कामयाब होती है तो हमारे बाल बच्चों की मुस्कराहट कायम रहती है और अगर नाकामयाब रहती है तो वह नाकामयाबी सिर्फ प्लैन की नाकामयाबी नहीं होगी, बल्कि देश की करोड़ों जनता की नाकामयाबी होगी, हमारे बच्चों का भविष्य अन्धकार में चला जायेगा।

दूसरी पंचवर्षीय योजना का जब एलान हुआ था तो मुझे याद है कि ८ मिलियन न्यू जाब्ज, ८० लाख लोगों को नौकरियों के मिलने का विश्वास दिलाया गया था और लोगों की रगों में उस से एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। लोग समझने लगे कि उनको नौकरियां मिलेंगी। लेकिन ठीक तीन या चार महीने के बाद तरह तरह की छंटनियां शुरू हुईं, रिट्रेंचमेंट हुआ और उसके बाद ८ मिलियन को रिड्यूस कर के ६.५ मिलियन हुआ। अब की मर्तबा आप दस मिलियन से भी ज्यादा की बात सोच रहे हैं, तकरीबन १५ या १६ मिलियन की। लेकिन बेकारी की तादाद बढ़ती जा रही है, यह बात बिल्कुल सही है। आप देखिये कि आज एक दौड़ हो रही है। एक तरफ भुखमरी की दौड़ है और दूसरी तरफ बेकारी की दौड़ है। मुझे मालूम नहीं कि आखिर में कौन दम तोड़ेगा, आखिर में किसकी जीत या हार होगी। लेकिन उस दौड़ को हम लोगों को रोकना भी चाहिये। अगर आप आज

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० मो० बनर्जी]

कहते हैं कि दस मिलियन लोगोंको जाब्ज मिलेंगे तो आपको देखना होगा कि ऐसे वायदे हमारी सरकार न करे जो पूरे न हो सकें। भूखों के सामने अगर पूरी रोटी की बात रखी जाती है तो कहीं ऐसा न हो कि अगर आप उनको पूरी रोटी न दे सकें तो एक दिन वे आपको जिम्मेदार ठहरायें कि आपने गलत वायदे किये हैं। मैं कहता हूं कि आज तीसरी पंचवर्षीय योजना की, या पंचवर्षीय योजनाओं की बातेंचुनाव के वायदों से अलग होने चाहियें। चुनाव जीवन का आखिरी मकसद नहीं है। देश हमारे चुनाव से ज्यादा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम आज रोटी और रोजी की बात जब लोगों के सामने की जाती है, जब नई नौकरियों की बात की जाती है, तो यह सोच लिया जाय कि वाकई में हमारी हैसियत क्या है? कहां तक हम नौकरियां दे सकते हैं। वर्ना यह न हो जैसे कि ८ मिलियन जाब्ज का जब आपने वादा किया था और वह पूरा न हो सका, उस के बाद धीरे धीरे लोग बेरोजगार होने लगे और सरकार के खिलाफ उनके दिलों में एक क्रोध, एक रोष पैदा हो गया। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस के बारे में हमारी प्लैनिंग सही तरीके से हो कि हम कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं। प्लैन कामयाब हो, यह देश का हर एक नागरिक चाहता है। मैं उस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो रंगा साहब ने कही। मेरे मोअजिज़ दोस्त ने स्वतंत्र पार्टी की स्वतंत्रता की हैसियत से बातें कीं। उन्होंने कहा कि इस प्लैन से हम सहयोग नहीं करेंगे। अगर आप प्लैन से सहयोग नहीं करते तो आप अपने वजूद को भूल रहे हैं। अगर आप वाकई प्लैन की मुखालिफत करते हैं या चाहते हैं कि प्लैन नाकामयाब हो तो यह देश के लिये घातक होगा। अगर कोई आलोचक के रूप में आलोचना करना चाहे तो हर एक को ताकत है और वह कर सकता है। लेकिन वाकई में राष्ट्र का उत्थान होना चाहिये, राष्ट्रीय उद्योग बढ़ें, पब्लिक सेक्टर का एक्सटेंशन हो, देश में औद्योगीकरण हो, क्या वाकई में लोग उसके खिलाफ हैं? लेकिन इस औद्योगीकरण के माने, इस राष्ट्रीयकरण के माने, कहीं ऐसे न हों कि मुनाफाखोरी बढ़े, वह मुनाफाखोर, जो देश की पूंजी को समेटे जा रहे हैं, कहीं उनको ठेस न लगे, आखिर डर न हो कि मुनाफाखोरों के मुनाफे में ठेस लगेगी। उनके मुनाफे के लिये कह दिया गया है कि वह रहेगा। इसलिये मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आज एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इस प्लैन की तरफ हम लोग देखें। मैं जब यह बात कहता हूं तो हो सकता है कि छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा होऊं, , लेकिन तब भी मैं महसूस करता हूं कि प्लैन को अगर कामयाब करना है तो एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हमें देखना है। आलोचना भी हमें वही करनी है जिससे वाकई में इस प्लैन को धक्का न लगे, प्लैन को कामयाब करने के लिये, प्लैन से सहयोग करने के लिये हमारी आलोचना होनी चाहिये।

विदेशी पूंजी हमारे देश में आये। उससे हमें कोई विरोध नहीं क्योंकि एक दफ़ा जब मैंने इस सदन में कहा था कि मुझे खतरा होता है कि यह विदेशी पूंजी हमारे देश की रगों में समा न जाय और जिन विदेशियों को हमने देश से हटा दिया, वह बनिये की शक्ल में हमारे देश में फिर न आ जाय, तो वित्त मंत्री जी ने विश्वास दिलाया था कि ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज हमारे देश में बहुत काफी विदेशी पूंजी आ रही है। यह बात मैं इसलिये कहता हूं कि जब कभी मैं वर्ल्ड बैंक या इंटर-नैशनल मानिटरी फंड के आदमियों की स्पीचेज पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं कि हमारा देश शायद दुनिया में सब से ज्यादा मकरूज है। मुझे इससे खुशी नहीं होती। मैं कहता हूं कि कर्ज विदेशों से लिया जाय, जितनी भी जरूरत हो, प्लैन्ड एकानमी के लिये कर्ज जरूर लिया जाय क्योंकि उस में इस की जरूरत होती है, लेकिन हम अच्छे तरीके से देखें कि इस देश को बनाने के वास्ते हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं। क्या यह बात सही नहीं है कि सब से ज्यादा जिन रिसोर्सेज की देश के लिये जरूरत है वह मैन पावर है? क्या हमारे देश में उस की कमी है? क्या हम उसका प्रापर यूटिलाइजेशन नहीं

कर सकते हैं ? लेकिन आज वह जागृति कहां है ? लोगों में आज वह प्रेरणा कहां है ? मैं जानना चाहता हूं इस सदन से, मैं जानना चाहता हूं अपने प्रधान मंत्री से, योजना मंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से, कि वह प्रेरणा कहां है देश में कि तीसरी पंचवर्षीय योजना को कामयाब करने के लिये किसान अपने खेतों से मजदूर अपनी मिलों से आकर कहें कि हम उसके लिये क्या काम करें ? आखिर क्या चीज है जो नहीं है ?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी लेबर पालिसी के बारे में मैं इस किताब में पढ़ रहा था। योजना मंत्री जी, जो श्रम मंत्री जी भी हैं, उन्होंने उसमें बहुत सी छोटी छोटी चीजें कही हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में मजदूरों और मालिकों के रिश्तों को अच्छा करने के लिये जो बातें हुई हैं, हम लोगों ने उनका स्वागत किया है। भले ही आज हम पन्द्रहवीं लेबर कांफरेंस की बात न उठायें, क्योंकि उन को उठाने से शायद कुछ खतरा पैदा हो जाता हैं, इस लिये कि पंद्रहवीं लेबर कांफरेंस के फैसले हमारी आंखों के सामने हैं, सोलहवीं लेबर कांफ्रेंस के फैसले जो मजदूर, मालिक और सरकार तीनों ने मिल कर किये हैं, वे हमारे सामने हैं, लेकिन उन पर अमल कब किया जायेगा ? मैं कहता हूं कि आप लोग चाहते हैं कि मजदूर की सहानुभूति, मजदूरों से अलग जो लोग हैं उनकी भी सहानुभूति देश का निर्माण करने में लगे, लेकिन वह कैसे होगी ? आप दूसरी तरह के फैसले कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर के लिये, जिसके कन्धों पर मैं समझता हूं बहुत काफी हद तक इस प्लैन की कामयाबी मुनहसर है, आप क्या करने जा रहे हैं ? मैं हड़ताल की बात नहीं लाना चाहता हूं, लेकिन आज उनकी यूनियनों, फेडरेशनों की मान्यता खत्म करके आखिर आप किस तरीके से बातचीत करेंगे ? क्या यह जरूरी बात नहीं है। आप एक मशीनरी बनाने जा रहे हैं उनसे बात करने के लिये, लेकिन १८वीं लेबर कांफरेंस से पहले ही, जिसके अजेंडा पर एक आइटेम है "इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स इन पब्लिक सेक्टर" उस पर बहस होने से पहले ही कहीं मान्यता खत्म न हो जाय ? आज जो लोग बेकार हैं, सस्पेंडेड हैं, डिसमिस्ड हैं, या जिनको सजायें हो चुकी हैं, मैं आपसे पूछता हूं क्या वे देश के पूरे नागरिक नहीं हैं ? क्या प्लैन के लिये समर्थन उनसे नहीं लेना है ? इसलिये मैं चाहता हूं कि जो आप की नई लेबर पालिसी है, उसको आप सही तरीके से लागू करें और यह जो विषमता है, आपस में जो विद्वेष है उसे दूर करना है। हो सकता है कि आपको नाराजगी हो कि आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लायीज, मर्कजी हुकूमत के जो काम करने वाले हैं, उन्होंने ऐसा किया क्यों ? लेकिन क्या उसका दंड यही है कि उनकी मान्यता ले ली जाय, उनको मौका न मिले कि वे आपसे बहस कर सकें कि किस तरह से मालिक और मजदूरों में समझौता हो सकता है ? आज हड़ताल का युग नहीं है, मैं भी इसे समझता हूं, लेकिन आखिर उनमें समझौता किस तरह से हो, क्या बेसिस हो, क्या आधार हो, इस पर बहस करने की जरूरत है। लेबर पालिसी में हमको देखना चाहिये कि अगर उनकी मान्यता खत्म हो गयी है, तो वह खत्म नहीं होनी चाहिये।

दूसरी बहुत ही इम्पार्टेंट बात उन्होंने कही :

> "ट्रेड यूनियन राइवेलरीज़" के कुछ "अनफार्चुनेट एस्पेक्ट्स" के बारे में कुछ कदम उठाने होंगे।

हमारे योजना मंत्री जो खुशकिस्मती से हमारे देश के श्रम मंत्री भी हैं, वे महसूस करते हैं कि वह अनफार्चुनेट है, लेकिन उसके लिये सुझाव क्या है ? मैं जानता हूं कि अभी इसी सदन में बहस हुई है, जब यह कहा गया कि इसमें आउटसाइडर न रहें। मेरे मोअज्जिज़ दोस्त श्री काशी नाथ पांडे ने कहा कि इस में आउटसाइडर न रहें,

[श्री स० मो० बनर्जी]

यह बात नहीं है, लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव काम करें वे रहें और जो डिस्ट्रक्टिव काम करें वे जायें। ऐसा मालूम होता था कि वे भी आज अनएम्प्लायमेंट के शिकार हो रहे हैं। मैं कहता हूं कि आज ट्रेड यूनियन्स में राइवेलरी है क्यों? आज इस सदन में बहस करने में मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज में जो राइवेल पार्टीज हैं वे इस तरह सही तरीके से फैसला कर लें। आज अगर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लायीज इस हद तक अपनी यूनियन्स को चला सकते हैं कि वहां पर आउटसाइडर्स की जरूरत नहीं है, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि पब्लिक सेक्टर से ट्रेड यूनियन राइवेलरी दूर हो जायेगी। लेकिन ट्रेड यूनियन राइवेलरी हम और आप लाते हैं और उसके बाद बहस करने की कोशिश करते हैं कि यह राइवेलरी कौन लाया और किस तरह से इसको निकाला जाए। । मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं कहता हूं कि हर इंडस्ट्री में एक यूनियन हो और उसका चुनाव रेफेरेंडम के आधार पर हो या किसी प्रजातांत्रिक आधार पर हो। मैं इसका स्वागत करता हूं।

दूसरी चीज मैं अपने प्रदेश के बारे में दो मिनट में और कहना चाहता हूं। योजना मंत्री जी को मालूम है कि हमारे प्रान्त के मुख्य मंत्री जी ने एम० पीज़ की एक कानफरेंस बुलायी थी। अक्सर इस सदन में जब उत्तर प्रदेश की बात होती है तो हमारे मित्र समझते हैं कि उत्तर प्रदेश तो खुशहाल है और जन्नत बना हुआ है। और वहां से जो भी रुपये की मांग की जाती है वह ग़लत है।

मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश कोई कल्चुरली बैकवर्ड नहीं है। और किसी तरीके से भी आज उतर प्रदेश वैकवर्ड नहीं हैं। लेकिन जो उसके ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हैं आज यह प्रश्न है कि उनकी किस तरीके से तरक्की हो। आज ही सुबह एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि तीसरी योजना में कोर आफ दी प्लान में कुछ प्रोजक्ट्स ली जाएंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक रिहन्द डैम की प्रोजक्ट शुरू की गयी है, उसमें भी फारिन एक्सचेंज की बड़ी दिक्कत आयी। आज भी उसको जिस तरह से पूरा होना चाहिये उस तरह से नहीं हो पाया है।

आप जानते हैं कि बुंदेलखंड का इलाका बंजर पड़ा हुआ है। लेकिन माता टीला योजना के बारे में उनको कोई जवाब नहीं मिला है। देहरादून में जमना हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में कहा गया लेकिन कभी किसी चीज की कमी रह जाती है कभी किसी चीज की लेकिन हम देखते हैं कि उसे पूरा करने की कोशिश नहीं की गयी।

इसलिये मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश की जो मांग है उस पर विचार किया जाए और सिर्फ यह देख कर कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, उसमें ५२ जिले हैं उसको खुशहाल न समझ लिया जाए और उसकी मांग पर उचित ध्यान दिया जाए। आशा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस बारे में कोशिश करेगी और यह नहीं समझा जायेगा कि यह एक पैरोकियल मांग है।

इन शब्दों के साथ मैं फिर यकीन दिलाना चाहता हूं योजना मंत्री जी को कि मजदूर आपको देश के औद्योगिक विकास के लिए पूरा सहयोग देंगे, लेकिन हमें कुछ सहारा चाहिए, उनके लिए रोटी, कपड़े और मकान का प्रबन्ध होना चाहिए। उस छोटी सी संस्था की ओर से जिसको रिप्रजेंट करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम पूरा सहयोग देंग और मुनाफा खोरों से मुनाफा छीनने की कोशिश करेंगे।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (प्रतापगढ़) : सभापति जी, जब मेरे पूर्व वक्ता ने अपना भाषण प्रारम्भ किया तो मैंने समझा कि उन्होंने इस योजना के सम्बन्ध में एक ऐसी धारणा बना रखी है मानों यह योजना लोगों को कसदन गरीब बनाने के लिये बनायी जा रही है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं ने ऐसा नहीं कहा।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : आपने बताया कि जो लोग बड़े बड़े घरों में रहते थे वह निकल कर छोटे घरों में गये और फिर वहां से झोंपड़ियों में गए और फिर सड़कों पर पहुंचे।

श्री एन० सी० बनर्जी : कुछ आदमी ऐसे हैं।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मुझे यह सुन कर ताज्जुब हुआ और उससे भी अधिक ताज्जुब तब हुआ जब उन्होंने सदन से अपील की कि यह योजना तो है ही, इसका समर्थन करना चाहिए और बिला समर्थन किए हुए और कोई मार्ग ही नहीं रह जाता। मैं नहीं समझता कि यह जानते हुए कि यह योजना लोगों को महलों से सड़कों पर ले जाने वाली है और फिर भी इस योजना का समर्थन किया जाए।

श्री एन० सी० बनर्जी : दो तस्वीरें मेरी आंखों के सामने हैं। मैंने यह नहीं कहा कि इस प्लान से लोग और गरीब होते जा रहे हैं। मैंने तो विदेशों तक में जाकर डंके की चोट प्लान के बारे में कहा है, आपने शायद न कहा होगा।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : खैर, अब सही।

जब उन्होंने फरमाया कि इस योजना का समर्थन करना है, तो मैंने सोचा कि इस योजना में जरूर कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें पसन्द हैं।

इस योजना में दरअस्ल जो हमारा मसविदा बना हुआ है उस मसविदे की ओर हमारा ध्यान जाना आवश्यक है। योजना के पीछे जो विचारधारा है उस के बारे में कोई सन्देह नहीं है। इस हाउस में किसी को शुबहा नहीं हो सकता कि यह हमारी नीयत है कि जहां तक हो सके हम इसका जो अन्तिम उद्देश्य है उसको पूरा करें। अन्तिम उद्देश्य इस में कोई सन्देह नहीं है कि हमारी किसी योजना का यह हो सकता है कि हम बीच में कुछ भी करते जायें लेकिन अन्त में हम अपने देश के नागरिकों को भोजन, वस्त्र और जीवन का जो सुख हो सकता है उनको दे सकें और अगर यह हम उनको दे सकें तब हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है। इस उद्देश्य को सामने रखते हुए हमारी इस योजना में जो प्रयास किया गया है, सारे साधनों को उपलब्ध करने का और इस कार्य के चलाने का, मैं देखता हूं कि उस में कमी है। विशेष कर जैसे मैं ने अभी आप से निवेदन किया सब से बड़ा उद्देश्य हमारी इस योजना का यही हो सकता है कि हमारे नागरिकों को साधन उपलब्ध हों। जीवन के साधन उपलब्ध हों जिस के लिए कि उन को काम मिलना आवश्यक है। बेकारी उन की न रहे। अनएम्प्लायमेंट जो है यह जरूर ही मिट जाय। इस में कोई सन्देह नहीं है कि इसका यह उद्देश्य है परन्तु बेकारी की हालत जो है अभी मेरी समझ में जैसी हालत हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में थी उस से कुछ बदतर हालत हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में थी और मैं समझता हूं कि पता नहीं क्या हालत हमारी इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पहुंचे क्योंकि हर योजना में हम कुछ लोग तो ऐसे छोड़ते ही आये हैं जो बेकार हैं और जिन के कि लिए हम कुछ प्रबन्ध करने सकने में असमर्थता महसूस कर रहे हैं। पहली योजना के बाद भी जब हम दूसरी योजना उठाने लगे तब भी बेकार पड़े लोगों के अतिरिक्त हमने यह समझा कि एक करोड़ तक आदमी और होंगे जिनको कि हमें सम्भवतः काम देना पड़ेगा। उस एक करोड़ आदमियों में से अधिक

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

से अधिक अगर हम प्रबन्ध कर सकते थे तो ८० लाख आदमियों का प्रबन्ध कर सकते थे । लेकिन करते करते हम यहां पहुंचे कि कोई ६० या ६५ लाख आदमियों का ही शायद प्रबन्ध किया होगा। फिर उस में भी कुछ बाकी रह गये । पिछली योजना के हमारे बाकी थे ही और फिर जैसे आबादी हमारी तेजी के साथ बढ़ रही है अब जान पड़ता है कि इस योजना के समय में अगर कुछ नहीं है तो हिसाब लगाने से यह पता चलता है और इस सारे पांच साल का हिसाब लगा लें कि कितनी आबादी हमारी बढ़ जायगी तो कोई २ करोड़ के करीब नागरिक ऐसे होंगे जिनको कि काम देना आवश्यक जान पड़ता है । इस के लिए हम क्या प्रबन्ध कर रहे हैं ? इस के लिए हम क्या सोच रहे हैं ? क्या तरकीबें हमारे इस ड्राफ्ट् में इस मसविदे में दी हुई हैं, यह एक विचारणीय बात है । दरअसल इस में कोई सन्देह नहीं है कि हम जब कभी बहस करते हैं तो इसी जगह पर आते हैं कि अगर हम को लोगों को काम देना है तो इस तरीके की योजनाएं बनानी हैं, ऐसी योजनाओं का प्रबन्ध हम को करना है जिस में कि आदमियों की ज्यादा आवश्यकता पड़े जिस में कि मशीनें काम को ज्यादा न उठायें और ऐसी योजनाएं यह हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, कौटेज इंडस्ट्रीज़, स्मौल स्केल इंडस्ट्रीज या इसी तरह की दूसरी इंडस्ट्रीज की हैं। मैं इस योजना में देखता हूं कि इन दोनों के जोड़ने का प्रयास नहीं किया गया है । कम से कम कोई सफाई. इस प्वांएट पर मैं ने नहीं पाई । अब हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस बात पर ज्यादा सफाई थी। कैलकलेट कर के हिसाब किताब लगा कर कि कहां हम पहुंचते हैं और कहां नहीं पहुंचते और किस तरीके से हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं, यह सारी बातें कुछ ज्यादा साफ होनी चाहिए थीं । सम्भव है कि हमारा यह ड्राफ्ट जो इस समय का है अभी उसका विस्तार हो और उस विस्तार में और बातें साफ हो सकें लेकिन जहां तक मैं ने इस में पाया उस को देखते हुए यह जान पड़ता है कि वह सफाई जो इस पर होनी चाहिए और जितना उस में बल उन को देना चाहिए इन छोटे उद्योग धन्धों पर जिनकी कि मार्फत हम काम लोगों को दे सकते हों, उस पर इतना जोर नहीं दिया गया है । कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता । जिस तेजी के साथ हमारे यहां पर काम करने वालों की वृद्धि हो रही है उन को हम किसी तरीके से भी काम दे सकें और जब तक उनको हम काम नहीं दे सकते हैं तब तक चाहे कितनी ऐसी योजनाए हम चलायें, चाहे हम कितने ही बड़े बड़े कल कारखाने क्यों न खोलें, चाहे कितनी ही इस्पात की पैदावार हम क्यों न बढ़ा लें, हमारा वह अन्तिम उद्देश्य जिस के कि लिए हम सारा कारोबार चला रहे हैं कभी पूरा नहीं होता है ।

इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि इस मसविदे पर विशेष ध्यान दिया जाय और इस विषय पर विचार कर के इस को साफ करने का प्रयास किया जाय क्योंकि आज की स्थिति पहले से ज्यादा गम्भीर हो गई है और अंदेशा है कि वह और गम्भीर होती जा सकती है अगर इस वक्त इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।

इस के बाद मैं चाहता था कि थोड़ा सा आपका ध्यान कुछ और भी विषयों पर दिलाऊं जिस से कि हमारा जीवन को सुखी बनाने का जो अन्तिम लक्ष्य है, वह पूरा हो सकता है । लेकिन ऐसी महत्वपूर्ण समस्या जो हमारे सामने रोज आ जाती है और जिस में कोई सन्देह नहीं है कि वह बुनियादी समस्या है और वह समस्या हमारे भोजन की है, फूड की है । उस के सामने आ जाने पर बिला उस को हल किये हुए

ग्रौर कोई काम सोच भी नहीं सकते हैं ग्रौर सोचना भी चाहें तो कहीं कारगर नहीं हो सकता है । हमारी ग्रन्न की समस्या, इन कुछ महीनों में, जो ग्रक्सर दिक्कत हमारे सामने हर साल ग्राया करती थी, इस साल कुछ हलकी लगती है । सम्भव है उस का कारण यह भी हो कि पैदावार हमारी ठीक हो गई थी ग्रौर कुछ कारण यह भी हो कि हम बाहर से बहुत काफी गल्ला ला रहे हैं, बाहर से गल्ला हम ग्रवश्य मंगा रहे हैं लेकिन यह बाहर से गल्ला मंगा कर कब तक हम ग्रपनी हालत ग्रच्छी बनाये रक्खेंगे, यह बड़ा संदिग्ध है । यह चीज बड़ी ही खतरनाक है ग्रौर यह थोड़े दिनों में चल कर हम को तबाह कर देने वाली है । इस तरह की योजना हमको पार नहीं उतार सकेगी । इस योजना की ग्रोर जितना हम ने इस पर खर्च कर डाला है, ग्रगर हम एम्पोर्ट्स को देखें जितना हम बाहर से गल्ला ग्रपने देश के ग्रन्दर मंगा रहे हैं, उस सारे की कीमत का हिसाब लगायें तो वह १७०० ग्रौर १८०० करोड़ रुपया हो जाता है । जो हमारे कमिटमेंट्स हैं ग्रौर दो, चार वर्ष में जो गल्ला हमारे यहां बाहर से ग्रायेगा उस सारे गल्ले की कीमत का हिसाब लगाया जाय तो कोई २४००--२५०० करोड़ रुपया उस पर खर्च होता है । यह उतना रुपया है जो हम ने ग्रपनी पहली योजना में लगाया है । एक पंचवर्षीय योजना में जितना रुपया हम खर्च करते हैं उतना रुपया हम सिर्फ भोजन का इंतजाम करने में, उस गल्ले की कमी को पूरा करने में, पैदावार की जो कमी रह जाती है उस कमी को पूरा करने में हम खर्च कर रहे हैं । यह हालत हमारी रहने पर हम कैसे पार हो सकेंगे कैसे सफल हो सकेंगे इस देश का संचालन करने में, मुझे इस में बड़ा संदेह मालूम देता है । इस वास्ते मैं निवेदन करूंगा कि हम को ज्यादातर ध्यान ग्रपने इस गल्ले की पैदावार को बढ़ाने की ग्रोर देना चाहिए । इस में कोई सन्देह नहीं है कि हम ग्रपने देश में खाद्यान्न की पैदावार बढ़ाने की ग्रोर ध्यान दे रहे हैं । हमारा रबी ग्रौर खरीफ कैम्पेन बराबर चल रहा है । खरीफ ग्रौर रबी का कैम्पेन यह काफी कामयाबी के साथ पिछले दो तीन वर्ष में, चलता हुग्रा नजर ग्राया । मैं नहीं जानता कि इस साल की क्या हालत रहेगी, ग्रभी पूरी रिपोर्ट्स नहीं मिली हैं लेकिन यह हकीकत है कि काफी कामयाबी के साथ सारे सरकारी ग्रौर गैर सरकारी ग्रादमी मिल कर इस को चलाते रहे लेकिन इस सब के चलाने के बावजूद भी हमारी पैदावार के जो ग्रांकड़े हैं, वह कहां के कहां पहुंचे हैं । ग्रगर उस को ग्राप देखें ग्रौर उस ग्राधार पर जो हम ग्रागे की योजना बना रहे हैं, तो वह मुझे कितनी खतरनाक लगती है यह मैं ग्राप के सामने रखना चाहता हूं ।

हमारे ग्रन्न पैदा करने की हालत गुजिश्ता साल में ७३ मिलियन टन की समझिये, कुछ थोड़ीसी ज्यादा ग्रौर हम सोच रहे हैं कि ग्रगले साल हमारी पैदावार ७५ मिलियन टन की हो जायेगी, हमारा टरगेट (लक्ष्य) यह था, हमारा लक्ष्य यह था कि हम कोई ८० मिलियन टन तक पैदा कर लेंगे, ग्रपनी पैदावार वहां तक बढ़ा लेंगे । लेकिन ८० मिलियन टन तो खैर हम नहीं पहुंच सके ग्रौर ग्रब हम ७५ मिलियन टन भी ग्रगले साल पहुंच रहे हैं या नहीं, यह बड़ा संदिग्ध है । यद्यपि हम उस हिसाब से समझ रहे हैं कि ग्रब ७३ मिलियन टन हो गया, तो शायद ग्रगले साल ७५ मिलियन टन हो जाये । वह साल ग्रच्छा था, इस लिए ७३ मिलियन टन हो गया, लेकिन ग्रगर ग्राप ग्रौसत को देखें, तो उस हिसाब से जान पड़ता है कि १ मिलियन टन प्रतिवर्ष से ज्यादा इजाफ़ा तो हमारे यहां होता नहीं है ग्रौर ग्रगर नहीं होता है, तो पांच साल में हम ने जो १०५ मिलियन

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

टन का लक्ष्य रखा हुआ है, वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। १०५ मिलियन टन का हमारा लक्ष्य पूरा होने की तभी आशा हो सकती है अगर हम अब आठ मिलियन टन प्रतिवर्ष और बढ़ाते जायें, जो कि असम्भव है । मुझे तो चार भी कठिन लगता है, तीन भी कठिन लगता है । मैं नहीं जानता हूं कि यह कैसे पूरा हो जायेगा अगर यही हालात रहे, जो कि अब हैं। यद्यपि हमारे जो साधन लगाये जा रहे हैं, उन का नतीजा जो हो। लेकिन एक साल ज्यादा हो जाता है, तो दूसरे साल कम हो जाता है । लगातार बढ़ता नहीं जाता ।

लेकिन यह सब क्यों न हो, अगर हमारे पैदावार बढ़ाने के साधनों में कमियां हैं। सब से पहला साधन सिंचाई है। उसमें या चैनल नहीं बनी है, या ड्रेन नहीं बनी है। करोड़ों रुपया लगा हुआ है, जो बेकार जा रहा है। उसका सूद बेकार जा रहा है। वह पैदावार बढ़ाने के काम में कहीं नहीं आ रहा है। अगर पानी है, तो नहरों से पानी नहीं मिलता है। साधन होने के बावजूद हमारी ये दिक्कतें दूर नहीं होतीं। हमारे प्रशासन वालों को इसका इंतजाम करना चाहिये। माइनर ईरिगेशन में भी यही कमी रह गई है। ट्यववैल्ज़ (नल कूप) हमने बनवाये। लेकिन चूंकि हमारे यहां बिजली नहीं है, इस लिये वे नहीं चल पाते। ड्रेन्ज भी नहीं हैं इसीलिये नहीं चल पातीं। फर्टलाइज़र्ज़ की डिमांड बहुत बढ़ गई है, लेकिन हम उसको पूरा नहीं कर पाते। और फर्टलाइज़र भी क्या करे? जब पानी न होगा, तो फर्टलाइज़र फसल को जला देगा, उनको बढ़ायेगा नहीं। सारे हालात को देखते हुये घूम घुमा कर हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर हमारे साधन पैदावार को नहीं बढ़ा रहे हैं, तो फिर पैदावार कैसे बढ़े? कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी का प्रकोप है, जिससे कि पैदावार नहीं बढ़ती है, सिवाये इस के कि मौनसून नहीं आती है, लेकिन ऐवेरेज तो बढ़ती ही है।

एक बात की ओर आप का ध्यान दिला कर मैं समाप्त करता हूं। हमारे साउथ के भाई ने रिजनल डिसपैरिटी की बात कही है। मैं पूरी तौर से उनका समर्थन करता हूं कि साउथ में जहां रिजनल डिसपैरिटी है, उसको दूर करना जरूरी है। लेकिन नार्थ में भी एक रिजनल डिसपैरिटी है, जिसके आंकड़े जब हमारे सामने आये, तो हमारी तो आंखें खुल गई। नार्थ में रिजनल डिसपैरिटी का उदाहरण उत्तर प्रदेश है, जिसके बारे में मेरे उधर के एक भाई ने जिक्र किया। मुझे भी वह बात याद आई। जब हम लखनऊ में एक कांफ्रेंस में गये हुये थे......

†**श्री सय्यद** : लेकिन आपके मिनिस्टर तो बहुत हैं।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मिनिस्टर्ज़ कोई अपने ही प्रदेश में थोड़े ही ले जाते हैं। वे सारे देश के मिनिस्टर हैं। वे दूसरे प्रदेशों को देने वाले लोग हैं। यह जरूरी थोड़ा है कि वे अपने रिजन की ही बात करें। इसीलिये मैं कह रहा हूं कि रिजन की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर कहीं भी कोई रिजन बैकवर्ड है, तो उसके बारे में विचार करना चाहिये, वर्ना मुल्क का एक अंग कमजोर रह जायगा, लंगड़ा रह जायेगा। इस लिहाज से मैं यह बात कह रहा हूं, इस लिहाज से नहीं कि कोई अपने प्रदेश के लिये खींचने की बात है। अगर यह बात होती, तो हमारे प्रदेश के ही प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, फूड मिनिस्टर थे, इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर भी थे....

श्री अशोक मेहता (मुजफ्फरपुर) : फूड मिनिस्टर हमारे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : अब हैं, लेकिन रहते आये हैं, मगर तब भी अगर कहीं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं मिलीं, तो वह उत्तर प्रदेश ही है ।

श्री त्यागी : यह कुसूर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट का भी काफी है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : हां, हो सकता है । यहां की गवर्नमेंट या वहां की गवर्नमेंट, किसी का भी कुसूर हो, लेकिन बात तो यही है कि वहां इंडस्ट्री नहीं मिली ।

हैवी इलैक्ट्रिकल्ज़ हमको मिल रहा था और उसके बारे में एक्सपर्ट्स ने यह बताया कि तुम्हारे यहां की जमीन मजबूत नहीं है , लिहाजा हैवी इलैक्ट्रिकल्ज़ यहां नहीं आ सकती है और मैं बताऊं कि वह प्रदेश ऐसा है, जिसमें विन्ध्या रेंज हैं, हिमालय रेंज है, लेकिन उनके होते हुये भी वहां की जमीन मजबूत नहीं मिली और हैवी इलैक्ट्रिकल्ज़ कहीं और चला गया । जहां भी चला गया, अच्छा है, इसमें कोई उज्र नहीं । लेकिन हमारे यहां भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ होना जरूरी है, वर्ना यह डिसपैरिटी रह जायेगी ।

प्लानिंग का काम शुरू होने से पहले हमारे यहां की इनकम की हालत यह थी कि मैं समझता हूं कि २४६ रु० तो इनकम पर कैपिटा थी आल इंडिया और २५८ रु० थी उत्तर प्रदेश की । लेकिन जब से प्लानिंग चली और उसमें एलोकेशन्ज़ दूसरी तरफ ज्यादा होते गये, तो उसका नतीजा यह हुआ कि आल इंडिया पर कैपिटा इनकम तो २९३ हो गई और उत्तर प्रदेश की इनकम २५८ से २५९ तक ही बढ़ी । यह हालत वहां की है । पर कैपिटा आउट ले उत्तर प्रदेश में केवल ३० रुपये है जो देश के सब राज्यों से कम है । मैं नहीं जानता कि ऐसी हालत में भी सरकार को ऐसे रिजन पर ध्यान देना चाहिये या नहीं । अगर ध्यान देना चाहिये, तो वह प्लानिंग के वक्त ही हो सकता है । अगर इसी वक्त ध्यान दें, तो थोड़ा कुछ हो सकता है । समय बहुत थोड़ा है, वर्ना मैं आपके सामने वे फिगर्ज़ रखता, जो कि हमारे सामने आये । वे फिगर्ज़ बड़े एलामिन्ग हैं । मैंने पहले उन फिगर्ज़ को देखा नहीं था । अब लखनऊ कांफ्रेंस में देखा । अगर आप उन को देखें, तो आपको वहां की स्थिति का पता चले ।

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : आप मेहनत नहीं करेंगे, तो इससे भी कम हो जायेगा । मेहनत करना नहीं चाहते ;

श्री त्यागी : मेहनत करनी चाहिये और सैन्टर में आकर फिनांस मिनिस्टर से लड़ना चाहिये । बगैर लड़ाई के कुछ नहीं मिलेगा ।

श्री अशोक मेहता : फिनांस मिनिस्टर यू० पी० का होना चाहिये ।

श्री त्यागी : यू० पी० वाला कुछ नहीं देगा ।

सभापति महोदय : आर्डर, आर्डर । श्री राधे लाल व्यास ।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : सभापति महोदय, हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट आउटलाइन हमारे सामने है । दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने जा रही है और हमारे साधनों को देखते हुये और हमारे देश की हालत को देखते हुये इन दो पंचवर्षीय योजनाओं में जो कार्य हुआ है, उसके लिये हम सब को अभिमान है । तीसरी पंचवर्षीय योजना ने हमारे भावी भारत

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राधेलाल व्यास]

की एक स्पष्ट रूप रेखा हमारे सामने रखी है और जो खामियां पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में रहीं, उनको ध्यान में रखते हुये इस योजना को अच्छे से अच्छा रूप देने का प्रयत्न किया गया है और इसके लिये मैं आयोजना आयोग को हार्दिक बधाई देता हूं।

हमारी आयोजना का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि हमारा प्लांड डेवेलपमेंट हो और हमारे यहां का उत्पादन सब तरह से बढ़े, बल्कि उस के साथ ही साथ हमारा उद्देश्य यह भी है कि हमारा सामाजिक और आर्थिक ढांचा इस प्रकार का हो कि पूर्ण लोकतंत्र इस देश में हो और लोगों को आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक न्याय मिले और जिस प्रकार के समाज का राष्ट्रपिता ने हमेशा हमको सबक दिया और पाठ पढ़ाया, वैसे समाज का हम निर्माण कर सकें। यह इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस दृष्टि से यह पंचवर्षीय योजना आगे बढ़ना चाहती थी।

इसमें सब से अधिक ध्यान कृषि के उत्पादन पर देने का किया गया है। फर्स्ट प्रायटी उसको दी गई है। यह बड़े दुख की बात है कि आजादी मिलने के १३ साल के बाद भी हम अभी अपने खाद्य के मामले में आत्म-निर्भर नहीं हो सके और जो इस में प्रोग्राम हैं, अगर उसको सही तौर पर कार्य रूप में परिणत किया जाये, तो इसमें कोई शक नहीं कि हम खाद्यान्नों में आत्म-निर्भर हो सकते हैं, लेकिन मुझे शंका है कि वह होगा नहीं। इसके लिये जब तक वार-लाइक प्रैपेरेशन्ज़ न की जायें और पूरी शक्ति के साथ इसमें कार्य न किया जाय, तब तक इसमें आत्म-निर्भर होना जरा कठिन है। यदि हम अनाज की पैदावार एक तिहाई बढ़ा लें, तो हमारे अनाज की कमी दूर हो जाती है और इसके लिये बहुत बड़े रुपये की जरूरत नहीं है, लोगों के दिलों को बदलने की जरूरत है, लोगों को काम में लगाना है, उनके उत्साह को बढ़ाना है। उनको बहुत कुछ सबसिडी वगैरह की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कर्ज के रूप में कुछ रुपया दिया गया और लोगों को समझाने के लिये, उनका मार्ग-दर्शन करने के लिये अगर हम काफी लोगों को तैयार कर सके और उचित शिक्षा की व्यवस्था कर सके, तो मैं समझता हूं कि दो तीन साल में खाद्यान्न का उत्पादन काफी बढ़ा सकते हैं।

आज उस ओर ध्यान नहीं है। हम शिक्षा की ओर देखते हैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम इसमें है, हम छः से ग्यारह वर्ष की उम्र के बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा करने जा रहे हैं। प्राइमरी स्कूल मिडल स्कूल, हाई स्कूल, कालेज वगैरह सब बहुत बढ़ाये जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन का बहुत प्रबन्ध हो रहा है। लेकिन हम क्या देखते हैं। आज की शिक्षा के बारे में काफी कहा गया है। शिक्षा वह होनी चाहिये, जो कि रोज-ब-रोज के जीवन में हमको अच्छा नागरिक बना सके, जो हमारा जीवन सुखी बना सके। उस प्रकार की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं है। हम जो नये भारत की रचना करना चाहते हैं, उसका आधार होगा कोआपरेशन और पंचायत। अगर लोग को-आपरेशन के भाव को न जानेंगे, पंचायत के भाव को न जानेंगे और कृषि हमारा मुख्य आर्थिक साधन होगा, जिस के ऊपर नये भारत का नया जीवन बनाना है, अगर उसको लोग न समझते होंगे तो हिन्दुस्तान सुखी नहीं होगा।

मेरा यह सुझाव है कि भारत सरकार को और योजना आयोग को नई किताबें बनानी चाहियें जिन में उन को शुरू से कालेज एजुकेशन तक खेती के विषय पर, सहकारिता के विषय पर और पंचायत के विषय पर पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिये और इन विषयों को सब के लिये अनिवार्य कर देना चाहिये। टेकनिकल आदमी हम को केवल इस लिये नहीं चाहिये कि हम को नौकरों की जरूरत होगी, बल्कि हम को

इन चीजों से फायदा उठाने वाले आदमी चाहियें । हम को ऐसे लोग चाहियें जो कृषि के ज्ञाता हों, जो सहकारिता के ज्ञाता हों, थोड़ा बहुत साइंस का भी ज्ञान वे रखते हों । इस के साथ ही हम को शील और चरित्र को ऊंचा उठाने वाली शिक्षा भी देनी चाहिये। बड़ी खुशी की बात है कि एक कमेटी का निर्माण किया गया था और उस ने अपने सुझाव दिये थे, लेकिन उन सुझावों को हमें कार्य रूप में परिणत करना चाहिये और इस तरह के कोर्स जल्दी से जल्दी बना देने चाहियें । मेरे बाल्यकाल में जब मैं ग्वालियर स्टेट के उज्जैन जिले में पढ़ता था तो कृषि विधि और शील शिक्षा की किताबें अनिवार्य थीं और वे बड़ी सरल भाषा में लिखीं हुई थीं । अगर ऐसे कोर्स बनाये जायें जो सुलभ हों , सरल हों और सस्ते हों तो मैं समझता हूं कि इस से आज नहीं तो कुछ सालों में देश को काफी लाभ होगा और लोग इस के महत्व को समझेंगे और उस की बुनियाद पक्की होगी, मजबूत होगी और साथ ही देश ने जो दृष्टिकोण अपने सामने रक्खा है कि किस तरह की हमारी आर्थिक व्यवस्था होगी, किस तरह की सामाजिक व्यवस्था होगी, किस तरह की राष्ट्रीय व्यवस्था होगी, उस की बुनियाद मजबूत होगी । इस लिये मैं समझता हूं कि इस ओर ध्यान देने की जरूरत है ।

कृषि के बारे में यह भी जरूरी है कि हमारी एक प्राइस पालिसी हो । जब तक किसान को उस की लागत को देखते हुए खेती की उपज का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, तब तक खेती का उत्पादन नहीं बढ़ सकता । जो फिगर्स रक्खे गये उन से हम देखते हैं कि अनाज और कपास, इन दो चीजों, का उत्पादन जितना बढ़ना चाहिये उतना नहीं बढ़ा, जब कि कृषि उत्पादन से सम्बन्ध रखने वाली जो दूसरी वस्तुय हैं, उनका उत्पादन काफी बढ़ा है । इन दो वस्तुओं का मूल्य इस लिये नहीं बढ़ा कि किसी न किसी रूप में उन पर थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता है । किसान को जिस चीज की कीमत उचित मिलती है, उसे ही वह बोता है । अभी हमारे खाद्य मंत्री जी ने बतलाया कि एक स्टैटुटरी बोर्ड बनेगा जो इस बारे में कीमत निर्धारित करेगा । यह बहुत अच्छा है, स्वागत है उसका । मैं समझता हूं कि अगर किसान को ठीक कीमत मिले तो उस की दिलचस्पी अनाज पैदा करने में बढ़ेगी । लेकिन इस के साथ ही यह भी है कि ७० फी सदी किसान देहात में रहते हैं, उसे जो चीज बाजार से लेनी होती है उस की कीमत पर भी ध्यान देना होगा और इस के लिये ठोस कदम उठाना पड़ेगा । आज हम देखते हैं कि बहुत सी चीजें बाहर से आती हैं और उन के लिये गवर्नमेंट की तरफ से फारेन एक्स्चेन्ज की व्यवस्था होती है । लेकिन जो चीज यहां पर बाहर से आती है वह दूनी, तिगुनी, और चौगुनी कीमत पर लोगों को मिलती है । इस के बारे में कोई व्यवस्था नहीं है । आप अल्यूमूनियम को ले लीजिये, स्टेनलेस स्टील को ले लीजिये, दवाओं को ले लीजिये, इस तरह की और भी बहुत सी चीजें हैं जो बाहर से आती हैं । आखिर इस पर कोई रोक होनी चाहिये या नहीं ? गवर्नमेंट को कानून के द्वारा यह व्यवस्था कर देनी चाहिये कि जो भी चीज होगी, जिस की कीमत हम दे रहे हैं, उस की कीमत से ज्यादा से ज्यादा २५ प्रतिशत अधिक लिया जायेगा । इस से अधिक लेना जुर्म होगा और इस के लिये कड़ी से कड़ी सजा की व्यवस्था करनी चाहिये । शकर का भाव है, रंग ले लीजिये, मशीनरी ले लीजिये, टायर ट्यूब ले लीजिये । क्या जिस भाव से वे फैक्टरियों से आते हैं उसी भाव के हिसाब से लोगों को मिलते हैं ? एक तो बिल ही नहीं काटे जाते हैं, और अगर बिल काटे भी जाते हैं तो उस में ठीक दाम

[श्री राधेलाल व्यास]

दिखला कर, ऊपर से रुपये ले लिये जाते हैं । मेरी अपील है कि इस मामले पर ध्यान दे कर ऐसी ठोस व्यवस्था करनी चाहिये जिस के द्वारा हमारे यहां बेजा मुनाफाखोरी को जुर्म करार दे देना चाहिये । आज लोग यही चाहते हैं, और इस से लोगों की दिलचस्पी इन में बढ़ेगी और वे लोग शासन व्यवस्था में और योजना आयोग के जो प्रोग्राम हैं, उन में अधिक से अधिक दिलचस्पी लेने लगेंगे ।

इस के अलावा इरिगेशन है, इस के लिये १०० करोड़ रु० रक्खा गया है । इस तरह की जो बहुत सी योजनायें हैं वे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रक्खी गई थीं, और अब वही तृतीय पंचवर्षीय योजना में लाई जायेंगी । नई योजनायें तो बहुत कम लाई जायेंगी । मेरे उत्तर प्रदेश के एक मित्र ने ऐसा कहा । मैं निवेदन करूंगा कि आप मध्य प्रदेश को ही ले लीजिये । हमारे यहां की कुछ विशेष समस्यायें हैं और उन पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो मैं समझता हूं कि यह प्रदेश आगे भी बहुत पिछड़ा हुआ रहने वाला है । हमारे यहां के साधनों को लीजिये । वहां पर जो विदर्भ का क्षेत्र था वह उस से निकल गया, महाकोशल का जो बड़ा क्षेत्र है वह अविकसित है और उस की आमदनी बहुत कम है । वहां पर इंडस्ट्रीज बहुत कम हैं, दूसरे साधन भी नहीं हैं । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तो यह हुआ था कि ग्वालियर का २५ करोड़ रु० मिला था, वह हमारे पास रक्खा हुआ था और वह मध्य भारत और मध्य प्रदेश की योजनाओं में काम आता रहा । लेकिन अब वह समाप्त हो गया । वहां पर नये टैक्सेशन की गुंजाइश नहीं है । फिर भी प्रयत्न किया जायेगा और वहां की सरकार कुछ न कुछ करने की कोशिश करेगी । लेकिन आप वहां की खराब हालत को देखिये । वहां पर ३४ प्रतिशत हरिजन और आदिवासी रहते हैं । हमारे देश में प्रति एकड़ जो पैदावार है वह मध्य प्रदेश में सब से कम है । उस का कारण है कि वहां के लोगों की आमदमी बहुत कम है, शिक्षा का प्रचार और प्रसार बहुत कम हुआ है । इस के अलावा हमारे यहां का महिला समाज भी बहुत पिछड़ा हुआ है । मालवे में आप जायें तो आज भी आप को घूंघट दिखलाई देंगे । हमारे मध्य प्रदेश में डाकू समस्या है जिस पर कि लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, और वह अनिवार्य है, इस खर्च को कम नहीं किया जा सकता । यह सब जो समस्यायें हैं इन को देखते हुए तृतीय पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश के लिये रुपये की काफी व्यवस्था नहीं की गई । इस के अलावा कैपिटल प्रोजेक्ट्स हैं, इस में भी यह प्रदेश पिछड़ा हुआ रहने वाला है । इस लिये इस पिछड़े प्रदेश के विकास के लिये अधिक ध्यान देना पड़ेगा । अभी श्री श्रीमन्नारायण जी, जो कि प्लैनिंग कमिशन के मेम्बर हैं, ने एलान किया है कि एक स्टडी टीम मुकर्रर की गई है जो अध्ययन करेगी कि प्रदेश का पिछड़ापन किस स्थिति में है और उस के हिसाब से व्यवस्था की जायेगी । मैं समझता हूं कि जल्दी से जल्दी यह टीम अपना काम प्रारम्भ करेगी ।

मुझे कुछ ट्रान्सपोर्ट और कम्यूनिकेशन्स के बारे में भी निववेदन करना है । हमारे प्रदेश में रोड्स बहुत कम हैं, और बहुत बड़ा प्रदेश है, लोगों को राजधानी तक आने में बड़ी तकलीफ होती है, तहसील हेडक्वार्टस या जिला हेडक्वार्टर तक जाने में बहुत कष्ट होता है । तीसरी पंचवर्षीय योजना में कम से कम यह तो कर देना चाहिये कि वहां पर आने जाने की सुविधा हो जाय । बारिश के दिनों में ऐसा हो जाता है हमारे प्रदेश

में कि सात, सात आठ, आठ और दस दस दिन तक बहुत से भाग नदियों के बीच में आ जाते हैं, जिन से लोग बाहर भी नहीं जा सकते, अगर कोई बीमार पड़ जाय तो मर ही जाय। तो जहां आप ने यह प्लैन बनाया है कि २० साल के अन्दर कोई गांव ऐसा नहीं होगा जो सड़क से चार मील से ज्यादा हो, वहां हमारे यहां इस कार्य को भी जल्दी करना चाहिये। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस काम को प्राथमिकता देनी चाहिये। आप हमारे यहां भले ही रोड्स न बनायें, लेकिन यह जरूर करना चाहिये कि वहां पर कोई ऐसा गांव न हो जो नदियों की बाढ़ की वजह से या पानी की वजह से घिर जाये और लोग उससे बाहर न जा सकें। नदियों के पुल, रपट वगैरह को प्राथमिकता दी जानी चाहिये और इस चीज की सर्वे कर के सब से पहले इस की व्यवस्था की जानी चाहिये।

हमारे यहां रोड रोलर्स की बहुत कमी है। पंचायतों को पी० डब्ल्यू० डी० से या म्यूनिसिपैलिटीज से जो रोड रोलर्स मिलते हैं वे बड़ी कीमत में मिलते हैं। मैं समझता हूं कि १००० रोड रोलर्स का इन्तजाम कर लेना चाहिये और वे उधार या किस्तों पर पंचायतों को दे दिये जायें। अगर ऐसा किया जाय तो जो प्रोग्राम रोड्स का है, उस में बड़ी सफलता हो सकती है और बहुत सी रोड्स बन सकती हैं।

मैं एक दो बातें हेल्थ के बारे में भी कहना चाहता हूं। इस के लिये काफी व्यवस्था है लेकिन जहां करीब ३०० करोड़ रु० हेल्थ पर रक्खा गया है, वहां उस में देशी औषधियों और देशी चिकित्सा के लिये केवल ८ करोड़ की व्यवस्था की गई है जो बहुत ही कम है। यह सुलभ है, सस्ती है और उसमें यूनानी, आयुर्वेदिक, होमियोपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा बहुत उपयोगी है और लोग उससे फायदा उठा सकते हैं।

आज बड़े बड़े अस्पताल बने हैं, लेकिन जनता को उनमें प्रवेश पाना बड़ा मुश्किल होता है और उनको वहां औषधि मिलने में बड़ी कठिनाई होती है। हमारे इतने लम्बे चौड़े विस्तृत देश के लिए यह जरूरी है कि हम सस्ती दवाई उपलब्ध कर सकें। और यह चीज देशी चिकित्सा पद्धति द्वारा ही उपलब्ध हो सकती है। आम जनता इससे फायदा उठा सकती है।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बीमारियों को रोकने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि नदियों की गन्दगी को रोका जाये। आज नदियों में बहुत ज्यादा गन्दगी हो रही है जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। इसको रोकने की व्यवस्था होनी चाहिये।

अन्त में मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एफीशेंसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इसी मैशिनरी के द्वारा हम अपनी पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना चाहते हैं। पहले जितना प्रयत्न हुआ उससे इसको सुधारा नहीं जा सका इस योजना में इसके लिए जो पालिसी दी गयी है उस पर दृढ़ता से अमल होना चाहिये। अफसरों की जिम्मेदारी मुकर्रर करनी चाहिए, उनको अधिकार भी देने चाहिएं। साथ ही यह भी देखना चाहिए कि वह अगर इनकाम्पीटेंट हों तो उनको निकालने की भी व्यवस्था होनी चाहिये। वह टैक्स पेयर पर बोझ बन कर नहीं रह सकते। यह कोई परवरिश खाता नहीं है।

बेईमानी जहां हो उसकी जांच होनी चाहिए। अगर किसी ने घूसखोरी की हो या रिश्वत ली हो तो महीनों और सालों तक कार्रवाई चलती रहती है और ढील पड़

[श्री राधेलाल व्यास]

जाती है और मुकदमा खराब हो जाता है। मैं चाहता हूं कि ऐसे मामलों में जिस तरह से हो जांच को एक या दो सप्ताह में पूरा करना चाहिए । यह होगा तभी लोगों को शासन में विश्वास पैदा होगा, लोग आपको सहयोग देगें और दिलचस्पी लेगें और योजना का स्वागत करेंगें और तीसरी पंचवर्षीय योजना में जितनी आपको आशा लगी हुई है उससे ज्यादा सहयोग आपको मिलेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं ।

†श्री क० स० रामास्वामी (गोबीचट्टीपलयम्) : तीसरी योजना का तात्कालिक उद्देश्य देश की अर्थ-व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसके लिये यह बड़ी आवश्यक बात है कि मूल्यों पर नियंत्रण रखा जाये । यह समस्या बड़ी विकट है, इसका सब से अच्छा ढंग यह है कि उत्पादन बढ़ाया जाये । कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में इस ओर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है । कृषि के लिये पशु पालन, सिंचाई, विद्युत्, छोटी बड़ी परियोजनायें और कृषि शिक्षा सब चीजों की ओर ध्यान दिया गया है, परन्तु एक सब से बड़ी आवश्यक चीज उर्वरकों की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। खाद्यान्नों के उत्पादन के लिये यह बड़े ही महत्व की वस्तु है। उर्वरक संयंत्र चालु करके अथवा उर्वरकों का आयात करके हमें प्रत्येक सम्भव ढंग से उत्पादन को बढ़ाना चाहिये।

परिवहन के मामले में मेरा निवेदन है कि प्रथम और द्वितीय योजनाओं में परिवहन के साधनों के सम्बन्ध में दक्षिण भारत की अवहेलना की गयी थी। अब वही बात तीसरी योजना में भी की जा रही है । कहा गया था कि जिन स्थानों पर औद्योगिक विकास के लिये प्रयत्न हो रहा है वहां नई रेलें चालू की जायेंगी । पता नहीं यह औद्योगिक विकास का कार्य दक्षिण में क्यों नहीं किया जा रहा । जो भी वहां परिवहन की व्यवस्था है वह बहुत ही कम है मद्रास राज्य में नयी रेल लाइनों की बहुत आवश्यकता है चामराज नगर, सत्य मंगलम और सलेम–बंगलौर लाइनों के लिये निरन्तर मांग हो रही है । इन लाइनों को बनाने का कार्य आरम्भ नहीं किया गया । तीसरी योजना में इस कार्य को पूरा किया जाना चाहिये ।

इसी प्रकार यह भी आशा करनी चाहिये कि तूतीकोरिन तथा मंगलौर पत्तनों के विकास का कार्य भी किया जायेगा । इससे इस क्षेत्र की आर्थिक अवस्था भी काफी सुधर जायेगी । साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि उद्योगों के लिये लाइसेंस क्षेत्रवार दिये जायें। देश के सभी भागों में कुछ मूलभूत तथा भारी उद्योग स्थापित किये जाने चाहियें ताकि आस-पास सहायक उद्योग विकसित हो सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में भी औद्योगिक सम्पदायें विकसित किये जाने का भी अवसर प्राप्त हो । इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और बेकारी की समस्या भी कुछ न कुछ हल होगी ।

†अध्यक्ष महोदय : अब हम पलाई बैंक के बारे में चर्चा करेंगे ।

†मूल अंग्रेजी में

पलाई सेंट्रल बैंक के बारे में चर्चा

†अध्यक्ष महोदय : नियम १६३ के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव के बारे में वाद-विवाद के लिये २ १/२ घंटे का समय निश्चित होता है। अगर समय बढ़ाने की आवश्यकता है तो इसके लिये किसी माननीय सदस्य को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

†श्री पुन्नूस (अम्बलपुजा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पलाई सैन्ट्रल बैंक के बन्द होने के बारे में चर्चा के सम्बन्ध में प्रक्रिया नियमों के नियम १६४ में निर्धारित समय सीमा सम्बन्धी उपबन्ध को निलम्बित किया जाये और इसका समय २ १/२ घंटे से बढ़ा कर ४ घंटे कर दिया जाये।"

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पलाई सैन्ट्रल बैंक के बन्द होने के बाद में चर्चा के सम्बन्ध में प्रक्रिया नियमों के नियम १६४ में निर्धारित समय सीमा सम्बन्धी उपबन्ध को निलम्बित किया जाये और इसका समय २ १/२ घंटे से बढ़ा कर ४ घंटे कर दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : पलाई बैंक के बन्द होने से केरल की जनत बहुत डर गयी है और इससे लोगों को भय पैदा हो गया है। वहां के अन्य बैंक भी इसी प्रकार बन्द हो सकते हैं। यद्यपि इसके लिये रक्षित बैंक के आदेश नहीं होंगे। आर्थिक खिंचाव स्वयं ही ऐसा करने पर उन्हें बाध्य कर देंगे। केरल की चिट फंड प्रणाली भी व्यापक रूप से चल रही थी परन्तु बैंकों पर संकट आ जाने से वह भी नहीं चल सकेगी। इससे कई छोटे-छोटे लोगों का काम चल जाता था, अब उन्हें इससे वंचित होना होगा। सरकार को विचार करना चाहिये कि क्या इस बैंक को बन्द करने की कार्यवाही को रोक कर इसे भारत के राज्य बैंक के साथ नहीं मिलाया जा सकता। इससे बैंक के खातेदारों और कर्मचारियों को तबाह होने से बचाया जा सकेगा। दूसरा मेरा महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि इस बैंक के बन्द होने के कारणों की छानबीन के लिये तुरन्त एक आयोग की स्थापना की जानी चाहिये। इसमें एक अर्थशास्त्री भी होना चाहिये और इसका सभापति कोई उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जाना चाहिये। लक्ष्य यह होना चाहिये कि बैंक के खातेदारों की पूरी तरह रक्षा की जाये। इस दृष्टि से सारे मामले की जांच किया जाना बड़ा आवश्यक है।

अन्य बात यह है कि यदि सारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण सम्भव नहीं तो केरल में अवश्य ही और तुरन्त ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिये। लक्ष्मी बैंक को भी संकट का सामना करना पड़ रहा है, अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को इस दिशा में राष्ट्रीयकरण पर विचार करना चाहिये। सरकार को इस प्रकार का वातावरण निर्माण करना है कि जो कुछ भी किसी के पास हो वह तुरन्त उसे बैंक में जमा करा दे। यदि सरकार बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकती तो उसे गरीब लोगों की खून पसीना एक कर के कमाई हुई बचत की रक्षा भी करनी होगी। बैंकों के प्रति अविश्वास हो जाने की अवस्था में हमारी अर्थ-व्यवस्था को भी काफी धक्का लगेगा और योजना के लिये साधन एकत्रित करने के लिये भी हमें काफी कठिनाई होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० के० गोपालन]

वित्त मंत्री का वक्तव्य बड़ा असन्तोषजनक रहा है । सरकार को यह बताने का कष्ट करना चाहिये कि १९५१ से १९५६ में पलाई बैंक के हिसाब-किताब का निरीक्षण करने के बाद रक्षित बैंक ने क्या कार्यवाही की और बैंकों को क्या आदेश दिये । इसके बाद १९५८ और १९६० में क्रमशः निरीक्षण हुये, इन वर्षों की रिपोर्ट क्या है ? रक्षित बैंक द्वारा यदि कोई आदेश दिये तो उनका पालन यों नहीं किया गया ? अब इस बात को कहना कि रक्षित बैंक के आदेशों का पालन नहीं किया गया बिल्कुल निराधार है । यदि उन्हें इन सब बातों का पता था तो इससे पूर्व इस दिशा में कोई कार्यवाही क्यों न की गयी । अतः अब तो उत्तरदायित्व सरकार का है, रक्षित बैंक का है अथवा वित्त मंत्रालय का है । सरकार को बैंकिंग समवाय अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है ।

यह भी कहा गया है कि रक्षित बैंक ने प्रतिशोध लेने के लिये यह कार्यवाही की है। क्योंकि बैंक की स्थिति बिल्कुल ठीक थी और उसके निदेशकों के अनुसार उसकी आस्तियां ७.५० करोड़ रुपये की हैं । यदि कोई ऐसा रुपया भी दिया गया था जिसके लिये समुचित जमानत बैंक के पास नहीं थी तब भी उसके मारे जाने का कोई भय नहीं था। इस सम्बन्ध में रक्षित बैंक ने समय पर कार्यवाही नहीं की थी, अतः अब इस सारे संकट का उत्तरदायित्व उस पर डाला जाना चाहिये । खातेदारों की हानि का उत्तरदायित्व भी इसका ही समझना चाहिये और यह बड़ा ही आवश्यक है कि इसका स्वपष्टीकरण संसद् के सामने किया जाये और इस मामले की पूरी जांच भी की जाये ।

बैंक के निदेशकों के विरुद्ध भी आरोप है । उनकी भूलों के कारण गरीब खातेदारों को कष्ट उठाना पड़ रहा है । यह भी कहा गया है कि बैंक के बन्द होने से पहले निदेशकों के सम्बन्धियों और मित्रों ने काफी रुपया निकाल लिया था। अतः मेरा निवेदन है कि मामले की सारी जांच होनी चाहिये । यदि ऐसा न किया गया तो इसका प्रभाव बहुत ही बुरा रहेगा । सरकार को विधि में भी इस प्रकार का संशोधन कर लेने की व्यवस्था कर देनी चाहिये ताकि बैंकों में धन जमा करने वालों के हितों की रक्षा हो सके।

अन्त में मैं पुनः इस बात पर जोर दूंगा कि तुरन्त इस बैंक का विलय राज्य बैंक में कर देना चाहिये । यदि ऐसा नहीं किया जाता तो १५० लाख केरल के करदाता पूर्णतः समाप्त हो जायेंगे । इसका प्रभाव केवल केरल तक ही सीमित नहीं रहेगा प्रत्युत सारे क्षेत्र में फैल जायेगा । मेरी प्राथना है कि मंत्री महोदय को मेरे सुझावों पर विचार करना चाहिये।

†श्री जीनचन्द्रन (टेललीचेरी) : पलाई सेंट्रल बैंक की मुख्य-मुख्य बातों के संबंध में ही मैं कुछ कहूंगा। ५–८–१९६० को बैंक की स्थिति बहुत अच्छी थी ऐसा रिजर्व बैंक ने कहा था क्योंकि ५ तारीख को उन्होंने कहा था कि सभी अनुसूचित बैंकों की स्थिति दृढ़ है । आंकड़ों से पता लगता है कि पलाई बैंक की नकद आस्तियां १५.६८ प्रतिशत थीं तथा स्थिर दायित्व १०.१५ प्रतिशत थे । जब ऐसी स्थिति थी तब यह कहना कि बैंक के पास नकद धन बहुत कम था ठीक नहीं है ।

भारत के रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा ४२ के अनुसार सभी अनुसूचित बैंकों को स्थिर दायित्वों का २ प्रतिशत तथा आदान-प्रदान का ५ प्रतिशत रिजर्व बैंक में जमा करना होता है। परन्तु इस बैंक का ४५ लाख रुपये से भी अधिक रुपया रिजर्व बैंक में जमा था । बैंक के आंकड़ों का

†मूल अंग्रजी में

और विश्लेषण करने पर पता लगता है कि बैंक ने जो ऋण आदि दिये हुये थे उनका ८० प्रतिशत वह वापस ले सकता था। केवल २.२७ करोड़ रुपया जो उसने अग्रिम धन के रूप में दे रखा था उसकी ही वसूली नहीं हो सकती थी। इसके साथ-साथ जैसा कि श्री मणियंगाडन ने बताया कभी कभी रिजर्व बैंक भी गलती कर सकता है और संभव है इस बार भी उसी ने गलती की हो।

आज के समाचारपत्रों में खातेदारों की सुरक्षा के बारे में कुछ सुझाव दिये गये हैं। उनमें से एक सुझाव यह है कि खातेदारों से पूछकर उनके जमा धन में से कुछ प्रतिशत कम करके शेष राज्य बैंक में जमा कर दिया जाय। जो प्रतिशतता कम की जाय उसको संदेहास्पद धन में रख दिया जाय। मैं समझता हूं कि यह सुझाव अति उत्तम है। मैं समझता हूं कि ऐसा कर देने पर जनता में बैंकों के प्रति जो अविश्वास हो गया है वह समाप्त हो जायेगा।

मैं बताना चाहता हूं कि पलाई सेंट्रल बैंक केरल में सबसे बड़ा बैंक है। इतने दिनों केरल में राजनैतिक हलचल के बाद अब हम स्थित हो पाये थे कि इस बैंक के बन्द हो जाने का समाचार मिला जिससे हमारी अर्थ-व्यवस्था खराब हो गई। इसलिये मेरा माननीय वित्त मंत्री तथा सभा से अनुरोध है कि केरल राज्य की स्थिति पर ध्यान देते हुये सुझाये गये तरीके के अनुसार पलाई बैंक का पुनः उद्धार करें।

†श्री जोकीम आल्वा (कनारा): पलाई बैंक को बन्द कर देने के कार्य को आप न्याय नहीं कह सकते। वित्त मंत्री बड़े दृढ़ व्यक्ति हैं। वह विपत्तियों से घबराने वाले नहीं उन्हें लोगों की कठिनाइयों को सामने रखते हुये न्याय करना चाहिये। पुरानी बातें गलत सिद्ध हो रही हैं कि ४० करोड़ लोगों के धन को कुछ परिवारों के लोग ही प्रयोग में लायें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारत के रिजर्व बैंक को विश्व बैंक से शिक्षा लेनी चाहिये और इसे देश भर के बैंकों के रक्षक के रूप में काम करना चाहिये। इसको बैंकों के वित्तीय मामलों पर पूरी तरह और बड़ी कड़ी दृष्टि रखनी चाहिये। हमें बड़े ठोस आधारों पर बैंकों का निर्माण करना चाहिये। इस कार्य के लिये नये खून को प्रशिक्षित करना चाहिये। इस देश में लगभग आधी दर्जन एक्सचेंज बैंक हैं, उनमें ऐसे भारतीय हैं जिन्हें १५, २० वर्ष का अनुभव है। राज्य बैंक तो प्रत्येक प्रकार व्यापारिक अथवा विदेशी विनिमय का काम करता नहीं। अतः मेरा यह निवेदन है कि इन एक्सचेंज बैंकों में अनुभवी लोगों को लेना चाहिये। आज की संकटकालीन स्थिति में ये लोग बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे।

एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूं वह यह कि १९५९ तक पलाई बैंक के २५ प्रबन्धकों में से २० एक ही परिवार के थे। रिजर्व बैंक को इससे भी हमारी रक्षा करनी चाहिये। यह भी एक बात है जिससे पलाई बैंक के ८५००० खातेदारों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। हम एक ओर कल्याणकारी राज्य की स्थापना का दावा करते हैं और दूसरी ओर हम गरीब खातेदारों की सहायता करने से भागते हैं। इस उत्तरदायित्व से हमें भागना नहीं चाहिये।

१९२६ से लेकर आज तक लगभग ३०० बैंक असफल हो चुके हैं, परन्तु इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। किसी भी बैंक को संकट से बचाने के लिये सहायता नहीं दी गयी। इस से हमने कोई शिक्षा भी नहीं ली। ऐसी चीजों को रोकने के लिये संहिता निर्माण करने का भी कष्ट और साहस नहीं किया। मैं इसके लिये वित्त मंत्री को कोई दोष नहीं देता। यह भारत के आर्थिक भविष्य की बात है कि रिजर्व बैंक को बहुत ही शक्तिशाली होना चाहिये। इसके कमजोर होते ही सारे देश की अर्थ-व्यवस्था के हिल जाने का खतरा पैदा हो जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जोकीम आल्वा]

पलाई बैंक के खातेदारों के अतिरिक्त उसके कर्मचारियों का संकट भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं तो सरकार से यह निवेदन करूंगा कि १०००० रुपये तक के खातेदारों का रुपया दे दिया जाना चाहिये। इन मध्यम वर्ग के लोगों का भविष्य अन्धकारमय नहीं होना चाहिये।

प्रथम सितम्बर १९३९ को १७२.३७ करोड़ के करेन्सी नोट चलते थे परन्तु जुलाई १९६० में यह राशि १८३५ करोड़ हो गयी है। परन्तु खातेदारों को इसमें से बहुत ही कम अंश प्राप्त हुआ है। वित्त मंत्री को यह कठिन कार्य करना ही होगा। रक्षित बैंक से खातेदारों को पर्याप्त राशि मिलनी ही चाहिये।

†श्री पुन्नूस: मुझे एक जरूरी बात कहनी है; कुछ एक छोटे बैंकों ने मुझे तार भेजा है कि यदि उनका रुपया पलाई बैंक से न दिलवाया गया तो उन्हें भी बन्द होना पड़ेगा।

†श्री मोरारजी देसाई: माननीय सदस्य यह जानकारी बाद में भी दे सकते थे। वित्त मंत्रालय तथा रिजर्व बैंक की जो आलोचना हुई है उसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। मैंने उन सुझावों को भी ध्यान से सुना है जो बैंकों के सुप्रबन्ध के लिये दिये गये हैं। हमें अपने देश के आर्थिक ढांचे के प्रति काफी गम्भीरतापूर्वक विचार करते रहना चाहिये और देश की आर्थिक स्थिति रिजर्व बैंक पर काफी हद तक आधारित है। रिजर्व बैंक की आलोचना तो तभी की जा सकती थी यदि उस बैंक ने कुछ कार्यवाही न की होती अथवा उन्होंने गलत काम किया होता। उस हालत में तो कड़ी आलोचना होनी चाहिये थी। किन्तु यह बड़े गर्व की बात है कि इस देश में रिजर्व बैंक का काम सराहनीय है और अन्य देशों के ऐसे बैंकों की तुलना में इसका काम और भी श्लाघनीय है। इसलिये रिजर्व बैंक के बारे में इस तरह की हल्की बातचीत अनुचित है।

इस सभा के साम्यवादी दल के उपनेता अर्थात् केरल के माननीय सदस्य की मांग से मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने जांच आयोग की नियुक्ति की मांग की है। वह सिवाय अपने दल के हर चीज के लिये जांच आयोग की मांग किया करते हैं। परन्तु यदि आयोग की नियुक्ति कर भी दी जाये तो वह इसके प्रतिवेदन को नहीं मानेंगे। आयोग की आवश्यकता तभी हुआ करती है जब कि किसी मामले के तथ्य स्पष्ट न हों। इस मामले में यह कहा जा सकता है कि जो कुछ मैंने कहा है वह या तो स्पष्ट नहीं या फिर उन बातों के उलट है जो कुछ और लोगों ने कही हैं।

†श्री अ० क० गोपालन: जांच आयोग की मांग हमने ही नहीं की वरन् केरल कांग्रेस ने भी यही मांग की है।

†श्री मोरारजी देसाई: यह कहने की भी क्या जरूरत थी। यदि कोई आयोग के निर्णय को मान ले तो उसकी मांग सही कही जा सकती है अन्यथा इसका कोई महत्व नहीं है।

†श्री नागी रेड्डी (अनन्तपुर): सरकार ने भी आयोगों के निर्णयों को अनेक बार नहीं माना।

†अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों को स्वतंत्रता से बोलने की छूट दी गयी थी अब उन्हें बीच में बाधा नहीं डालनी चाहिये।

†श्री मोरारजी देसाई: माननीय सदस्य अपनी आलोचना सुनने को तैयार नहीं हैं। इन लोगों ने रिजर्व बैंक तथा हमारे विरुद्ध आरोप लगाये हैं। हमने उन्हें चुपचाप सुना है। माननीय

†मूल अंग्रेजी में

सदस्यों ने यहां तक कहा कि यह कार्यवाही प्रतिशोधात्मक थी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार जांच आयोग की नियुक्ति न करेगी तो वे यह समझेंगे कि माननीय मंत्री ने सभा को सारी बातें नहीं बताई जब हम ऐसे आरोपों का उत्तर देते हैं तो कहा जाता है कि हम कुछ कड़ा काम कर रहे हैं।

इस विशेष मामले में तीन चीजें कही जा रही हैं। एक तो यह कि जिस दिन पलाई बैंक को समाप्त करने का निर्णय किया गया उस दिन उसकी स्थिति ठोस थी। यह गलत है या ठीक इसके बारे में मैं सभा को बताने का प्रयास करूंगा। मुझे सुनने के बाद ही सदस्यों को हमारी निन्दा या स्तुति करने का हक है। पहले दो वक्तव्य मैंने हर पहलु पर नहीं दिये क्योंकि ऐसा करने के लिये मुझे कहा ही नहीं गया था। मेरा अभिप्राय यह था कि उस वक्तव्य से सभा को विषय पर चर्चा करने में आसानी हो जाय। उसे कम जानकारी समझा जा रहा है। मैं इस प्रकार की बात को समझ नहीं सकता।

दूसरा आरोप यह है कि रिजर्व बैंक ने ठीक समय पर पहले ही यह कार्यवाही न की। तीसरा आरोप यह है कि रिजर्व बैंक ने संकट को और गम्भीर बना देने के लिये कार्यवाही की जबकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिये था। पिछले दो तर्क एक दूसरे के विरोधी हैं। यही बात मैंने वक्तव्य में भी कही थी। किन्तु माननीय सदस्यों ने उसी बात को लेकर हमारी आलोचना की। मैंने कहा था कि माननीय सदस्य ऐसा कहेंगे। मैंने यह नहीं कहा कि ऐसा होगा। अतः अब मुझे इस स्थिति को और भी स्पष्ट करना होगा।

यह भी कहा गया कि जब बैंक समाप्त करने की कार्यवाही की गयी तब बैंक में से लोगों ने रुपया निकलवाना बन्द कर दिया था। इन सब बातों को लेकर मैं सभा के सामने अब सारी स्थिति को स्पष्ट करूंगा ताकि यह पता चल सके कि रिजर्व बैंक ने जो कार्यवाही की है वह ठीक की है या गलत।

सब से पहले तो हमें इन बैंकों का इतिहास समझ लेना चाहिए। बैंकिंग समवाय अधिनियम १९४९ के मार्च में लागू हुआ और उस समय देश में ६२० वाणिज्यिक बैंक काम कर रहे थे। बैंकों की संख्या तो अधिक थी किन्तु उनकी अधिकांश रकमें बड़े बैंकों के पास जमा थीं और उनके पास कम रुपया था। दस वर्षों में छोटे-छोटे अनेक बैंक धीरे-धीरे समाप्त हो गये अतः १९५९ तक काम करने वाले बैंकों की संख्या ३६० रह गई। इस तरह से कुल मिला कर २८० बैंक समाप्त हो गये थे। सभा को इस प्रकार के कांड का पता तभी चला है जब कि पलाई बैंक समाप्त हुआ है। किन्तु मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं। किन्तु यदि पहले कभी हम अन्य बैंकों की समाप्ति के बारे में भी चर्चा कर लेते तो आज हमें यह कष्ट अनुभव न होता। श्रीमान्, किसी भी समय किसी भी बैंक का समाप्त होना अच्छा नहीं होता। पलाई बैंक के बन्द होने से अनेक लोगों पर जो विपत्ति का पहाड़ टूटा है उसे मैं अनुभव करता हूं। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या रिजर्व बैंक इसकी सहायता कर सकता था? अथवा क्या सरकार या रिजर्व बैंक इस विपत्ति के जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही यह प्रश्न भी उठता है कि इस सम्बन्ध में क्या पहले ही कार्यवाही की जा सकती थी? कार्यवाही निश्चित रूप से ही की जा सकती थी किन्तु हमें यह सोचना चाहिये कि पहले कार्यवाही की जानी उचित भी थी या नहीं।

जब ये सारे बैंक, बैंकिंग समवाय अधिनियम के अन्तर्गत आए उस समय उनको अनुज्ञप्तियां नहीं दी गईं। उस समय अनुज्ञप्ति की आवश्यकता भी नहीं थी। वह काम बाद में शुरू हुआ।

[श्री मोरारजी देसाई]

व्यवस्था यह थी कि तीन वर्ष तक अनुज्ञप्ति की आवश्यकता न रहेगी और उसे बाद ही में शुरू किया जायगा। यह अधिनियम १९५१ में त्रावणकोर कोचीन पर लागू हुआ। १९५४ तक तो अनुज्ञप्ति प्रदान करने या न करने का प्रश्न भी नहीं उठता था। इसलिये जब हम १९५१ के निरीक्षण की बात कहते हैं हमें उस समय याद रखना चाहिए कि तब ऐसी कोई बात पैदा ही नहीं होती थी। उस समय सिवाय हिदायतें देने के और रिजर्व बैंक कर भी क्या सकता था। प्रभावपूर्ण हिदायतें देने का अधिकार भी रिजर्व बैंक को १९५७ में ही मिला। १९५६ के संशोधन के उपरान्त ही रिजर्व बैंक को ऐसा अधिकार प्राप्त हुआ। यह भी कहा जा सकता है कि १९५६ को बीते भी तीन वर्ष का समय हो गया है। इस समय तो १९६० है। इसलिये मैं यह नहीं कहता कि समय का अभाव था वरन् मैं केवल इतना ही कहता हूं कि हमें पहले इतिहास को भी देख लेना चाहिए।

सब से पहले हमें इस बात को देखना चाहिए कि बैंक में से लोग धड़ाधड़ पैसा निकलवाने लग गये थे। इसी से इसका दुर्भाग्य शुरू हुआ। यदि लोग इस तरह से पैसा निकलवाना शुरू न करते तो मैं दावे से कहता हूं कि रिजर्व बैंक कभी ऐसी कार्यवाही न करता। जनवरी या फरवरी में बैंक का निरीक्षण हुआ था। कई चीजें उनसे पूछी गयीं और बहुत सी बातों का सुझाव प्रदान किया गया। दो निदेशक नियुक्त किये गये और उनकी नियुक्ति के बाद उन्होंने एक नोट भेजने का प्रस्ताव किया जिससे और विलम्ब हो गया और बात २१ जुलाई तक चली गई। वस्तुतः लोगों ने इस बैंक से २४ जून से ही रुपया निकलवाना शुरू किया था। यह कहा जा रहा है कि ४ अगस्त को पैसा निकालना बन्द हो गया और उसी रोज रिजर्व बैंक ने निर्णय किया कि इस बैंक को समाप्त कर दिया जाय।

हर सप्ताह बैंक से जितना पया निकलवाया गया मैं उसके आंकड़े दूंगा। १ जुलाई को समाप्त होने वाले सप्ताह में १२ लाख रुपया; ८ जुलाई तक १९ लाख रुपया; १५ जुलाई तक २० लाख रुपया; २२ जुलाई तक २३ लाख रुपया; २९ जुलाई तक २९ लाख रुपया तथा ५ अगस्त तक ३५ लाख रुपया बैंक से निकलवाया गया। इससे स्पष्ट होगा कि जैसा कि सदस्यों ने कहा कि लोगों ने पैसा निकलवाना बन्द कर दिया था वैसा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि लोगों ने ७ अगस्त तक पैसा निकलवाना बन्द कर दिया था।

पिछले सप्ताह के ३५ लाख रुपयों में से १६ लाख रुपये की रकम नयी दिल्ली की शाखा से निकली है और १९ लाख रुपये की रकम अन्य शाखाओं से। उससे स्पष्ट है कि ५ अगस्त को अन्य शाखाओं से भी रुपया निकला। अन्तिम दो दिनों में दिल्ली की शाखा से प्रति दिन ५ लाख रुपया निकलवाया गया। शायद ५ अगस्त के बाद कम रुपया निकलवाया जाने लगा हो अर्थात् एक लाख रुपया रोजाना। इस समय ये आंकड़े हम प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि शाखाओं के कार्यालय बन्द हो चुके हैं।

इससे स्पष्ट है कि चार अगस्त को स्थिति भयानक थी और उसी दिन रिजर्व बैंक को कार्यवाही करने की बात सोचनी थी। जब रिजर्व बैंक ने देखा कि बैंक में से १.५ करोड़ रुपये निकाले जा चुके हैं और शेष रकम कुल १.५ करोड़ की रह गयी है तो उन्हें सोचना पड़ा कि क्या उसे भी बंटवा दिया जाय या नहीं। बाकी लोगों का क्या होता? यदि रिजर्व बैंक ५ अगस्त को कार्यवाही न करता तो वह कर्तव्यच्युत हो जाता। मेरा यही विचार है। यदि सभा मेरे विचारों को गलत मानती है तो मैं दंड भुगतने के लिये तैयार हूं जो सभा मेरे लिये निश्चित करे।

यह भी कहा जाता है कि मैंने जो १.५ करोड़ के आंकड़े दिये वे भी गलत थे। उन्होंने कहा रकम १.३ करोड़ रुपये की थी। खैर १.५ करोड़ तथा १.३ करोड़ रुपये में ज्यादा अन्तर नहीं है। किन्तु यह रकम १.३ करोड़ रुपये भी नहीं थी क्योंकि जहां पर जमा राशियां न दी गयी थीं

वहां उन पर अग्रिम दे दिया गया था। उसकी रकम १८ लाख रुपया थी। यदि १.३ करोड़ रुपये में यह रकम जमा कर दी जाय तो कुल राशि १.५ करोड़ रुपया बन जाती है। उसके बाद मैंने बताया था कि शेष रकम भी १.५ करोड़ रुपया थी परन्तु इसे भी गलत बताया गया। मैं इसे भी ठीक ठीक सिद्ध कर सकता हूं।

कहा गया कि बैंक के पास नकद ४६ लाख रुपये की रकम थी। रिजर्व बैंक ने इसके ४५ लाख तथा अन्य बैंकों में ६१ लाख रुपये जमा थे। इसके पास ३११ लाख रुपये की सरकारी तथा न्यासी प्रतिभूतियां थीं। यह थे इसके परिसम्पद। उनका कहना है कि इन्हें चल परिसम्पद मानना चाहिए था। परन्तु हमें देखना चाहिये कि क्या ये परिसम्पद चल थे? लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने सरकारी प्रतिभूतियों पर ११८ लाख रुपये का ऋण लिया था। इसका मतलब यह हुआ कि उनके तथाकथित चल परिसम्पद इस तरह से केवल ३५४ लाख रुपये तक के ही रह जाते हैं। परन्तु यह तो देखने की बात है कि क्या चल परिसम्पद वास्तव में ३५४ लाख पये के हैं अथवा १५० लाख रुपये के।

बैंक के पास ४६ लाख रुपया नकद था। किन्तु जब तक समापन कार्य न हो तब तक बैंक को हर शाखा में नकद रकम रखनी होती है। इसलिये जब लोग पैसा निकलवा रहे हों ४६ लाख रुपये से कुछ भी नहीं बन सकता। वह इस ४६ लाख रुपये में से १५ लाख रुपये का प्रयोग कर सकते थे क्योंकि उनकी २६ शाखायें हैं जिनमें प्रत्येक में एक एक लाख रुपया होना ही चाहिए था। अतः यदि आप इस बात को सोचें कि वास्तविक रकम १५ या २० लाख पये से अधिक न थी।

जहां तक रिजर्व बैंक में जमा राशि का सम्बन्ध है वह जमा संविहित होती है। ४५ लाख रुपये में से ३५ लाख रुपया तो वहां पर हर हालत में रखना ही चाहिए। समापन के बाद ही ३५ लाख रुपया वहां से प्राप्त हो सकता है। उस समय तक केवल १० लाख रुपया ही उपलब्ध हो सकता है। जहां तक अन्य बैंकों में जमा ६१ लाख रुपये का सम्बन्ध है वह जमा पारस्परिक कारोबार के लिये होती है और सारी रकम उनसे भी नहीं ली जा सकती। इस तरह से वहां से केवल २५ लाख रुपया ही निकलवाया जा सकता था। कुल मिला कर यह सारी रकम ५० लाख रुपया बनी।

कहा गया है कि ३११ लाख पये की सरकारी तथा न्यासी प्रतिभतियां हैं। न्यासी प्रतिभूतियों को छोड़ कर उन्होंने कहा कि यह रकम २९० लाख पये की है। इसमें से पहली निकलवाई गयी रकम ११७ लाख रुपये भी घटायी जानी है। इस तरह पर यह राशि कुल मिलाकर केवल १.७ लाख रुपया रह ही जाती है। या इसे १.७३ लाख रुपया समझना चाहिए। बहुत सी सिक्योरिटियों को निकलवाया नहीं जा सकता जैसे भविष्य निधि आदि की। यदि इन सब को घटाया जाय और इस बात पर भी ध्यान रखा जाय कि प्रतिभूतियों की सारी राशि अग्रिम के रूप में नहीं ी जा सकती तो यही ज्ञात होगा कि इस तरह पर १०४ लाख रुपये में से ज्यादा के अग्रिम नहीं दिये जा सकते थे। इस तरह से यह सारी रकम १५४ लाख पये तक बैठती है। यदि मैं गलती पर भी हूं तो भी कुल चार लाख पये की हो गलती है। किन्तु १५४ लाख तथा ३५४ लाख रुपये में तो आकाश पाताल का अन्तर है।

प्रतिभूतियों का तुरन्त विक्रय भी नहीं किया जा सकता। कुछ तो बेची जा ही नहीं सकती। यदि बैंक बन्द कर दिया जाय तो सारी बेची जा सकती हैं और यही हो रहा है। इसलिये यह कहना कि इस दौड़ धूप में सारी आस्तियों का हिसाब लगाया जाय, गलत है

†श्री च० कृ० नायर (बाह्य दिल्ली) : इसके आधार पर रिजर्व बैंक कुछ रुपया उधार भी दे सकता था।

†श्री मोरारजी देसाई : १ करोड़ रुपये तक उधार मिल सकता था। उससे रकम १५० लाख पया हो जाती। रिजर्व बैंक द्वारा एक करोड़ देने से भी क्या होता। तब भी क्या रह जाता। रिजर्व बैंक जो धन देता उसे भी खो डालता। इसलिये इस बात पर विचार करना जरूरी है।

अब हमें दायित्वों पर भी विचार करना चाहिए। ५ अगस्त, १९६० को ८.६९ करोड़ रुपये के दायित्व थे। इसमें से ५६९ लाख रुपये के अग्रिम हैं। इनमें से भी २१९ लाख रुपये वसूली के अयोग्य हैं; १८ लाख पये की वसूली संदिग्ध है और ११२ लाख रुपये की रकम भी वसूली के लगभग अयोग्य ही है। कुल मिला कर यह रकम ३५० लाख पये तक की बनती है। कहा जाता है कि ११२ लाख रुपये की रकम प्राप्त होने योग्य थी परन्तु ऐसी बात नहीं है। इसका ब्याज भी नहीं मिला। मैंने इस प्रकार की रकम के कुछ अग्रिमांश का निरीक्षण किया। एक आदमी जिसकी कुल सम्पत्ति ५ लाख रुपये की ही थी, को १७ लाख रुपया दिया गया था। यदि ऐसे व्यक्ति की हर एक चीज भी नीलाम कर दी जाय तो भी १२ लाख रुपये से अधिक रकम प्राप्त न हो सकेगी। उसकी जायदाद को नीलाम करने से केवल ३ लाख रुपया ही उपलब्ध हो सकेगा। ऐसी रकम ११२ लाख रुपये की थी। इस कारण मैं बताता हूं कि ३ करोड़ रुपये की रकम इस प्रकार की रकम है।

यह कहा गया है कि जब बैंक की इस हालत का पता पहले से था तो इसको ऐसे ही इतने वर्षों तक क्यों चलने दिया गया। यह प्रश्न उचित ही है और यदि रिजर्व बैंक इस प्रश्न का ठीक उत्तर न दे पाये तो निश्चित रूप से उसकी आलोचना की जानी चाहिये। दुर्भाग्यवश मेरी अपनी ऐसी धारणा बन गई है कि इस देश में अधिकारियों के प्रत्येक कार्य को सन्देह की दृष्टि से देखा जाता है। उनके कार्यों का कोई विश्वास नहीं करना चाहता। यह बड़ी खतरनाक बात है हम उनके प्रत्येक कार्य की आलोचना करते हैं। हमें कुछ समय प्रतीक्षा करके देखना चाहिये कि प्राधिकारी ने ठीक काम किया है अथवा गलत। मेरा तो अपना ऐसा विचार है कि यदि कार में बैठा कोई मंत्री दुर्घटनाग्रस्त हो जाये तो भी जनता की यही धारणा होगी कि उस दुर्घटना की जिम्मेदारी मंत्री की ही है। आज देश में इस प्रकार का वातावरण है। परन्तु खेद इस बात का है कि हम भी यहां पर कुछ इसी प्रकार के वातावरण को बढ़ावा सा दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह देश के विकास में सहायक होगी। मैं चाहता हूं कि मेरे मित्र इस बात को सोचें और समझें कि केवल प्राधिकारी प्रभावोत्पादक नहीं होता है अपितु प्राधिकार की मान्यता ही प्रभावोत्पादक होती है। यदि प्राधिकार के अस्तित्व पर सन्देह किया जाने लगे तो वह अपना काम ही नहीं कर सकता है। यह बात समझनी चाहिये।

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस विषय पर सभा में वाद विवाद हुआ क्योंकि इससे बहुत से मामले स्पष्ट हुये और मनोमालिन्य दूर हुई। मैं बताता हूं कि रिजर्व बैंक ने पहले यह कार्यवाही क्यों नहीं की। पहले से रिजर्व बैंक पलाई बैंक को बताता रहा कि वह अपनी हालत सुधारने के लिये कुछ उपाय करे। १९५४ के बाद से रिजर्व बैंक को यह भी पता लगा कि यह सब अग्रिम धन अब उगाहे नहीं जा सकते हैं इसलिये उस बैंक ने इनको वैसे ही पड़े रहने देना स्वीकार कर लिया है। मैं बताना चाहता हूं कि यह सभी अग्रिम धन बहुत पुराने हैं और इनमें इनका ब्याज भी जोड़ दिया गया है। बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि ५६ प्रतिशत अग्रिम धन व्यक्तिगत प्रतिभूति पर दिये गये और उन पर ब्याज भी वसूल नहीं हो पाया। परन्तु इस ब्याज को लाभ में शामिल करके इस पर लाभांश भी दिया गया, आय कर भी दिया गया और अग्रिम धन की राशि में जोड़ा गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस प्रकार अग्रिम धन की राशि बढ़ती चली गई। रिजर्व बैंक ने यह सब हालत बैंक को बताई, जिस पर बैंक के निदेशकों ने अपने आंकड़े रिजर्व बैंक को भेजे और रिजर्व बैंक के आंकड़ों को गलत बताया। १९५८ के अन्त में रिजर्व बैंक ने इस बैंक से यह भी कहा कि लाभांश को रोक लिया जाना चाहिये जिससे बैंक को हो रही हानि को पूरा किया जा सके, और अंश पूंजी को बचाया जा सके क्योंकि धीरे धीरे बैंक की अंश पूंजी समाप्त होती जा रही थी। इसके उत्तर में १९५९ के आरम्भ में पलाई बैंक के एक निदेशक ने रिजर्व बैंक को एक लम्बा पत्र लिखा कि रिजर्व बैंक का विचार ठीक नहीं है और पलाई बैंक की स्थिति ठोस है। रिजर्व बैंक अनावश्यक रूप से उसके काम में बाधा डाल रहा है अन्यथा पलाई बैंक में जमा धनराशि दुगनी हो गई होती। रिजर्व बैंक ने पलाई बैंक की इस बात को गलत माना और जोरदार शब्दों में कहा कि लाभांश न दिया जाये और उचित लेखे बनाये जायें। समय समय पर जो लेखे बनाये गये थे वह भी बैंकिंग समवाय अधिनियम के अनुसार नहीं बनाये गये थे, क्योंकि यदि अधिनियम के अनुसार जो ब्याज वसूल नहीं किया जा सका उसको लेखों में लाभ नहीं दिखाया जा सकता है। और उस पर लाभांश नहीं दिया जा सकता है। इसीलिये मार्च १९६० में बैंक द्वारा संतुलन पत्र प्रकाशित होने पर उनको लेखे इस अधिनियम के अनुसार बनाने पड़े और १४ लाख रुपयों का घाटा दिखाना पड़ा जिसके कारण यह सब गड़बड़ हुई।

उनके यह बताने पर रिजर्व बैंक के आंकड़े सही नहीं हैं, रिजर्व बैंक ने उन्हें धैर्यपूर्वक समझाया और अन्त में रिजर्व बैंक ने अपने एक जिम्मेदार अधिकारी को उन्हें समझाने के लिये उनके पास भेजा। जनवरी–फरवरी में पलाई बैंक के निदेशक तथा रिजर्व बैंक के अधिकारी ने एक साथ बैठकर आंकड़ों की जांच की और निदेशकों को यह मानना पड़ा कि रिजर्व बैंक के आंकड़े सही हैं। परन्तु अब वह यह कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था।

अब उन्होंने स्वीकार किया है कि अग्रिम धन की राशि वसूली न हो पायेगी। ५.६९ करोड़ रुपये के इस अग्रिम धन में से लगभग ३ करोड़ रुपया वसूल न हो पायेगा। और जब इतना धन वसूल नहीं हो पायेगा तो रिजर्व बैंक इस बैंक की जिम्मेदारी कैसे ले सकता है। मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक ने उचित कार्यवाही की है और कहीं यदि वह ऐसी कार्यवाही न करता तो मैं निश्चित रूप से उस पर दोषारोपण करता कि उसने अपने कर्त्तव्य का पूरी तरह पालन नहीं किया है। यदि उन्होंने पहले लाइसेंस देना अस्वीकार नहीं किया था तो केवल इस कारण कि उन्हें अन्य कितने ही बैंकों के लाइसेंसों को अस्वीकार करना पड़ता। इस बैंक के फेल हो जाने पर बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि समस्त बैंकिंग उद्योग ही फेल हो जायेगा और जनता का बैंकों पर से विश्वास उठ जायेगा परन्तु यदि उस समय इन बैंकों को लाइसेंस नहीं दिये जाते तो क्या होता?

इसीलिये रिजर्व बैंक को धैर्य से काम लेना पड़ा और इसका ध्यान रखना पड़ा कि अन्य बैंकों पर इसका प्रभाव बुरा न पड़े। मैं तो यही समझता हूं कि रिजर्व बैंक ने बड़ा ठीक काम किया है। संभव है कि कोई अन्य व्यक्ति इससे और अच्छी तरह काम कर सकता परन्तु मैं तो यह समझता हूं कि कम से कम मैं तो इससे अच्छा काम नहीं कर सकता। इसीलिये मैं रिजर्व बैंक के कार्यों की सराहना कर रहा हूं। यदि रिजर्व बैंक कोई गलती करता तो निश्चित रूप से में सभा को बताता कि उसने यह गलती की है।

इसीलिये मैं समझता हूं कि जांच आयोग की कोई आवश्यकता ही नहीं है।

†श्री पुन्नूस : माननीय वित्त मंत्री की इस बात से मैं सहमत हूं कि रिजर्व बैंक ने पहले हस्तक्षेप न करके ठीक ही किया परन्तु क्या यह संभव नहीं था कि रिजर्व बैंक इस बैंक का प्रबन्ध अपने हाथ में लेकर वर्तमान निदेशक बोर्ड को बरख्वास्त कर देता?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मोरारजी देसाई : रिजर्व बैंक ने १९६० में ऐसा ही किया। एक सामान्य प्रबन्धक नियुक्त किया। जैसा मैंने अभी बताया यदि खातेदारों ने बैंक से बराबर रुपया निकालना शुरू न किया होता तो वह ऐसे कदम उठाते जिससे बैंक को पुनः स्थिर किया जा सकता। इसीलिये सामान्य प्रबन्धक नियुक्त किया गया था जिसने १ जुलाई को भार संभाल लिया था परन्तु उसके भार लेने के समय में बैंक का परिसमापन हुआ इसलिये उस पर अथवा रिजर्व बैंक पर परिसमापन की जिम्मेदारी डालना उचित नहीं है।

रिजर्व बैंक ने पहले से ही उनके आंकड़ो का गलत बताया। १९५८ में जो दो पत्र उन्होंने लाभांश न देने के बारे में लिखे थे वह मेरे पास हैं। इससे स्पष्ट है कि वह आंकड़ों को पहले से ही गलत बता रहे थे। यदि बैंक के निदेशक रिजर्व बैंक के आंकड़ों को ठीक नहीं समझते तो उन्हें मुझ से मिलना चाहिये था। मैं उनको बताता कि उनके आंकड़े गलत हैं, रिजर्व बैंक के नहीं एक माननीय मित्र ने बताया कि मैंने लाबी में पहले मंत्री पर कुछ दोष लगाये हैं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा झूठ कोई और नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं कि यदि मैं उसके कामों में कोई दोष निकालता हूं तो वह दोष मुझ पर भी आयेगा।

हमें सर्वथा सही तथ्यों को जानने के लिये धैर्य रखना चाहिये क्योंकि तथ्य कभी भी बदले नहीं जा सकते। ऐसे सुझाव दिये गये कि राज्य बैंक अथवा अन्य किसी बैंक को इस बैंक का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेना चाहिये और इन ३ करोड़ रुपयों को बट्टे खाते डाल देना चाहिये। मैं नहीं समझता कि ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है क्योंकि एक बार इस प्रकार की व्यवस्था हो जाने पर हमेशा ऐसा ही करना पड़ेगा। यदि अन्य कोई बैंक ऐसा करने में समर्थ हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु आप फिर भी कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक ने अपना कर्तव्य पालन करने में शिथिलता की है। इसलिये रिजर्व बैंक ऐसी व्यवस्था करने का पक्षपाती नहीं है। परन्तु इस पर भी यदि कोई बैंक ऐसा करना चाहता हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। केवल मैं तो ऐसा करने वाले बैंक की स्थिति देखूंगा कि वह ३ करोड़ रुपये की हानि बरदाश्त करने योग्य है अथवा नहीं।

अब केवल यही प्रश्न रह जाता है कि खातेदारों के हितों की किस प्रकार रक्षा की जाये। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बहुतों की हालत बहुत खराब है। परन्तु मैं क्या करूं? यह बताया गया कि शरणार्थियों आदि को जिस प्रकार धन द्वारा सहायता दी गई उसी प्रकार इन खातेदारों को भी सहायता दी जाये। बड़ी अजीब बात है। यह आशा करना कि आग लग जाने पर, चोरी, डकैती हो जाने पर अथवा अन्य कोई दुर्घटना हो जाने पर सरकार लोगों का सारा नुक्सान पूरा करे, मैं समझता हूं, असंभव काम करने को कहना है। फिर उन्हें सहायता देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। क्योंकि रिजर्व बैंक की जागरूकता के कारण उन्हें कुछ धन तो मिल ही जायेगा। मैं केवल इतना आश्वासन दे सकता हूं कि खातेदारों को अधिकतम रुपया दिलाने का प्रयत्न किया जायेगा। ऐसा करने के लिये हमें विधि में भी संशोधन करना पड़ेगा। हम प्रयत्न करेंगे कि शीघ्रता से निर्धारण हो जाये कि कितना धन वसूल किया जा सकेगा। तभी हम शीघ्रता से उसका वितरण कर पायेंगे।

मैं आशा करता हूं कि सभा विधि में इस प्रकार के संशोधन को स्वीकार कर लेगी कि १०० रुपये तक की राशि का पूरा पूरा भुगतान करने के स्थान पर २५० रुपये तक की राशि का पूरा भुगतान हो और इस से अधिक धन राशि का अनुमानतः भुगतान हो। इस प्रकार की भी कुछ धन राशि है जिसका भुगतान खातादरों के भुगतान से भी पहले किया जाना होगा। वह कर्मचारियों के वेतन आदि। आस्तियों के साथ साथ दायित्वों का भी ध्यान

†मूल अंग्रेजी में

रखना आवश्यक होता है। अंशधारियों को कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि उन्होंने अपनी अंशपूंजी पूरी नहीं दी होती तो उनसे भी और राशि देने के लिये कहा गया होता। परन्तु अधिकांश अंशधारी अपनी पूरी अंश पूंजी दे चुके हैं।

हम प्रयत्न कर रहे हैं कि ऐसी कार्यवाही की जानी चाहिये जिससे वहां के अन्य बैंकों की हालत दृढ़ हो जाये। और इस प्रकार की घटना फिर न हो। इसके बारे में भी अधिनियम में एक संशोधन किया जा रहा है। हम कुछ बैंकों का विलीनीकरण करना चाहते हैं क्योंकि केरल में लगभग १०० बैंक हैं। बहुत से अच्छी हालत में हैं परन्तु कठिनाई होने पर वह संभल नहीं पावेंगे ऐसी मेरी आशंका है।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : उनमें से अधिकांश बन्द हो रहे हैं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : यदि आप चाहें तो भी कोई बैंक बन्द नहीं होगा।

†**श्री पुन्नूस** : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। कल भी जब मैंने कहा था कि सामान्यत: भय बना हुआ है तो मंत्री महोदय ने कहा था कि संभवतया हम यही चाहते हैं। आज भी माननीय वित्त मंत्री ने वही शब्द दोहराये हैं। एक वरिष्ठ मंत्री को यह नहीं कहना चाहिये कि हम ऐसा चाहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह औचित्य प्रश्न नहीं है। माननीय मंत्री पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि कोई बैंक बन्द नहीं होगा। परन्तु यदि फिर भी माननीय सदस्य यह कहते हैं कि बैंक बन्द हो रहे हैं तो क्या माननीय मंत्री यह भी नहीं पूछ सकते हैं कि माननीय सदस्य इस प्रकार का आरोप क्यों लगा रहे हैं ? माननीय सदस्यों को धैर्य रखना चाहिये और ऐसा नहीं कहना चाहिये कि बैंक बन्द हो रहे हैं।

†**श्री अ० क० गोपालन** : हमारे पास इस संबंध में तीन तार आये हैं। इसीलिये हमको ऐसा कहना पड़ रहा है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : सभी तारों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जब कि मैं सभा में आंकड़े बता रहा हूं, क्या तब भी कोई सन्देह रह जाता है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जिस बैंक को बचाया जा सकेगा उसको बचाने के लिये रिजर्व बैंक सभी संभव उपाय करेगा। यदि माननीय सदस्य फिर भी यही कहते हैं कि बैंक बन्द हो रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उनको नष्ट होने से बचाया नहीं जा रहा है अपितु जनता में गलत भावना पैदा की जा रही है जिससे बैंक फेल हो जाये। इसलिये मेरा यही कहना है कि यदि आप चाहते हैं कि बैंकों को फेल होने से बचाया जा सके तो भागवान के लिये यह न कहिये कि बैंक फेल हो रहे हैं।

†**श्री गोपालन** : मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को दोषी पाया जायेगा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं बता चुका हूं कि जिन मामलों में कानूनी कार्यवाही करनी आवश्यक होगी उनमें वह अवश्य की जायेगी। परन्तु क्योंकि ऐसा करना बड़ा कठिन काम होता है इसलिये सरकार को बड़ी सावधानी से ऐसा करना होगा।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार २४ अगस्त, १९६०/२ भाद्र, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, २३ अगस्त, १९६० / १ भाद्र, १८८२ (शक)]

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों क मौखिक उत्तर	२०८३—२१०६

तारांकित
प्रश्न संख्या

६५२	कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारित करने के लिये संविहित बोर्ड	२०८३—८६
६५३	पोस्टकार्ड	२०८७—८८
६५४	छोटे पत्तन . . .	२०८८—९०
६५५	रेलवे दुर्घटनाओं में हताहत व्यक्तियों को प्रतिकर	२०९०
६५६	महानदी घाटी के विकास के बारे में रिपोर्ट	२०९०—९२
६५९	जल-शक्ति का उपयोग .	२०९३—९६
६६०	शाहदरा (दिल्ली) में बिजली सप्लाई की दर	२०९६—९७
६६१	स्पेशल ट्रेन में किसानों की मृत्यु	२०९७—९९
६६२	अरब सागर में जलयान—दुर्घटना	२०९९—२१००
६६६	प्रशासनिक जानकारी दल .	२१००
६६७	आगरा में विदेशी पर्यटकों को ठगना	२१०१—०३
६७०	कांगों को खाद्यान्न-सहायता	२१०३—०४
६७३	उत्तर प्रदेश में राम गंगा परियोजना	२१०४—०५
६७४	मालदा में महानन्दा के ऊपर पुल	२१०५—०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर	२१०७—५६

तारांकित
प्रश्न संख्या

६५७	हुगली नदी में तलकर्षण	२१०७
६५८	आसाम रेल मार्ग	२१०७
६६३	मेहसाना के निकट गाड़ियों की टक्कर	२१०७—०८
६६४	रेल के फाटकों के लिये "लिफ्ट गेट"	२१०८
६६५	टिकटों की बैंकिंग .	२१०८

विषय | पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

६६८	भारत में प्रदर्शनार्थ उड़ानें . .	२१०९
६६९	नये डाक टिकट . . .	२१०९
६७१	पूर्वोत्तर रेलवे के रेलवे स्टोर्ज़ डिपो में आग . .	२१०९–१०
६७२	ट्रेलर–युक्त ट्रक . . .	२११०–११
६७५	आंध्र प्रदेश में चावल की मिलें .	२१११
६७६	भोजन व्यवस्था कालेज	२१११
६७७	गैर-अनुसूचित विमान संचालक . .	२१११–१२
६७८	रेलगाड़ी में लाश	२११२
६७९	झांसी के निकट मकैनिकल वर्कशाप	२११२
६८०	बाढ नियंत्रण योजनायें	२११२–१३
६८१	उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में तार और टेलीफोन सुविधायें	२११३
६८२	दिल्ली के लिये वृहद् योजना	२११४
६८३	ठेकेदारों को अधिक भुगतान .	२११४
६८४	महाराष्ट्र में मनीआर्डर फार्मों की कमी	२११५
६८५	दुर्गापुर तापीय बिजलीघर . . .	२११५–१६

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१२६८	आंध्र प्रदेश के ग्रामों में बिजली लगाना . . .	२११६
१२६९	मध्य रेलवे में चोरियां	२११६–१७
१२७०	सिकन्दराबाद में रेलवे स्थापनों में भर्ती . . .	२११७
१२७१	विजयवाड़ा में ऊपरी पुल	२११८
१२७२	भारत और लंका के बीच रेलवे नौका सेवा . .	२११८
१२७३	दक्षिण रेलवे में चलते फिरते पुस्तकालय . .	२११८
१२७४	बिहार में टेलीफोन के कनेक्शन	२११८
१२७५	सेन्टोनिन	२११८–१९
१२७६	होलेरेना ऐंटीडाइसेंट्रिका रूट वार्क (सामान्य कुटज जड़ की छाल)	२११९–२०
१२७७	इमली के बीज से तैयार की गई चूसने की मीठी गोलियां .	२१२०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१२७८	कृषि कालेज .	२१२१
१२७६	काकिनाडा स्टेशन . .	२१२१
१२८०	विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष सुविधायें .	२१२१–२२
१२८१	डाकघर . .	२१२२
१२८२	जालंधर-पठानकोट सैक्शन पर इंजन डिब्बे	२१२३
१२८३	दिल्ली में कार दुर्घटनायें	२१२३
१२८४	पंजाब में सहकारिता कार्यक्रम .	२१२३
१२८५	उत्तर प्रदेश में बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनायें	२१२४
१२८६	उत्तर प्रदेश में चीनी की फैक्टरियां	२१२४–२५
१२८७	रेल मार्ग को नुकसान पहुंचाना .	२१२५
१२८८	दिल्ली डिवीजन में रेलवे क्वार्टर	२१२५
१२८९	नई दिल्ली में बच्चों का पार्क	२१२५–२६
१२९०	अफीमचियों के लिये अस्पताल	२१२६
१२९१	टेलीफोन	२१२६
१२९२	कृषि उपज	२१२७
१२९३	नालागढ़ समिति . .	२१२७
१२९४	भिवानी में सिटी बुकिंग एजेंसी	२१२७
१२९५	जाली रेलवे टिकट . . .	२१२८
१२९६	रेलवे पुलों के बारे में खोसला समिति का प्रतिवेदन	२१२८
१२९७	व्याधिकीय पंजीयन, कार्यालय . .	२१२८–२९
१२९८	केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग का पुनर्गठन	२१२९
१२९९	काश्मीर में तापीय संयंत्र .	२१२९
१३००	दक्षिण पूर्व रेलवे के निर्माण कार्य की जांच	२१३०
१३०१	पश्चिम जर्मनी को कृषि संबंधी शिष्टमंडल	२१३०
१३०२	जहाज बनाने के पुर्जों का उत्पादन	२१३०–३१
१३०३	समुद्र में जान की सुरक्षा संबंधी सम्मेलन	२१३१
१३०४	उड़ीसा में बिजली की कमी	२१३१
१३०५	राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६ पर वैतरणी पुल	२१३२
१३०६	मीन क्षेत्रों का विकास	२१३२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१३०७ उड़ीसा में कुष्ट नियंत्रण योजना . . . २१३२
१३०८ अलीपुर विकास खंड . २१३२–३३
१३०९ हिमाचल प्रदेश में पर्यटन . . २१३३–३४
१३१० केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद् . २१३४—३६
१३११ टेलीफोन के बिल . . २१३६
१३१२ पंजाब में उर्वरकों का दिया जाना . . . २१३६–३७
१३१३ पंजाब में चीनी का उत्पादन . . २१३७
१३१४ अस्पतालों में क्षय रोगियों के लिये स्थान २१३७
१३१५ कलकत्ते में लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी के लिये भवन २१३७–३८
१३१६ यमुना में गन्दगी का गिरना . . २१३८
१३१७ दिल्ली में विकास खंड . . . २१३८
१३१८ दिल्ली में महिलाओं को फल परिरक्षण का प्रशिक्षण . . २१३८
१३१९ दिल्ली में पशुओं के चलते-फिरते हस्पताल २१३९
१३२० रसायनिक उर्वरक . . . २१३९
१३२१ चंडीगढ़ में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज . २१३९
१३२२ देश में तापमान का रूप . . . २१३९–४०
१३२३ पत्रिकाओं और पुस्तकों के बंडलों की चोरी . २१४०
१३२४ ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां . . २१४०
१३२५ कैनाट प्लेस में पटरियों पर बैठने वाले . . २१४०–४१
१३२६ बीकानेर डिवीजन में टेलीफोन . २१४१
१३२७ भारत में बिजली का उत्पादन . . २१४१
१३२८ बरलंगपुर के पास गाड़ी का लाइन से उतर जाना २१४२
१३२९ दन्त चिकित्सालय २१४२
१३३० दक्षिण रेलवे में भर्ती . . . २१४३
१३३१ मैड्रिड में विश्व विद्युत सम्मेलन . . २१४३
१३३२ रेलवे पर पुस्तकों की दुकानें . . . २१४३–४४
१३३३ कलकत्ता पत्तन पर तलकर्षण यंत्र . . २१४४
१३३४ केन्द्रीय अध्ययन तथा अनुसंधान संस्था . . २१४४–४५
१३३५ बृहद् कलकत्ता के लिये पानी की सप्लाई . . . २१४५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

१३३६	जलगांव में रेल का ऊपरी पुल . . .	२१४५
१३३७	नागपुर–त्रिवेन्द्रम् रात्रिकालीन हवाई डाक सेवा	२१४५
१३३८	टेलीफोन के कनेक्शन . . .	२१४५–४६
१३३९	पालाकोल सहकारी चीनी कारखाना	२१४६
१३४०	दक्षिणेश्वर में अखिल भारतीय कृषि मेला .	२१४६
१३४१	हिमाचल प्रदेश के जिला परिवहन बोर्ड . .	२१४६–४७
१३४२	राष्ट्रीय राजपथों पर पुल	२१४७
१३४३	सहकारी समितियां	२१४७–४८
१३४४	डाक में देरी	२१४८
१३४५	मत्स्य पालन	२१४८
१३४६	टेलीफोन एक्सचेंज, जम्मू . .	२१४९
१३४७	भारतीय केन्द्रीय रूई समिति	२१४९
१३४८	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों के डाक्टरों की बदलियां .	२१४९–५०
१३४९	स्पिती घाटी में डाक सुविधायें . . .	२१५०
१३५०	वनस्पति उत्पादन	२१५०
१३५१	चीनी और वनस्पति . .	२१५०–५१
१३५२	हावड़ा और सियालदह पर टिकटों की बिक्री	२१५१
१३५३	पश्चिम रेलवे के स्टेशनों पर दिया जाने वाला भोजन .	२१५२
१३५४	ग्राम्य स्कूल अध्यापकों का प्रशिक्षण . . .	२१५२–५३
१३५५	दक्षिण-पूर्व रेलवे का डिस्ट्रिक्ट सिगनल दूर-संचार इंजीनियरी कार्यालय	२१५३
१३५६	सुरेमनपुर-रावटी रेलवे लाइन . .	२१५३
१३५७	मध्य प्रदेश में प्रयोगात्मक ग्रामीण डाकघर . . .	२१५४
१३५८	दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा चलाये जा रहे स्कूल .	२१५४–५५
१३५९	कृषि संबंधी प्रकाशन .	२१५५
१३६०	गोमती नदी पर पुल . . .	२१५५
१३६१	मद्रास राज्य में किराये की इमारतों में डाक-घर .	२१५६
१३६२	कोयम्बटूर की टेलीफोन परामर्शदात्री समिति	२१५६

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१५७

(१) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक ६ अगस्त, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९१२ की एक प्रति। . .

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :

(१) बम्बई चीनी (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५९ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १३ अगस्त, १९६० की जी० एस० आर० ९४१ ।

(२) चीनी (यातायात नियंत्रण) आदेश १९५९ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १३ अगस्त, १९६० की जी० एस० आर० ९४२ ।

राज्य सभा से सन्देश . . . २१५७

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त सन्देश की सूचना दी कि राज्य सभा ने १९ अगस्त, १९६० की अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा २७ नवम्बर, १९५९ को पारित किये गये दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक १९५९ को संशोधनों सहित पारित कर दिया है और विधेयक को इस प्रार्थना के साथ लौटा दिया है कि संशोधनों से सहमति की सूचना राज्य सभा को भेज दी जाये।

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक सभा पटल पर रखा गया . . २१५८

सचिव ने राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक १९५९, को सभा पटल पर रखा ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव . २१५८—२२००

तृतीय पंच वर्षीय योजना के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर अग्रेतर चर्चा . . २२०१—११

श्री पुन्नूस ने प्रस्ताव किया कि पलाई सैन्ट्रल बैंक के बारे में चर्चा के संबंध में प्रक्रिया नियमों के नियम १९४ में निर्धारित समय सीमा संबंधी उपबन्ध को निलम्बित किया जाये और इसका समय २१/२ घंटे से बढ़ा कर ४ घंटे कर दिया जाय । प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

पलाई सेंट्रल बैंके के बन्द हो जाने के बारे में आगे चर्चा जारी रही । वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और चर्चा समाप्त हुई ।

बुधवार, २४ अगस्त, १९६० २ भाद्र, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि

तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव पर आगे चर्चा ।

GMGIP ND—LS III—986 (AI) LSD—JCNo, 1252c-6c-61—25-9-6c—135.